रियायत समझौता

मोपा, गोवा में

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
के आधार पर
ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास
नागर विमानन निदेशालय, गोवा सरकार

8 नवंबर, 2016

विषय-सूची (TABLE OF CONTENTS)

अनुच्छेद / अनुसूची (Article / Schedule)	विषय (Title)	पृष्ठ संख्या (Page No.)
अनुच्छेद 1 (ARTICLE 1)	परिभाषाएं और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)	14
1.1	परिभाषाएं (Definitions)	14
1.2	व्याख्या (Interpretation)	14
1.3	माप और अंकगणितीय परंपराएं (Measurements and arithmetic conventions)	16
1.4	समझौतों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता (Priority of agreements, clauses and schedules)	16
अनुच्छेद 2 (ARTICLE 2)	परियोजना का कार्यक्षेत्र (SCOPE OF THE PROJECT)	19
2.1	परियोजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Project)	19
अनुच्छेद 3 (ARTICLE 3)	रियायत का अनुदान (GRANT OF CONCESSION)	20
3.1	रियायत (The Concession)	20
3.2	सिटी साइड विकास (City Side Development)	21
अनुच्छेद 4 (ARTICLE 4)	पूर्ववर्ती शर्तें (CONDITIONS PRECEDENT)	22
4.1	पूर्ववर्ती शर्तें (Conditions Precedent)	22
4.2	प्राधिकरण द्वारा विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay by the Authority)	23
4.3	रियायतग्राही द्वारा विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay by the Concessionaire)	24
4.4	विलंब होने पर मानी गई समाप्ति (Deemed Termination upon delay)	24

अनुच्छेद 5 (ARTICLE 5)	रियायतग्राही के दायित्व (OBLIGATIONS OF THE CONCESSIONAIRE)	25
5.1	रियायतग्राही के दायित्व (Obligations of the Concessionaire)	25
5.2	परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Project Agreements)	26
5.3	स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Change in Ownership)	27
5.4	गोल्डन शेयर से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Golden Share)	28
5.5	डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व (Obligations relating to DGCA licence)	30
5.6	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व (Obligations relating to procurement of goods and services)	30
5.7	विदेशी नागरिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of foreign nationals)	31
5.8	प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of trained personnel)	31
5.9	गोवा के लोगों और विस्थापित परिवारों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of people of Goa and Displaced Family)	31
5.10	सुरक्षा अनापत्ति से संबंधित दायित्व (Obligations relating to security clearance)	32
5.11	गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच से संबंधित दायित्व (Obligations relating to non-discriminatory access)	32
5.12	चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व (Obligations relating to medical aid)	32

5.13	ध्वनि नियंत्रण से संबंधित दायित्व (Obligations relating to noise control)	32
5.14	रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य (Sole purpose of the Concessionaire)	32
5.15	हवाईअड्डे की ब्रांडिंग (Branding of the Airport)	33
5.16	दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु सुविधाएं (Facilities for differently abled and elderly persons)	33
अनुच्छेद 6 (ARTICLE 6)	प्राधिकरण के दायित्व (OBLIGATIONS OF THE AUTHORITY)	34
6.1	प्राधिकरण के दायित्व (Obligations of the Authority)	34
6.2	नियत तिथि से पूर्व रखरखाव दायित्व (Maintenance obligations prior to Appointed Date)	35
6.3	आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Reserved Services)	35
6.4	पुनर्वित्तपोषण से संबंधित दायित्व (Obligations relating to refinancing)	35
अनुच्छेद 7 (ARTICLE 7)	अभ्यावेदन और वारंटी (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)	36
7.1	रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटी (Representations and warranties of the Concessionaire)	36
7.2	प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटी (Representations and warranties of the Authority)	37
7.3	प्रकटीकरण (Disclosure)	38
अनुच्छेद 8 (ARTICLE 8)	अस्वीकरण (DISCLAIMER)	39
8.1	अस्वीकरण (Disclaimer)	39
अनुच्छेद 9 (ARTICLE 9)	निष्पादन सुरक्षा (PERFORMANCE SECURITY)	41

9.1	निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)	41
9.2	निष्पादन सुरक्षा का विनियोग (Appropriation of Performance Security)	41
9.3	निष्पादन सुरक्षा की मुक्ति/वापसी (Release of Performance Security)	41
9.4	मानी गई निष्पादन सुरक्षा (Deemed Performance Security)	41
9.5	मानी गई निष्पादन सुरक्षा का विनियोग (Appropriation of Deemed Performance Security)	42
अनुच्छेद 10 (ARTICLE 10)	मार्ग का अधिकार / रास्ता (RIGHT OF WAY)	43
10.1	स्थल (The Site)	43
10.2	लाइसेंस, पहुँच और मार्ग का अधिकार (Licence, Access and Right of Way)	43
10.3	स्थल की अधिप्राप्ति (Procurement of the Site)	44
10.4	स्थल का भार-मुक्त होना (Site to be free from Encumbrances)	45
10.5	स्थल की भारों से सुरक्षा (Protection of Site from Encumbrances)	45
10.6	विशेष/अस्थायी मार्ग का अधिकार (Special/temporary right of way)	45
10.7	प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को पहुँच (Access to the Authority and Independent Engineer)	45
10.8	भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजें (Geological and archaeological finds)	45
अनुच्छेद 11 (ARTICLE 11)	उपयोगिताएं, संबद्ध सड़कें और वृक्ष (UTILITIES, ASSOCIATED ROADS AND TREES)	47

11.1	विद्यमान उपयोगिताएं और सड़कें (Existing utilities and roads)	47
11.2	बाधा डालने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण (Shifting of obstructing utilities)	47
11.3	नई उपयोगिताएं और परिवहन प्रणालियां (New utilities and transport systems)	47
11.4	वृक्षों की कटाई (Felling of trees)	48
अनुच्छेद 12 (ARTICLE 12)	हवाईअड्डे का निर्माण (CONSTRUCTION OF THE AIRPORT)	49
12.1	निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व दायित्व (Obligations prior to commencement of construction)	49
12.2	स्थल हेतु मास्टर प्लान (Master Plan for the Site)	50
12.3	रेखाचित्र / ड्रॉइंग्स (Drawings)	50
12.4	हवाईअड्डे का निर्माण (Construction of the Airport)	51
12.5	टर्मिनल भवन का विकास (Development of Terminal Building)	52
12.6	कार पार्क का विकास (Development of Car Park)	52
12.7	कार्गो सुविधाओं का विकास (Development of Cargo Facilities)	52
12.8	हवाईअड्डे का विस्तार (Expansion of the Airport)	52
12.9	एमआरओ सुविधाओं का विकास (Development of MRO Facilities)	53
अनुच्छेद 13 (ARTICLE 13)	निर्माण की निगरानी (MONITORING OF CONSTRUCTION)	54
13.1	मासिक प्रगति रिपोर्ट (Monthly progress reports)	54

13.2	निरीक्षण (Inspection)	54
13.3	परीक्षण (Tests)	54
13.4	निर्माण के दौरान विलंब (Delays during construction)	55
13.5	असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन (Suspension of unsafe Construction Works)	55
13.6	वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording)	55
अनुच्छेद 14 (ARTICLE 14)	पूर्णता प्रमाणपत्र (COMPLETION CERTIFICATE)	57
14.1	परीक्षण (Tests)	57
14.2	पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate)	57
14.3	अनंतिम प्रमाणपत्र (Provisional Certificate)	57
14.4	पंच सूची मदों की पूर्णता (Completion of Punch List items)	58
14.5	अनंतिम या पूर्णता प्रमाणपत्र को रोकना (Withholding of Provisional or Completion Certificate)	58
14.6	परीक्षणों का पुनर्निर्धारण (Rescheduling of Tests)	58
अनुच्छेद 15 (ARTICLE 15)	वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश (ENTRY INTO COMMERCIAL SERVICE)	60
15.1	वाणिज्यिक परिचालन तिथि (COD) (Commercial Operation Date)	60
15.2	विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay)	60
अनुच्छेद 16 (ARTICLE 16)	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (CHANGE OF SCOPE)	61
16.1	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (Change of Scope)	61

16.2	कार्यक्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया (Procedure for Change of Scope)	61
16.3	कार्यक्षेत्र परिवर्तन हेतु भुगतान (Payment for Change of Scope)	62
16.4	कतिपय कार्यों पर प्रतिबंध (Restrictions on certain works)	62
16.5	कार्य करने की प्राधिकरण की शक्ति (Power of the Authority to undertake works)	63
16.6	परियोजना के कार्यक्षेत्र में कमी (Reduction in Scope of the Project)	63
अनुच्छेद 17 (ARTICLE 17)	प्रचालन और रखरखाव (OPERATION AND MAINTENANCE)	64
17.1	रियायतग्राही के O&M दायित्व (O&M obligations of the Concessionaire)	64
17.2	रखरखाव आवश्यकताएं (Maintenance Requirements)	65
17.3	रखरखाव नियमावली (Maintenance Manual)	65
17.4	रखरखाव कार्यक्रम (Maintenance Programme)	66
17.5	सुरक्षा, ब्रेकडाउन और दुर्घटनाएं (Safety, breakdowns and accidents)	66
17.6	आपातकाल के कारण सेवामुक्ति (De-commissioning due to Emergency)	67
17.7	खंड बंदी (Section closure)	67
17.8	रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन हेतु हर्जाना (Damages for breach of maintenance obligations)	68
17.9	उपचारात्मक उपाय करने का प्राधिकरण का अधिकार (Authority's right to take remedial measures)	68

17.10	प्राधिकरण की सर्वोपरि शक्तियां (Overriding powers of the Authority)	68
17.11	हवाईअड्डे के नुकसान या क्षति की पुनर्स्थापना (Restoration of loss or damage to the Airport)	69
17.12	हवाईअड्डे में संशोधन (Modifications to the Airport)	69
17.13	दायित्वों के निष्पादन से छूट (Excuse from performance of obligations)	69
17.14	बाधाएं और मार्ग परिवर्तन (Barriers and diversions)	70
17.15	रक्षा बलों द्वारा हवाईअड्डे का उपयोग (Use of Airport by Defence Forces)	70
17.16	सिटी साइड विकास का O&M (O&M of City Side Development)	71
17.17	प्राधिकरण के विमानों द्वारा उपयोग (Use by aircrafts of the Authority)	71
17.18	बिजली और पानी की आपूर्ति (Electricity and water supply)	71
अनुच्छेद 18 (ARTICLE 18)	वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन (OPERATION OF AERONAUTICAL ASSETS)	72
18.1	वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन और प्रबंधन (Operation and management of Aeronautical Assets)	72
18.2	ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (Ground Handling Services)	72
18.3	विमान ईंधन भरने की सेवाएं (Aircraft Fuelling Services)	72
अनुच्छेद 19 (ARTICLE 19)	टर्मिनल भवन का प्रचालन (OPERATION OF TERMINAL BUILDING)	74

19.1	टर्मिनल भवन का प्रचालन और प्रबंधन (Operation and management of Terminal Building)	74
19.2	सेवा स्तर (Level of Service)	75
19.3	विशेष सहायता की आवश्यकता वाले यात्री (Passengers who require special assistance)	75
19.4	आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area)	75
19.5	वीआईपी लाउंज (VIP Lounges)	76
19.6	चेक-इन सेवाएं (Check-in Services)	76
19.7	वाणिज्यिक विज्ञापन (Commercial advertising)	76
अनुच्छेद 20 (ARTICLE 20)	कार पार्क का प्रचालन (OPERATION OF CAR PARK)	77
20.1	कार पार्क का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of Car Park)	77
20.2	आरक्षित कार पार्क का प्रावधान (Provision for Reserved Car Park)	77
20.3	कार पार्क में सुविधाएं (Facilities at Car Park)	77
20.4	चालकों हेतु प्रतीक्षालय (Waiting area for drivers)	77
20.5	अनधिकृत पार्किंग (Unauthorised Parking)	78
20.6	कार पार्क का विस्तार (Expansion of Car Park)	78
अनुच्छेद 21 (ARTICLE 21)	कार्गो और एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन (OPERATION OF CARGO AND MRO FACILITIES)	79
21.1	कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of Cargo Facilities)	79
21.2	कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on use of Cargo Facilities)	79

21.3	एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of MRO Facilities)	79
21.4	एमआरओ सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on use of MRO Facilities)	79
अनुच्छेद 22 (ARTICLE 22)	आरक्षित सेवाएं (RESERVED SERVICES)	80
22.1	आरक्षित सेवाएं (Reserved Services)	80
22.2	सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)	80
22.3	अन्य आरक्षित सेवाएं (Other Reserved Services)	81
22.4	हवाई अड्डा सुरक्षा (Airport security)	81
22.5	पुलिस सहायता (Police assistance)	82
22.6	मौसम संबंधी सेवाएं (Meteorological services)	82
22.7	आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व (Obligations in respect of Reserved Services)	82
22.8	आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area)	83
अनुच्छेद 23 (ARTICLE 23)	सुरक्षा आवश्यकताएं (SAFETY REQUIREMENTS)	85
23.1	सुरक्षा आवश्यकताएं (Safety Requirements)	85
23.2	सुरक्षा आवश्यकताओं पर व्यय (Expenditure on Safety Requirements)	85
अनुच्छेद 24 (ARTICLE 24)	प्रचालन और रखरखाव की निगरानी (MONITORING OF OPERATION AND MAINTENANCE)	86
24.1	मासिक और दैनिक स्थिति रिपोर्ट (Monthly and daily status reports)	86

24.2	असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट (Reports of unusual occurrence)	86
24.3	निरीक्षण (Inspection)	87
24.4	परीक्षण (Tests)	87
24.5	उपचारात्मक उपाय (Remedial measures)	87
अनुच्छेद 25 (ARTICLE 25)	यातायात विनियमन और गणना (TRAFFIC REGULATION AND CENSUS)	88
25.1	रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन (Traffic regulation by the Concessionaire)	88
25.2	स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश (Slot allocation guidelines)	88
25.3	यातायात गणना (Traffic census)	88
25.4	कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क (Computer systems and network)	88
अनुच्छेद 26 (ARTICLE 26)	प्रमुख निष्पादन संकेतक (KEY PERFORMANCE INDICATORS)	89
26.1	प्रमुख निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators)	89
26.2	वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन (Operation of Aeronautical Assets)	89
26.3	टर्मिनल भवन का प्रचालन (Operation of Terminal Building)	89
26.4	कार पार्क का प्रचालन (Operation of Car Park)	89
26.5	कार्गो सुविधाओं का प्रचालन (Operation of Cargo Facilities)	90
26.6	आईएसओ प्रमाणन (ISO certification)	90

26.7	सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं (Service Quality Requirements)	90
26.8	लक्षित रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Target Rating and User Survey)	90
26.9	मासिक स्थिति रिपोर्ट (Monthly status report)	91
26.10	निष्पादन में कमी हेतु हर्जाना (Damages for shortfall in performance)	91
26.11	यात्री चार्टर (Passenger Charter)	91
26.12	प्रमुख निष्पादन संकेतकों से छूट (Excuse from Key Performance Indicators)	92
26.13	एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन (Operation of MRO facilities)	92
अनुच्छेद 27 (ARTICLE 27)	स्वतंत्र अभियंता (INDEPENDENT ENGINEER)	93
27.1	स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति (Appointment of Independent Engineer)	93
27.2	कर्तव्य और कार्य (Duties and functions)	93
27.3	पारिश्रमिक (Remuneration)	93
27.4	नियुक्ति की समाप्ति (Termination of appointment)	93
27.5	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorised signatories)	94
27.6	विवाद समाधान (Dispute resolution)	94
अनुच्छेद 28 (ARTICLE 28)	सिटी साइड विकास (CITY SIDE DEVELOPMENT)	95
28.1	सिटी साइड का विकास (Development of City Side)	95

28.2	सिटी साइड विकास का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of City Side Development)	95
28.3	लागत, कर और राजस्व (Costs, taxes and revenues)	95
28.4	सिटी साइड विकास और भू-उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on City Side Development and Land Use)	95
28.5	फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) पर प्रतिबंध (Restrictions on Floor Space Index)	95
28.6	सिटी साइड विकास का उप-लाइसेंसिंग (Sub-licensing of City Side Development)	96
28.7	समाप्ति के बाद उप-लाइसेंसधारियों के अधिकार (Rights of sub-licensees after Termination)	96
28.8	लागू कानूनों का अनुपालन (Compliance with Applicable Laws)	97
28.9	वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन (Commercial advertisement or display)	97
28.10	विमानन कौशल विकास केंद्र की स्थापना (Establishment of the Aviation Skill Development Centre)	97
अनुच्छेद 29 (ARTICLE 29)	वित्तीय समापन (FINANCIAL CLOSE)	99
29.1	वित्तीय समापन (Financial Close)	99
29.2	वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति (Termination due to failure to achieve Financial Close)	99
अनुच्छेद 30 (ARTICLE 30)	रियायत शुल्क (CONCESSION FEE)	100
30.1	रियायत शुल्क (Concession Fee)	100

30.2 वार्षिक प्रीमियम (Annual Premium) 100

30.3 रियायत शुल्क का भुगतान (Payment of Concession Fee) 100

30.4 सकल राजस्व का सत्यापन (Verification of Gross Revenue) 100

अनुच्छेद 31 (ARTICLE 31) उपयोगकर्ता शुल्क (USER FEES) 101

31.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्क संग्रह (Collection of Fees by the Concessionaire) 101

32.2 दिक्चालन प्रभारों का संग्रह (Collection of Navigational Charges) 101

32.3 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत (Principles of Determination and Revision of Aeronautical Charges) 101

32.4 वैमानिकी प्रभारों के संशोधन पर संयम (Restraint on revision of Aeronautical Charges) 103

32.5 वैमानिकी प्रभारों की समीक्षा (Review of Aeronautical Charges) 103

32.6 वैमानिकी प्रभारों में वृद्धि पर कतिपय सीमाएं (Certain limitations on increase in Aeronautical Charges) 103

32.7 शुल्क अपवंचन हेतु शास्ति (Penalty for evasion of Fees) 104

32.8 वैमानिकी प्रभारों का प्रदर्शन (Display of Aeronautical Charges) 104

32.9 मासिक शुल्क विवरण (Monthly Fee Statement) 104

32.10 शुल्क ठेकेदार (Fee contractor) 104

अनुच्छेद 33 (ARTICLE 33) एस्क्रो खाता (ESCROW ACCOUNT) 105

33.1	एस्क्रो खाता (Escrow Account)	105
33.2	एस्क्रो खाते में जमा (Deposits into Escrow Account)	105
33.3	रियायत अवधि के दौरान निकासी (Withdrawals during Concession Period)	105
33.4	समाप्ति पर निकासी (Withdrawals upon Termination)	106
अनुच्छेद 34 (ARTICLE 34)	बीमा (INSURANCE)	107
34.1	रियायत अवधि के दौरान बीमा (Insurance during Concession Period)	107
34.2	बीमा कवर (Insurance Cover)	107
34.3	प्राधिकरण को नोटिस (Notice to the Authority)	107
34.4	बीमा कवर का साक्ष्य (Evidence of Insurance Cover)	107
34.5	बीमा कराने में विफलता हेतु उपाय (Remedy for failure to insure)	108
34.6	प्रत्यासन का अधित्याग (Waiver of subrogation)	108
34.7	रियायतग्राही का अधित्याग (Concessionaire's waiver)	108
34.8	बीमा आय का अनुप्रयोग (Application of insurance proceeds)	108
अनुच्छेद 35 (ARTICLE 35)	लेखा और लेखापरीक्षा (ACCOUNTS AND AUDIT)	109
35.1	लेखापरीक्षित खाते (Audited accounts)	109
35.2	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति (Appointment of auditors)	109

35.3	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण (Certification of claims by Statutory Auditors)	110
35.4	मुजरा / सेट-ऑफ (Set-off)	110
35.5	विवाद समाधान (Dispute resolution)	110
अनुच्छेद 36 (ARTICLE 36)	अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE)	112
36.1	अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)	112
36.2	गैर-राजनीतिक घटना (Non-Political Event)	112
36.3	अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना (Indirect Political Event)	113
36.4	राजनीतिक घटना (Political Event)	113
36.5	अप्रत्याशित घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य (Duty to report Force Majeure Event)	114
36.6	रियायत पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव (Effect of Force Majeure Event on the Concession)	114
36.7	अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन (Allocation of costs arising out of Force Majeure)	115
36.8	अप्रत्याशित घटना हेतु समाप्ति नोटिस (Termination Notice for Force Majeure Event)	115
36.9	अप्रत्याशित घटना हेतु समाप्ति भुगतान (Termination Payment for Force Majeure Event)	115
36.10	विवाद समाधान (Dispute resolution)	116
36.11	दायित्वों के निष्पादन से छूट (Excuse from performance of obligations)	116
36.12	अदृश्य घटनाओं हेतु राहत (Relief for Unforeseen Events)	116

अनुच्छेद 37 (ARTICLE 37)	समझौते के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति (COMPENSATION FOR BREACH OF AGREEMENT)	118
37.1	रियायतग्राही द्वारा चूक हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for default by the Concessionaire)	118
37.2	प्राधिकरण द्वारा चूक हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for default by the Authority)	118
37.3	रियायत अवधि का विस्तार (Extension of Concession Period)	118
37.4	क्षतिपूर्ति का अतिरिक्त होना (Compensation to be in addition)	118
37.5	लागत और नुकसान का न्यूनीकरण (Mitigation of costs and damage)	118
अनुच्छेद 38 (ARTICLE 38)	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन (SUSPENSION OF CONCESSIONAIRE'S RIGHTS)	119
38.1	रियायतग्राही चूक पर निलंबन (Suspension upon Concessionaire Default)	119
38.2	रियायतग्राही की ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकरण (Authority to act on behalf of Concessionaire)	119
38.3	निलंबन का प्रतिसंहरण (Revocation of Suspension)	119
38.4	रियायतग्राही का प्रतिस्थापन (Substitution of Concessionaire)	120
38.5	समाप्ति (Termination)	120
अनुच्छेद 39 (ARTICLE 39)	समाप्ति (TERMINATION)	121
39.1	रियायतग्राही चूक हेतु समाप्ति (Termination for Concessionaire Default)	121
39.2	प्राधिकरण चूक हेतु समाप्ति (Termination for Authority Default)	123

39.3	समाप्ति भुगतान (Termination Payment)	124
39.4	समाप्ति भुगतान पर कतिपय सीमाएं (Certain limitations on Termination Payment)	125
39.5	रियायत अवधि का विस्तार (Extension of Concession Period)	126
39.6	सिटी साइड विकास का पृथक्करण (Separation of City Side Development)	127
39.7	प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व (Other rights and obligations of the Authority)	127
39.8	अधिकारों की उत्तरजीविता (Survival of rights)	127
अनुच्छेद 40 (ARTICLE 40)	अधिकारों और हितों का विनिवेश (DIVESTMENT OF RIGHTS AND INTEREST)	128
40.1	विनिवेश आवश्यकताएं (Divestment Requirements)	128
40.2	निरीक्षण और उपचार (Inspection and cure)	128
40.3	परियोजना हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता (Cooperation and assistance on transfer of Project)	129
40.4	निहितिकरण प्रमाणपत्र (Vesting Certificate)	129
40.5	विनिवेश लागत आदि (Divestment costs etc.)	129
अनुच्छेद 41 (ARTICLE 41)	समाप्ति के बाद दोष दायित्व (DEFECTS LIABILITY AFTER TERMINATION)	130
41.1	समाप्ति के बाद दोष दायित्व (Liability for defects after Termination)	130
41.2	एस्क्रो खाते में प्रतिधारण (Retention in Escrow Account)	130
अनुच्छेद 42 (ARTICLE 42)	समनुदेशन और प्रभार (ASSIGNMENT AND CHARGES)	132

42.1	समनुदेशन और प्रभारों पर प्रतिबंध (Restrictions on assignment and charges)	132
42.2	अनुमत समनुदेशन और प्रभार (Permitted assignment and charges)	132
42.3	प्रतिस्थापन समझौता (Substitution Agreement)	132
42.4	प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन (Assignment by the Authority)	133
अनुच्छेद 43 (ARTICLE 43)	कानून में परिवर्तन (CHANGE IN LAW)	134
43.1	लागत में वृद्धि (Increase in costs)	134
43.2	लागत में कमी (Reduction in costs)	134
43.3	एनपीवी की सुरक्षा (Protection of NPV)	134
43.4	नकद मुआवजे पर प्रतिबंध (Restriction on cash compensation)	135
43.5	उपयोगकर्ताओं से वसूली की स्थिति में कोई दावा नहीं (No claim in the event of recovery from Users)	135
अनुच्छेद 44 (ARTICLE 44)	दायित्व और क्षतिपूर्ति (LIABILITY AND INDEMNITY)	136
44.1	सामान्य क्षतिपूर्ति (General indemnity)	136
44.2	रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति (Indemnity by the Concessionaire)	136
44.3	दावों की सूचना और मुकाबला (Notice and contest of claims)	137
44.4	दावों का बचाव (Defence of claims)	137
44.5	कोई परिणामी दावा नहीं (No consequential claims)	138

44.6	समाप्ति पर उत्तरजीविता (Survival on Termination)	138
अनुच्छेद 45 (ARTICLE 45)	स्थल पर अधिकार और स्वत्व (RIGHTS AND TITLE OVER THE SITE)	139
45.1	लाइसेंसधारी के अधिकार (Licensee rights)	139
45.2	प्राधिकरण और अन्य की पहुँच अधिकार (Access rights of the Authority and others)	139
45.3	संपत्ति कर (Property taxes)	139
45.4	उप-पट्टे पर प्रतिबंध (Restriction on sub-letting)	139
अनुच्छेद 46 (ARTICLE 46)	विवाद समाधान (DISPUTE RESOLUTION)	140
46.1	विवाद समाधान (Dispute resolution)	140
46.2	सुलह (Conciliation)	140
46.3	मध्यस्थता (Arbitration)	140
46.4	न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन (Adjudication by a tribunal)	141
अनुच्छेद 47 (ARTICLE 47)	प्रकटीकरण (DISCLOSURE)	142
47.1	विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का प्रकटीकरण (Disclosure of Specified Documents)	142
47.2	सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों का प्रकटीकरण (Disclosure of Documents relating to safety)	142
47.3	संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना (Withholding disclosure of Protected Documents)	142
अनुच्छेद 48 (ARTICLE 48)	लोक शिकायतों का निवारण (REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES)	143

48.1	शिकायत रजिस्टर (Complaints Register)	143
48.2	शिकायतों का निवारण (Redressal of complaints)	143
अनुच्छेद 49 (ARTICLE 49)	विविध (MISCELLANEOUS)	144
49.1	शासी कानून और क्षेत्राधिकार (Governing law and jurisdiction)	144
49.2	उन्मुक्ति का अधित्याग (Waiver of immunity)	144
49.3	मूल्यह्रास (Depreciation)	144
49.4	विलंबित भुगतान (Delayed payments)	144
49.5	अधित्याग (Waiver)	145
49.6	दस्तावेजों और रेखाचित्रों की समीक्षा हेतु दायित्व (Liability for review of Documents and Drawings)	145
49.7	निहित वारंटियों का अपवर्जन आदि (Exclusion of implied warranties etc.)	145
49.8	उत्तरजीविता (Survival)	145
49.9	संपूर्ण समझौता (Entire Agreement)	146
49.10	पृथक्करणीयता (Severability)	146
49.11	कोई साझेदारी नहीं (No partnership)	146
49.12	तीसरा पक्ष (Third parties)	146
49.13	उत्तराधिकारी और समनुदेशिती (Successors and assigns)	146
49.14	सूचनाएं / नोटिस (Notices)	146
49.15	भाषा (Language)	147
49.16	काउंटरपार्ट्स (Counterparts)	147

अनुच्छेद 50 (ARTICLE 50)	परिभाषाएं (DEFINITIONS)	148
50.1	परिभाषाएं (Definitions)	148
अनुसूची-अ (SCHEDULE-A)	स्थल (The Site)	169
अनुसूची-ब (SCHEDULE-B)	हवाईअड्डे का विकास (Development of the Airport)	180
अनुसूची-ग (SCHEDULE-C)	परियोजना सुविधाएं (Project Facilities)	184
अनुसूची-घ (SCHEDULE-D)	विनिर्देश और मानक (Specifications and Standards)	186
अनुसूची-ड. (SCHEDULE-E)	लागू अनुमतियां (Applicable Permits)	188
अनुसूची-च (SCHEDULE-F)	निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)	189
अनुसूची-छ (SCHEDULE-G)	परियोजना पूर्णता अनुसूची (Project Completion Schedule)	192
अनुसूची-ज (SCHEDULE-H)	रेखाचित्र (Drawings)	194
अनुसूची-झ (SCHEDULE-I)	परीक्षण (Tests)	196
अनुसूची-ञ (SCHEDULE-J)	पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate)	198
अनुसूची-ट (SCHEDULE-K)	रखरखाव आवश्यकताएं (Maintenance Requirements)	200
अनुसूची-ठ (SCHEDULE-L)	सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं (Service Quality Requirements)	201
अनुसूची-ड (SCHEDULE-M)	सुरक्षा आवश्यकताएं (Safety Requirements)	204
अनुसूची-ढ (SCHEDULE-N)	मासिक विवरण (Monthly Statements)	208
अनुसूची-ण (SCHEDULE-O)	यातायात नमूनाकरण (Traffic Sampling)	211
अनुसूची-त (SCHEDULE-P)	यात्री चार्टर (Passenger Charter)	215

अनुसूची-थ (SCHEDULE-Q)	स्वतंत्र अभियंता का चयन (Selection of Independent Engineer)	217
अनुसूची-द (SCHEDULE-R)	स्वतंत्र अभियंता हेतु विचारार्थ विषय (Terms of Reference for Independent Engineer)	223
अनुसूची-ध (SCHEDULE-S)	एस्क्रो समझौता (Escrow Agreement)	236
अनुसूची-न (SCHEDULE-T)	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल (Panel of Chartered Accountants)	238
अनुसूची-प (SCHEDULE-U)	प्रतिस्थापन समझौता (Substitution Agreement)	239
अनुसूची-फ (SCHEDULE-V)	शेयरधारक समझौता (Shareholders' Agreement)	249
अनुसूची-ब (SCHEDULE-W)	सीएनएस/एटीएम समझौता (CNS/ATM Agreement)	268
अनुसूची-भ (SCHEDULE-X)	सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding)	276

भाग I

प्रारंभिक

रियायत समझौता

यह समझौता आज दिनांक 8 नवंबर, 2016 को निम्नलिखित के मध्य निष्पादित किया गया:

के बीच :

1. गोवा के राज्यपाल, मुख्य सचिव, गोवा सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व, और जिनका मुख्य कार्यालय सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा-403521 में स्थित है (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) - प्रथम पक्ष;

   तथा

2. जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सर्वे संख्या 381/3, मथुरा वन, प्रथम तल, एनएच 17, पोरवोरिम, गोवा 403501 में स्थित है (जिन्हें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती तथा प्रतिस्थानी शामिल होंगे) - द्वितीय पक्ष।

   संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार, प्राधिकरण और रियायतग्राही को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" और सामूहिक रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

चूंकि (WHEREAS):

क. प्राधिकरण ने सैद्धांतिक अनुमोदन (In-Principle Approval) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, गोवा राज्य के मोपा में सार्वजनिक उपयोग हेतु एक हवाईअड्डे (जिन्हें इसके बाद "हवाई अड्डा" कहा गया है) की स्थापना के लिए भारत सरकार (GOI) से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया था, और एक रियायत समझौते में निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी / "DBFOT") आधार पर हवाईअड्डे की स्थापना करने का संकल्प लिया था।

ख. प्राधिकरण ने तदनुसार डीबीएफओटी आधार पर हवाईअड्डे के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव हेतु बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनी अर्हता अनुरोध संख्या 32/DOCA/RFQ/MOPA/2014 दिनांक 3 अक्टूबर 2014 ("अर्हता अनुरोध" या "RFQ") द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए थे और अन्य के साथ-साथ जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ("चयनित बोलीदाता") सहित कतिपय बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया था।

ग. प्राधिकरण ने तकनीकी और वाणिज्यिक नियम और शर्तें निर्धारित की थीं, और परियोजना को शुरू करने के लिए आरएफक्यू के अनुसरण में शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं से बोलियां ("प्रस्ताव हेतु अनुरोध" या "RFP") आमंत्रित की थीं।

घ. प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात, प्राधिकरण ने चयनित बोलीदाता की बोली स्वीकार कर ली थी और चयनित बोलीदाता को अपना अवार्ड पत्र संख्या 1/2/OSD/MOPA/2013 (स्टीयरिंग कमेटी)/304 दिनांक 17 सितंबर, 2016 (जिन्हें इसके बाद "LOA" कहा गया है) जारी किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस रियायत समझौते के निष्पादन की अपेक्षा की गई थी।

ङ. चयनित बोलीदाता ने इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सीमित देयता कंपनी के रूप में रियायतग्राही को प्रवर्तित और निगमित किया है, और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार करे जो एलओए के तहत चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें परियोजना को शुरू करने के लिए एलओए के अनुसरण में इस रियायत समझौते में प्रवेश करने का दायित्व भी शामिल है।

च. अपने दिनांक 19 सितंबर, 2016 के पत्र द्वारा, रियायतग्राही ने भी चयनित बोलीदाता के उक्त अनुरोध में शामिल होकर प्राधिकरण से उसे ऐसी इकाई के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया है जो चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन और अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें एलओए के अनुसरण में इस रियायत समझौते में प्रवेश करने का दायित्व शामिल है। रियायतग्राही ने आगे इस आशय का अभ्यावेदन किया है कि उसे इसके प्रयोजनों के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा प्रवर्तित किया गया है।

छ. प्राधिकरण चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही के उक्त अनुरोध पर सहमत हो गया है, और तदनुसार इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, डीबीएफओटी आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रियायतग्राही के साथ इस रियायत समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हुआ है।

ज. अतएव, अब पूर्वगामी के प्रतिफल में और इस रियायत समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के तहत, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्ष निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1 (ARTICLE 1)
परिभाषाएं और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएं (Definitions)

इस समझौते में (अनुच्छेद 50 सहित) बड़े अक्षरों से प्रारंभ होने वाले और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें सौंपा गया है, और अनुसूचियों में परिभाषित और उसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अनुसूचियों में उन्हें सौंपा गया है।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

1.2.1 इस समझौते में, जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो:

क. प्रावधान या पुनः या लागू — किसी भी विधान या उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में ऐसे विधान या उसके किसी का संशोधन या पुनः अधिनियमन या समेकन शामिल होगा, जहाँ तक ऐसा संशोधन अधिनियमन या समेकन इसके तहत किए गए किसी भी संव्यवहार पर लागू होता है होने में सक्षम है;

ख. राज्य के कानूनों, भारत के कानूनों या कानून का बल रखने वाले भारतीय कानून या विनियमन के संदर्भों में वे कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उप-नियम या अधिसूचनाएं शामिल होंगी जो भारत के राज्यक्षेत्र में कानून का बल रखती हैं और समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, संपूरित, विस्तारित या पुनः अधिनियमित की जा सकती हैं;

ग. किसी "व्यक्ति" (person) के संदर्भ और किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों को किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट, सरकार, राज्य या किसी राज्य की एजेंसी अथवा उपरोक्त में से दो या अधिक के किसी संघ या साझेदारी (चाहे उसका अलग कानूनी व्यक्तित्व हो या न हो) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा और इसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे;

a. इस समझौते में विषय-सूची, शीर्षक या उप-शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इनका उपयोग इस समझौते के अर्थान्वयन या व्याख्या में नहीं किया जाएगा और न ही ये इसे प्रभावित करेंगे;

घ. शब्द जाएंगे — शब्द "शामिल हैं" (include) और "सहित" (including) बिना किसी सीमा के समझे और उनके बाद "बिना किसी सीमा के" (without limitation) या "किंतु इन्हीं

तक सीमित नहीं" (but not limited to) माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश आए हों या नहीं;

ङ. "निर्माण" (construction) या "भवन निर्माण" (building) के संदर्भों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, अन्वेषण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, वितरण, परिवहन, स्थापना, प्रसंस्करण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और निर्माण के आनुषंगिक अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं, और "निर्माण करना" (construct) या "बनाना" (build) का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

च. "विकास" (development) के संदर्भों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, निर्माण, नवीनीकरण, पुनरुद्धार, संवर्धन, उन्नयन और इसके आनुषंगिक अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं, और "विकसित करना" (develop) का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

छ. किसी भी समयावधि का कोई भी संदर्भ भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार माना जाएगा;

ज. "घंटा" (hour) के किसी भी संदर्भ का अर्थ घड़ी के पूरे घंटे या आधे घंटे पर शुरू होने वाली 60 (साठ) मिनट की अवधि होगी, जिसका उदाहरण के रूप में अर्थ 5.00 (पांच), 6.00 (छह), 7.00 (सात) आदि घड़ी के पूरे घंटे होना और 5.30 (साढ़े पांच), 6.30 (साढ़े छह), 7.30 (साढ़े सात) आदि घड़ी के आधे घंटे होना है;

झ. दिन का कोई भी संदर्भ कैलेंडर दिवस का संदर्भ माना जाएगा;

ञ. "कार्य दिवस" (business day) के संदर्भ को ऐसे दिन (रविवार और गोवा सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाशों के अलावा) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिस दिन राज्य में बैंक सामान्य रूप से व्यवसाय के लिए खुले होते हैं;

ट. माह का कोई भी संदर्भ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर माह का संदर्भ माना जाएगा;

ठ. किसी भी तिथि, अवधि या परियोजना मील के पत्थर (Project Milestone) के संदर्भों का अर्थ ऐसी तिथि, अवधि या परियोजना मील का पत्थर होगा और इसमें शामिल होगा जिसे इस समझौते के अनुसरण में बढ़ाया जा सकता है;

ड. किसी विनिर्दिष्ट दिन या तिथि "से" (from) और किसी विनिर्दिष्ट दिन या तिथि "तक" (till / until) शुरू होने वाली किसी भी अवधि के संदर्भ में वे दोनों दिन या तिथियां शामिल होंगी; बशर्ते कि यदि इस समझौते के तहत गणना की गई किसी भी अवधि का अंतिम दिन कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी;

ढ. एकवचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे;

ण. किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य लिंग और तटस्थ (उभयलिंगी) लिंग शामिल होंगे;

त. "लाख" (lakh) का अर्थ एक सौ हजार (100,000) है और "करोड़" (crore) का अर्थ दस मिलियन (10,000,000) है;

थ. "ऋणग्रस्तता / ऋण" (indebtedness) का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा ताकि उसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए कोई भी दायित्व (चाहे वह मूल देनदार के रूप में हो या ज़मानतदार के रूप में), चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का, वास्तविक हो या आकस्मिक, शामिल हो;

द. किसी कंपनी या निगम के "समापन" (winding-up), "विघटन" (dissolution), "दिवालियापन" (insolvency), या "पुनर्गठन" (reorganisation) के संदर्भों को उस क्षेत्राधिकार के कानून के तहत किसी भी समकक्ष या समरूप कार्यवाही को शामिल करने के रूप में समझा जाएगा जिसमें ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या ऐसा कोई क्षेत्राधिकार

जिसमें ऐसी कंपनी या निगम व्यवसाय करता है, जिसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, समझौता, देनदारों का संरक्षण या राहत की मांग करना शामिल है;

ध. इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी समय, किसी भी समझौते, विलेख, साधन, लाइसेंस या किसी भी विवरण के दस्तावेज का कोई भी संदर्भ उस समझौते, विलेख, साधन, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जैसा कि ऐसे संदर्भ के समय संशोधित, परिवर्तित, संपूरित, रूपांतरित या निलंबित किया गया हो; बशर्ते कि यह उप-खंड (न) इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी तरीके से प्राधिकरण की देनदारियों या दायित्वों को बढ़ाने के लिए संचालित नहीं होगा;

प. इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी पक्ष या स्वतंत्र अभियंता से या उसके द्वारा अपेक्षित कोई भी समझौता, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, नोटिस, संचार, सूचना या रिपोर्ट केवल तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस संबंध में ऐसे पक्ष या स्वतंत्र अभियंता के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में हो, अन्यथा नहीं;

फ. इस समझौते की अनुसूचियां और विवरण (Recitals) इस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं और पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू होंगी मानो वे इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थीं;

ब. इस समझौते में विवरणों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक (Provisos) या अनुसूचियों के संदर्भों का अर्थ, सिवाय इसके जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो, इस समझौते के विवरणों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक और अनुसूचियों के संदर्भ होंगे; किसी परिशिष्ट (Annex) के संदर्भ को, उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के अधीन, उस अनुसूची के एक परिशिष्ट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है; और किसी पैराग्राफ के संदर्भ को, उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी विपरीत बात के अधीन, उस अनुसूची या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, के एक पैराग्राफ के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ दिखाई देता है;

भ. इस समझौते में निर्धारित अनुसार, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हर्जाना (Damages), चाहे वह दैनिक आधार पर हो या अन्यथा, परस्पर सहमत वास्तविक पूर्व-अनुमानित नुकसान और क्षति है जो इसे प्राप्त करने के हकदार पक्ष द्वारा वहन और उपगत किए जाने की संभावना है और यह शास्ति (penalty) के रूप में नहीं है ("हर्जाना" / "Damages"); तथा

म. पक्षों के संबंधित दायित्वों के निष्पादन में समय अत्यंत महत्वपूर्ण (essence of the contract) होगा। यदि यहाँ विनिर्दिष्ट कोई भी समय अवधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसा विस्तारित समय भी महत्वपूर्ण होगा।

1.2.2 जब तक इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता को प्रदान किए जाने या प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित कोई भी दस्तावेज (Documentation) निःशुल्क और 3 (तीन) प्रतियों में प्रदान किया जाएगा, और यदि प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता को अपनी टिप्पणियों और/या अनुमोदन के साथ ऐसे किसी भी दस्तावेज को वापस करना आवश्यक है, तो वे उसकी दो प्रतियां अपने पास रखने के हकदार होंगे।

1.2.3 अर्थान्वयन का यह नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसके प्रारूपण और निर्माण के लिए जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 इस समझौते में प्रयुक्त किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का, जब तक कि इस समझौते में अन्यथा परिभाषित या व्याख्यायित न किया गया हो, उसका सामान्य अंग्रेजी अर्थ होगा और इन प्रयोजनों के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 लागू नहीं होगा।

1.3 माप और अंकगणितीय परंपराएं (Measurements and arithmetic conventions)

सभी माप और गणनाएं मीट्रिक प्रणाली में होंगी और गणनाएं 2 (दो) दशमलव स्थानों तक की जाएंगी, जिसमें 5 (पांच) या उससे अधिक का तीसरा अंक पूर्णांक में ऊपर की ओर (rounded up) और 5 (पांच) से कम का अंक नीचे की ओर (rounded down) किया जाएगा।

1.4 समझौतों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता (Priority of agreements, clauses and schedules)

1.4.1 यह समझौता, और इस समझौते का हिस्सा बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी समझौते और दस्तावेज परस्पर व्याख्यात्मक माने जाने हैं और इस समझौते में स्पष्ट रूप से कहीं और अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, इसके बीच किसी भी टकराव की स्थिति में इस समझौते और अन्य दस्तावेजों तथा समझौतों की प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में होगी:

(क) यह समझौता;

तथा (ख) इसका हिस्सा बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी समझौते और दस्तावेज, अर्थात ऊपर (क) पर स्थित समझौता ऊपर (ख) पर स्थित समझौतों और दस्तावेजों पर प्रभावी होगा।

1.4.2 खंड 1.4.1 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के भीतर अस्पष्टताओं या विसंगतियों के मामले में, निम्नलिखित लागू होगा:

क. इस समझौते के दो या अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन मुद्दे से संबंधित विशिष्ट खंड के प्रावधान अन्य खंडों के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे;

ख. इस समझौते के खंडों और अनुसूचियों के बीच, खंड प्रभावी होंगे और अनुसूचियों तथा परिशिष्टों (Annexes) के बीच, अनुसूचियां प्रभावी होंगी;

ग. किन्हीं दो अनुसूचियों के बीच, मुद्दे से संबंधित अनुसूची प्रभावी होगी;

घ. रेखाचित्रों पर लिखित विवरण और विनिर्देशों एवं मानकों के बीच, विनिर्देश और मानक प्रभावी होंगे;

ङ. रेखाचित्र से मापे गए आयाम और उसके विशिष्ट लिखित आयाम के बीच, लिखित आयाम प्रभावी होगा; तथा

च. अंकों में लिखे किसी भी मान और शब्दों में लिखे मान के बीच, शब्दों में लिखा मान प्रभावी होगा।

भाग-II

रियायत

अनुच्छेद 2 (ARTICLE 2)
परियोजना का कार्यक्षेत्र (SCOPE OF THE PROJECT)

2.1 परियोजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Project)

परियोजना के कार्यक्षेत्र ("परियोजना का कार्यक्षेत्र" / "Scope of the Project") का रियायत अवधि के दौरान अर्थ होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. अनुसूची-अमें निर्धारित और अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट स्थल पर अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ तथा अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हवाईअड्डे का निर्माण;

ख. इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन;

ग. अनुसूची-अऔर अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट स्थल पर और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सिटी साइड (नगर-पक्ष) का विकास, प्रचालन और रखरखाव;

घ. आईटीआई पेडने (ITI Pernem) में अथवा गोवा राज्य में किसी अन्य सरकारी आईटीआई में प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अनुसार विमानन कौशल विकास केंद्र (Aviation Skill Development Centre) का विकास, प्रचालन और रखरखाव; तथा

ङ. इस समझौते के प्रावधानों और इसके आनुषंगिक मामलों के अनुसार रियायतग्राही के अन्य सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति जो इस समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 3 (ARTICLE 3)
रियायत का अनुदान (GRANT OF CONCESSION)

3.1 रियायत (The Concession)

3.1.1 इस समझौते के प्रावधानों, भारत सरकार के अनुमोदन (GOI Approval), लागू कानूनों और लागू अनुमतियों (Applicable Permits) के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही को नियत तिथि (Appointed Date) से प्रारंभ होने वाली 40 (चालीस) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए हवाईअड्डे के विकास, प्रचालन और रखरखाव के अनन्य अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार सहित यहाँ निर्धारित रियायत ("रियायत" / "Concession") प्रदान करता है, और रियायतग्राही इसके द्वारा रियायत स्वीकार करता है तथा यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सहमत होता है।

बशर्ते कि रियायतग्राही, नियत तिथि की 35वीं (पैंतीसवीं) वर्षगांठ से पहले नहीं और नियत तिथि की 37वीं (सैंतीसवीं) वर्षगांठ के बाद नहीं, किसी भी समय प्राधिकरण को अपनी रुचि के बारे में सूचित करेगा और इस रियायत की अवधि को 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत/विस्तारित करने का अनुरोध करेगा। ऐसा अनुरोध करते समय, रियायतग्राही एक पुष्टि प्रस्तुत करेगा कि वह 20 (बीस) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम के निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत है, ऐसे प्रारूप और तरीके से जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उस समय निर्धारित किया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के ऐसे किसी भी मामले में: (क) यदि रियायतग्राही की बोली उस समय जारी किए गए बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार दी जाने वाली उच्चतम बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर है, तो रियायतग्राही को उच्चतम बोली से मिलान करने (राइट टू मैच) का अधिकार होगा; (ख) रियायतग्राही के सहयोगी (Affiliates) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे; और (ग) यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही को पूर्व-अर्हता प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता के बिना वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए योग्य माना जाएगा और उसे पूर्व-अर्हता के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आगे बशर्ते कि, यदि रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का विस्तार नहीं किया जाता है या रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के तात्विक उल्लंघन (material default) में रहा है, तो प्राधिकरण इस खंड 3.1.1 के अनुसार रियायत अवधि का विस्तार करने या रियायतग्राही को उच्चतम बोली से मिलान करने का अधिकार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

किसी भी स्थिति में, हर समय, रियायत अवधि के विस्तार से संबंधित कोई भी निर्णय प्राधिकरण में निहित होगा।

3.1.2 इस समझौते के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, इसके द्वारा प्रदत्त रियायत, रियायतग्राही को बाध्य या हकदार (जैसा भी मामला हो) करेगी:

क. इस समझौते के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ और उनके द्वारा प्रदत्त सीमा तक स्थल हेतु मार्ग का अधिकार (Right of Way), पहुँच और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए;

ख. हवाईअड्डे का वित्तपोषण और निर्माण करने के लिए;

ग. हवाईअड्डे का प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव करने तथा तीसरे पक्षों द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए;

घ. हवाईअड्डे या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग करने के लिए शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क (Fee) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने तथा यदि

देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसी भी उपयोगकर्ता के प्रवेश को अस्वीकार करने के लिए;

ङ. इस समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करने के लिए;

च. इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन के संबंध में या उसके आनुषंगिक सभी लागतों, खर्चों और प्रभारों को वहन करने और भुगतान करने के लिए; तथा

छ. इस समझौते या इसके द्वारा प्रदत्त रियायत पर या पूरे या हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से पर किसी भी ग्रहणाधिकार (lien) या भार (encumbrance) को न तो समनुदेशित करने, हस्तांतरित करने या उप-पट्टे पर देने या बनाने के लिए, और न ही इसके कब्जे को हस्तांतरित करने, पट्टे पर देने या अलग करने के लिए, सिवाय इसके जैसा कि इस समझौते या प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत है।

3.2 सिटी साइड विकास (City Side Development)

इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, इसके द्वारा प्रदत्त रियायत, खंड 3.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही को अनुसूची-बऔर अनुसूची-घमें निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसूची-अमें विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति (real estate) का विकास, प्रचालन और रखरखाव करने तथा परियोजना समझौतों के माध्यम से इसके किसी भी या सभी हिस्सों को उप-लाइसेंस (sub-license) देने के अधिकार के साथ अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऐसे विकास का दोहन करने ("सिटी साइड विकास" / "City Side Development") का अधिकार देगी।

अनुच्छेद 4 (ARTICLE 4)
पूर्ववर्ती शर्तें (CONDITIONS PRECEDENT)

4.1 पूर्ववर्ती शर्तें (Conditions Precedent)

4.1.1 अनुच्छेदों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 36, 46 और 49 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अतिरिक्त, या जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, इस समझौते के तहत पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों ("पूर्ववर्ती शर्तें" / "Conditions Precedent") की पूर्ण संतुष्टि के अधीन होंगे। बशर्ते, तथापि, कि कोई पक्षकार खंड 4.1.2 या 4.1.3, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी पूर्ववर्ती शर्त की संतुष्टि से छूट (waiver) प्रदान कर सकता है, और ऐसी छूट की सीमा तक, उस पूर्ववर्ती शर्त को इस खंड 4.1.1 के प्रयोजनों के लिए पूरा माना जाएगा।

4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) प्रदान करने पर, इस समझौते की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के बाद किसी भी समय या प्राधिकरण को स्वीकार्य किसी पूर्व तिथि पर, नोटिस द्वारा प्राधिकरण से नोटिस के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर, या अतिरिक्त 60 (साठ) दिनों से अनधिक ऐसी लंबी अवधि के भीतर इस खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी भी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने की मांग कर सकता है, और प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को तब पूरा माना जाएगा जब प्राधिकरण ने:

क. खंड 10.3.1 और 10.3.2 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के लिए स्थल हेतु मार्ग का अधिकार (Right of Way) अधिप्राप्त कर लिया हो;

ख. स्थल के पर्यावरणीय संरक्षण और संवर्धन से संबंधित सभी लागू अनुमतियां अधिप्राप्त कर ली हों; तथा

ग. रियायतग्राही से उसकी विधिवत निष्पादित प्रति प्राप्त होने और उसके निष्पादन के लिए आवश्यक सभी शर्तों के अनुपालन पर, स्वयं, भारत सरकार या अन्य सरकारी तंत्रों द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक समझौतों का निष्पादन करवा दिया हो:

I. अनुसूची द में दिए गए प्रारूप में एस्क्रो समझौता (Escrow Agreement);
II. अनुसूची प में दिए गए प्रारूप में प्रतिस्थापन समझौता (Substitution Agreement);
III. अनुसूची फ में दिए गए प्रारूप में शेयरधारक समझौता (Shareholders Agreement);
IV. अनुसूची ब में दिए गए प्रारूप में सीएनएस/एटीएम समझौता (CNS/ATM Agreement);
V. अनुसूची भ में दिए गए प्रारूप में सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding)।

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही अपने विवेक से, इस खंड 4.1.2 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति के लिए 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक समय विस्तार दे सकता है।

4.1.3 इस समझौते की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को तब पूरा माना जाएगा जब रियायतग्राही ने:

क. प्राधिकरण को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) प्रदान कर दी हो;
ख. एस्क्रो समझौते का निष्पादन कर दिया हो और निष्पादन करवा लिया हो;
ग. प्रतिस्थापन समझौते का निष्पादन कर दिया हो और निष्पादन करवा लिया हो;
घ. शेयरधारक समझौते का निष्पादन कर दिया हो और निष्पादन करवा लिया हो;
ङ. अनुसूची-ड.के भाग I में यथा विनिर्दिष्ट सभी लागू अनुमतियां (Applicable Permits) बिना शर्त प्राप्त कर ली हों, या यदि वे शर्तों के अधीन हैं, तो उसमें विनिर्दिष्ट तिथि तक पूरी की जाने

वाली ऐसी सभी शर्तों को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया गया हो, और ऐसी लागू अनुमतियां पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू हों;

च. वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) का निष्पादन कर लिया हो और रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी 3 (तीन) सत्य प्रतियां प्राधिकरण को सौंप दी हों;

छ. रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित वित्तीय पैकेज (Financial Package) और वित्तीय मॉडल (Financial Model) की 3 (तीन) सत्य प्रतियां, एमएस एक्सेल (MS Excel) संस्करण में वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सॉफ्ट प्रतियों या उसके किसी ऐसे विकल्प के साथ जो वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) को स्वीकार्य हो, प्राधिकरण को सौंप दी हों;

ज. चयनित बोलीदाता (Selected Bidder) से इस समझौते के खंड 7.1 के उप-खंड (ट), (ठ), (ड) और (ढ) में निर्धारित अभ्यावेदन और वारंटियों की सत्यता की पुष्टि प्राधिकरण को सौंप दी हो;

झ. इस समझौते में प्रवेश करने के रियायतग्राही के प्राधिकार तथा इसके प्रावधानों की प्रवर्तनीयता के संबंध में रियायतग्राही के विधिक परामर्शदाता (legal counsel) से एक विधिक राय (legal opinion) प्राधिकरण को सौंप दी हो;

ञ. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रियायतग्राही और आईएमडी के बीच किए जाने वाले समझौते का निष्पादन कर लिया हो;

ट. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार रियायतग्राही और बीसीएएस के बीच किए जाने वाले समझौते का निष्पादन कर लिया हो; तथा

ठ. अनुसूची भ में दिए गए प्रारूप में भारत सरकार और रियायतग्राही के बीच किए जाने वाले सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) का निष्पादन कर लिया हो।

बशर्ते कि रियायतग्राही द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर, प्राधिकरण अपने विवेक से, इस 4.1.3 खंड में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों में से किसी से भी छूट (waiver) दे सकता है। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेक से, ऐसी शर्तों के साथ कोई भी छूट प्रदान कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

4.1.4 प्रत्येक पक्षकार निर्धारित समय के भीतर पूर्ववर्ती शर्तों को संतुष्ट करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और दूसरे पक्षकार को ऐसा उचित सहयोग प्रदान करेगा जैसा कि उस पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट करने में उस पक्षकार की सहायता करने के लिए आवश्यक हो जिसके लिए वह पक्षकार जिम्मेदार है।

4.1.5 पक्षकार पूर्ववर्ती शर्तों को संतुष्ट करने में हुई प्रगति के संबंध में महीने में कम से कम एक बार एक दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। प्रत्येक पक्षकार तुरंत दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा जब कोई पूर्ववर्ती शर्त जिसके लिए वह जिम्मेदार है, संतुष्ट हो गई हो।

4.2 प्राधिकरण द्वारा विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay by the Authority)

ऐसी स्थिति में जब (i) प्राधिकरण खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या छूट उसके संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करता है, और (ii) विलंब रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में रियायतग्राही को हर्जाना (Damages) का भुगतान करेगा, जो अधिकतम बोली सुरक्षा (Bid Security) के बराबर राशि के अधीन होगा।

4.3 रियायतग्राही द्वारा विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay by the Concessionaire)

ऐसी स्थिति में जब (i) रियायतग्राही उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खंड 4.1.3 में निर्धारित किसी या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या छूट प्राप्त नहीं करता है, और (ii) विलंब खंड 4.1.2 के तहत दायित्वों को पूरा करने में विफलता या प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के अन्य उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में प्राधिकरण को हर्जाना का भुगतान करेगा, जो अधिकतम बोली सुरक्षा के बराबर राशि के अधीन होगा, और ऐसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने पर, प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेक से और खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते को समाप्त कर सकता है। बशर्ते कि खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा विलंब की स्थिति में, रियायतग्राही द्वारा इस खंड 4.3 के तहत उस तिथि तक कोई हर्जाना देय या भुगतान योग्य नहीं होगा जिस तिथि को प्राधिकरण ने खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति प्राप्त कर ली हो।

4.4 विलंब होने पर समाप्ति (Deemed Termination upon delay)

खंड 4.2 और 4.3 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि किसी भी कारण से इस समझौते की तिथि की पहली वर्षगांठ या इस समझौते के अनुसार प्रदान की गई विस्तारित अवधि से पहले नियत तिथि (Appointed Date) घटित नहीं होने की स्थिति में, इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियां रियायतग्राही की सहमति से छोड़ी गई और समाप्त मानी जाएंगी, और रियायत समझौते को पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि नियत तिथि के घटित होने में विलंब यदि रियायतग्राही के कारण से है, तो रियायतग्राही की निष्पादन सुरक्षा को प्राधिकरण द्वारा उसके हर्जाने के रूप में भुनाया (encashed) और विनियोजित (appropriated) किया जाएगा।

अनुच्छेद 5 (ARTICLE 5)
रियायतग्राही के दायित्व (OBLIGATIONS OF THE CONCESSIONAIRE)

5.1 रियायतग्राही के दायित्व (Obligations of the Concessionaire)

5.1.1 इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन, रियायतग्राही अपनी लागत और व्यय पर, इस समझौते के प्रावधानों और मास्टर प्लान के अनुसार हवाईअड्डे के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा और उसे पूरा करेगा, तथा इस समझौते में निर्धारित या इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का पालन, पूर्ति, अनुपालन और निष्पादन करेगा।

5.1.2 रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में सभी लागू कानूनों और लागू अनुमतियों (यथा आवश्यक नवीनीकरण सहित) का अनुपालन करेगा।

5.1.3 रियायतग्राही, इस समझौते के अस्तित्व के दौरान हर समय, सैद्धांतिक अनुमोदन (In-Principle Approval) या उसके किसी प्रतिस्थानी और/या परिणामी अनुमोदन में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.1.4 इस समझौते या लागू कानूनों, जैसा भी मामला हो, में अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में हर समय उत्तम उद्योग पद्धतियों (Good Industry Practice) के अनुरूप और उससे जुड़ा रहेगा।

5.1.5 रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों (Aeronautical Assets), टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों (Non-Aeronautical Assets) का विस्तार या संवर्धन करेगा।

5.1.6 रियायतग्राही हर समय (निर्माण अवधि सहित), डीजीसीए (DGCA) और बीसीएएस (BCAS) के सभी निर्देशों और आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा तथा डीजीसीए और बीसीएएस को समय-समय पर अपनी लागत पर और रियायतग्राही को उचित अग्रिम सूचना देकर स्थल और हवाईअड्डे का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

5.1.7 इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही इस समझौते के अस्तित्व के दौरान हर समय, हवाई अड्डे, किसी वैमानिकी सेवाओं, गैर-वैमानिकी सेवाओं और अन्य सेवाओं के संबंध में, या उसमें संग्रहीत सामग्रियों के संबंध में किसी भी सरकारी तंत्र (Government Instrumentality) द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों, लेवी, शुल्कों, उपकरों और अन्य सभी सांविधिक प्रभारों, देयों, आकलनों या बहिर्गमनों (outgoings) का भुगतान करेगा।

5.1.8 रियायतग्राही अपनी लागत और व्यय पर, इस समझौते में अन्यत्र निर्धारित अपने दायित्वों के अतिरिक्त और उनके अल्पीकरण के बिना:

(क) खंड 4.1.2 में निर्धारित अनुमतियों के अलावा अन्य लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरणों और ब्यौरों के साथ संबंधित सरकारी तंत्रों को आवश्यक आवेदन करेगा, या करवाएगा, तथा लागू कानूनों के अनुरूप ऐसी लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा और उन्हें प्रभावी व लागू रखेगा;

(ख) हवाईअड्डे में उपयोग की जाने वाली या समाविष्ट की जाने वाली सामग्रियों, विधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकी ज्ञान (know-how) और प्रणालियों के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्वामित्व अधिकार, लाइसेंस, समझौते और अनुमतियां अधिप्राप्त करेगा;

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करेगा;

(घ) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपने द्वारा या अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मियों के बीच सद्भाव और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा और कराएगा कि उसके ठेकेदार इस समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के निष्पादन में सभी लागू अनुमतियों और लागू कानूनों का अनुपालन करें;

(च) सदैव इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप तरीके से कार्य करेगा और जानबूझकर या अन्यथा कोई ऐसा कार्य, विलेख या बात नहीं करेगा या करने में विफल नहीं होगा, जो किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती हो;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के भीतर सभी सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार किया जाए और इस समझौते के प्रावधानों तथा लागू कानूनों के अनुसार उपयोगकर्ताओं को उनके उपयोग हेतु गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्राप्त हो;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित शिष्टाचार और सम्मान का व्यवहार किया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचनाओं तक त्वरित पहुँच प्रदान की जाए;

(झ) इस समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुसार हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (Ground Handling Services) प्रदान करेगा, या करवाएगा;

(ञ) हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाओं (Reserved Services) के प्रावधान और प्रचालन के लिए प्राधिकरण या भारत सरकार की नामित एजेंसी (Designated GOI Agency), जैसा भी मामला हो, को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;

(ट) ग्रिड से हवाईअड्डे को बिजली की आपूर्ति प्राप्त करेगा, जिसमें ग्रिड से बिजली आपूर्ति के बंद होने या विफल होने की स्थिति में वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति हेतु स्टैंडबाय व्यवस्था करना शामिल है;

(ठ) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और प्रचालन में प्राधिकरण का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करेगा;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन कौशल विकास केंद्र (Aviation Skill Development Centre) का प्रचालन उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार किया जाए;

(ढ) इस समझौते की समाप्ति (Termination) पर, इसके प्रावधानों के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा; तथा

(ण) यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना में कोई भी/सभी विकास परियोजना के लिए जारी पर्यावरण और वन मंजूरी या किसी अन्य मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में होगा।

5.2 परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Project Agreements)

5.2.1 यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि परियोजना समझौतों या किसी अन्य समझौते में निहित किसी बात के बावजूद रियायत अवधि के दौरान रियायतग्राही हर समय इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, और किसी भी परियोजना समझौते या अन्य समझौते के तहत कोई चूक रियायतग्राही को इसके तहत उसके दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगी।

5.2.2 रियायतग्राही सभी परियोजना समझौतों के प्रारूप, या उनके किसी संशोधन या प्रतिस्थापन को प्राधिकरण की समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हों) रियायतग्राही को प्रदान करने का अधिकार होगा, बाध्यता नहीं। किसी भी परियोजना समझौते या उसमें संशोधन के निष्पादन के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही अपने रिकॉर्ड के लिए रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी एक सत्य प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत समीक्षा और टिप्पणियां इस समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने तक ही सीमित होंगी।

यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत प्राधिकरण द्वारा समीक्षा करने और/या टिप्पणी करने में कोई विफलता या चूक प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी समझौते या दस्तावेज की स्वीकृति के रूप में नहीं समझी जाएगी और न ही मानी जाएगी। प्राधिकरण की कोई समीक्षा और/या अवलोकन और/या किसी दस्तावेज पर अपने अवलोकन की समीक्षा करने और/या संप्रेषित करने में विफलता रियायतग्राही को इस समझौते के तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी और न ही प्राधिकरण किसी भी तरह से उसके लिए उत्तरदायी होगा।

5.2.3 रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी वित्तपोषण समझौते में कोई वृद्धि, प्रतिस्थापन या संशोधन नहीं करेगा यदि ऐसे परिवर्धन, प्रतिस्थापन या संशोधन का प्रभाव प्राधिकरण पर कोई वित्तीय दायित्व या बाध्यता थोपने या बढ़ाने का है या हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जब कोई प्रतिस्थापन या संशोधन ऐसी सहमति के बिना किया जाता है, तो रियायतग्राही ऐसे प्रतिस्थापन या संशोधन को लागू नहीं करेगा और न ही प्राधिकरण के विरुद्ध इसे लागू करने की अनुमति देगा। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह रियायतग्राही के ऋण के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के लिए अनुचित रूप से अपनी सहमति नहीं रोकेगा।

5.2.4 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उन परियोजना समझौतों को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण या कोई सरकारी तंत्र एक पक्षकार है, प्रत्येक परियोजना समझौते में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो समाप्ति या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण को अपने एकमात्र विवेक से, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन में ऐसे समझौते में कदम रखने (step into) का अधिकार देते हैं ("प्रतिज्ञापत्र" / "Covenant")। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि प्राधिकरण हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर प्रतिस्थापन के ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो परियोजना समझौतों को प्राधिकरण पर किसी भी दायित्व के बिना हस्तांतरण तिथि पर समाप्त माना जाएगा और प्रतिज्ञापत्र में ऐसी संभावना का स्पष्ट रूप से प्रावधान होगा। रियायतग्राही अपने सभी परियोजना समझौतों में इस प्रतिज्ञापत्र को शामिल करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होता है और वचन देता है कि वह प्रत्येक परियोजना समझौते के संबंध में, प्रत्येक परियोजना समझौते के अन्य पक्षकार(रों) से प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में एक पावती और उपक्रम प्राप्त करेगा और सौंपेगा, जिसके तहत ऐसा पक्षकार प्रतिज्ञापत्र को स्वीकार करेगा और उससे बाध्य होने तथा समाप्ति या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से कोई राहत या उपाय न मांगने का वचन देगा।

5.2.5 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत होता है और स्वीकार करता है कि सभी ईपीसी ठेकेदारों (EPC Contractors) या ओएंडएम ठेकेदारों (O&M Contractors) का चयन या प्रतिस्थापन और सभी ईपीसी अनुबंधों या ओएंडएम अनुबंधों का निष्पादन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा, इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय रियायतग्राही पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा, और वचन देता है कि वह भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे किसी चयन या अनुबंध को प्रभावी नहीं करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत

भारत सरकार का अनुमोदन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण तक सीमित होगा, और प्राधिकरण उस पर भारत सरकार के निर्णय को शीघ्रता से संप्रेषित करने का प्रयास करेगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि प्राधिकरण और भारत सरकार ऐसे अनुमोदन के अनुदान या अन्यथा के कारण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे और ऐसा अनुमोदन या उसका इनकार रियायतग्राही या उसके ठेकेदारों को इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व या बाध्यता से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Change in Ownership)

5.3.1 रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के सिवाय, स्वामित्व में कोई परिवर्तन (Change in Ownership) नहीं करेगा और न ही अनुमति देगा।

5.3.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत होता है और स्वीकार करता है कि:

(क) किसी अधिग्रहणकर्ता द्वारा, या तो स्वयं या मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी इक्विटी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण के हस्तांतरण द्वारा, रियायतग्राही की कुल इक्विटी के कुल 25% (पच्चीस प्रतिशत) या उससे अधिक इक्विटी का सभी अधिग्रहण; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर रियायतग्राही के निदेशक मंडल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण प्राप्त करना;

राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण/भारत सरकार (जैसा भी मामला हो) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वाला स्वामित्व में परिवर्तन माना जाएगा, इस संबंध में प्राधिकरण/भारत सरकार का निर्णय रियायतग्राही पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा, और वह वचन देता है कि वह प्राधिकरण/भारत सरकार के ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना इक्विटी के ऐसे किसी अधिग्रहण या रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण को प्रभावी नहीं करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत प्राधिकरण/भारत सरकार का अनुमोदन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण तक सीमित होगा, और प्राधिकरण/भारत सरकार उस पर अपने निर्णय को शीघ्रता से संप्रेषित करने का प्रयास करेगी। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि प्राधिकरण/भारत सरकार ऐसे अनुमोदन के अनुदान या अन्यथा के कारण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगी और ऐसा अनुमोदन या उसका इनकार रियायतग्राही को इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व या बाध्यता से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा।

इस खंड 5.3.2 के प्रयोजनों के लिए:

(i) अभिव्यक्ति "अधिग्रहणकर्ता" (acquirer), "नियंत्रण" (control) और "मिलकर कार्य करने वाला व्यक्ति" (person acting in concert) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 [SEBI (SAST) Regulations, 2011] या इक्विटी के अधिग्रहण की तिथि, या रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण की तिथि पर लागू इसके किसी सांविधिक पुनः अधिनियमन में दिया गया है;

(ii) इक्विटी के कानूनी या लाभकारी स्वामित्व के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण या नियंत्रण का अर्थ भारत में या विदेश में किसी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण होगा जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहणकर्ता रियायतग्राही के शेयरों या शेयरों के मतदान अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है; तथा

(iii) प्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक कंपनियों के माध्यम से (चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में) रियायतग्राही की इक्विटी धारण करने वाली किसी कंपनी के शेयरों के अनुबंध द्वारा या नियंत्रण

या अधिग्रहण के आधार पर, रियायतग्राही के निदेशक मंडल में या रियायतग्राही की 25% (पच्चीस प्रतिशत) या उससे अधिक इक्विटी का अंतिम नियंत्रण रखने वाली किसी कंपनी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में) के निदेशक मंडल में आधे से कम निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति, रियायतग्राही के निदेशक मंडल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अधिग्रहण मानी जाएगी।

5.4 गोल्डन शेयर से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Golden Share)

5.4.1 रियायतग्राही और चयनित बोलीदाता प्राधिकरण के साथ काफी हद तक अनुसूची-फमें विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक समझौता ("शेयरधारक समझौता" / "Shareholders' Agreement") निष्पादित करेंगे, जिसमें प्राधिकरण के पक्ष में कंपनी का एक गैर-हस्तांतरणीय इक्विटी शेयर ("गोल्डन शेयर" / "Golden Share") जारी करने और आवंटित करने का प्रावधान होगा, और निम्नलिखित का प्रावधान होगा:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल में प्राधिकरण के एक नामित व्यक्ति की नियुक्ति;

(ख) एक अपरिवर्तनीय वचनबद्धता कि प्राधिकरण में निहित अधिकारों को कंपनी या उसके किसी सहयोगी या संबद्ध संस्था द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य द्वारा संक्षिप्त, निष्प्रभावी या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा;

(ग) एक अपरिवर्तनीय वचनबद्धता कि कंपनी में इक्विटी का कोई भी विनिवेश यहाँ प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और कंपनी के उत्तराधिकारी, समनुदेशिती और प्रतिस्थानी ऐसी वचनबद्धता से बाध्य होंगे; तथा

(घ) पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कोई अन्य मामला।

5.4.2 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि शेयरधारक समझौते में आगे यह प्रावधान होगा कि जब तक प्राधिकरण के पास गोल्डन शेयर रहेगा, कंपनी की आम बैठक (General Meeting) या उसके निदेशक मंडल की बैठक द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी या उसके आनुषंगिक या परिणामी किसी भी मामले के लिए कोई प्रस्ताव पारित करने हेतु प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त निदेशक का सकारात्मक वोट (affirmative vote) आवश्यक और अनिवार्य होगा:

(क) संस्था के ज्ञापन (memorandum) के प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन करना;

(ख) अंतर्नियमों (articles of association) में परिवर्तन या परिवर्धन करना;

(ग) कंपनी का नाम बदलना;

(घ) कंपनी के स्वयं के शेयर या विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीदना (buy-back);

(ङ) स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना;

(च) गैर-सदस्यों को प्री-एम्प्टिव अधिकारों के बिना अतिरिक्त शेयर जारी करना या ऋणों या डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तित करना;

(छ) शेयर पूंजी को कम करना;

(ज) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाना;

(झ) व्यवसाय की कोई नई शाखा/कार्यक्षेत्र शुरू करना;

(ञ) जिस शहर, कस्बे या गाँव में पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर रजिस्टर और रिटर्न रखना;

(ट) किसी निदेशक या उसके रिश्तेदार या साझेदार या फर्म या निजी कंपनी को कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, बैंकर, या डिबेंचर-धारकों के ट्रस्टी के पद को छोड़कर, लाभ का पद या स्थान धारण करने के लिए सहमति देना;

(ठ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करना या गारंटी/सुरक्षा देना आदि, यदि उसकी कुल राशि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10% (दस प्रतिशत) की सीमा से अधिक हो;

(ड) कंपनी के समापन (wind-up) के लिए अदालत में आवेदन करना;

(ढ) कंपनी का स्वेच्छा से समापन करना;

(ण) कंपनी के समापन से संबंधित विभिन्न अन्य मामलों के लिए;

(त) हवाईअड्डे का नाम बदलना;

(थ) इस समझौते में विनिर्दिष्ट के अलावा स्थल के उपयोग को बदलना, जिसमें स्थल का कोई उप-पट्टा (sub-leasing) और स्थल से संबंधित कोई अन्य निर्णय शामिल हैं;

(द) इस समझौते में विनिर्दिष्ट के अलावा हवाईअड्डे का कोई अतिरिक्त निर्माण या विस्तार करना; तथा

(ध) कोई अन्य मामला जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (या लागू प्रासंगिक अधिनियम) या उसके किसी सांविधिक पुनः अधिनियमन द्वारा कंपनी के शेयरधारकों के विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

5.4.3 पक्षकार सहमत होते हैं कि शेयरधारक समझौते में यह प्रावधान होगा कि जब तक प्राधिकरण के पास गोल्डन शेयर रहेगा, वह रियायतग्राही के बोर्ड में गैर-सेवानिवृत्त निदेशक (non-retiring Director) के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को नामित करने का हकदार होगा, और ऐसे नामांकन पर, रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा।

5.5 डीजीसीए लाइसेंस से संबंधित दायित्व (Obligations relating to DGCA licence)

5.5.1 रियायतग्राही डीजीसीए से लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा और उन्हें चालू रखेगा, और यदि ऐसी लागू अनुमतियां शर्तों के अधीन जारी की जाती हैं, तो रियायतग्राही हर समय ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.5.2 प्राधिकरण, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, रियायतग्राही द्वारा डीजीसीए के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर डीजीसीए से लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा; बशर्ते कि ऐसे आवेदन की तिथि पर रियायतग्राही ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण पूरा कर लिया हो और (i) विमान नियमावली, 1937 के नियम 83 की आवश्यकताओं; (ii) विमान नियमावली, 1937 के नियम 133A के अनुसरण में डीजीसीए द्वारा जारी किसी विशेष निर्देश या दिशानिर्देश; तथा (iii) हवाई अड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की किसी अन्य आवश्यकता का अनुपालन किया हो।

5.5.3 खंड 5.5.1 और 5.5.2 के प्रावधान इस समझौते की समाप्ति तक लागू अनुमतियों के नवीनीकरण पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व (Obligations relating to procurement of goods and services)

5.6.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह हवाईअड्डे के निर्माण और प्रचालन के लिए अनुबंध, वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से करेगा, और इस संबंध में किसी अनुचित पक्षपात या भेदभाव के बिना करेगा। इसके अनुसरण में, वह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध देने में अपने द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को

विनिर्दिष्ट करते हुए एक अधिप्राप्ति नीति (procurement policy) तैयार करेगा, और आम जनता और सभी इच्छुक पक्षों की जानकारी के लिए उस नीति को अपनी वेबसाइट पर रखेगा। इस नीति में निजी संस्थाओं को किसी स्थान, भवन, अधिकार या विशेषाधिकार को पट्टे पर देने, लाइसेंस देने, उप-लाइसेंस देने, या अनुदान या आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी।

5.6.2 वस्तुओं, कार्यों या सेवाओं की खरीद के लिए और पट्टे, लाइसेंस, उप-लाइसेंस या किसी अन्य अधिकार या विशेषाधिकार के आवंटन के लिए जहां किसी भी लेखा वर्ष में प्रतिफल 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है (सामूहिक रूप से "अनुबंध" / "Contracts"), रियायतग्राही ई-टेंडरिंग के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और खंड 5.6.1 के तहत विनिर्दिष्ट नीति के अनुसार आवंटी का चयन करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि रियायतग्राही अपने विवेक से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आवेदकों को पूर्व-योग्य और संक्षिप्त सूचीबद्ध कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुभवी और योग्य आवेदकों का अंतिम रूप से चयन स्वतंत्र रूप (arm's length) से ऐसे तरीके से किया जाए जो व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण हो और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करता हो।

पक्षकार आगे सहमत होते हैं कि रियायतग्राही किसी संबंधित पक्ष (Related Party) के साथ कोई संबंधित पक्ष संव्यवहार (Related Party Transaction) या अनुबंध नहीं करेगा, सिवाय (क) प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के, जिस सहमति को शेयरधारक समझौते की शर्तों के अनुसार एक आरक्षित मद/सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा; तथा (ख) ऐसा संव्यवहार स्वतंत्र रूप (arm's length basis) से हो और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में हो। पक्षकार इस बात पर भी सहमत हैं कि इसके तहत कोई सहमति देने से पहले, प्राधिकरण अनुबंध और उस संबंधित पक्ष के संबंध में ऐसी जानकारी मांगने का हकदार होगा जिसके साथ अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव है, और यदि प्राधिकरण अपेक्षित जानकारी प्रदान किए जाने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि प्राधिकरण को ऐसे अनुबंध पर कोई आपत्ति नहीं है।

5.6.3 कहीं भी अन्यथा निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही संबंधित पक्ष के किसी भी संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित अनुबंध सिद्धांतों का पालन करेगा:

(क) रियायतग्राही का कोई भी शेयरधारक, और/या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (KMP) जिसका अनुबंध में हित है, अनुबंध के डिज़ाइन, या अनुबंध प्रक्रिया या निर्णय लेने में शामिल नहीं हो सकता है;

(ख) जहां रियायतग्राही का कोई शेयरधारक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या कोई संबंधित पक्ष अनुबंध के लिए निविदा में भाग लेना चाहता है, वहां पूर्णतः स्वतंत्र व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निविदा की समीक्षा और निगरानी हेतु एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक (independent probity auditor) नियुक्त किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक रियायतग्राही या उसके किसी शेयरधारक का संबंधित पक्ष नहीं होगा। रियायतग्राही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वतंत्र सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षक के उपयुक्त विचारार्थ विषय (TOR) और चयन प्रक्रिया पर सहमत होगा; तथा

(ग) रियायतग्राही प्राधिकरण के एक नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति (audit committee) का गठन करेगा जो सभी संबंधित पक्ष संव्यवहारों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार होगी। रियायतग्राही का बोर्ड इसके गठन के समय लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय प्रदान करेगा। रियायतग्राही केवल लेखापरीक्षा समिति का लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किसी संबंधित पक्ष

संव्यवहार में प्रवेश करेगा। संबंधित पक्ष संव्यवहार के नियमों और शर्तों में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के लिए भी लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5.7 विदेशी नागरिकों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of foreign nationals)

रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही और/या उसके ठेकेदारों और उनके उप-ठेकेदारों द्वारा विदेशी कर्मियों का नियोजन आवश्यक विनियामक परमिटों और अनुमोदनों के अनुदान के अधीन होगा, जिसमें रोजगार/आवासीय वीजा और कार्य परमिट शामिल हैं, यदि कोई आवश्यक हो, और इसके लिए आवेदन करने और इसे प्राप्त करने का दायित्व हमेशा रियायतग्राही का होगा और रहेगा, तथा इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी परमिट और अनुमोदन को प्राप्त करने से इनकार या असमर्थता अप्रत्याशित घटना (Force Majeure Event) नहीं मानी जाएगी, और रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों के निष्पादन और निर्वहन से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी।

5.8 प्रशिक्षित कर्मियों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of trained personnel)

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में उसके द्वारा नियोजित कर्मी हर समय अपने संबंधित कार्यों के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हों।

5.9 गोवा के लोगों और विस्थापित परिवारों के नियोजन से संबंधित दायित्व (Obligations relating to employment of people of Goa and Displaced Family)

रियायतग्राही निम्नलिखित के लिए सहमत होता है और वचन देता है:

(क) हवाईअड्डे की सभी नौकरियों के लिए वास्तविक गोवावासियों (bonafide Goans) को प्राथमिकता देना; तथा

(ख) गोवा में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 3 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों में हवाईअड्डे की सभी नौकरी की रिक्तियों का विज्ञापन देना।

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही लागू कानून के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार (Displaced Family) से 1 (एक) व्यक्ति को रोजगार देगा। संदेह निवारण के लिए, यदि विस्थापित परिवारों या वास्तविक गोवावासियों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो रियायतग्राही को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

5.10 सुरक्षा अनापत्ति से संबंधित दायित्व (Obligations relating to security clearance)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही और उसके ठेकेदारों तथा उप-ठेकेदारों के कर्मचारियों, स्टाफ और कर्मियों की नियुक्ति हमेशा नामित भारत सरकार एजेंसी (Designated GOI Agency) द्वारा सुरक्षा अनापत्ति (security clearance) के अधीन होगी और केवल वैध सुरक्षा अनापत्ति वाले व्यक्तियों को ही स्थल पर जाने की अनुमति होगी। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी परमिट और अनुमोदन को प्राप्त करने से इनकार या असमर्थता अप्रत्याशित घटना नहीं मानी जाएगी, और रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों के निष्पादन और निर्वहन से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि यहाँ दिया गया प्रतिबंध स्थल का हिस्सा बनने वाले सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग (Unrestricted Part of City Side Development) पर लागू नहीं होगा।

5.11 गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच से संबंधित दायित्व (Obligations relating to non-discriminatory access)

रियायतग्राही हवाईअड्डे का प्रबंधन और प्रचालन एक साझा उपयोगकर्ता आधार (common user basis) पर करेगा और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी एयरलाइनों, विमानों और अन्य व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा तथा इसके किसी भी उपयोगकर्ता या संभावित उपयोगकर्ता के विरुद्ध कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण प्रथा अपनाने से विरत रहेगा।

5.12 चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व (Obligations relating to medical aid)

उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, रियायतग्राही हवाईअड्डे पर एक चिकित्सा सहायता पोस्ट स्थापित करेगा और उसका प्रचालन करेगा जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और आसपास के अस्पतालों से आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सुसज्जित होगी।

5.13 ध्वनि नियंत्रण से संबंधित दायित्व (Obligations relating to noise control)

रियायतग्राही हवाईअड्डे से उत्पन्न होने वाले शोर और उपयोगकर्ताओं तथा पड़ोस पर इसके प्रभाव को नियंत्रित और कम करने के लिए लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार ऐसे सभी उपाय करेगा जो आवश्यक हों।

5.14 रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य (Sole purpose of the Concessionaire)

रियायतग्राही की स्थापना केवल इस समझौते के तहत अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों तथा देनदारियों का पालन और निष्पादन करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए की गई है, अर्थात् परियोजना का डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, प्रचालन और प्रबंधन। रियायतग्राही इसके द्वारा किसी भी इकाई में शेयरधारिता हित या अन्यथा, या किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था न रखने पर सहमत होता है, जो उसे किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि को शुरू करने या करने की अनुमति दे सकती है। रियायतग्राही इसके द्वारा किसी भी सहायक कंपनी (subsidiary) या संयुक्त उद्यम (joint venture) या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था न रखने, या किसी भी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न, संबंधित या रुचि न रखने पर सहमत होता है।

5.15 हवाईअड्डे की ब्रांडिंग (Branding of the Airport)

हवाईअड्डे या उसके किसी भी हिस्से की ब्रांडिंग किसी भी तरह से रियायतग्राही या उसके शेयरधारकों के नाम या पहचान को विज्ञापित, प्रदर्शित या प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं की जाएगी। व्यवसाय के सामान्य क्रम में आवश्यक होने के सिवाय, रियायतग्राही वचन देता है कि वह अपनी पहचान, ब्रांड इक्विटी या व्यावसायिक हितों, जिसमें उसके शेयरधारकों के हित भी शामिल हैं, को विज्ञापित या प्रदर्शित करने के लिए हवाईअड्डे के नाम या पहचान का किसी भी तरह से उपयोग नहीं करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही उन स्थानों पर अपना नाम प्रदर्शित कर सकता है जहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित किए जाते हैं। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि हवाईअड्डे को उचित समय पर प्राधिकरण द्वारा तय किए गए नाम से जाना जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और विज्ञापित किया जाएगा।

5.16 दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु सुविधाएं (Facilities for differently abled and elderly persons)

रियायतग्राही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, या उसके किसी विकल्प के अनुरूप, हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 6 (ARTICLE 6)

प्राधिकरण के दायित्व (OBLIGATIONS OF THE AUTHORITY)

6.1 प्राधिकरण के दायित्व (Obligations of the Authority)

6.1.1 प्राधिकरण अपनी लागत और व्यय पर इस समझौते में निर्धारित या इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, अनुपालन करेगा और उन्हें निष्पादित करेगा।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होता है और इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार निम्नलिखित का पालन, अनुपालन और निष्पादन करने का वचन देता है:

(क) रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, हवाईअड्डे के निर्माण और प्रचालन के लिए किसी भी सरकारी तंत्र से आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने में रियायतग्राही को उचित समर्थन और सहायता प्रदान करना;

(ख) यायतग्राही से लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही को सभी आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, जिसमें पानी और बिजली ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर शामिल हैं जो रियायतग्राही के लिए समान उपयोगिता ग्राहकों की तुलना में कम अनुकूल नहीं हैं जो काफी हद तक समतुल्य सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर, और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर, सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग को छोड़कर, हवाईअड्डे के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से संबंधित लागू अनुमतियां (यदि कोई हों) अधिप्राप्त करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा आवश्यकताओं, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी तंत्र या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाईअड्डे पर या उसके आसपास कोई बाधा उत्पन्न या स्थापित न की जाए;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम प्रयास करना कि पूरे हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से के उपयोग पर कोई स्थानीय कर, टोल या शुल्क न लगाया जाए;

(च) लागू कानूनों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही को स्थल पर यातायात को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करना;

(छ) हवाईअड्डे पर या उसके आसपास यातायात के नियमन, अनधिकृत प्रवेशकर्ताओं को हटाने और सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना;

(ज) ऐसा कोई कार्य, विलेख या बात न करना या करने से न चूकना जो किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती हो;

(झ) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के निर्माण और प्रचालन में रियायतग्राही का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना;

(ञ) रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर और खंड 5.7 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही और रियायतग्राही या उसके ठेकेदारों के किसी भी विदेशी कर्मी को इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों के निर्वहन के लिए लागू वीजा और कार्य परमिट प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना;

(ट) नियत तिथि से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के भीतर एक्सप्रेसवे का निर्माण और प्रचालन करने का प्रयास करना;

(ठ) सीओडी (COD) से पहले हवाईअड्डे के लिए 2 (दो) लेन का पहुँच मार्ग (access road) अधिप्राप्त करना;

(ड) स्थल तक पानी के पाइप और बिजली के केबल बिछाने के लिए मार्ग का अधिकार (Right of Way) प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना; तथा

(ढ) अवार्ड पत्र (LOA) जारी होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर परियोजना के लिए रेखांकित सभी भूमि रियायतग्राही को उपलब्ध कराना।

6.2 नियत तिथि से पूर्व रखरखाव दायित्व (Maintenance obligations prior to Appointed Date)

विकास अवधि (Development Period) के दौरान, प्राधिकरण अपनी लागत और व्यय पर स्थल का रखरखाव करेगा, ताकि इसकी स्थिति बोली तिथि (Bid Date) से 7 (सात) दिन पहले की स्थिति की तुलना में किसी भी समय तात्विक रूप से घटिया न हो। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण विकास अवधि के दौरान स्थल का केवल नियमित रखरखाव करेगा, और वह बाढ़ या मूसलाधार बारिश जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अत्यधिक गिरावट या क्षति होने की स्थिति में ही विशेष मरम्मत करेगा।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व (Obligations relating to Reserved Services)

6.3.1 इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services) प्रदान करेगा, या करवाएगा, और हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम बनाएगी।

6.3.2 अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सभी आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करेगा, या करवाएगा; बशर्ते कि इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है, रियायतग्राही से किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को शुरू करने की मांग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

6.3.3 प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही को इस समझौते और लागू कानूनों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार निर्वहन करेगा।

6.4 पुनर्वित्तपोषण से संबंधित दायित्व (Obligations relating to refinancing)

रियायतग्राही द्वारा इस आशय का अनुरोध किए जाने पर, प्राधिकरण भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिसूचित किसी भी नियम या दिशानिर्देश के अनुरूप, रियायतग्राही और ऐसा पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था के बीच सहमत शर्तों पर देय ऋण (Debt Due) के पूर्ण या आंशिक पुनर्वित्तपोषण (refinancing) को सुरक्षित करने के लिए रियायतग्राही को अनुमति देगा और सक्षम करेगा; बशर्ते, तथापि, कि इसके तहत पुनर्वित्तपोषण हमेशा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के अधीन होगा, जिस सहमति को अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा। संदेह निवारण के लिए, इसके तहत पुनर्वित्तपोषित ऋण की अवधि वरिष्ठ ऋणदाताओं और रियायतग्राही के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित की जा सकती है, लेकिन उसका पुनर्भुगतान रियायत अवधि की समाप्ति से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले पूरा किया जाएगा।

अनुच्छेद 7 (ARTICLE 7)
अभ्यावेदन और वारंटी (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)

7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटी (Representations and warranties of the Concessionaire)

रियायतग्राही प्राधिकरण को अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि:

(क) यह भारत के कानूनों के तहत विधिवत गठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने तथा इसके द्वारा परिकल्पित संव्यवहारों को पूरा करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है;

(ख) इसने इस समझौते के निष्पादन और वितरण को अधिकृत करने तथा इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का वैध रूप से प्रयोग करने और अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाइयां की हैं;

(ग) इसके पास इस समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को शुरू करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

(घ) यह समझौता इसके कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जो इसकी शर्तों के अनुसार इसके विरुद्ध लागू करने योग्य है, और इस समझौते के तहत इसके दायित्व इसकी शर्तों के अनुसार इसके विरुद्ध कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व होंगे;

(ङ) यह भारत के कानूनों के अधीन है, और इसके द्वारा इस समझौते या इसके तहत उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी उन्मुक्ति का स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग करता है;

(च) बोली में और इस समझौते की तिथि पर या उससे पहले अद्यतन की गई जानकारी इस समझौते की तिथि पर सभी मामलों में सत्य और सटीक है;

(छ) इस समझौते का निष्पादन, वितरण और अनुपालन इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की किसी भी शर्त या किसी लागू कानून या किसी अनुबंध, समझौते, व्यवस्था, डिक्री या आदेश के साथ टकराव नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा, चूक का गठन नहीं करेगा, या उसके तहत अपेक्षित प्रदर्शन को त्वरित नहीं करेगा, जिसका वह एक पक्ष है या जिसके द्वारा वह या उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्ति बाध्य या प्रभावित है;

(ज) किसी भी अदालत के समक्ष या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष कानून में या न्यायसम्य में कोई भी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही, या जांच लंबित नहीं है या इसकी जानकारी में शुरू करने की धमकी नहीं दी गई है, जिसका परिणाम इस समझौते के उल्लंघन में हो सकता है या जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने की इसकी क्षमता में किसी तात्विक बाधा का कारण बन सकता है;

(झ) इसे किसी भी अदालत या सरकारी तंत्र के किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो ऐसी कार्यवाहियों को जन्म दे सकती है जो इस समझौते के तहत इसके दायित्वों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी;

(ञ) इसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है और यह किसी भी जुर्माने, शास्ति, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं रहा है, जिसका कुल

मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है;

(ट) यह खंड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार के सिवाय, किसी भी समय स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही अनुमति देगा; और चयनित बोलीदाता, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, इस समझौते की तिथि पर और परियोजना के सीओडी की 7वीं वर्षगांठ तक अपनी जारी और चुकता इक्विटी का 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं रखेगा;

(ठ) चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों के पास आवश्यक इक्विटी को निधि देने और इस समझौते के अनुसार परियोजना को शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने के लिए वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं;

(ड) चयनित बोलीदाता अपने निगमन या पंजीकरण, जैसा भी मामला हो, के क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और उसने अवार्ड पत्र के अनुसरण में रियायतग्राही के साथ इस समझौते में प्रवेश करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है, और इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार किया है और बिना शर्त सहमति व्यक्त की है;

(ढ) कोई भी अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन, या उसके सहयोगी रियायतग्राही के कुल इक्विटी स्वामित्व के 26% (छब्बीस प्रतिशत) से अधिक नहीं रखेंगे; और ऐसी अनुसूचित एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन, या उसके सहयोगी रियायतग्राही के निदेशक मंडल में किसी निदेशक को नियुक्त नहीं कर सकते हैं;

(ण) हवाईअड्डे में इसके सभी अधिकार और हित हस्तांतरण तिथि पर सभी ग्रहणाधिकारों, दावों और भारों से मुक्त होकर प्राधिकरण में निहित होंगे, इसके या प्राधिकरण के किसी अन्य कार्य या विलेख के बिना, और परियोजना परिसंपत्तियों में से कोई भी इसके द्वारा किसी ऐसे समझौते के अधीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा हित या अन्य ग्रहणाधिकार या भार बनाए रखा गया हो, सिवाय इसके जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है;

(त) इसके द्वारा यहाँ निहित या लागू अनुमतियों के संबंध में प्राधिकरण को या किसी सरकारी तंत्र को प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज में कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी किसी महत्वपूर्ण तथ्य का कोई असत्य या भ्रामक बयान नहीं रखती है या नहीं रखेगी या ऐसे अभ्यावेदन या वारंटी को भ्रामक न बनाने के लिए आवश्यक किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बताने से नहीं चूकती है या नहीं चूकेगी;

(थ) रियायत प्राप्त करने या इस समझौते में प्रवेश करने या उसके संबंध में प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए इसके द्वारा या इसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को शुल्क, कमीशन या अन्यथा नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि नहीं दी गई है और न ही दी जाएगी;

(द) अर्हता अनुरोध (RFQ) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) या अन्यथा के उत्तर में चयनित बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण मामलों में सत्य और सटीक है; तथा

(ध) अर्हता अनुरोध और प्रस्ताव हेतु अनुरोध या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी उपक्रम और दायित्व रियायतग्राही पर इस प्रकार बाध्यकारी होंगे मानो वे इस समझौते का हिस्सा हों।

7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटी (Representations and warranties of the Authority)

प्राधिकरण रियायतग्राही को अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि:

(क) इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने, वितरित करने और इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने तथा इसमें परिकल्पित संव्यवहारों को पूरा करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है और इसने इस समझौते को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं;

(ख) इसने इस समझौते के निष्पादन, वितरण और निष्पादन को अधिकृत करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं;

(ग) इसके पास इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

(घ) यह समझौता एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है जो इसकी शर्तों के अनुसार इसके विरुद्ध लागू करने योग्य है;

(ङ) इसे किसी भी अदालत के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या किसी डिक्री या किसी सरकारी तंत्र के किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की प्राधिकरण की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(च) इसने सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है; तथा

(छ) इसके पास स्थल पर अच्छा और वैध अधिकार है, और रियायतग्राही को इसके संबंध में लाइसेंस देने की शक्ति और अधिकार है।

7.3 प्रकटीकरण (Disclosure)

ऐसी स्थिति में जब किसी भी पक्षकार के संज्ञान में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है जो उसके पूर्वोक्त किसी भी अभ्यावेदन या वारंटी को असत्य या गलत बनाती है, तो वह पक्षकार तुरंत दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना देगा। ऐसी अधिसूचना का प्रभाव उस अभ्यावेदन या वारंटी के किसी भी उल्लंघन को सुधारने का नहीं होगा जो असत्य या गलत पाया गया है और न ही यह इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के किसी भी अधिकार, उपाय या दायित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या छोड़ेगा।

अनुच्छेद 8 (ARTICLE 8)
अस्वीकरण (DISCLAIMER)

8.1 अस्वीकरण (Disclaimer)

8.1.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि इस समझौते के निष्पादन से पूर्व, रियायतग्राही ने पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अर्हता अनुरोध, प्रस्ताव हेतु अनुरोध, परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों और मानकों, स्थल, मौजूदा संरचनाओं, स्थानीय परिस्थितियों, जमीन के भौतिक गुणों, उप-मृदा और भूविज्ञान, यातायात मात्रा और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा प्राप्त, अधिप्राप्त या एकत्रित की गई सभी सूचनाओं का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है, और अपनी संतुष्टि के अनुसार उसकी सटीकता या अन्यथा तथा कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है जो इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने की संभावना है या जिनका सामना किया जा सकता है। प्राधिकरण अपने द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आकलन, धारणा, बयान या सूचना की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और/या पूर्णता के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन नहीं करता है, चाहे वह व्यक्त, निहित या अन्यथा हो, और रियायतग्राही पुष्टि करता है कि इस संबंध में प्राधिकरण के विरुद्ध उसका कोई दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतग्राही ऊपर खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि के जोखिम को स्वीकार करता है और इसके द्वारा सहमत होता है कि प्राधिकरण रियायतग्राही,

चयनित बोलीदाता और उनके सहयोगियों या उनमें से किसी के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

8.1.3 पक्षकार सहमत होते हैं कि ऊपर खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित कोई भी गलती या त्रुटि इस समझौते को दूषित नहीं करेगी या इसे शून्यकरणीय (voidable) नहीं बनाएगी।

8.1.4 ऐसी स्थिति में जब किसी भी पक्षकार को ऊपर खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले से संबंधित किसी गलती या त्रुटि की जानकारी होती है, तो वह पक्षकार तुरंत दूसरे पक्षकार को गलती या त्रुटि को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगा; बशर्ते, तथापि, कि इस खंड 8.1.4 के अनुसरण में कोई नोटिस देने में प्राधिकरण की ओर से विफलता खंड 8.1.1 में निहित प्राधिकरण के अस्वीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और किसी भी तरह से इस समझौते के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा ग्रहण किए गए किसी भी जोखिम को प्राधिकरण पर स्थानांतरित नहीं करेगी।

8.1.5 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों या उनके परिणामों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग III
विकास और प्रचालन

अनुच्छेद 9 (ARTICLE 9)
निष्पादन सुरक्षा (PERFORMANCE SECURITY)

9.1 निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

9.1.1 रियायतग्राही इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, अवार्ड पत्र (LOA) जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अनुसूची-चमें निर्धारित प्रारूप में 62,00,00,000 रुपये (बासठ करोड़ रुपये) के समतुल्य राशि के लिए किसी बैंक से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी ("निष्पादन सुरक्षा" / "Performance Security") प्रदान करेगा। जब तक रियायतग्राही द्वारा इसके अनुसरण में निष्पादन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है और वह प्रभावी नहीं हो जाती है, तब तक बोली सुरक्षा (Bid Security) प्रभावी और लागू रहेगी, और इसके अनुसरण में निष्पादन सुरक्षा प्रदान किए जाने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को बोली सुरक्षा वापस कर देगा।

9.1.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, एलओए की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा निष्पादन सुरक्षा प्रदान न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण बोली सुरक्षा को भुना सकता है और उसकी आय को हर्जाने के रूप में विनियोजित कर सकता है, और तदनुसार इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियां रियायतग्राही की सहमति से छोड़ी गई और समाप्त मानी जाएंगी, और इस समझौते को पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा।

9.2 निष्पादन सुरक्षा का विनियोग (Appropriation of Performance Security)

रियायतग्राही चूक (Concessionaire Default) होने पर या किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफलता पर, प्राधिकरण इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी रियायतग्राही चूक के लिए या किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफलता के संबंध में देय राशियों को निष्पादन सुरक्षा से भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। निष्पादन सुरक्षा से ऐसे भुनाने और विनियोग पर, रियायतग्राही उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, आंशिक विनियोग के मामले में निष्पादन सुरक्षा के मूल स्तर को पुनः भरेगा (replenish), और संपूर्ण निष्पादन सुरक्षा के विनियोग के मामले में एक नई निष्पादन सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें विफल रहने पर प्राधिकरण अनुच्छेद 39 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

ऐसी पुनः भरपाई या नई निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने पर, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही चूक को सुधारने या किसी पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की अतिरिक्त उपचार अवधि (Cure Period) का हकदार होगा, और रियायतग्राही द्वारा ऐसी उपचार अवधि के भीतर अपनी चूक को न सुधारने या ऐसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा न करने की स्थिति में, प्राधिकरण ऐसी निष्पादन

सुरक्षा को हर्जाने के रूप में भुनाने और विनियोजित करने तथा अनुच्छेद 39 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

9.3 निष्पादन सुरक्षा की मुक्ति/वापसी (Release of Performance Security)

निष्पादन सुरक्षा परियोजना के चरण I सीओडी (COD) से 2 (दो) वर्ष के अंत तक प्रभावी और लागू रहेगी; बशर्ते, तथापि, कि यदि रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में है तो निष्पादन सुरक्षा जारी नहीं की जाएगी। इस खंड 9.3 के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि स्थापित करने वाले विवरणों के साथ निष्पादन सुरक्षा जारी करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण निष्पादन सुरक्षा तुरंत जारी करेगा।

9.4 मानी गई निष्पादन सुरक्षा (Deemed Performance Security)

पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि खंड 9.3 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा जारी होने पर, संपूर्ण रियायत अवधि के लिए और उसके संबंध में खंड 9.1 के तहत निष्पादन सुरक्षा के समान एक समान राशि के लिए एक प्रतिस्थानी निष्पादन सुरक्षा इस खंड 9.4 के तहत सृजित मानी जाएगी ("मानी गई निष्पादन सुरक्षा" / "Deemed Performance Security")।

मानी गई निष्पादन सुरक्षा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगी, और खंड 33.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते में समतुल्य शेष पर और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी राशियों पर पहला और अनन्य प्रभार गठित करेगी, और प्राधिकरण एस्क्रो खाते से निकासी के माध्यम से या खंड 9.5 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य राशियों से कटौती करके मानी गई निष्पादन सुरक्षा को लागू करने का हकदार होगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि बाद की तिथि पर देय होने वाले किसी भी संभावित हर्जाने को सुरक्षित करने के लिए एस्क्रो खाते में कोई राशि निर्धारित, रोकी या रोकी नहीं जाएगी, और केवल वे राशियां जो रियायतग्राही चूक होने पर रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य हो गई हैं, इसके तहत विनियोग के लिए उत्तरदायी होंगी।

9.5 मानी गई निष्पादन सुरक्षा का विनियोग (Appropriation of Deemed Performance Security)

रियायतग्राही चूक होने पर, प्राधिकरण इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही चूक के लिए हर्जाने के रूप में मानी गई निष्पादन सुरक्षा से प्रासंगिक राशियों को विनियोजित करने का हकदार होगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि मानी गई निष्पादन सुरक्षा के पूर्ण या आंशिक रूप से विनियोजित होने पर, इसे ऐसे विनियोग की सीमा तक पुनः भरा हुआ माना जाएगा।

9.6 निष्पादन सुरक्षा के संदर्भ (References to Performance Security)

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निष्पादन सुरक्षा सौंपने से पूर्व की किसी भी अवधि के लिए और उसके संबंध में, या उसकी समाप्ति या मुक्ति के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में इस समझौते में आने वाले निष्पादन सुरक्षा के संदर्भों का अर्थ केवल रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाने की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए लगाया जाएगा, और इस प्रकार निर्धारित राशि को बोली सुरक्षा या मानी गई निष्पादन सुरक्षा, जैसा भी मामला हो, से विनियोजित किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 (ARTICLE 10)
मार्ग का अधिकार / रास्ता (RIGHT OF WAY)

10.1 स्थल (The Site)

हवाईअड्डे के स्थल में अनुसूची-अमें वर्णित अचल संपत्ति शामिल होगी और जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत और इसके अनुसार एक लाइसेंसधारी के रूप में रियायतग्राही को मार्ग का अधिकार (Right of Way) प्रदान किया जाएगा ("स्थल" / "Site")। संदेह निवारण के लिए, यह एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि स्थल के संदर्भों को अनुसूची-अमें निर्धारित अनुसार हवाईअड्डे के लिए आवश्यक अचल संपत्ति के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, और इसमें सिटी साइड विकास शामिल होगा।

10.2 लाइसेंस, पहुँच और मार्ग का अधिकार (Licence, Access and Right of Way)

10.2.1 प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही को सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन, विकास अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी सर्वेक्षण, जांच और मृदा परीक्षण करने के लिए स्थल तक पहुँच प्रदान करता है, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है और समझा जाता है कि समाप्ति की स्थिति में या अन्यथा इसके अनुसरण में स्थल पर या उसके आसपास रियायतग्राही द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जांच और परीक्षण या किए गए कार्य के संबंध में प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.2.2 रियायत शुल्क, इस समझौते और इसमें निहित रियायतग्राही के वचनों और वारंटियों के प्रतिफल में, प्राधिकरण यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, एतद्द्वारा रियायतग्राही को नियत तिथि से प्रारंभ होकर स्थल का गठन करने वाली सभी भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल संपत्ति, यदि कोई हो, के साथ) के संबंध में, जो यहाँ अनुसूची-अमें वर्णित, सीमांकित और प्रदर्शित है, रियायत अवधि के दौरान और इस समझौते के तहत अनुमत प्रयोजनों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, उक्त स्थल को विकसित करने, संचालित करने और उसका रखरखाव करने के लिए, उक्त स्थल से संबंधित या किसी भी तरह से जुड़े सभी और एकल अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, सुखाचारों (easements) और उपांगों के साथ "जैसा है जहाँ है" के आधार पर, किसी भी भार से मुक्त, उपभोग और लाइसेंस अधिकार प्रदान करता है।

10.2.3 इस समझौते द्वारा रियायतग्राही को प्रदान किया गया लाइसेंस, पहुँच और मार्ग का अधिकार हमेशा मौजूदा मार्ग के अधिकारों के अधीन होगा और रियायतग्राही अपने दायित्वों का निष्पादन इस प्रकार करेगा कि हवाई अड्डा रियायत अवधि के दौरान हर समय उपयोगकर्ताओं के लिए खुला रहे, सिवाय उन घंटों के जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा इसे बंद करने की अनुमति दी गई हो।

10.2.4 यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत प्रदान किया गया लाइसेंस किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति पर, लाइसेंस को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बिना, स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि रियायतग्राही या उसके उप-लाइसेंसधारियों द्वारा स्थल पर बनाई गई किसी भी अस्थायी या स्थायी संरचना के बावजूद, स्थल के संबंध में लाइसेंस इस समझौते की समाप्ति पर पक्षों के किसी अन्य कार्य के बिना स्वतः समाप्त हो जाएगा।

10.2.5 रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण (प्रत्यक्ष रूप से या किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए) को रियायत अवधि समाप्त होने के बाद या यहाँ की शर्तों के तहत पहले समाप्त होने के बाद किसी भी समय इसके तहत दिए गए लाइसेंस के हस्तांतरण या अभ्यर्पण (surrender) को रियायतग्राही के नाम पर निष्पादित और हस्ताक्षरित करने के लिए अपना वास्तविक और वैध अटॉर्नी नियुक्त करता

है, जिसका पर्याप्त प्रमाण प्राधिकरण के किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी की घोषणा होगी और रियायतग्राही इस उद्देश्य के लिए इसके पंजीकृत होने की सहमति देता है।

10.2.6 यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि स्थल पर मौजूद वृक्ष प्राधिकरण की संपत्ति हैं, सिवाय इसके कि रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान उस पर फलोपभोग अधिकार (usufructory rights) का प्रयोग करने का हकदार होगा।

10.3 स्थल की अधिप्राप्ति (Procurement of the Site)

10.3.1 खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट नोटिस के अनुसरण में, प्राधिकरण प्रतिनिधि और रियायतग्राही, पारस्परिक रूप से सहमत तिथि और समय पर, स्थल का निरीक्षण करेंगे और स्थल पर या उससे जुड़ी खाली और भार-मुक्त भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, वृक्षों और किसी भी अन्य अचल संपत्ति सहित स्थल की एक सूची (inventory) युक्त एक ज्ञापन (memorandum) तैयार करेंगे। ऐसे ज्ञापन के साथ एक परिशिष्ट ("परिशिष्ट" / "Appendix") संलग्न होगा, जिसमें स्थल के उन हिस्सों को उचित विस्तार से विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके लिए रियायतग्राही को खाली पहुँच और मार्ग का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 2 (दो) प्रतियों में (जिनमें से प्रत्येक एक मूल प्रति होगी) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, खंड 10.2.2 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, रियायत अवधि के दौरान खाली और भार-मुक्त स्थल के स्वतंत्र और अप्रतिबंधित उपयोग और विकास के लिए रियायतग्राही को एक वैध लाइसेंस और मार्ग का अधिकार गठित करने वाला माना जाएगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि परिशिष्ट में निर्धारित स्थल के हिस्सों के संबंध में वैध लाइसेंस और मार्ग का अधिकार प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को खाली पहुँच प्रदान किए जाने पर रियायतग्राही को प्रदान किया गया माना जाएगा।

10.3.2 खंड 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके पक्षकार सहमत होते हैं कि नियत तिथि पर या उससे पहले, प्राधिकरण खाली पहुँच और मार्ग का अधिकार इस प्रकार प्रदान करेगा कि परिशिष्ट में हवाईअड्डे के लिए आवश्यक और अनिवार्य स्थल के कुल क्षेत्रफल का 10% (दस प्रतिशत) से अधिक शामिल नहीं होगा, और यदि वित्तीय समापन केवल ऐसी खाली पहुँच और मार्ग का अधिकार प्रदान करने में देरी के कारण विलंबित होता है, तो प्राधिकरण खंड 4.2 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार हर्जाने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण स्वीकार करता है और सहमत होता है कि परिशिष्ट में ऐसी कोई भूमि शामिल नहीं होगी जो वैमानिकी परिसंपत्तियों और टर्मिनल भवन के निर्माण को रोक सकती है या उसमें देरी कर सकती है जिसके बिना पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है। पक्षकार यह भी स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस खंड 10.3.2 में विनिर्दिष्ट शर्तों को किसी भी पक्ष द्वारा संशोधित या माफ नहीं किया जाएगा। आगे बशर्ते कि, इस खंड के प्रावधान उस भूमि के लिए लागू नहीं होंगे जो वर्तमान में प्राधिकरण के कब्जे में नहीं है जैसा कि अनुसूची A के अनुबंध-I में दिखाया गया है।

10.3.3 खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद और हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही स्थल के उस हिस्से पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा जो रियायतग्राही को सौंपा गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण न हो, और उसके किसी भी हिस्से पर किसी भी अतिक्रमण या कब्जे की स्थिति में, रियायतग्राही ऐसे अतिक्रमण या कब्जे की सूचना तुरंत प्राधिकरण को देगा और अपनी लागत और खर्च पर उसे हटाने का कार्य करेगा।

10.3.4 प्राधिकरण परिशिष्ट में शामिल सभी भूमि के संबंध में नियत तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही को मार्ग का अधिकार प्राप्त करने और प्रदान करने के सर्वोत्तम प्रयास करेगा। बशर्ते कि, मार्ग का अधिकार प्रदान करने में ऐसे किसी भी विलंब का प्राधिकरण के उन अधिकारों, हितों,

हकदारियों, लाभों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस समझौते के तहत और उसके अनुसार उसके पास हो सकते हैं।

10.3.5 परिशिष्ट में शामिल किसी भी भूमि के संबंध में मार्ग का अधिकार प्राप्त होने पर, रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित की जाने वाली उचित अवधि के भीतर उस पर निर्माण कार्य पूरा करेगा; बशर्ते कि स्थल के किसी भी हिस्से पर खाली पहुँच रियायतग्राही को न दिए जाने या स्थल के ऐसे हिस्से पर कोई निर्माण परीक्षण की तिथि पर अधूरा रहने के कारण अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में देरी या प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि उन सभी भूमियों पर निर्माण कार्य, जिनके लिए नियत तिथि के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर मार्ग का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुसूचित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित समय के भीतर संबंधित निर्माण कार्यों को पूरा करना खंड 12.4.2 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार हर्जाने के उद्ग्रहण और वसूली के प्रयोजनों के लिए परियोजना मील का पत्थर माना जाएगा।

10.4 स्थल का भार-मुक्त होना (Site to be free from Encumbrances)

खंड 10.3 के प्रावधानों के अधीन, स्थल प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सभी भारों और कब्जों से मुक्त और रियायत अवधि के दौरान ऐसे स्थल के अधिग्रहण और उपयोग के लिए किसी भी लागत, मुआवजे, व्यय और प्रभारों के मद में प्राधिकरण को कोई भुगतान करने की आवश्यकता के बिना उपलब्ध कराया जाएगा, सिवाय इसके जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि स्थल के मौजूदा मार्ग के अधिकार, सुखाचार (easements), विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएं और उपांग भार नहीं माने जाएंगे। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही स्थल की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी जोखिमों को वहन करने के लिए स्वीकार करता है और वचन देता है।

10.5 स्थल की भारों से सुरक्षा (Protection of Site from Encumbrances)

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही स्थल को किसी भी और सभी कब्जों, अतिक्रमणों या भारों से बचाएगा, और इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित के अलावा, स्थल या परियोजना परिसंपत्तियों के पूरे या किसी हिस्से पर, या उसमें या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी अधिकार पर कोई भार या सुरक्षा हित न तो रखेगा या बनाएगा और न ही रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को रखने या बनाने की अनुमति देगा।

10.6 विशेष/अस्थायी मार्ग का अधिकार (Special/temporary right of way)

रियायतग्राही स्थल तक पहुँच के संबंध में उसके द्वारा आवश्यक किसी विशेष या अस्थायी मार्ग के अधिकार के लिए सभी लागत और प्रभार वहन करेगा। रियायतग्राही अपनी लागत पर स्थल पर या उसके बाहर ऐसी सुविधाएं प्राप्त करेगा जो हवाईअड्डे के प्रयोजनों और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए उसके द्वारा आवश्यक हों।

10.7 प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को पहुँच (Access to the Authority and Independent Engineer)

इसके तहत रियायतग्राही को दिया गया लाइसेंस, मार्ग का अधिकार और स्थल का अधिकार हमेशा प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता तथा उनके कर्मचारियों और एजेंटों के निरीक्षण, देखने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए पहुँच के अधिकार के अधीन होगा।

10.8 भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजें (Geological and archaeological finds)

यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार इस समझौते के तहत रियायतग्राही को दिए गए लाइसेंस का हिस्सा नहीं हैं और रियायतग्राही एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, पुरावशेषों, संरचनाओं या विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक रुचि की अन्य अवशेषों या चीजों में उसका कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा और स्थल पर या उसके नीचे ऐसे अधिकार, हित और संपत्ति प्राधिकरण या संबंधित सरकारी तंत्र में निहित होगी और उसकी होगी। रियायतग्राही अपने श्रमिकों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हित या संपत्ति को हटाने या नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगा और उसकी खोज के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा और ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए प्राधिकरण या संबंधित सरकारी तंत्र द्वारा उचित रूप से दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा।

संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी उचित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत निर्देश संबंधित सरकारी तंत्र द्वारा उचित अवधि के भीतर जारी किए जाएं ताकि रियायतग्राही यथा आवश्यक संशोधनों के साथ अपने निर्माण कार्य जारी रखने में सक्षम हो सके।

अनुच्छेद 11 (ARTICLE 11)
उपयोगिताएं, संबद्ध सड़कें और वृक्ष (UTILITIES, ASSOCIATED ROADS AND TREES)

11.1 विद्यमान उपयोगिताएं और सड़कें (Existing utilities and roads)

इसमें निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर, उसके नीचे या उसके ऊपर उपयोगिताओं (utilities) का स्वामित्व रखने वाली संबंधित संस्थाएं ऐसी उपयोगिताओं का निरंतर संतोषजनक उपयोग जारी रखने में सक्षम हों, यदि आवश्यक हो, तो उस उपयोगिता के नियंत्रक निकाय के प्राधिकार से उपयुक्त अस्थायी या स्थायी मार्ग परिवर्तन (diversions) प्रदान करके; और प्राधिकरण, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे मार्ग परिवर्तन के लिए आवश्यक किसी भी मार्ग के अधिकार (right of way) के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही शुरू करेगा और उसे संपन्न करेगा।

11.2 बाधा डालने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण (Shifting of obstructing utilities)

11.2.1 रियायतग्राही, लागू कानूनों के अधीन और प्राधिकरण की सहायता से, बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित किसी भी उपयोगिता को स्थल के भीतर या बाहर किसी उपयुक्त स्थान या संरेखण (alignment) पर स्थानांतरित करने का कार्य करेगा, यदि और केवल यदि ऐसी उपयोगिता हवाईअड्डे के विकास, प्रचालन या रखरखाव पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव (Material Adverse Effect) डालती है या डालेगी। ऐसे स्थानांतरण की लागत खंड 11.2.2 में विनिर्दिष्ट भुगतान शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी अथवा यदि प्राधिकरण ऐसा निर्देश देता है तो ऐसी उपयोगिता का स्वामित्व रखने वाली संस्था द्वारा वहन की जाएगी; और उसके स्थानांतरण में किसी भी विलंब की स्थिति में, रियायतग्राही को इसके तहत अपने किसी भी दायित्व के निष्पादन में विफलता के लिए क्षम्य माना जाएगा यदि ऐसी विफलता, यथास्थिति, ऐसी बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों या टेलीफोन केबलों का स्वामित्व रखने वाली संस्था की ओर से हुए विलंब का प्रत्यक्ष परिणाम है।

11.2.2 रियायतग्राही, खंड 11.2.1 के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के पश्चात, प्रगतिरत कार्यों या पूर्ण हो चुके कार्यों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में भुगतान हेतु बिल प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसके समर्थन में ऐसे दस्तावेज़ (Documentation) संलग्न होंगे जो प्राधिकरण द्वारा उनकी सटीकता का निर्धारण करने के लिए यथोचित पर्याप्त हों। ऐसे बिल प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही को ऐसी राशियों का संवितरण करेगा जो स्वतंत्र अभियंता द्वारा उचित रूप में प्रमाणित की गई हों, और किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका अंतिम समायोजन विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) के तहत और उसके अनुसार किया जाएगा।

11.3 नई उपयोगिताएं और परिवहन प्रणालियां (New utilities and transport systems)

11.3.1 रियायतग्राही, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, टेलीफोन लाइनें, पानी के पाइप, बिजली के केबल या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं बिछाने के लिए स्थल तक पहुँच और उसके उपयोग की अनुमति देगा; बशर्ते कि ऐसी टेलीफोन लाइनों, पानी के पाइपों, बिजली के केबलों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को बिछाने से हवाईअड्डे के प्रचालन पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहां ऐसी पहुँच या उपयोग से रियायतग्राही को कोई वित्तीय नुकसान होता है, तो वह लागू कानूनों के अनुसार स्थल के उपयोगकर्ता से मुआवजे या हर्जाने का भुगतान करने की मांग कर सकता है। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 11.3 के तहत स्थल के उपयोग से रियायतग्राही को इस समझौते के अनुसार हवाईअड्डे का रखरखाव करने के अपने दायित्व से

किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और ऐसे उपयोग से होने वाली किसी भी क्षति को तत्काल ठीक किया जाएगा।

11.3.2 प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही से मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS), पहुँच मार्ग, ओवरब्रिज/अंडरब्रिज, ओवर-पास या अंडर-पास सहित किसी भी संलग्न परिवहन प्रणाली को हवाईअड्डे से जोड़ने की मांग कर सकता है। इसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, स्थल के भीतर आने वाले उसके जोड़ने वाले हिस्से का निर्माण रियायतग्राही द्वारा अनुच्छेद 16 के अनुसार प्राधिकरण की लागत पर किया जाएगा, और उसका रखरखाव रियायतग्राही द्वारा खंड 17.2 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की लागत पर किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, इस खंड 11.3.2 के प्रावधान किसी रेल लिंक पर लागू नहीं होंगे जिसका निर्माण ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जैसा कि पक्षकार परस्पर निर्धारित करें।

आगे बशर्ते कि इस खंड के प्रावधान ऐसी किसी भी उपयोगिता और परिवहन प्रणाली पर लागू नहीं होंगे जो परियोजना के कार्यक्षेत्र (Scope of the Project) में विनिर्दिष्ट की गई हैं, या जो रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

11.4 वृक्षों की कटाई (Felling of trees)

प्राधिकरण इस प्रयोजन हेतु अपने द्वारा पहचाने जाने वाले वृक्षों को काटने के लिए लागू अनुमतियां प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, यदि और केवल यदि ऐसे वृक्ष हवाईअड्डे के निर्माण, प्रचालन या रखरखाव पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव डालते हैं। रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से वृक्षों की कटाई में किसी भी विलंब की स्थिति में, उसे इसके तहत अपने किसी भी दायित्व के निष्पादन में विफलता के लिए क्षम्य माना जाएगा यदि ऐसी विफलता वृक्षों की कटाई में विलंब का प्रत्यक्ष परिणाम है। संदेह निवारण के लिए, वृक्षों की कटाई के संबंध में लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा और उससे प्राप्त होने वाला कोई भी राजस्व प्राधिकरण को दिया जाएगा।

अनुच्छेद 12 (ARTICLE 12)
हवाईअड्डे का निर्माण (CONSTRUCTION OF THE AIRPORT)

12.1 निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व दायित्व (Obligations prior to commencement of construction)

12.1.1 निर्माण कार्य (Construction Works) प्रारंभ करने से पूर्व, रियायतग्राही:

(क) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को अनुसूची-छ में निर्धारित परियोजना पूर्णता अनुसूची (Project Completion Schedule) के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए अपना विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं, और खरीद, इंजीनियरिंग तथा निर्माण समय-सारणी प्रस्तुत करेगा;

(ख) इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्राधिकरण के साथ व्यवहार करने के लिए विधिवत अधिकृत अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा;

(ग) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत और उनके अनुसार निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक या अपेक्षित ऐसे सभी कार्य, विलेख और चीजें करेगा और निष्पादित करेगा; तथा

(घ) लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत और उनके अनुसार हवाईअड्डे के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्खनन (quarrying) और अधिप्राप्ति के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।

12.1.2 रियायतग्राही, टर्मिनल भवन का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व, प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को वास्तुकला संबंधी पैरामीटर, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग (facades), आयाम, डिज़ाइन और निर्माण सामग्री ("वास्तुकला डिज़ाइन" / "Architectural Design") प्रस्तुत करेगा, जिसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति के किसी वास्तुकार (architect) से प्राप्त किया जाएगा।

12.1.3 वास्तुकला डिज़ाइन प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता इसकी समीक्षा करेंगे और विशेष रूप से परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों और मानकों के साथ उनकी अनुरूपता या अन्यथा अथवा उसकी सौंदर्यात्मक गुणवत्ता और पर्यावरण के साथ उसके सामंजस्य के संदर्भ में रियायतग्राही को अपने अवलोकन संप्रेषित करेंगे। यदि प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता के पूर्वोक्त अवलोकन यह दर्शाते हैं कि वास्तुकला डिज़ाइन परियोजना के कार्यक्षेत्र या विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं है अथवा सौंदर्यात्मक गुणवत्ता या पर्यावरण के साथ सामंजस्य में सुधार की आवश्यकता है, तो रियायतग्राही द्वारा इसे संशोधित किया जाएगा और समीक्षा हेतु प्राधिकरण तथा स्वतंत्र अभियंता को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता संशोधित वास्तुकला डिज़ाइन की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर अपने अवलोकन, यदि कोई हों, देंगे।

12.1.4 ऐसी स्थिति में जब खंड 12.1.3 के तहत और उसके अनुसार वास्तुकला डिज़ाइन में किसी संशोधन का निर्धारण किया गया हो, तो वास्तुकला डिज़ाइन को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.1.5 रियायतग्राही इसके अनुसरण में प्रस्तुत वास्तुकला डिज़ाइन पर खंड 12.1.3 में विनिर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से अधिक प्राधिकरण के अवलोकनों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकता है। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता की कोई समीक्षा और/या अवलोकन और/या वास्तुकला डिज़ाइन पर अपने अवलोकन की समीक्षा करने और/या संप्रेषित करने में उनकी विफलता रियायतग्राही को इस समझौते के तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता किसी भी तरह से उसके लिए उत्तरदायी होंगे।

12.1.6 ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, खंड 12.1.2, 12.1.3 और 12.1.5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के पश्चात वास्तुकला डिज़ाइन के किसी भी तत्व को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है, और दूसरे पक्ष को अपने इस आशय की सूचना देता है, तो एक विवाद उत्पन्न हुआ माना जाएगा और उसके समाधान के लिए अनुच्छेद 46 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे; बशर्ते कि खंड 46.3 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थता बोर्ड (Board of Arbitrators) में केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात वास्तुकार ही शामिल होंगे। ऐसे मध्यस्थों को प्राधिकरण द्वारा देय शुल्क की प्रतिपूर्ति, यदि संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, रियायतग्राही द्वारा की जाएगी जो प्रति दिन 5,00,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) की सीमा के अधीन होगी। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि इस खंड 12.1.6 के अनुसरण में किए जाने वाले संशोधनों को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (Change of Scope) माना जाएगा और उन्हें अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न किया जाएगा।

12.2 स्थल हेतु मास्टर प्लान (Master Plan for the Site)

12.2.1 रियायतग्राही हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे का निर्माण और विकास अनुसूची-अमें निर्धारित मास्टर प्लान के अनुसार किया जाए।

12.2.2 रियायतग्राही, प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति से, हवाईअड्डे के भविष्य के विस्तार के लिए निर्धारित किसी भी क्षेत्र का उपयोग हवाईअड्डे के आनुषंगिक या उससे संबद्ध अन्य उद्देश्यों के लिए तब तक कर

सकता है जब तक कि मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट विस्तार के लिए उसकी आवश्यकता न हो, इस शर्त के अधीन कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाओं का ही निर्माण किया जा सकता है और उसका उपयोग हर समय लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप होगा।

12.2.3 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, वैमानिकी सेवाओं में सुधार या वृद्धि करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधनों हेतु प्राधिकरण का अनुमोदन मांग सकता है और इसके तहत कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण यथोचित आवश्यक सीमा तक ऐसा अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

12.3 रेखाचित्र / ड्रॉइंग्स (Drawings)

अनुसूची-जमें निर्धारित हवाईअड्डे के रेखाचित्रों से संबंधित रियायतग्राही के दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा:

(क) रियायतग्राही उचित तत्परता के साथ और ऐसे अनुक्रम में जो परियोजना पूर्णता अनुसूची के अनुरूप हो, सभी रेखाचित्रों की 3 (तीन) प्रतियां समीक्षा हेतु स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा।

(ख) समीक्षा हेतु स्वतंत्र अभियंता को रेखाचित्र प्रस्तुत करके, यह माना जाएगा कि रियायतग्राही ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उसने निर्धारित और सत्यापित कर लिया है कि उससे संबंधित मैदानी निर्माण मानदंडों सहित डिज़ाइन और इंजीनियरिंग परियोजना के कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हैं।

(ग) रेखाचित्रों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता उनकी समीक्षा करेगा और विशेष रूप से परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों और मानकों के साथ उनकी अनुरूपता या अन्यथा के संदर्भ में रियायतग्राही को अपने अवलोकन संप्रेषित करेगा। रियायतग्राही उक्त 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि से अधिक इसके अनुसरण में प्रस्तुत रेखाचित्रों पर स्वतंत्र अभियंता के अवलोकनों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य प्रारंभ या जारी रख सकता है।

(घ) यदि स्वतंत्र अभियंता के पूर्वोक्त अवलोकन यह दर्शाते हैं कि रेखाचित्र परियोजना के कार्यक्षेत्र या विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो रियायतग्राही द्वारा ऐसे रेखाचित्रों को संशोधित किया जाएगा और समीक्षा हेतु स्वतंत्र अभियंता को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता संशोधित रेखाचित्रों की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर अपने अवलोकन, यदि कोई हों, देगा।

(ङ) स्वतंत्र अभियंता की कोई समीक्षा और/या अवलोकन और/या किसी रेखाचित्र पर अपने अवलोकन की समीक्षा करने और/या संप्रेषित करने में उसकी विफलता रियायतग्राही को इस समझौते के तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी और न ही स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण किसी भी तरह से उसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) इस खंड 12.3 के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही रनवे के संरेखण, तैयार रनवे स्तर (finished Runway level), वैमानिकी परिसंपत्तियों और टर्मिनल भवन के स्थान और लेआउट से संबंधित अपने रेखाचित्रों को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण को ऐसे रेखाचित्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हों) प्रदान करने का अधिकार होगा, बाध्यता नहीं। इस खंड 12.3 के प्रावधान इसके तहत समीक्षा और टिप्पणियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(छ) सीओडी (COD) के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही 2 (दो) हार्ड प्रतियों में और इसके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम और तरीके से जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो, 'ऐज़-बिल्ट' रेखाचित्रों (as-built Drawings) का एक पूर्ण सेट प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तव में डिज़ाइन, इंजीनियर और निर्मित हवाईअड्डे को दर्शाया गया हो,

जिसमें हवाईअड्डे के लेआउट और परियोजना सुविधाओं का हिस्सा बनने वाले भवनों और संरचनाओं की सेटबैक लाइनों (यदि कोई हों) को प्रदर्शित करने वाला एक ऐज़-बिल्ट सर्वेक्षण शामिल होगा।

12.4 हवाईअड्डे का निर्माण (Construction of the Airport)

12.4.1 नियत तिथि पर या उसके पश्चात, रियायतग्राही अनुसूची-बऔर अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट अनुसार तथा अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों एवं मास्टर प्लान के अनुरूप हवाईअड्डे का निर्माण कार्य शुरू करेगा। नियत तिथि से 1095वां (एक हजार पचानवेवां) दिन परियोजना के चरण-1 के पूरा होने की अनुसूचित तिथि ("अनुसूचित पूर्णता तिथि" / "Scheduled Completion Date") होगी और रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि हवाईअड्डे का निर्माण अनुसूचित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि परियोजना पूर्णता अनुसूची और अनुसूचित पूर्णता तिथि सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग (Unrestricted Part of City Side Development) पर लागू नहीं होगी।

12.4.2 रियायतग्राही अनुसूची-छमें निर्धारित परियोजना पूर्णता अनुसूची के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण करेगा। ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही अनुसूची-छमें ऐसे परियोजना मील के पत्थर (Project Milestone) के लिए निर्धारित तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर किसी परियोजना मील के पत्थर को प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता अप्रत्याशित घटना के कारण या प्राधिकरण के कारण न हुई हो, तो वह ऐसे परियोजना मील के पत्थर के प्राप्त होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन सुरक्षा की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में प्राधिकरण को हर्जाने (Damages) का भुगतान करेगा; बशर्ते कि यदि इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार किसी या सभी परियोजना मील के पत्थरों या अनुसूचित पूर्णता तिथि को बढ़ाया जाता है, तो अनुसूची-छमें निर्धारित तिथियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस समझौते के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अनुसूची-छको उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया हो; आगे बशर्ते कि यदि सीओडी अनुसूचित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले प्राप्त कर ली जाती है, तो इस खंड 12.4.2 के तहत भुगतान किया गया हर्जाना प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस कर दिया जाएगा, किंतु उस पर किसी ब्याज के बिना। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 12.4.2 के तहत हर्जाने की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें इसकी समाप्ति (Termination) का अधिकार भी शामिल है।

12.4.3 ऐसी स्थिति में जब हवाई अड्डा पूरा नहीं होता है और अनुसूचित पूर्णता तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के भीतर सीओडी घटित नहीं होती है, जब तक कि विलंब प्राधिकरण के कारणों से या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो, तो प्राधिकरण इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

12.5 टर्मिनल भवन का विकास (Development of Terminal Building)

12.5.1 खंड 12.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट अनुसार तथा अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन का विकास करेगा।

12.5.2 टर्मिनल भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन वास्तुकला डिज़ाइन और मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाईअड्डे के समग्र डिज़ाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

12.6 कार पार्क का विकास (Development of Car Park)

12.6.1 खंड 12.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही वाहनों की पार्किंग के लिए अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट अनुसार कार पार्क ("कार पार्क" / "Car Park") का विकास अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ तथा अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप करेगा।

12.6.2 कार पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाईअड्डे के समग्र डिज़ाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

12.7 कार्गो सुविधाओं का विकास (Development of Cargo Facilities)

12.7.1 खंड 12.4 और खंड 21.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट अनुसार तथा अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप कार्गो सुविधाओं का विकास करेगा।

12.7.2 कार्गो सुविधाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाईअड्डे के समग्र डिज़ाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

12.8 हवाईअड्डे का विस्तार (Expansion of the Airport)

12.8.1 अनुसूचित पूर्णता तिथि के बाद किसी भी समय, यदि यथास्थिति, वैमानिकी परिसंपत्तियां, टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियां आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों, उत्तम उद्योग पद्धति और इस समझौते के प्रावधानों द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों से कम पड़ती हैं अथवा किसी भी वर्ष में यात्रियों की वास्तविक संख्या अनुसूची A - अनुबंध II में प्रदान किए गए प्रत्येक चरण के लिए बेंचमार्क किए गए मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष (MPPA) के बराबर या उससे अधिक है, तो रियायतग्राही ऐसी कमी को पूरा करने के लिए अनुसूची A - अनुबंध II के अनुसार अपनी लागत और व्यय पर क्षमता वृद्धि और विस्तार का कार्य करेगा।

12.8.2 इस अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों का विस्तार वास्तुकला डिज़ाइन और मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाईअड्डे के समग्र डिज़ाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में हो। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता, विश्वसनीयता, दक्षता, यात्री सुविधा और सौंदर्यात्मक मूल्य के मामले में ऐसा विकास मौजूदा टर्मिनल भवन से किसी भी प्रकार कमतर न हो।

12.8.3 खंड 12.8.1 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्मित की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त परिसंपत्तियों और सुविधाओं को उस तिथि से, जिस दिन उसमें विनिर्दिष्ट कमी उत्पन्न हुई थी, 3 (तीन) वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और प्रचालन में लाया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, इस खंड 12.8 के तहत निर्मित किसी भी परिसंपत्ति और सुविधा को परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) का हिस्सा माना जाएगा।

12.8.4 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों से संबंधित हैं, हवाईअड्डे के विस्तार पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे, सिवाय इसके जहां इसके संबंध में विपरीत स्पष्ट प्रावधान किए गए हों।

12.9 एमआरओ सुविधाओं का विकास (Development of MRO Facilities)

12.9.1 इस खंड 12.9 और खंड 21.3 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची C में विनिर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ अनुसूची B में विनिर्दिष्ट अनुसार, अनुसूची D में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, सीएआर दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एमआरओ (MRO) सुविधाओं का विकास करेगा।

12.9.2 मास्टर प्लान में एमआरओ सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

12.9.3 एमआरओ सुविधाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधन मास्टर प्लान के अनुसार तथा हवाईअड्डे के समग्र डिज़ाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में होगा।

अनुच्छेद 13 (ARTICLE 13)
निर्माण की निगरानी (MONITORING OF CONSTRUCTION)

13.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट (Monthly progress reports)

निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को निर्माण कार्यों की प्रगति पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और तुरंत ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी देगा जैसा कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा अपेक्षित हो।

13.2 निरीक्षण (Inspection)

निर्माण अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता महीने में कम से कम एक बार हवाईअड्डे का निरीक्षण करेगा और परियोजना पूर्णता अनुसूची, परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों और मानकों के विशेष संदर्भ में दोषों या कमियों (यदि कोई हों) का उचित विस्तार से उल्लेख करते हुए ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट" / "Inspection Report") तैयार करेगा। वह ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा और उसकी प्राप्ति पर, रियायतग्राही निरीक्षण रिपोर्ट में बताए गए दोषों या कमियों (यदि कोई हों) को सुधारेगा और उनका उपचार करेगा। स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऐसा निरीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना किसी भी तरह से रियायतग्राही को इसके तहत उसके दायित्वों और देनदारियों से मुक्त या दोषमुक्त नहीं करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि इस अनुच्छेद 13 के तहत स्वतंत्र अभियंता के कार्यों में सिटी साइड विकास शामिल नहीं होगा।

13.3 परीक्षण (Tests)

13.3.1 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार समय-समय पर स्वतंत्र अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय, आवृत्ति और तरीके से परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहाँ तक संभव हो, उस मात्रा और/या परीक्षणों की संख्या के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा जो ऐसे कार्यों का स्वामी या निर्माता सामान्य रूप से उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार करता है। रियायतग्राही पूरी तत्परता से स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षण करेगा या करवाएगा और उसके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। ऐसे परीक्षणों पर किए गए खर्च का आधा हिस्सा, और स्वतंत्र अभियंता द्वारा उचित प्रमाणित सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति की जाएगी। बशर्ते, तथापि, कि स्वतंत्र अभियंता इसके तहत विनिर्दिष्ट परीक्षणों को संचालित करने के बजाय, अपने विकल्प पर, उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों में से किसी को देखने या उसमें भाग लेने का निर्णय ले सकता है, और ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही इसके तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वतंत्र अभियंता के साथ सहयोग करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, निर्माण में किसी भी दोष या कमी के सुधार को निर्धारित करने

के लिए किए जाने वाले किसी भी परीक्षण पर होने वाला व्यय पूरी तरह से रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।

13.3.2 ऐसी स्थिति में जब इस खंड 13.3 के तहत आयोजित किसी भी परीक्षण के परिणाम निर्माण कार्यों में किसी दोष या कमी को स्थापित करते हैं, तो रियायतग्राही उपचारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में स्वतंत्र अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करने के लिए रियायतग्राही से परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा कि क्या ऐसे उपचारात्मक उपायों ने निर्माण कार्यों को विनिर्देशों और मानकों के अनुपालन में ला दिया है, और इस खंड 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ऐसे निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप न हो जाएं। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 13.3 के अनुसरण में परीक्षण रियायतग्राही द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति रियायतग्राही द्वारा तुरंत स्वतंत्र अभियंता को भेजी जाएगी।

13.4 निर्माण के दौरान विलंब (Delays during construction)

खंड 12.4.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही किसी भी परियोजना मील के पत्थर को प्राप्त नहीं करता है या स्वतंत्र अभियंता ने यथोचित रूप से यह निर्धारित किया है कि निर्माण कार्यों की प्रगति की दर ऐसी है कि हवाई अड्डा अनुसूचित पूर्णता तिथि तक पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह रियायतग्राही को इस आशय की सूचना देगा, और रियायतग्राही ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर एक संचार द्वारा स्वतंत्र अभियंता को उचित विस्तार से उन कदमों के बारे में सूचित करेगा जो वह प्रगति में तेजी लाने के लिए उठाने का प्रस्ताव करता है और उस अवधि के बारे में सूचित करेगा जिसके भीतर वह सीओडी प्राप्त करेगा।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन (Suspension of unsafe Construction Works)

13.5.1 इस आशय की स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही से पूरे या निर्माण कार्यों के किसी भी हिस्से को तत्काल निलंबित करने की मांग कर सकता है यदि प्राधिकरण की उचित राय में, ऐसा कार्य हवाईअड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। बशर्ते, तथापि, कि आपात स्थिति के मामले में, प्राधिकरण स्वप्रेरणा से (suo moto) ऊपर संदर्भित नोटिस जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, खंड 13.5.1 के तहत नोटिस के अनुसरण में, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय और तरीके से निर्माण कार्यों या उसके किसी हिस्से को निलंबित करेगा और उसके पश्चात निलंबित कार्यों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही नोटिस द्वारा स्वतंत्र अभियंता से ऐसे उपचारात्मक उपायों का तत्काल निरीक्षण करने और प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जिसमें यह सिफारिश की गई हो कि क्या इसके तहत निलंबन रद्द किया जा सकता है या नहीं। स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो ऐसे निलंबन को रद्द करेगा या रियायतग्राही को ऐसे अन्य और आगे के उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा जो प्राधिकरण की उचित राय में आवश्यक हों, और इस खंड 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि इसके तहत निलंबन रद्द न हो जाए।

13.5.3 खंड 36.7 के प्रावधानों के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों या उसके हिस्से को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए सभी उचित खर्च ("संरक्षण लागत" / "Preservation Costs") रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे; बशर्ते कि यदि निलंबन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ है, तो संरक्षण लागत प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।

13.5.4 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही के कारण नहीं हैं, तो स्वतंत्र अभियंता परियोजना पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों के किसी भी विस्तार का निर्धारण करेगा जिसके लिए रियायतग्राही यथोचित रूप से हकदार है, और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा जिसके पश्चात प्राधिकरण स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशों के अनुसार ऐसी परियोजना पूर्णता अनुसूची तिथियों का विस्तार करेगा। ऐसी स्थिति में जब अनुसूचित पूर्णता तिथि को इसके अनुसरण में बढ़ाया जाता है, तो रियायत अवधि को अनुसूचित पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया गया माना जाएगा।

13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording)

निर्माण अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकरण को एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क (DVD) या उसके किसी विकल्प में संकलित किया जाएगा, जिसमें उस तिमाही में निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति शामिल होगी। ऐसी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग नियत तिथि के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रदान की जाएगी और उसके बाद प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 14 (ARTICLE 14)
पूर्णता प्रमाणपत्र (COMPLETION CERTIFICATE)

14.1 परीक्षण (Tests)

14.1.1 हवाईअड्डे के संभावित पूर्ण होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को हवाईअड्डे को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करेगा। प्रत्येक परीक्षण की तिथि और समय रियायतग्राही के परामर्श से स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही ऐसी सहायता प्रदान करेगा जिसकी स्वतंत्र अभियंता को परीक्षण आयोजित करने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है। रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता के परीक्षण आयोजित करने की तिथियों पर परस्पर सहमत होने में विफल रहने की स्थिति में, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को कम से कम 10 (दस) दिनों का नोटिस देकर तिथियां तय करेगा, और यदि स्वतंत्र अभियंता इसके तहत परीक्षणों में देरी करता है, तो प्राधिकरण स्वतंत्र अभियंता पर दंडात्मक शास्तियां लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षण समय पर स्वतंत्र अभियंता द्वारा या उसके किसी विकल्प द्वारा पूरे किए जाएं। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस अनुच्छेद 14 के प्रावधान सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण रियायतग्राही की लागत और व्यय पर अनुसूची-झके अनुसार आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता विनिर्देशों और मानकों के साथ हवाईअड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करेगा और यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथोचित रूप से अनुमान लगाया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से का प्रदर्शन विनिर्देशों और मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित करने या विलंबित करने तथा रियायतग्राही से दोषों या कमियों को सुधारने और उनका उपचार करने की मांग करने का अधिकार होगा। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि स्वतंत्र अभियंता विनिर्देशों और मानकों के साथ हवाईअड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अतिरिक्त परीक्षण करने या करवाने की मांग रियायतग्राही से कर सकता है।

14.2 पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate)

निर्माण कार्य पूरा होने पर, और स्वतंत्र अभियंता द्वारा परीक्षणों को सफल निर्धारित करने पर, वह तुरंत रियायतग्राही और प्राधिकरण को काफी हद तक अनुसूची-ञमें निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र ("पूर्णता प्रमाणपत्र" / "Completion Certificate") जारी करेगा।

14.3 अनंतिम प्रमाणपत्र (Provisional Certificate)

14.3.1 स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के अनुरोध पर, काफी हद तक अनुसूची-ञमें निर्धारित प्रारूप में पूर्णता का एक अनंतिम प्रमाणपत्र ("अनंतिम प्रमाणपत्र" / "Provisional Certificate") जारी कर सकता है यदि परीक्षण सफल रहे हों और हवाईअड्डे को सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में रखा जा सकता हो, यद्यपि उसका हिस्सा बनने वाले कतिपय कार्य या चीजें बकाया हैं और अभी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में, अनंतिम प्रमाणपत्र के साथ स्वतंत्र अभियंता और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित बकाया मदों की एक सूची ("पंच सूची" / "Punch List") संलग्न होगी; बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता किसी भी कार्य के अपूर्ण रहने के कारण अनंतिम प्रमाणपत्र को नहीं रोकेगा यदि उसके पूरा होने में देरी प्राधिकरण के कारण हुई है।

14.3.2 इसके पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि इस खंड 14.3 के तहत एक अनंतिम प्रमाणपत्र, इस आशय के रियायतग्राही के अनुरोध पर, हवाईअड्डे के हिस्से के प्रचालन के लिए जारी किया जा सकता है, यदि इसे खंड 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में रखा जा सकता है। ऐसा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी होने पर, इस समझौते के प्रावधान हवाईअड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से पर लागू होंगे, और हवाईअड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। रियायतग्राही निर्धारित अवधि के भीतर पंच सूची की मदों को पूरा करने और लागू कानूनों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.4 पंच सूची मदों की पूर्णता (Completion of Punch List items)

14.4.1 पंच सूची की सभी मदें अनंतिम प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाएंगी और उसके बाद किसी भी विलंब के लिए, केवल प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारणों के अलावा, प्राधिकरण रियायतग्राही से हर्जाना वसूलने का हकदार होगा जिसकी गणना और भुगतान सभी मदों के पूरा होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए किया जाएगा, जो (क) निष्पादन सुरक्षा का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), और (ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसी मदों को पूरा करने की लागत का 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत), इनमें से जो भी कम हो, की दर से होगा। ऐसे हर्जाने के भुगतान के अधीन, रियायतग्राही पंच सूची की मदों को पूरा करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि किसी मद के पूरा होने में केवल प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण देरी होती है, तो उसके पूरा होने की तिथि स्वतंत्र अभियंता द्वारा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार निर्धारित की जाएगी, और ऐसी पूर्णता तिथि को इस खंड 14.4.1 के तहत ऐसी मद के लिए देय हर्जाने (यदि कोई हो) के प्रयोजनों के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि माना जाएगा।

14.4.2 पंच सूची की सभी मदों के पूरा होने पर, स्वतंत्र अभियंता पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करेगा। अप्रत्याशित घटना का गठन करने वाली परिस्थितियों या केवल प्राधिकरण के कारणों के अलावा किसी भी कारण से खंड 14.4.1 में निर्धारित समय के भीतर पंच सूची की सभी मदों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता प्राधिकरण को इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार देगी।

14.5 अनंतिम या पूर्णता प्रमाणपत्र को रोकना (Withholding of Provisional or Completion Certificate)

14.5.1 यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डा या उसका कोई हिस्सा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं रखा जा सकता है, तो वह तुरंत इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा। स्वतंत्र अभियंता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपना स्वयं का निरीक्षण करने के बाद, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि हवाई अड्डा वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है, तो वह पूर्वोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को हवाईअड्डे में दोषों और कमियों के बारे में सूचित करेगा और स्वतंत्र अभियंता को अनंतिम प्रमाणपत्र या पूर्णता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी करने से रोकने का निर्देश देगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही ऐसे दोषों या कमियों का समाधान और सुधार करेगा और उसके पश्चात इस अनुच्छेद 14 के अनुसार परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया आवश्यकतानुसार तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दोषों या कमियों को ठीक न कर दिया जाए।

14.5.2 खंड 14.5.1 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उस खंड के तहत स्वतंत्र अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किसी भी समय स्वतंत्र अभियंता को खंड 14.3 या खंड 14.2 के तहत अनंतिम प्रमाणपत्र या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दे सकता है, और ऐसे निर्देश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण (Rescheduling of Tests)

यदि स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को प्रमाणित करता है कि वह उन घटनाओं या परिस्थितियों के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी करने में असमर्थ है जिनके कारण परीक्षणों को निलंबित किया जा सका या करना पड़ा, तो रियायतग्राही परीक्षणों को पुनर्निर्धारित करने और यथोचित व्यावहारिक रूप से शीघ्र उन्हें आयोजित करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 15 (ARTICLE 15)
वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश (ENTRY INTO COMMERCIAL SERVICE)

15.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि (COD) (Commercial Operation Date)

15.1.1 हवाईअड्डे को तब पूर्ण माना जाएगा जब अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाता है, और तदनुसार हवाईअड्डे की वाणिज्यिक परिचालन तिथि वह तिथि होगी जिस दिन ऐसा पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और रियायतग्राही ने हवाईअड्डे के प्रचालन के लिए डीजीसीए से लाइसेंस सहित लागू अनुमतियां प्राप्त कर ली हों ("सीओडी" / "COD")। हवाई अड्डा सीओडी पर वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करेगा जिसके पश्चात रियायतग्राही अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क (Fee) की मांग करने और एकत्र करने का हकदार होगा।

15.1.2 ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी होने के बाद हवाईअड्डे के वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश को रोकता है, या रुकवाता है, या किसी भी तरीके से विलंबित करता है, अथवा जहां स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, के किसी कारण से स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने में ऐसा विलंब होता है, तो रियायतग्राही सीओडी घोषित कर सकता है और तुरंत प्राधिकरण को सूचित कर सकता है। इसके तहत सीओडी की घोषणा से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

15.2 विलंब हेतु हर्जाना (Damages for delay)

खंड 12.4 के प्रावधानों के अधीन, यदि सीओडी अनुसूचित पूर्णता तिथि के बाद 91वें (इक्यानवेवें) दिन से पहले घटित नहीं होती है, जब तक कि विलंब प्राधिकरण के कारणों से या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो, तो रियायतग्राही सीओडी प्राप्त होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन सुरक्षा की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में प्राधिकरण को हर्जाने (Damages) का भुगतान करेगा।

अनुच्छेद 16 (ARTICLE 16)
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (CHANGE OF SCOPE)

16.1 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (Change of Scope)

16.1.1 प्राधिकरण, इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 16.1.4 के प्रावधानों के अधीन, अतिरिक्त कार्यों और सेवाओं के प्रावधान की मांग कर सकता है जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं ("कार्यक्षेत्र में परिवर्तन" / "Change of Scope")। ऐसा कोई भी कार्यक्षेत्र परिवर्तन इस अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और उसकी लागत रियायतग्राही द्वारा खर्च की जाएगी और खंड 16.3 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी।

16.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन पर विचार करने की मांग करेगा। प्राधिकरण ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, संशोधनों (यदि कोई हों) के साथ ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन को स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 16 के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा अथवा रियायतग्राही को ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन को स्वीकार न करने के अपने कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

16.1.3 कोई भी कार्य या सेवाएं जो इस अनुच्छेद 16 के तहत और इसके अनुसार प्रदान की जाती हैं, वे हवाईअड्डे का हिस्सा बनेंगी और इस समझौते के प्रावधान ऐसे कार्यों या सेवाओं पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16.1.4 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि हवाईअड्डे का कोई भी विस्तार, जिसमें वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का विस्तार शामिल है, जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा नहीं होगा और रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किया जाएगा।

16.1.5 यदि कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश के कारण किया गया पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) टैरिफ के निर्धारण के लिए एईआरए (AERA) द्वारा स्वीकार और विचार किया जाता है, तो ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश के कार्यान्वयन के लिए सभी व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके अलावा यदि रियायतग्राही ने कार्यक्षेत्र परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण से कोई भुगतान प्राप्त किया है और कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश को टैरिफ के निर्धारण के लिए एईआरए द्वारा स्वीकार और विचार किया जाता है, तो रियायतग्राही टैरिफ के निर्धारण के लिए एईआरए द्वारा ऐसे पूंजीगत व्यय को स्वीकार करने के 60 (साठ) दिनों के भीतर ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन के लिए प्राधिकरण से प्राप्त राशियों को वापस कर देगा।

16.2 कार्यक्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया (Procedure for Change of Scope)

16.2.1 प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किए जाने की स्थिति में कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, वह रियायतग्राही को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसके तहत परिकल्पित कार्यों और सेवाओं का उचित विस्तार से उल्लेख होगा ("कार्यक्षेत्र परिवर्तन नोटिस" / "Change of Scope Notice")।

16.2.2 कार्यक्षेत्र परिवर्तन नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही पूरी तत्परता से प्राधिकरण को 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, जिसके समर्थन में प्रारंभिक दस्तावेज़ संलग्न होंगे:

(क) यदि निर्माण अवधि के दौरान कार्यों या सेवाओं को पूरा करने की आवश्यकता है, तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का परियोजना पूर्णता अनुसूची पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो; तथा

(ख) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र परिवर्तन को लागू करने के विकल्प और प्रत्येक ऐसे विकल्प का लागत और समय पर प्रभाव, यदि कोई हो, जिसमें कार्य वर्गीकरण द्वारा एक विस्तृत विवरण शामिल होगा जिसमें प्राधिकरण द्वारा अपने ठेकेदारों को सौंपे गए कार्यों पर लागू दरों की अनुसूची के अनुसार परिकलित सामग्री और श्रम लागत विनिर्दिष्ट होगी, साथ ही ऐसी दरों पर प्रस्तावित प्रीमियम/छूट भी शामिल होगी; बशर्ते कि ऐसी जानकारी प्रदान करने में रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा उस सीमा तक की जाएगी जिस सीमा तक ऐसी लागत को स्वतंत्र अभियंता द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो।

16.2.3 खंड 16.2.2 में निर्धारित जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण कार्यक्षेत्र परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह रियायतग्राही को अपने पसंदीदा विकल्प से अवगत कराएगा, और पक्षकार स्वतंत्र अभियंता की सहायता से उसके कार्यान्वयन के लिए समय और लागत पर सहमत होने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। किसी समझौते पर पहुँचने पर, प्राधिकरण एक आदेश ("कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश" / "Change of Scope Order") जारी करेगा जिसमें रियायतग्राही से उसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की मांग की जाएगी। यदि पक्षकार सहमत होने में असमर्थ हैं, तो प्राधिकरण कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी करके विवाद के समाधान तक रियायतग्राही से उसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की मांग कर सकता है, या खंड 16.5 के अनुसार कार्यों को संपन्न कर सकता है।

16.2.4 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 16 के तहत रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16.3 कार्यक्षेत्र परिवर्तन हेतु भुगतान (Payment for Change of Scope)

कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी करने के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही को इसके तहत सहमत कार्यक्षेत्र परिवर्तन की लागत के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का अग्रिम भुगतान करेगा, और विवाद की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता द्वारा आकलित लागत का 20% (बीस प्रतिशत) भुगतान करेगा। रियायतग्राही कार्य प्रारंभ करने के पश्चात, प्रगतिरत कार्यों या पूर्ण हो चुके कार्यों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में भुगतान हेतु बिल प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसके समर्थन में ऐसे दस्तावेज़ संलग्न होंगे जो प्राधिकरण द्वारा उनकी सटीकता का निर्धारण करने के लिए यथोचित पर्याप्त हों। ऐसे बिल प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही को ऐसी राशियों का संवितरण करेगा जो स्वतंत्र अभियंता द्वारा उचित प्रमाणित की गई हों और इसके तहत किए गए अग्रिम भुगतान के लिए आनुपातिक कटौती करने के बाद, तथा किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका अंतिम समायोजन विवाद समाधान प्रक्रिया के तहत और उसके अनुसार किया जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि प्राधिकरण इसके तहत भुगतान करने के बजाय, खंड 32.5 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा भुगतान करवा सकता है।

16.4 कतिपय कार्यों पर प्रतिबंध (Restrictions on certain works)

16.4.1 इस अनुच्छेद 16 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 16.4.2 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण रियायतग्राही से किसी भी कार्य या सेवा को करने की मांग नहीं करेगा यदि ऐसे कार्यों या सेवाओं से अनुसूचित पूर्णता तिथि तक हवाईअड्डे के पूरा होने में विलंब होने की संभावना है; बशर्ते कि यदि प्राधिकरण ऐसे कार्यों या सेवाओं को आवश्यक मानता है, तो वह कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसे आदेश का हिस्सा बनने वाले या उससे प्रभावित कार्यों को हवाईअड्डे के पूरा होने का निर्धारण करने और अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

16.4.2 इस अनुच्छेद 16 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही किसी भी कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश को अमान्य (nullify) करने का हकदार होगा यदि इसके कारण सभी कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेशों से संबंधित संचयी लागत ऐसे कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश की तिथि से ठीक पहले 3 (तीन) वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि में कुल परियोजना लागत के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक हो जाती है या यदि ऐसी संचयी लागत रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय कुल परियोजना लागत के 25% (पच्चीस प्रतिशत) से अधिक हो जाती है।

16.5 कार्य करने की प्राधिकरण की शक्ति (Power of the Authority to undertake works)

16.5.1 खंड 16.1.1 और 16.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायतग्राही को नोटिस देने और उसके उत्तर पर विचार करने के बाद, खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खंड 16.1.1 के तहत परिकल्पित कोई भी कार्य या सेवाएं सौंप सकता है; बशर्ते कि रियायतग्राही के पास चयन मानदंडों के संदर्भ में प्रथम रैंक वाली बोली से मिलान करने का विकल्प होगा, जो प्राधिकरण को बोली राशि के 2.5% (दो दशमलव पांच प्रतिशत) के भुगतान के अधीन होगा, और उसके पश्चात ऐसे कार्यों या सेवाओं का आवंटन सुरक्षित करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही ऐसे विकल्प का प्रयोग करने का हकदार केवल तभी होगा जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली प्रथम रैंक वाली बोली से 10% (दस प्रतिशत) से अधिक न हो। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही इसके तहत कार्यों या सेवाओं को करने वाले व्यक्ति को पहुँच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, प्राधिकरण स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह इस खंड 16.5.1 के तहत कोई भी कार्य या सेवाएं नहीं करेगा यदि ऐसे कार्यों या सेवाओं से रियायतग्राही पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ता है।

16.5.2 इस खंड 16.5 के अनुसार किए गए कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगे और इस तरह से किए जाएंगे जिससे हवाईअड्डे के प्रचालन और प्रबंधन में व्यवधान न्यूनतम हो। इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस खंड 16.5 के तहत किए गए कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16.6 परियोजना के कार्यक्षेत्र में कमी (Reduction in Scope of the Project)

16.6.1 यदि रियायतग्राही अप्रत्याशित घटना के कारण या प्राधिकरण के कारणों से किसी भी निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल रहा है, तो प्राधिकरण अपने विवेक से, रियायतग्राही से उससे बची हुई राशि का 80% (अस्सी प्रतिशत) भुगतान करने की मांग कर सकता है, और प्राधिकरण को ऐसे भुगतान पर, ऐसे कार्यों के संबंध में रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा माना जाएगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि परियोजना के कार्यक्षेत्र में ऐसी कमी से रियायतग्राही के कर-पश्चात शुद्ध प्रतिफल (net after-tax return) में कमी आती है या आएगी, तो पक्षकार यथासंभव शीघ्र बैठक करेंगे और पूर्वोक्त 80% (अस्सी प्रतिशत) के भुगतान की पूर्ण या आंशिक छूट पर सहमत होंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जैसी स्थिति का उसने आनंद लिया होता

यदि परियोजना के कार्यक्षेत्र में कोई कमी न होती। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 16.6 के तहत प्राधिकरण का दायित्व पूर्वोक्त 80% (अस्सी प्रतिशत) की छूट से आगे नहीं बढ़ेगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि किसी विवाद की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

16.6.2 इस खंड 16.6 के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्धारण करने के लिए, खंड 16.1, 16.2 और 16.4 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे, और इसके तहत प्राधिकरण द्वारा कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी होने पर, रियायतग्राही उसमें विनिर्दिष्ट राशि का तत्काल भुगतान करेगा।

अनुच्छेद 17 (ARTICLE 17)
प्रचालन और रखरखाव (OPERATION AND MAINTENANCE)

17.1 रियायतग्राही के O&M दायित्व (O&M obligations of the Concessionaire)

17.1.1 परिचालन अवधि के दौरान, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार या तो स्वयं, या ओएंडएम ठेकेदारों (O&M Contractors) के माध्यम से हवाईअड्डे का प्रचालन और रखरखाव करेगा और यदि आवश्यक हो, तो इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करने तथा विनिर्देशों और मानकों एवं उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप होने के लिए हवाईअड्डे में संशोधन, मरम्मत या अन्यथा सुधार करेगा। इसके तहत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सामान्य परिचालन स्थितियों के दौरान हवाईअड्डे पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध आवाजाही तथा यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें उसके नुकसान या क्षति की रोकथाम शामिल है;

(ख) शुल्क (Fee) का संग्रह और विनियोग करना;

(ग) एक त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करके और राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखकर हवाईअड्डे की सुरक्षा और उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की स्थिति में उपयोगकर्ताओं की आवाजाही और यातायात के प्रवाह में व्यवधान को कम करना;

(घ) हवाईअड्डे का आवधिक निवारक रखरखाव (periodic preventive maintenance) करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और पहुँच क्षेत्रों सहित वैमानिकी परिसंपत्तियों का रखरखाव और प्रचालन लागू कानूनों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाए;

(च) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, जिसमें रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉपवे और आरईएसए (RESA - रनवे एंड सेफ्टी एरिया) तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर शामिल हैं, का रखरखाव लागू कानूनों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाए;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि हवाईअड्डे की बाधा परिसीमा सतहों (obstacle limitation surfaces) तथा पहुँच और उड़ान भरने (टेक-ऑफ) क्षेत्रों को बाधाओं से मुक्त रखा जाए या यह कि बाधाएं लागू कानूनों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में विनिर्दिष्ट अनुमेय सीमाओं तक सीमित हों;

(ज) नियमित रखरखाव करना जिसमें दरारों, जोड़ों, जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, फुटपाथ चिह्नों, सिग्नलिंग प्रणालियों, संचार प्रणालियों, प्रकाश व्यवस्था, सड़क संकेतों और अन्य उपकरणों की तत्काल मरम्मत शामिल है;

(झ) प्रमुख रखरखाव करना जैसे संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों की मरम्मत और नवीनीकरण, सिग्नलिंग और संचार प्रणाली तथा उपकरणों की प्रमुख ओवरहालिंग;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि सीएनएस/एटीएम उपकरणों और सुविधाओं के प्रचालन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए और ऐसी किसी भी बाधा की अनुमति न दी जाए जो इन उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा या कामकाज में बाधा डाल सकती है या विमान प्रचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि परिचालन क्षेत्रों, रनवे और टैक्सीवे के आसपास पक्षियों और जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त व्यवस्था और सावधानियां बरती जाएं;

(ठ) लागू कानूनों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम (Airfield Lighting System) तथा मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करना;

(ड) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, हवाईअड्डे पर किसी भी अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;

(ढ) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा उसके लिए उपकरण और सामग्री का प्रावधान;

(ण) वैमानिकी और गैर-वैमानिकी सेवाओं के कुशल प्रचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का प्रचालन और रखरखाव;

(त) उपयोगकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों, मीडिया और अन्य एजेंसियों के सुझावों पर ध्यान देने और उनके साथ समन्वय के लिए एक जनसंपर्क इकाई बनाए रखना;

(थ) अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना;

(द) उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार और निष्ठापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक सभी परियोजना परिसंपत्तियों का प्रचालन और रखरखाव;

(ध) हवाईअड्डे के प्रचालन में समय की पाबंदी और विश्वसनीयता बनाए रखना;

(न) हवाईअड्डे पर स्वच्छता और स्वच्छता का उच्च स्तर बनाए रखना; तथा

(प) प्रासंगिक आईसीएओ मानकों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अग्नि सावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना।

17.1.2 रियायतग्राही हवाईअड्डे से सभी अतिरिक्त निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट सामग्री (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), कचरा और अन्य मलबा (दुर्घटना मलबे सहित बिना किसी सीमा के) तुरंत हटा देगा और हवाईअड्डे को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और व्यवस्थित स्थिति में रखेगा, तथा लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप रखेगा।

17.1.3 रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप, पहुँच मार्गों, ओवर-ब्रिज/अंडर-ब्रिज, ओवर-पास, अंडर-पास या स्थल पर स्थित किंतु हवाईअड्डे का हिस्सा न बनने वाली अन्य संरचनाओं के सभी हिस्सों का रखरखाव करेगा।

17.2 रखरखाव आवश्यकताएं (Maintenance Requirements)

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन अवधि के दौरान हर समय हवाई अड्डा अनुसूची-टमें निर्धारित रखरखाव आवश्यकताओं ("रखरखाव आवश्यकताएं" / "Maintenance Requirements") के अनुरूप हो।

17.3 रखरखाव नियमावली (Maintenance Manual)

17.3.1 अनुसूचित पूर्णता तिथि से कम से कम 90 (नब्बे) दिन पूर्व, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से, विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों, समय-समय पर डीजीसीए द्वारा अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हवाईअड्डे के नियमित और निवारक रखरखाव के लिए एक मरम्मत, प्रचालन और रखरखाव नियमावली ("रखरखाव नियमावली" / "Maintenance Manual") विकसित करेगा, और उसकी 5 (पांच) प्रतियां प्राधिकरण को तथा 2 (दो) प्रतियां स्वतंत्र अभियंता को प्रदान करेगा। रखरखाव नियमावली को प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और इस खंड 17.3 के प्रावधान ऐसे संशोधन पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। संदेह निवारण के लिए, इस खंड 17.3 के प्रावधान सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग पर लागू नहीं होंगे।

17.3.2 खंड 17.3.1 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रखरखाव नियमावली में विशेष रूप से परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव के प्रावधान शामिल होंगे और इसमें जीवन चक्र रखरखाव, नियमित रखरखाव और प्रतिक्रियाशील रखरखाव का प्रावधान होगा जो परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है, जिसमें उनका प्रतिस्थापन भी शामिल है, ताकि उनकी समग्र स्थिति उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हो।

17.4 रखरखाव कार्यक्रम (Maintenance Programme)

17.4.1 सीओडी पर या उससे पहले और परिचालन अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पूर्व, यथास्थिति, रियायतग्राही रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए निवारक, अत्यावश्यक और अन्य अनुसूचित रखरखाव का अपना प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम ("रखरखाव कार्यक्रम" / "Maintenance Programme") प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रदान करेगा। ऐसे रखरखाव कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) निवारक रखरखाव अनुसूची;

(ख) तत्काल मरम्मत करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं;

(ग) रखरखाव की जरूरतों को तय करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड;

(घ) हवाईअड्डे के सभी तत्वों का निरीक्षण करने के लिए अंतराल और प्रक्रियाएं;

(ङ) अंतराल जिस पर रियायतग्राही आवधिक रखरखाव करेगा;

(च) सुरक्षा संबंधी उपायों को पूरा करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं; तथा

(छ) प्रमुख रखरखाव कार्यों के लिए अंतराल और उसका कार्यक्षेत्र।

17.4.2 रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता उसकी समीक्षा करेगा और विशेष रूप से रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता के संदर्भ में रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां संप्रेषित करेगा।

17.4.3 रियायतग्राही परिस्थितियों में यथोचित रूप से रखरखाव कार्यक्रम को संशोधित कर सकता है, और खंड 17.4.1 और 17.4.2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे संशोधनों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

17.5 सुरक्षा, ब्रेकडाउन और दुर्घटनाएं (Safety, breakdowns and accidents)

17.5.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित स्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को नुकसान, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, ब्रेकडाउन और दुर्घटनाओं की स्थिति में, वह प्रासंगिक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बिना किसी देरी के बाधाओं और मलबे

को हटाने का कार्य करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप होंगी।

17.5.2 हवाईअड्डे पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी विशेष घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी और इसमें मलबे या किसी अन्य बाधा को तुरंत हटाना भी शामिल होगा, जो उपयोगकर्ताओं की सुचारू आवाजाही और यातायात के प्रवाह को खतरे में डाल सकती है या बाधित कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए, वह बचाव उपकरणों से युक्त चौबीसों घंटे 2 (दो) बचाव वाहनों का रखरखाव और प्रचालन करेगा तथा वाहनों को इस तरह से तैनात करेगा जिससे दुर्घटना स्थल तक त्वरित पहुँच संभव हो सके।

17.6 आपातकाल के कारण सेवामुक्ति (De-commissioning due to Emergency)

17.6.1 यदि रियायतग्राही की उचित राय में, कोई ऐसा आपातकाल (Emergency) मौजूद है जो पूरे या हवाईअड्डे के किसी हिस्से को सेवामुक्त करने और बंद करने की मांग करता है, तो रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए पूरे या हवाईअड्डे के किसी हिस्से को तब तक सेवामुक्त और बंद करने का हकदार होगा जब तक कि ऐसा आपातकाल और उसके परिणाम आवश्यक बनाते हैं; बशर्ते कि ऐसी सेवामुक्ति और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को दी जाएगी, और रियायतग्राही ऐसे आपातकाल से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी उचित निर्देश का तत्परता से पालन करेगा।

17.6.2 रियायतग्राही हवाईअड्डे या उसके प्रभावित हिस्से को सेवामुक्त करने और बंद करने की परिस्थितियों के समाप्त होने या कम होने के बाद यथोचित रूप से शीघ्र पुनः चालू करेगा ताकि रियायतग्राही हवाईअड्डे को पुनः चालू करने में सक्षम हो सके और बिना किसी देरी के प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

17.6.3 हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से की किसी भी सेवामुक्ति या बंदी और उसके पुनः चालू होने की सूचना सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के संज्ञान में यथोचित रूप से शीघ्र लाई जाएगी।

17.6.4 किसी आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के कारणों से हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से के सेवामुक्त होने या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय और भुगतान योग्य नहीं होगा।

17.7 खंड बंदी (Section closure)

17.7.1 खंड 17.6 में दिए गए प्रावधानों के सिवाय, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, रखरखाव कार्यक्रम का हिस्सा न बनने वाले रखरखाव या मरम्मत कार्यों को करने के लिए हवाईअड्डे के किसी भी खंड को बंद नहीं करेगा। ऐसा अनुमोदन रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता को किए जाने वाले एक लिखित अनुरोध के माध्यम से मांगा जाएगा, और उसकी एक प्रति ऐसे खंड के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके साथ उसके विवरण संलग्न होंगे। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता रखरखाव नियमावली और रखरखाव कार्यक्रम के अनुरूप ऐसे संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान करेगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे तथा ऐसी अनुमति की एक प्रति प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

17.7.2 खंड 17.7.1 के प्रावधान खंड 17.6.1 के तहत सेवामुक्ति पर या इस प्रयोजन के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऑफ-पीक अवधि (Off-Peak Period) के रूप में विनिर्दिष्ट दिन के किसी भी समय एक दिन में 6 (छह) घंटे से अनधिक अवधि के लिए हवाईअड्डे के किसी भी खंड को बंद करने पर लागू नहीं होंगे।

17.7.3 खंड 17.7.1 के अनुसरण में अनुमति प्राप्त होने पर, रियायतग्राही उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट खंड को बंद करने का हकदार होगा, और ऐसे खंड को फिर से खोलने में किसी भी विलंब की स्थिति में, रियायतग्राही उस खंड के लिए यातायात हेतु फिर से खोले जाने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए उस खंड के औसत दैनिक राजस्व (Average Daily Revenue) के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जाने का भुगतान प्राधिकरण को करेगा।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 66-67]

17.8 रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन हेतु हर्जाना (Damages for breach of maintenance obligations)

17.8.1 ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही रखरखाव आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी दोष या कमी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधारने या ठीक करने में विफल रहता है, तो उसे इस समझौते के उल्लंघन में माना जाएगा और प्राधिकरण हर्जाना वसूलने का हकदार होगा, जिसकी गणना और भुगतान उल्लंघन के ठीक होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए किया जाएगा, जो (क) औसत दैनिक राजस्व का 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत), और (ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसी मरम्मत या सुधार की लागत का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से होगा। ऐसे हर्जाने की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें इसकी समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

17.8.2 खंड 17.8.1 में निर्धारित हर्जाना स्वतंत्र अभियंता द्वारा तत्काल आकलित और विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; बशर्ते कि प्राधिकरण अपने विवेक से हर्जाने के रूप में एक छोटी राशि की मांग कर सकता है, यदि उसकी राय में, उल्लंघन को तुरंत ठीक कर दिया गया है और रियायतग्राही अन्यथा इसके तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में है। रियायतग्राही ऐसे हर्जाने का तत्काल भुगतान करेगा और यदि वह ऐसे हर्जाने का विरोध करता है, तो विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

17.9 उपचारात्मक उपाय करने का प्राधिकरण का अधिकार (Authority's right to take remedial measures)

17.9.1 ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही, यथास्थिति, रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली या रखरखाव कार्यक्रम के अनुरूप हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से का रखरखाव और/या मरम्मत नहीं करता है, और O&M निरीक्षण रिपोर्ट या इस संबंध में प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता से नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है, रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर ऐसे उपचारात्मक उपाय करने और रियायतग्राही से उसकी लागत वसूलने का हकदार होगा। पूर्वोक्त लागत की वसूली के अतिरिक्त, ऐसी लागत के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को हर्जाने के रूप में किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, इस खंड 17.9.1 के तहत प्राधिकरण का अधिकार खंड 17.8 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

17.9.2 प्राधिकरण को खंड 17.9.1 में विनिर्दिष्ट लागत और हर्जाने को सीधे एस्क्रो खाते से वसूलने का अधिकार होगा, और रियायतग्राही स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को यह अधिकार प्रदान करता है, मानो ऐसी लागत और हर्जाना O&M व्यय थे, और उस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही इस खंड 17.9.2 के तहत प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एस्क्रो खाते से भुगतान करने और उसे O&M व्यय में डेबिट करने के लिए एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देने पर सहमत होता है।

17.10 प्राधिकरण की सर्वोपरि शक्तियां (Overriding powers of the Authority)

17.10.1 यदि प्राधिकरण की उचित राय में, रियायतग्राही इस समझौते के तहत और विशेष रूप से रखरखाव आवश्यकताओं के तहत अपने दायित्वों के महत्वपूर्ण उल्लंघन में है, और ऐसा उल्लंघन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण कठिनाई या खतरे का कारण बन रहा है या बनने की संभावना है, तो प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है, नोटिस द्वारा रियायतग्राही से ऐसी कठिनाई या खतरे, जैसा भी मामला हो, को सुधारने या दूर करने के लिए तुरंत उचित उपाय करने की मांग कर सकता है।

17.10.2 ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही, खंड 17.10.1 के तहत नोटिस मिलने पर, उचित अवधि के भीतर किसी कठिनाई या खतरे को सुधारने या दूर करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस खंड 17.10.2 के तहत सर्वोपरि शक्तियों (overriding powers) का प्रयोग कर सकता है और ऐसी कठिनाई या खतरे को सुधारने या दूर करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को अपने हाथ में ले सकता है; बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी सर्वोपरि शक्तियों का प्रयोग इसके तहत यथोचित आवश्यक सीमा से अधिक व्यापक और लंबी अवधि का नहीं होगा; आगे बशर्ते कि इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी खर्च और व्यय को O&M व्यय माना जाएगा, और प्राधिकरण उसमें विनिर्दिष्ट हर्जाने के साथ खंड 17.9 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूलने का हकदार होगा।

17.10.3 राष्ट्रीय आपातकाल, नागरिक अशांति या खंड 36.3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कृत्य की स्थिति में, प्राधिकरण अपने द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को अपने हाथ में ले सकता है, या किसी नामित भारत सरकार एजेंसी को अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, और हवाईअड्डे पर ऐसा नियंत्रण कर सकता है या रियायतग्राही को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा आवश्यक समझा जाए; बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी सर्वोपरि शक्तियों का प्रयोग उन परिस्थितियों में यथोचित आवश्यक सीमा से अधिक व्यापक और लंबी अवधि का नहीं होगा जिनके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग किया गया था। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि ऐसी कार्रवाई के परिणामों से अनुच्छेद 36 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। यह भी सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जैसा कि प्राधिकरण इस खंड 17.10 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी कर सकता है, और इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

17.11 हवाईअड्डे के नुकसान या क्षति की पुनर्स्थापना (Restoration of loss or damage to the Airport)

इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, यदि रियायत अवधि के दौरान किसी भी कारण से हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो रियायतग्राही अपनी लागत और व्यय पर ऐसे नुकसान या क्षति का तत्काल सुधार और उपचार करेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हो जाए।

17.12 हवाईअड्डे में संशोधन (Modifications to the Airport)

17.12.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं करेगा, सिवाय इसके जहां ऐसे संशोधन हवाईअड्डे के लिए मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, उत्तम उद्योग पद्धति, लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होने के लिए आवश्यक हों; बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उनके विवरण

के साथ प्रस्तावित संशोधनों के बारे में स्वतंत्र अभियंता को सूचित करेगा और रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर स्वतंत्र अभियंता द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सुझाव पर यथोचित विचार करेगा। संदेह निवारण के लिए, इसके तहत किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, उत्तम उद्योग पद्धति और इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

17.12.2 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, हवाईअड्डे के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

17.13 दायित्वों के निष्पादन से छूट (Excuse from performance of obligations)

रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसी के कारण हवाईअड्डे का कोई हिस्सा उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की कोई घटना;

(ख) हवाईअड्डे के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, सिवाय इसके जब असुरक्षित स्थितियां इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण उत्पन्न हुई हों; या

(ग) प्राधिकरण से किसी अनुरोध या किसी सरकारी तंत्र के निर्देशों का अनुपालन, जिसका प्रभाव पूरे हवाईअड्डे या उसके किसी हिस्से को बंद करने का हो।

बशर्ते कि ऐसी किसी भी अनुपलब्धता और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना किसी विलंब के प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को दी जाएगी;

बशर्ते कि रियायतग्राही हवाईअड्डे के सभी अप्रभावित हिस्सों को यातायात के लिए खुला रखेगा, बशर्ते उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

17.14 बाधाएं और मार्ग परिवर्तन (Barriers and diversions)

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन अवधि (Operation Period) के दौरान, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा हवाईअड्डे पर कोई बाधा स्थापित या रखी न जाए। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम प्रयास भी करेगा कि आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, कोई भी सरकारी तंत्र ऐसा कोई मार्ग परिवर्तन (diversions) न करे या न कराए, या हवाईअड्डे के पहुँच मार्गों को बंद न करे जिससे हवाईअड्डे तक आने-जाने में कोई प्रतिकूल तात्विक प्रभाव (material adverse effect) पड़ सकता हो।

17.15 रक्षा बलों द्वारा हवाईअड्डे का उपयोग (Use of Airport by Defence Forces)

17.15.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों (Defence Forces) को लागू कानूनों के अनुसार लागू प्रभारों के भुगतान पर, किसी भी प्रकृति के किसी भी प्रतिबंध या बाधा के बिना, हर समय हवाईअड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

17.15.2 खंड 17.15.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी आपातकाल के दौरान हवाई क्षेत्र के आवंटन और उसे बंद करने तथा हवाईअड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्वों का निर्धारण भारत सरकार (GOI) द्वारा किया जाएगा, और उस सीमा तक, रियायतग्राही हवाईअड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त होगा।

17.15.3 रियायतग्राही मास्टर प्लान में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित क्षेत्र में या उसके निकट रक्षा बलों के 2 (दो) विमानों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा। रक्षा बलों को अपनी लागत पर

निर्धारित क्षेत्र के भीतर अपने उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। रियायतग्राही हवाईअड्डे पर विमानों की आवाजाही में रक्षा बलों के साथ सहयोग करने और उनकी सहायता करने तथा हवाईअड्डे के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में सामान्य प्रचालनों की तुलना में सैन्य प्रचालन मिशनों (military operational missions) के प्रक्षेपण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस हवाईअड्डे से प्रचालन किसी भी स्तर पर खोज एवं बचाव (SAR) या अन्य उच्च प्राथमिकता वाले सैन्य समुद्री हवाई प्रचालनों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें आईएनएस हंसा (INS Hansa) से नियोजित तटीय सुरक्षा प्रचालन शामिल हैं।

17.15.4 मोपा स्थित हवाईअड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा हवाई क्षेत्र का निर्धारण और उसका प्रख्यापन (promulgation), जिसमें टर्मिनल नियंत्रण क्षेत्र, एयरोड्रोम यातायात परिपथ (aerodrome traffic circuit), वीओआर होल्डिंग क्षेत्र (VOR holding areas), आउटबाउंड ट्रैक, अंतिम पहुँच (final approach), विमानों की सभी श्रेणियों के लिए सभी उपकरण पहुँच प्रक्रियाओं की मिस्ड अप्रोच तथा दोनों रनवे के लिए मानक उपकरण आगमन और प्रस्थान शामिल हैं, हवाई क्षेत्र के दक्षिण में 5 नॉटिकल मील (5 nm) के भीतर रखा जाएगा।

17.15.5 मोपा स्थित हवाईअड्डे का नियंत्रण क्षेत्र (control zone) मोपा स्थित हवाईअड्डे के दक्षिण की ओर 5000 फीट की ऊंचाई तक सीमित होगा और एआरपी (ARP - एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु) पर केंद्रित 5 नॉटिकल मील (5 nm) अर्धवृत्ताकार हवाई क्षेत्र नियंत्रण क्षेत्र के एक भाग के रूप में आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण क्षेत्र के दक्षिण में 2.5 नॉटिकल मील (2.5 nm) चौड़ाई का एक बफर जोन प्रदान किया जाएगा। दृश्य चक्करदार पहुँच (visual circling approaches) के लिए एयरोड्रोम यातायात परिपथ प्रस्तावित रनवे के उत्तर की ओर डिज़ाइन किया जाएगा।

17.15.6 दोनों हवाई क्षेत्रों पर सैन्य और नागरिक दोनों तरह के सुरक्षित और समवर्ती प्रचालनों को प्रभावी बनाने के लिए, पहुँच नियंत्रण (approach control) का प्रबंधन निश्चित रूप से डाबोलिम हवाई यातायात नियंत्रण (Dabolim ATC) द्वारा संभाला जाना चाहिए। डिज़ाइन की जाने वाली किसी भी नई एटीएस (हवाई यातायात सेवा) प्रक्रिया को भारतीय नौसेना (Indian Navy) के परामर्श से पूरा किया जाएगा।

17.15.7 सैन्य उड़ान का प्रचालन मोपा हवाई क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्र से परे उत्तर में किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस क्षेत्र में सैन्य उड़ान संचालित किए जाने के दौरान नागरिक उड़ान प्रचालनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17.15.8 मोपा हवाई क्षेत्र से नौसैनिक विमान प्रचालनों के लिए नौसेना वायु एन्क्लेव (naval air enclave) का प्रावधान किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ, रियायत की संपूर्ण अवधि के लिए 5 (पांच) एकड़ भूमि का क्षेत्र पट्टे (lease) पर दिया जाएगा। उक्त क्षेत्र एक समय में कम से कम 02 एलआरएमआर (बोइंग 737-800 के समतुल्य) विमानों को संभालने के लिए एप्रन, हैंगर और प्रशासनिक/तकनीकी भवन का निर्माण करने के लिए पर्याप्त होगा। नौसेना सुविधा के लिए एक अलग स्वतंत्र प्रवेश/निकास के साथ रक्षा मंत्रालय/भारतीय नौसेना की लागत पर नौसैनिक अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। मोपा स्थित प्रस्तावित हवाईअड्डे की सुविधाओं का विस्तार सैन्य बचाव और मार्ग परिवर्तन प्रचालनों (diversionary operations) के लिए निःशुल्क किया जाना है।

17.15.9 मोपा हवाई क्षेत्र के हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) और आईएनएस हंसा (INS Hansa) के बीच हर समय त्वरित समन्वय के लिए रियायतग्राही द्वारा एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी।

17.16 सिटी साइड विकास का O&M (O&M of City Side Development)

पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि अनुच्छेद 17 के प्रावधान सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग (Unrestricted Part of City Side Development) पर लागू नहीं होंगे; बशर्ते, तथापि, कि रियायतग्राही सिटी साइड विकास का रखरखाव हर समय उत्तम उद्योग पद्धति और लागू कानूनों के अनुसार करने के लिए सहमत होता है और वचन देता है।

17.17 प्राधिकरण के विमानों द्वारा उपयोग (Use by aircrafts of the Authority)

रियायतग्राही हवाईअड्डे में 1 (एक) हैंगर सहित प्राधिकरण या उसके नामितियों के 2 (दो) कोड सी (Code C) विमानों (हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर) की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा। रियायतग्राही हवाईअड्डे पर उनके विमानों की आवाजाही में प्राधिकरण और उसके नामितियों के साथ सहयोग करने और सहायता करने तथा प्राथमिकता के आधार पर हवाईअड्डे के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत होता है और वचन देता है।

17.18 बिजली और पानी की आपूर्ति (Electricity and water supply)

रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रभारों के भुगतान पर संबंधित स्थानीय उपयोगिताओं से हवाईअड्डे के प्रचालन के लिए आवश्यक पानी और बिजली प्राप्त करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही हवाईअड्डे के प्रचालन के लिए यथा आवश्यक बिजली की स्टैंडबाय आपूर्ति के लिए अपना स्वयं का संयंत्र स्थापित करेगा।

अनुच्छेद 18 (ARTICLE 18)
वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन (OPERATION OF AERONAUTICAL ASSETS)

18.1 वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन और प्रबंधन (Operation and management of Aeronautical Assets)

18.1.1 इस समझौते में प्रदान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों (Aeronautical Assets) का प्रचालन और प्रबंधन करेगा।

18.1.2 रियायतग्राही अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा डीजीसीए (DGCA) और आईसीएओ (ICAO) या उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन करेगा। इस अनुच्छेद 18 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिकी आस्तियां हर समय विमानों और यात्रियों तथा हवाईअड्डे पर अन्य व्यक्तियों की संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित विनियमों का अनुपालन करें।

18.1.3 इस समझौते में प्रदान किए जाने के सिवाय, रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा वैमानिकी परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी एयरलाइनों और यात्रियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, विमानों और यात्रियों की पहचानी गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

18.1.4 रियायतग्राही विमानों द्वारा संचलन और उपयोग के लिए अभीष्ट सभी क्षेत्रों को हर समय बाधाओं से मुक्त रखेगा।

18.1.5 रियायतग्राही, समय-समय पर आईसीएओ द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, वैमानिकी परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, संकेत और सिग्नल प्रदान करेगा।

18.1.6 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक स्थान और पहुँच रियायतग्राही द्वारा खंड 22.8 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

18.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (Ground Handling Services)

18.2.1 रियायतग्राही विमानों, यात्रियों और कार्गो के लिए और उनके संबंध में हवाईअड्डे पर अपेक्षित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा या करवाएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रैफिक हैंडलिंग, विमान हैंडलिंग, विमान की सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं" / "Ground Handling Services") शामिल होंगी। ऐसी अवसंरचना में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार बैगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, आईटी बैकबोन और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

18.2.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करेगा।

18.3 विमान ईंधन भरने की सेवाएं (Aircraft Fuelling Services)

18.3.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर विमानों के लिए ईंधन भरने की सेवाओं के प्रचालन हेतु आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा, या करवाएगा ("विमान ईंधन सेवाएं" / "Aircraft Fuelling Services")। ऐसी अवसंरचना में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार टैंक फार्म, कॉमन हाइड्रेंट फ्यूलिंग सिस्टम और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

18.3.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार विमान ईंधन सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

19.1 टर्मिनल भवन का प्रचालन और प्रबंधन (Operation and management of Terminal Building)

19.1.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची-बऔर अनुसूची-गमें विनिर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.1.2 रियायतग्राही अनुसूची-घमें निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा आईएटीए (IATA) या उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन करेगा।

19.1.3 रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी एयरलाइनों और यात्रियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, एयरलाइनों और यात्रियों की पहचानी गई श्रेणियों के लिए सेवाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही यात्रियों द्वारा संचलन और उपयोग के लिए अभीष्ट सभी क्षेत्रों को हर समय बाधाओं से मुक्त रखेगा।

19.1.5 रियायतग्राही सामान (बैगेज) के लिए पर्याप्त संख्या में कन्वेयर बेल्ट प्रदान करेगा ताकि सभी आने वाले विमानों में से 95% (पंचानवे प्रतिशत) को उनके आगमन के 10 (दस) मिनट के भीतर कन्वेयर बेल्ट उपलब्ध हो सके, और टर्मिनल भवन में यात्रियों के सामान के कुशल संचलन को सुनिश्चित करने के लिए कन्वेयर बेल्ट का प्रचालन और रखरखाव करेगा।

19.1.6 रियायतग्राही बैगेज क्लेम क्षेत्रों की आसान पहुँच के भीतर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल बैगेज ट्रॉलियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और बनाए रखेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

19.1.7 रियायतग्राही प्रभारों के भुगतान पर यात्रियों के लिए पोर्टर (कुली) सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

19.1.8 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के भीतर हर समय निम्नलिखित सभी प्रदान करेगा, या करवाएगा:

(क) कम से कम 3 (तीन) स्थानों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क पेयजल आउटलेट, जिनमें से एक यात्रियों के लिए सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (security hold area) के भीतर स्थित होगा; तथा

(ख) बोतलबंद पानी और पेय पदार्थों के वितरण के लिए कम से कम 5 (पांच) सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित वेंडिंग मशीनें।

19.1.9 रियायतग्राही, समय-समय पर आईसीएओ द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले साइनेज के मानकों की अनुरूपता के अधीन, यात्रियों की सुविधा के लिए और एयरलाइंस काउंटरों, यात्रा सुविधाओं, यात्री सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक रास्ता खोजने में उनकी सहायता के लिए दिशा-निर्देश, संकेत, सिग्नल, सार्वजनिक उद्घोषणा (PA) प्रणाली और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा।

19.1.10 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों के दौरान, सार्वजनिक अवकाशों सहित, तथा किसी उड़ान के अनुसूचित प्रस्थान से 120 (एक सौ बीस) मिनट पूर्व और उसके आगमन के 60 (साठ) मिनट बाद तक हर समय, अथवा सुरक्षा आवश्यकताओं और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार यात्रियों के लिए खुला रहे।

19.2 सेवा स्तर (Level of Service)

19.2.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि टर्मिनल भवन में सेवा का स्तर, पीक आवर (Peak Hour) के दौरान, समय-समय पर आईएटीए द्वारा विनिर्दिष्ट 'सेवा स्तर-D' (Level of Service-D) से कमतर नहीं होगा और यदि यह देखा जाता है कि किसी भी तिमाही में पीक आवर्स के दौरान सेवा का स्तर आईएटीए 'सेवा स्तर-D' से कमतर है और सेवा स्तर में ऐसी गिरावट आने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर किसी भी लेखा वर्ष में कम से कम सेवा स्तर-D तक सुधार नहीं होता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाने (Damages) का भुगतान करेगा जो उस लेखा वर्ष के शुल्क (Fees) से कुल राजस्व के 1% (एक प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाएगा।

19.2.2 रियायतग्राही खंड 26.11 के प्रावधानों के अनुसार यात्री चार्टर (Passenger Charter) प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा।

19.3 विशेष सहायता की आवश्यकता वाले यात्री (Passengers who require special assistance)

19.3.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्ग व्यक्तियों तथा शारीरिक या दृष्टिबाधित यात्रियों और आगंतुकों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें ऐसे यात्रियों और आगंतुकों से बिना किसी अतिरिक्त लागत के उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप रैंप वे, संशोधित शौचालय, व्हीलचेयर और निर्धारित पार्किंग स्लॉट का प्रावधान शामिल है।

19.3.2 रियायतग्राही यात्रियों से बिना किसी अतिरिक्त लागत के टर्मिनल भवन के भीतर चाइल्ड केयर रूम और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

19.3.3 रियायतग्राही खंड 5.12 में विनिर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित और संचालित करेगा।

19.4 आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area)

19.4.1 टर्मिनल भवन में निम्नलिखित संस्थाओं या प्रयोजनों के लिए स्थान, जैसा कि अनुसूची-बमें वर्णित है, आरक्षित क्षेत्र ("आरक्षित क्षेत्र" / "Reserved Area") का गठन करेगा:

(क) सुरक्षा;

(ख) प्राधिकरण;
(ग) डीजीसीए (DGCA);
(घ) वीआईपी लाउंज;
(ङ) आप्रवासन (Immigration);
(च) सीमा शुल्क (Customs);
(छ) संगरोध (Quarantine); तथा
(ज) स्वास्थ्य।

19.4.2 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण प्राधिकरण और संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसियों में निहित होगा जो उन कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए खंड 19.4.1 के तहत स्थान निर्धारित किया गया है या खंड 19.4.1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के समरूप किसी अन्य प्रयोजन के लिए है। आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व और उस तक उसकी पहुँच आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक ही सीमित होगी; बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना की स्थिति में उस तक उसकी अप्रतिबंधित पहुँच होगी।

19.4.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के भीतर आरक्षित क्षेत्र के परिचालन भाग को अपनी लागत और व्यय पर बिजली और पानी की आपूर्ति करेगा।

19.4.4 जिस सीमा तक टर्मिनल भवन में केंद्रीय वातानुकूलन (central air conditioning) स्थापित और संचालित है, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को उसके लाभ से वंचित नहीं करेगा; बशर्ते कि यह दायित्व उन घंटों तक विस्तारित नहीं होगा जब टर्मिनल भवन के भीतर यात्री लाउंज और अन्य सामान्य क्षेत्रों के लिए सामान्य वातानुकूलन बंद रहता है।

19.4.5 इस खंड 19.4 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायतग्राही की सहमति से, सहमत नियमों और शर्तों पर आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के साथ, जिसमें उसके द्वारा नामित एजेंसियां भी शामिल हैं, सहयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

19.4.6 जब कभी खंड 19.4.1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होगी, तो रियायतग्राही संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी के परामर्श से, सहमत नियमों और शर्तों पर आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि यदि आरक्षित क्षेत्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो रियायतग्राही संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी से निम्नलिखित वसूलने का हकदार होगा: (i) पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के दौरान टर्मिनल भवन में उसके द्वारा किराए पर दिए गए सभी स्थानों के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राप्त औसत मासिक किराए के 50% (पचास प्रतिशत) के समतुल्य मासिक किराया, और (ii) ऐसा मासिक किराया जो ऊपर (i) के अनुसार परिकलित किया जाएगा, प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में एक बार संशोधित किया जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि अतिरिक्त यात्री यातायात को संभालने के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार किए जाने की स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र के रूप में उपयोग के लिए आनुपातिक आधार पर निःशुल्क अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगा।

19.5 वीआईपी लाउंज (VIP Lounges)

रियायतग्राही भारत सरकार, नामित भारत सरकार एजेंसियों और प्राधिकरण के अतिथियों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए टर्मिनल भवन में हर समय वीआईपी लाउंज प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा, जैसा कि भारत सरकार और/या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर रियायतग्राही को सूचित किया जा सकता है।

19.6 चेक-इन सेवाएं (Check-in Services)

19.6.1 रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए और उनके संबंध में हवाईअड्डे पर चेक-इन सेवाओं के प्रचालन हेतु आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा या करवाएगा ("चेक-इन सेवाएं" / "Check-In Services")। ऐसी अवसंरचना में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार काउंटर, सेल्फ-सर्विस चेक-इन कियोस्क, बैगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, आईटी बैकबोन और संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी।

19.6.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एयरलाइनों की ओर से और उनके निमित्त यात्रियों को चेक-इन सेवाएं प्रदान करेगा।

19.7 वाणिज्यिक विज्ञापन (Commercial advertising)

रियायतग्राही लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप टर्मिनल भवन में या उसके आसपास वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

अनुच्छेद 20 (ARTICLE 20)
कार पार्क का प्रचालन (OPERATION OF CAR PARK)

20.1 कार पार्क का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of Car Park)

20.1.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार कार पार्क (आरक्षित कार पार्क सहित) का प्रचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

20.1.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार तीसरे पक्षों द्वारा कार पार्क के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों और आगंतुकों को इसके गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग की अनुमति देगा, बशर्ते कि रियायतग्राही कार पार्क के उपयोग के लिए प्रभार लगा सकता है।

20.1.3 रियायतग्राही:

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार पार्क का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और विज्ञापन तथा उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए न किया जाए; तथा

(ख) खंड 5.2 के प्रावधानों के अनुसार के सिवाय कार पार्क के किसी भी हिस्से को उप-लाइसेंस, समनुदेशित या किसी भी तरह से भारित नहीं करेगा।

20.2 आरक्षित कार पार्क का प्रावधान (Provision for Reserved Car Park)

रियायतग्राही अनुसूची-बमें विनिर्दिष्ट अनुसार एक आरक्षित कार पार्क ("आरक्षित कार पार्क" / "Reserved Car Park") का निर्माण, प्रचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों (Exempted Persons) तथा वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों या प्राधिकरण द्वारा जारी पास धारक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके निःशुल्क उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

20.3 कार पार्क में सुविधाएं (Facilities at Car Park)

रियायतग्राही कार पार्क में हर समय निम्नलिखित सभी प्रदान करेगा या करवाएगा:

(क) कम से कम 2 (दो) सुविधाजनक स्थानों पर निःशुल्क पेयजल आउटलेट;

(ख) हवाईअड्डे के बाहर बाजार में प्रचलित प्रत्येक ऐसे उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अनधिक मूल्य पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय गर्म व ठंडे पेय पदार्थों के वितरण के लिए कम से कम 2 (दो) सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित वेंडिंग मशीनें; तथा

(ग) प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं द्वारा संचालित, कार पार्क के उपयोगकर्ताओं को पेय पदार्थ और स्नैक्स बेचने के लिए कम से कम 2 (दो) कियोस्क या आउटलेट।

20.4 चालकों हेतु प्रतीक्षालय (Waiting area for drivers)

रियायतग्राही कार पार्क के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट, कार पार्क में पार्किंग स्लॉट के कम से कम 5% (पांच प्रतिशत) के लिए पर्याप्त बैठने की सुविधाओं और शौचालयों से युक्त चालकों के लिए एक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा तथा यात्रियों और आगंतुकों द्वारा टर्मिनल भवन के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपने संबंधित चालकों को बुलाने के लिए एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (PA system) भी प्रदान करेगा।

20.5 अनधिकृत पार्किंग (Unauthorised Parking)

20.5.1 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है जो पार्किंग के लिए निर्धारित या अधिकृत न किए गए स्थान पर पार्क किया गया है, और ऐसे वाहन को कार पार्क में पार्क कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी भी कारण से वाहन को कार पार्क में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं है, तो वह उस स्थान पर या उसके पास जहां वह पार्क किया गया है, वाहन को स्थिर (immobilise) कर सकता है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क (Fee) वसूलने का हकदार होगा और वाहन को स्थिर करने या उसे कार पार्क में ले जाने की पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 (पांच) गुना के बराबर राशि वसूलने का भी हकदार होगा। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 20.5.1 के प्रावधानों के तहत वाहनों का कोई भी स्थानांतरण या स्थिरीकरण इस तरह से किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को कोई नुकसान न पहुंचे।

20.5.2 रियायतग्राही उन वाहनों की आवाजाही को नहीं रोकेगा, और न ही उनसे कोई शुल्क लेगा, जो टर्मिनल के किसी भी हिस्से से गुजरने के लिए पहुँच मार्ग का उपयोग करते हैं, किंतु पीक अवधि के दौरान 2 (दो) मिनट से अधिक और ऑफ-पीक अवधि के दौरान 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं रुकते हैं।

20.6 कार पार्क का विस्तार (Expansion of Car Park)

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि कार पार्क में प्रदान किए गए पार्किंग स्लॉट उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों। ऐसी स्थिति में जब 6 (छह) महीने की किसी निरंतर अवधि के लिए 8 (आठ) पीक आवर्स के दौरान औसतन 90% (नब्बे प्रतिशत) पार्किंग स्लॉट भरे रहते हैं, तो कार पार्क की क्षमता अपर्याप्त मानी जाएगी और रियायतग्राही अपनी लागत पर क्षमता वृद्धि और उसका विस्तार करेगा तथा उत्तम उद्योग पद्धति और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार तत्काल अतिरिक्त पार्किंग स्थान का निर्माण करेगा।

अनुच्छेद 21 (ARTICLE 21)

कार्गो और एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन (OPERATION OF CARGO AND MRO FACILITIES)

21.1 कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of Cargo Facilities)

21.1.1 लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार आने वाले और जाने वाले कार्गो को संभालने के लिए आवश्यक भवनों, संरचनाओं और उपकरणों सहित कार्गो सुविधाओं का विकास, प्रचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा, जिसमें उसका अल्पकालिक भंडारण भी शामिल है।

21.1.2 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधाओं में इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार पर्याप्त कार्गो और पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, खराब होने वाले कार्गो और खतरनाक सामानों का भंडारण और हैंडलिंग, कार्गो एजेंटों और ग्राहकों के

लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, स्वचालन प्रणाली, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएं, तथा डाक हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट की सुविधाएं शामिल हों।

21.1.3 रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव करेगा तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एयरलाइनों और प्रेषकों (consignors) को संबद्ध सेवाएं प्रदान करेगा।

21.1.4 रियायतग्राही सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, को उनके सांविधिक कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार परिचालन क्षेत्र हेतु आवश्यक उपयोगिता सेवाओं के साथ निःशुल्क कार्यालय स्थान प्रदान करेगा, जबकि बैक-ऑफिस उपयोगों के लिए लागू बाजार दरों के 50% (पचास प्रतिशत) की दर से प्रभार लागू होंगे।

21.2 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on use of Cargo Facilities)

21.2.1 मास्टर प्लान में कार्गो सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो की हैंडलिंग और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाएगा। रियायतग्राही उन सभी रणनीतिक स्थानों पर, जहां भी कार्गो सुविधाओं को संभाला जाता है या किसी भी तरह से निपटा जाता है, अच्छी कार्यशील स्थिति में वेब-कैम स्थापित करेगा और संचालित रखेगा।

21.3 एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of MRO Facilities)

जैसे और जब विकसित की जाती हैं, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता द्वारा विधिवत सत्यापित एक स्वतंत्र अध्ययन के अधीन, एमआरओ (MRO) सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा। ऐसा स्वतंत्र अध्ययन, जिसमें स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशें (यदि कोई हों) शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर हवाईअड्डे के सीओडी के 2 (दो) वर्ष के भीतर शुरू किया जाना है। ऐसा अध्ययन एमआरओ सुविधाएं स्थापित होने तक प्रत्येक 2 (दो) वर्ष में आयोजित किया जाएगा। रियायतग्राही अनुसूची B में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एयरलाइनों और प्रेषकों को संबद्ध सेवाएं प्रदान करेगा या करवाएगा।

21.4 एमआरओ सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on use of MRO Facilities)

एमआरओ सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र का उपयोग केवल एमआरओ की हैंडलिंग और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

अनुच्छेद 22 (ARTICLE 22)
आरक्षित सेवाएं (RESERVED SERVICES)

22.1 आरक्षित सेवाएं (Reserved Services)

22.1.1 प्राधिकरण हवाईअड्डे पर नामित भारत सरकार एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं ("आरक्षित सेवाएं" / "Reserved Services") का निष्पादन करेगा, या करवाएगा:

(i) सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services);

(ii) सुरक्षा सेवाएं;

(iii) मौसम संबंधी सेवाएं;

(iv) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं;

(v) सीमा शुल्क नियंत्रण (Customs control);

(vi) आप्रवासन सेवाएं (Immigration services);

(vii) संगरोध सेवाएं (Quarantine services); तथा

(viii) कोई अन्य सेवाएं, जैसा कि लागू कानूनों के अनुसार भारत सरकार, गोवा सरकार या किसी अन्य सरकारी तंत्र सहित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।

बशर्ते कि इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है, रियायतग्राही से किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को शुरू करने की मांग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

22.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही से लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए किसी भी या सभी नामित भारत सरकार एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश करने की मांग कर सकता है।

22.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)

22.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों की पूर्ति पर, एएआई (AAI), रक्षा मंत्रालय और रियायतग्राही के बीच काफी हद तक अनुसूची-बमें निर्धारित प्रारूप में एक त्रिपक्षीय समझौते ("सीएनएस/एटीएम समझौता" / "CNS/ATM Agreement") का निष्पादन करवाएगा, जो शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं पर लागू समान शर्तों पर, तथा डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में, रियायत अवधि के दौरान हर समय हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

22.2.2 यदि प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी, जैसा भी मामला हो, इसे आवश्यक समझती है, तो वह मार्गस्थ हवाई दिक्चालन सेवाओं (en-route air navigation services) के प्रावधान के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को अपनी लागत पर हवाईअड्डे पर स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही एतद्द्वारा वचन देता है कि वह उसके संबंध में सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

22.2.3 ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही को आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा तैनात उपकरणों को, जिसमें सीएनएस/एटीएम उपकरण शामिल हैं, ऐसे स्तर पर उन्नत करने की आवश्यकता होगी जो आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक या उच्चतर हो सकता है, तो उपकरणों के ऐसे वृद्धिशील उन्नयन पर किए गए सभी खर्च और उसके प्रचालन की अतिरिक्त लागत रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएगी और नामित भारत सरकार एजेंसी को वार्षिक रूप से अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

22.2.4 रियायतग्राही द्वारा एटीसी सुविधा प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को सौंपे जाने पर, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी ऐसे सौंपे जाने की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इस अनुच्छेद 22 में विनिर्दिष्ट तरीके से सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए एटीसी सुविधा को सीएनएस/एटीएम उपकरणों से सुसज्जित करवाएगी।

22.2.5 प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी हर समय सेवा का वह मानक सुनिश्चित करेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रति घंटे रनवे संचलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर समान रनवे विन्यास और मौसम संबंधी स्थितियों के तहत संचालित होने वाले और जेट विमान संचलन के संदर्भ में मापे गए उच्चतम यातायात वाले 5 (पांच) हवाई अड्डों पर प्राप्त की जा रही सीमा के भीतर होगा।

22.3 अन्य आरक्षित सेवाएं (Other Reserved Services)

प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि रियायतग्राही को इस समझौते और लागू कानूनों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण अपने स्वयं के कार्यों का कुशलतापूर्वक और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार निर्वहन करेगा या करवाएगा और हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध सेवाओं सहित हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाओं को शुरू करने के लिए

जिम्मेदार नामित भारत सरकार एजेंसियों द्वारा आवश्यक कर्मियों की तैनाती सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर हर समय सुनिश्चित करेगा।

22.4 हवाई अड्डा सुरक्षा (Airport security)

22.4.1 प्राधिकरण भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर लागू समान नियमों और शर्तों पर, नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से आतंकवाद, अपहरण, तोड़फोड़ और/या समान कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम सहित हवाईअड्डे पर सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

22.4.2 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि हवाई अड्डे, उपयोगकर्ताओं, हवाईअड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीके और प्रक्रियाएं बीसीएएस (BCAS) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

22.4.3 प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायतग्राही और उसके सभी ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, उप-ठेकेदारों और एजेंटों के कर्मियों तथा हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों या प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी के अन्य कर्मियों द्वारा किसी अनुचित हस्तक्षेप के बिना हवाईअड्डे में निर्बाध प्रवेश और निकास की अनुमति दी जाए।

22.4.4 नामित भारत सरकार एजेंसी हवाईअड्डे के प्रचालन को अनावश्यक या अनुचित रूप से बाधित किए बिना, हवाईअड्डे का निरीक्षण और तलाशी लेने तथा स्थल में प्रवेश करने या वहां से प्रस्थान करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाशी लेने की हकदार होगी।

22.4.5 रियायतग्राही प्राधिकरण या किसी नामित भारत सरकार एजेंसी की कार्रवाइयों से होने वाले अपने प्रचालनों में व्यवधान या नुकसान या क्षति के लिए किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, सिवाय इसके जो, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी के जानबूझकर या घोर लापरवाही वाले कृत्यों या चूकों के परिणामस्वरूप हुआ हो।

22.4.6 प्राधिकरण और रियायतग्राही संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे कि हवाईअड्डे की सुरक्षा इस प्रकार बनाए रखी जाए कि बीमा कवर (यदि कोई हो) के तहत जोखिम प्रीमियम का स्तर, जिसे रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाना है, न्यूनतम संभव दर पर हो। इसके पक्षकार सहमत होते हैं कि सुरक्षा वातावरण में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले ऐसे जोखिम प्रीमियम में महत्वपूर्ण वृद्धि की स्थिति में, रियायतग्राही इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से शुल्क में तदनुरूप वृद्धि के माध्यम से उपयोगकर्ताओं पर ऐसी वृद्धि का 80% (अस्सी प्रतिशत) स्थानांतरित करने का हकदार होगा।

22.4.7 नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन, इस अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की लागत रियायतग्राही द्वारा शुल्क के हिस्से के रूप में उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाएगी और रियायतग्राही द्वारा अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को भुगतान की जाएगी।

22.5 पुलिस सहायता (Police assistance)

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार हवाईअड्डे के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण हवाईअड्डे पर एक पुलिस सहायता पोस्ट ("पुलिस सहायता पोस्ट" / "Police Aid Post") स्थापित करने सहित पुलिस से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

22.6 मौसम संबंधी सेवाएं (Meteorological services)

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय

पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और समान शर्तों पर प्रदान की जाएं जैसा कि प्राधिकरण भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान करता है और आईएमडी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रियायतग्राही और आईएमडी के बीच निष्पादित समझौते की शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएं।

22.7 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व (Obligations in respect of Reserved Services)

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को एटीसी सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;

(ग) हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएएस द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और हवाईअड्डे के चारों ओर परिधि बाड़ (perimeter fencing) या अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और बनाए रखेगा;

(घ) समय-समय पर बीसीएएस या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा यथोचित अपेक्षित सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा;

(ङ) हवाईअड्डे के भीतर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन करेगा और उसे लागू करेगा तथा हवाईअड्डे के प्रचालन को अनावश्यक या अनुचित रूप से बाधित किए बिना प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार एजेंसी को ऐसी कार्रवाई करने की अनुमति देगा जैसा कि उनके द्वारा यथोचित आवश्यक समझा जाए;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक उपकरण और जनशक्ति लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार उपलब्ध होगी:

(i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना;

(ii) किसी विमान या हवाईअड्डे को बम की धमकी;

(iii) हवाईअड्डे के आसपास और उसके निकट विमान दुर्घटनाएं;

(iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाईअड्डे पर उतरने के लिए बाध्य होना;

(v) हवाईअड्डे पर आग लगना;

(vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;

(vii) हवाईअड्डे पर हड़ताल;

(viii) नागर विमानन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप; तथा

(ix) हवाईअड्डे पर कोई अन्य आपातकालीन स्थिति।

(छ) इस अनुच्छेद 22 के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों को समर्थन और सहयोग प्रदान करेगा;

(ज) ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है;

(झ) अपनी लागत और व्यय पर बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा जो आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों द्वारा अपेक्षित हो सकती है;

(ञ) लागत के भुगतान पर बिजली और पानी की कोई भी ऐसी आपूर्ति प्रदान करेगा जो इस खंड 22.7 के उप-खंड (झ) में विनिर्दिष्ट आपूर्ति के अतिरिक्त, यथास्थिति, प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों द्वारा अपेक्षित हो सकती है; तथा

(ट) आपातकाल के मामले को छोड़कर, समय-समय पर पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने वाली परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार हवाईअड्डे पर किसी भी अवसंरचना या सुविधा के किसी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा।

22.8 आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area)

22.8.1 खंड 19.4.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय, यथास्थिति, प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों को हवाईअड्डे पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुँच और सुविधाएं प्रदान करेगा जैसा कि उन्हें इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और अनुसूची-बमें वर्णित अनुसार आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है।

22.8.2 आरक्षित क्षेत्र में ऐसी पार्किंग शामिल होगी जो नामित भारत सरकार एजेंसियों के परिचालन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकती है, और रियायतग्राही ऐसी पार्किंग सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करेगा जैसा कि रियायतग्राही और संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

22.8.3 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसियों में निहित होगा जो उन कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया गया है या ऐसे कार्यों के समरूप किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। आरक्षित क्षेत्रों और उस तक पहुँच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक ही सीमित होंगे; बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना की स्थिति में उस तक उसकी अप्रतिबंधित पहुँच होगी।

22.8.4 रियायतग्राही, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी की पूर्व सहमति के बिना आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को प्रदान की गई पहुँच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा।

22.8.5 इस खंड 22.8 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायतग्राही की सहमति से, सहमत नियमों और शर्तों पर आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के साथ, जिसमें उसके द्वारा नामित एजेंसियां भी शामिल हैं, सहयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

22.8.6 हवाईअड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्गठन की आवश्यकता होने की स्थिति में, रियायतग्राही, यथास्थिति, प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा और उसके संबंध में आवश्यक किसी भी संशोधन का पारस्परिक रूप से निर्धारण करेगा।

22.8.7 खंड 19.4.6 के प्रावधानों के अधीन, आरक्षित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होने की स्थिति में, प्राधिकरण रियायतग्राही की सहमति से, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर आरक्षित क्षेत्र का गठन करने वाले स्थान को बढ़ा सकता है।

अनुच्छेद 23 (ARTICLE 23)
सुरक्षा आवश्यकताएं (SAFETY REQUIREMENTS)

23.1 सुरक्षा आवश्यकताएं (Safety Requirements)

रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और उपयोगकर्ताओं तथा हवाईअड्डे पर या उसके आसपास अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप कार्य करेगा। विशेष रूप से, रियायतग्राही हवाईअड्डे पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, तथा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं, समय-समय पर डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों और अनुसूची-डमें निर्धारित आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताएं" / "Safety Requirements") का अनुपालन करेगा।

23.2 सुरक्षा आवश्यकताओं पर व्यय (Expenditure on Safety Requirements)

सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी लागत और व्यय उस सीमा तक रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे जिस सीमा तक ऐसी लागत और व्यय परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल कार्यों और सेवाओं का हिस्सा हैं, और कार्य और सेवाएं, यदि कोई हों, जो परियोजना के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न और वित्तपोषित की जाएंगी।

अनुच्छेद 24 (ARTICLE 24)
प्रचालन और रखरखाव की निगरानी (MONITORING OF OPERATION AND MAINTENANCE)

24.1 मासिक और दैनिक स्थिति रिपोर्ट (Monthly and daily status reports)

24.1.1 परिचालन अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली, रखरखाव कार्यक्रम और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन या अन्यथा सहित हवाईअड्डे की स्थिति का उचित विस्तार से उल्लेख होगा, और स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी तुरंत देगा। विशेष रूप से, ऐसी रिपोर्ट में उन दोषों और कमियों को अलग से पहचाना और उचित विस्तार से बताया जाएगा जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

24.1.2 परिचालन अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

(क) महीने में प्राप्त किए गए प्रमुख निष्पादन संकेतक, विफलता के कारणों (यदि कोई हों) के विश्लेषण और उन्हें सुधारने के प्रस्तावों के साथ; तथा

(ख) अगली तिमाही में अपेक्षित प्रमुख परिचालन बाधाएं और डिलिवरेबल्स, साथ ही उन्हें दूर करने और हवाईअड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की रणनीतियां।

24.2 असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट (Reports of unusual occurrence)

रियायतग्राही प्रत्येक दिन की समाप्ति से पूर्व, उपयोगकर्ताओं और हवाईअड्डे की संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित हवाईअड्डे पर होने वाली दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट फैक्स या ई-मेल द्वारा प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को सूचित करेगा। ऐसी रिपोर्टों का एक साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और माह की समाप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 24.2 के प्रयोजनों के लिए, हवाईअड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में शामिल होंगे:

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;

(ख) क्षतिग्रस्त या विस्थापित स्थिर उपकरण;

(ग) हवाईअड्डे पर कोई क्षति या बाधा, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में मंदी आती है;

(घ) रनवे, एप्रन या टैक्सीवे पर कोई क्षति या बाधा;

(ङ) हवाईअड्डे पर हवाई यातायात की भीड़भाड़ जिसके कारण अनुसूचित विमान प्रचालनों में अत्यधिक विलंब होता है या टर्मिनल भवन में भीड़भाड़ होती है;

(च) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष;

(छ) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई बाधा या अत्यधिक भीड़भाड़;

(ज) हवाईअड्डे पर बिजली आपूर्ति या पानी की आपूर्ति में रुकावट या विफलता;

(झ) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन सुविधाओं में रुकावट या विफलता;

(ञ) हवाईअड्डे पर किसी क्लोज-सर्किट टेलीविजन (CCTV) प्रणाली का निष्क्रिय होना;

(ट) हवाईअड्डे के प्रचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;

(ठ) परिचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे के आसपास बर्ड हिट, नियर बर्ड हिट या जानवरों के उपद्रव की कोई घटना;

(ड) हवाईअड्डे पर चोरी या डकैती की कोई घटना;

(ढ) हवाईअड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई घटना;

(ण) धुआं या आग;

(त) हवाईअड्डे पर जलभराव (flooding); तथा

(थ) ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित हो।

24.3 निरीक्षण (Inspection)

स्वतंत्र अभियंता महीने में कम से कम एक बार हवाईअड्डे का निरीक्षण करेगा। वह ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("O&M निरीक्षण रिपोर्ट" / "O&M Inspection Report") तैयार करेगा जिसमें विशेष रूप से रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव नियमावली, रखरखाव कार्यक्रम और सुरक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ

में दोषों या कमियों (यदि कोई हों) का उचित विस्तार से उल्लेख होगा, और ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर उसकी एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

24.4 परीक्षण (Tests)

यह निर्धारित करने के लिए कि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण करने या करवाने की मांग करेगा। रियायतग्राही पूरी तत्परता से स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण करेगा या करवाएगा और ऐसे परीक्षणों के परिणाम तुरंत स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। ऐसे परीक्षणों पर किए गए खर्च का आधा हिस्सा, और स्वतंत्र अभियंता द्वारा उचित प्रमाणित सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

24.5 उपचारात्मक उपाय (Remedial measures)

24.5.1 रियायतग्राही O&M निरीक्षण रिपोर्ट में या खंड 24.4 में संदर्भित परीक्षण परिणामों में निर्धारित दोषों या कमियों (यदि कोई हों) की मरम्मत या सुधार करेगा और, यथास्थिति, O&M निरीक्षण रिपोर्ट या परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; बशर्ते कि जहां ऐसे दोषों या कमियों को सुधारने में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना हो, वहां रियायतग्राही मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सप्ताह में एक बार तब तक प्रस्तुत करेगा जब तक कि ऐसे कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरे न हो जाएं।

24.5.2 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से अपनी लागत पर परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसे उपचारात्मक उपायों ने हवाईअड्डे को रखरखाव आवश्यकताओं के अनुपालन में ला दिया है, और इस खंड 24.5 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप न हो जाए। ऐसी स्थिति में जब इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप रियायतग्राही द्वारा उपचारात्मक उपाय पूरे नहीं किए जाते हैं, तो प्राधिकरण खंड 17.8 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार रियायतग्राही से हर्जाना वसूलने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 25 (ARTICLE 25)
यातायात विनियमन और गणना (TRAFFIC REGULATION AND CENSUS)

25.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन (Traffic regulation by the Concessionaire)

25.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार तथा प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों अथवा इस संबंध में लागू कानूनों के तहत सशक्त उनके किसी विकल्प के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हवाईअड्डे पर यात्री और वाहन यातायात को विनियमित करेगा।

25.1.2 रियायतग्राही प्राधिकरण और उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों के परामर्श से, उत्तम उद्योग पद्धति पर आधारित एक प्रणाली विकसित और प्रचारित करेगा ताकि हवाईअड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ कोई भेदभाव न हो या अनुचित पक्षपात न हो।

25.1.3 रियायतग्राही को सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए एक सामान्य वाहक आधार (common carrier basis) पर हवाईअड्डे का प्रबंधन, प्रचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व होगा।

25.2 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश (Slot allocation guidelines)

रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हवाईअड्डे पर विमान लैंडिंग और समय-सारणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, तथा एयरलाइनों के परामर्श से और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे स्लॉट आवंटित करेगा।

25.3 यातायात गणना (Traffic census)

रियायतग्राही हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले यात्री यातायात, विमान और कार्गो से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। रियायतग्राही द्वारा ऐसे डेटा का एक मासिक विवरण संकलित किया जाएगा और काफी हद तक अनुसूची-ढमें विनिर्दिष्ट प्रारूपों में तुरंत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

25.4 कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क (Computer systems and network)

रियायतग्राही यातायात के कुशल और पारदर्शी विनियमन और प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण, नामित भारत सरकार एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क से चौबीसों घंटे कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर प्रणाली स्थापित, संचालित और रखरखाव करेगा। इस प्रयोजनार्थ, वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ("ईडीआई" / "EDI") के लिए ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करेगा जैसा कि प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुसूची-ढमें विनिर्दिष्ट प्रारूप को ईडीआई की आवश्यकताओं और आउटपुट के अनुरूप बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 26 (ARTICLE 26)
प्रमुख निष्पादन संकेतक (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

26.1 प्रमुख निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators)

इस समझौते में विनिर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाईअड्डे का प्रचालन इस प्रकार करेगा कि वह इस अनुच्छेद 26 में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों ("प्रमुख निष्पादन संकेतक" / "Key Performance Indicators") को प्राप्त करे या उससे बेहतर प्रदर्शन करे। रियायतग्राही अनुच्छेद 26 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख निष्पादन संकेतक का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और किसी तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए वह हर्जाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा कोई भी हर्जाना एईआरए (AERA) के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी प्रभारों (Aeronautical Charges) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

26.2 वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन (Operation of Aeronautical Assets)

26.2.1 रियायतग्राही वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 26.2 में विनिर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

26.2.2 रियायतग्राही परिचालन अवधि के दौरान हर समय प्रासंगिक आईसीएओ मानकों, डीजीसीए के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का प्रचालन और रखरखाव करेगा।

26.3 टर्मिनल भवन का प्रचालन (Operation of Terminal Building)

26.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का प्रचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 26.3 में विनिर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

26.3.2 रियायतग्राही परिचालन अवधि के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टर्मिनल भवन और उसके शौचालय स्वच्छ, स्वच्छ और गंधहीन हों;

(ख) अनुसूची D के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन के भीतर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो;

(ग) टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान उत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार बाहरी तापमान के संबंध में आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाए; तथा

(घ) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करें और उनकी उपलब्धता 98% (अट्ठानवे प्रतिशत) से कम न हो।

26.4 कार पार्क का प्रचालन (Operation of Car Park)

26.4.1 रियायतग्राही कार पार्क का प्रचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 26.4 में विनिर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

26.4.2 रियायतग्राही सीओडी के बाद हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) कार पार्क में प्रवेश से लेकर खाली स्लॉट पर पार्किंग तक लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, उसके कम से कम 95% (पंचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा;

(ख) पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार तक जाने में लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, उसके कम से कम 95% (पंचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा; तथा

(ग) स्थान और उपकरणों का प्रावधान तथा उनका उपयोग ऐसा हो कि वाहनों की हैंडलिंग उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप सुरक्षित और कुशल हो।

26.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि कार पार्क को स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रखा जाए।

26.4.4 रियायतग्राही कार पार्क में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराएगा और उन्हें स्वच्छ व स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

26.5 कार्गो सुविधाओं का प्रचालन (Operation of Cargo Facilities)

26.5.1 रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि वह इस खंड 26.5 में विनिर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

26.5.2 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो सुविधाओं को स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ रखा जाए।

26.5.3 रियायतग्राही उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) सुविधा प्रदान करेगा और उसका प्रचालन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम उद्योग मानकों के साथ समय-समय पर तुलनीय कुशल और किफायती सेवाएं प्राप्त हों।

26.5.4 रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराएगा और उन्हें स्वच्छ व स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

26.6 आईएसओ प्रमाणन (ISO certification)

26.6.1 रियायतग्राही सीओडी से 12 (बारह) महीनों के भीतर हवाईअड्डे की सभी सुविधाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 (ISO 9001:2000) प्रमाणन या उसका कोई विकल्प प्राप्त करेगा और उसके बाद संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान उसे बनाए रखेगा, तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति तुरंत प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

26.6.2 खंड 26.6.1 में विनिर्दिष्ट प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की स्थिति में, रियायतग्राही उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें अपनी कमियों को सुधारने और हवाईअड्डे की सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु रियायतग्राही द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का विवरण होगा।

26.6.3 यदि इस खंड 26.6 के तहत आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि निरंतर 3 (तीन) महीने की अवधि से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही पूर्वोक्त 3 (तीन) महीने की अवधि से परे प्रत्येक 1 (एक) महीने की चूक के लिए शुल्क से होने वाले कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर राशि में प्राधिकरण को हर्जाने का भुगतान करेगा।

26.7 सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं (Service Quality Requirements)

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वह अनुसूची-ठमें निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप और उसका अनुपालन करे।

26.8 लक्षित रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Target Rating and User Survey)

26.8.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ("एसीआई" / "ACI") या उसके किसी विकल्प द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित किए जाने वाले एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ("एएसक्यू" / "ASQ") के यात्री सर्वेक्षण में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा ऐसे सर्वेक्षण में कम से कम 4.2 (चार दशमलव दो) की रेटिंग ("लक्षित रेटिंग" / "Target Rating") प्राप्त करे और उसे बनाए रखे।

26.8.2 रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के लिए एएसक्यू के यात्री सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करेगा, साथ ही परिणामों के अपने विश्लेषण और यात्री संतुष्टि में सुधार के लिए प्रस्तावित कार्रवाई (यदि कोई हो) का विवरण भी देगा।

26.8.3 खंड 26.8.1 में विनिर्दिष्ट यात्री सर्वेक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण अपनी लागत और व्यय पर, रियायतग्राही द्वारा इस अनुच्छेद 26 के प्रावधानों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का एक नमूना सर्वेक्षण ("उपयोगकर्ता सर्वेक्षण" / "User Survey") आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को संलग्न कर सकता है। उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम वस्तुनिष्ठ हो और उपयोगकर्ताओं के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता हो। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि उपयोगकर्ता सर्वेक्षण को डिज़ाइन करने में प्राधिकरण उत्तम उद्योग पद्धति पर भरोसा करेगा।

26.8.4 ऐसी स्थिति में जब उपयोगकर्ता सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं और सेवाओं को खराब (poor) या निष्पक्ष (fair) के रूप में रैंक करते हैं, तो प्राधिकरण पूर्वोक्त 20% से परे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) असंतुष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ववर्ती महीने के दौरान शुल्क से अपने राजस्व के 2% (दो प्रतिशत) की दर से परिकलित हर्जाना रियायतग्राही से वसूल सकता है। संदेह निवारण के लिए, यदि 22% (बाईस प्रतिशत) उपयोगकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो हर्जाना ठीक पूर्ववर्ती महीने के शुल्क राजस्व के 4% (चार प्रतिशत) के बराबर राशि होगी और आगे का हर्जाना (यदि कोई हो) अगले उपयोगकर्ता सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

26.9 मासिक स्थिति रिपोर्ट (Monthly status report)

परिचालन अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें विफलताओं के कारणों (यदि कोई हों) के विश्लेषण और उन्हें दूर करने तथा हवाईअड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार की रणनीतियों के साथ इस अनुच्छेद 26 में विनिर्दिष्ट सभी प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुपालन का उचित विस्तार से उल्लेख होगा। मासिक रिपोर्ट में खंड 26.10 के अनुसार परिकलित हर्जाने की मात्रा शामिल होगी।

26.10 निष्पादन में कमी हेतु हर्जाना (Damages for shortfall in performance)

रियायतग्राही इस अनुच्छेद 26 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख निष्पादन संकेतक का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और किसी तिमाही के दौरान प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए वह हर्जाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा कोई भी हर्जाना एईआरए (AERA) द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी प्रभारों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि हर्जाना एईआरए द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो हर्जाना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी प्रभारों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

26.11 यात्री चार्टर (Passenger Charter)

रियायतग्राही काफी हद तक अनुसूची O में विनिर्दिष्ट प्रारूप में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाले एक चार्टर ("यात्री चार्टर" / "Passenger Charter") को प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा। रियायतग्राही यात्री चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं के प्रति हर समय जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

26.12 प्रमुख निष्पादन संकेतकों से छूट (Excuse from Key Performance Indicators)

रियायतग्राही को किसी भी प्रमुख निष्पादन संकेतक के अनुरूप होने में अपनी चूक के लिए क्षम्य माना जाएगा यदि ऐसी चूक इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण की विफलता के कारण हुई है।

26.13 एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन (Operation of MRO facilities)

26.13.1 रियायतग्राही एमआरओ सुविधाओं का प्रचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि वह उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हो।

अनुच्छेद 27 (ARTICLE 27)
स्वतंत्र अभियंता (INDEPENDENT ENGINEER)

27.1 स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति (Appointment of Independent Engineer)

प्राधिकरण इस समझौते के तहत स्वतंत्र सलाहकार ("स्वतंत्र अभियंता" / "Independent Engineer") बनने के लिए अनुसूची P में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार एक परामर्शदाता इंजीनियरिंग फर्म की नियुक्ति करेगा। यह नियुक्ति इस समझौते की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर की जाएगी और 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगी। पूर्वोक्त नियुक्ति की समाप्ति या पर्यवसान पर, प्राधिकरण अनुसूची P के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) वर्ष की अगली अवधि के लिए एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

27.2 कर्तव्य और कार्य (Duties and functions)

27.2.1 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची Q में निर्धारित विचारार्थ विषयों (TOR) के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि इस अनुच्छेद 27 के तहत स्वतंत्र अभियंता के कार्यों में सिटी साइड विकास शामिल नहीं होगा।

27.2.2 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची Q में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (महीने में कम से कम एक बार) प्रस्तुत करेगा।

27.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र अभियंता को और स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी संचारों की एक सत्य प्रति स्वतंत्र अभियंता द्वारा तुरंत रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

27.2.4 स्वतंत्र अभियंता द्वारा रियायतग्राही को और रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता को भेजे गए सभी संचारों की एक सत्य प्रति स्वतंत्र अभियंता द्वारा तुरंत प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

27.3 पारिश्रमिक (Remuneration)

स्वतंत्र अभियंता का पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा और अनुसूची-तमें निर्धारित सीमाओं के अधीन, ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी।

27.4 नियुक्ति की समाप्ति (Termination of appointment)

27.4.1 प्राधिकरण अपने विवेक से, किसी भी समय स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, किंतु खंड 27.1 के अनुसार दूसरे स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के बाद ही।

27.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह मानने का कारण है कि स्वतंत्र अभियंता निष्पक्ष, कुशल और निष्ठावान तरीके से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को एक लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति समाप्त करने की मांग कर सकता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति इसके तहत समाप्त कर दी जाती है,ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति इसके तहत समाप्त कर दी जाती है, तो प्राधिकरण खंड 27.1 के अनुसार तुरंत एक अन्य स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति करेगा।

27.5 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorised signatories)

प्राधिकरण स्वतंत्र अभियंता से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपनी फर्म में नियोजित 2 (दो) व्यक्तियों तक को स्वतंत्र अभियंता की ओर से और उसके निमित्त हस्ताक्षर करने के लिए नामित करे और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को इसकी सूचना दे, तथा स्वतंत्र अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हेतु अपेक्षित कोई भी संचार या दस्तावेज़ केवल तभी वैध और प्रभावी होगा जब वह नामित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता लिखित नोटिस द्वारा, नामित व्यक्तियों में से किसी को भी अपने किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है।

27.6 विवाद समाधान (Dispute resolution)

यदि कोई भी पक्षकार स्वतंत्र अभियंता की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय, अनुदेश या अधिनिर्णय (award) अथवा, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार के दावे या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता पर विवाद करता है, तो विवाद का समाधान विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) के अनुसार किया जाएगा।

27.7 अंतरिम व्यवस्था (Interim arrangement)

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने किसी स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति नहीं की है, या इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता ने अपने कार्यों का त्याग कर दिया है या उनके निर्वहन में चूक की है, तो प्राधिकरण अंतरिम रूप से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, सिवाय इसके कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र अभियंता के लिए और उसके संबंध में इस समझौते में विनिर्दिष्ट समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन या निरीक्षण से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन तब किया जाएगा जब इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किया जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि इस खंड 27.7 में निहित कोई भी बात इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 28 (ARTICLE 28)
सिटी साइड विकास (CITY SIDE DEVELOPMENT)

28.1 सिटी साइड का विकास (Development of City Side)

28.1.1 रियायतग्राही अनुसूची-बऔर अनुसूची-घमें निर्धारित शर्तों के अधीन, अनुसूची-अमें विनिर्दिष्ट भूमि पर सिटी साइड विकास करेगा और परियोजना समझौतों के माध्यम से इसके किसी या सभी हिस्सों को उप-लाइसेंस (sub-license) देने के अधिकार के साथ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऐसे विकास का व्यावसायिक दोहन करेगा।

28.1.2 रियायतग्राही अपनी लागत पर और इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार, सड़कों, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज प्रणालियों जैसी अवसंरचना का विकास और रखरखाव करेगा या करवाएगा जो सिटी साइड विकास का हिस्सा हैं।

28.2 सिटी साइड विकास का प्रचालन और रखरखाव (Operation and maintenance of City Side Development)

रियायतग्राही सिटी साइड विकास के प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति का अनुपालन करेगा और इस समझौते तथा लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन इसका वाणिज्यिक उपयोग करेगा।

28.3 लागत, कर और राजस्व (Costs, taxes and revenues)

28.3.1 संपत्ति पर करों (taxes on property) के अलावा, सिटी साइड विकास से संबंधित सभी लागत, व्यय, कर, उपकर, शुल्क और प्रभार रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास से उत्पन्न होने वाली सीमा तक प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर किसी भी कर का भुगतान प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और प्राधिकरण से आवश्यक विवरणों सहित नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

28.3.2 सिटी साइड विकास से अर्जित होने वाले सभी राजस्व रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुसार विनियोजित किए जाएंगे।

28.4 सिटी साइड विकास और भू-उपयोग पर प्रतिबंध (Restrictions on City Side Development and Land Use)

28.4.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि सिटी साइड विकास का प्रतिबंधित भाग (Restricted Part of City Side Development) और उसका भू-उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप होगा और इसमें अनुसूची-अके अनुबंध III में यथा उल्लिखित पार्किंग, ईंधन फार्म (fuel farm) और उपयोगिता अवसंरचना के लिए निर्धारित भूमि शामिल हो सकती है। उपरोक्त संदर्भित भूमि का उपयोग केवल मास्टर प्लान में उल्लिखित और परिभाषित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग (Unrestricted Part of City Side Development) को इस समझौते की अनुसूची A के अनुबंध IV में उल्लिखित सकारात्मक सूची (positive list) के रूप में प्रदान की गई आर्थिक गतिविधियों के प्रचालन हेतु वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विकसित और उपयोग किया जा सकता है। स्पष्टता के लिए, यह उल्लेख किया जाता है कि ऐसी सकारात्मक सूची में नहीं दी गई किसी भी अन्य गतिविधि के लिए लागू कानूनों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

28.4.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह खंड 5.4 और खंड 28.6 के प्रावधानों के अनुसार के सिवाय, सिटी साइड विकास के किसी भी हिस्से पर कोई समनुदेशन नहीं करेगा या किसी भी तरह से कोई भार (Encumbrance) सृजित नहीं करेगा।

28.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) पर प्रतिबंध (Restrictions on Floor Space Index)

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही को सिटी साइड विकास के लिए 2.5 (दो दशमलव पांच) का फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब लागू कानूनों के अनुसार रियायतग्राही को 2.5 से अधिक एफएसआई के उपयोग की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएसआई को रियायतग्राही द्वारा लागू दरों के अनुसार खरीदा जाना होगा। सिटी साइड विकास पर निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना की ऊंचाई उसके हवाई अड्डों से सटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। संदेह निवारण के लिए, ऊपर संदर्भित 2.5 या उससे अधिक के एफएसआई की गणना मास्टर प्लान में सिटी साइड विकास के रूप में निर्धारित कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में की जाएगी, किंतु इसमें सड़कों, पार्कों और अन्य सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।

28.6 सिटी साइड विकास का उप-लाइसेंसिंग (Sub-licensing of City Side Development)

28.6.1 खंड 5.2 और इस अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही सिटी साइड विकास का गठन करने वाली परियोजना परिसंपत्तियों को इस प्रकार उप-लाइसेंस दे सकता है कि ऐसे उप-लाइसेंस की अवधि और वैधता खंड 28.7 में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो।

28.6.2 खंड 28.6.1 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही नियत तिथि से पहले किसी भी समय सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति को उप-लाइसेंस, समनुदेशित या किसी भी तरह से कोई भार सृजित नहीं करेगा। बशर्ते, तथापि, कि इसके तहत लगाया गया प्रतिबंध विज्ञापन पर या 6 (छह) महीने से अनधिक अवधि के लिए सृजित किसी अन्य भार पर लागू नहीं होगा। संदेह निवारण के लिए, यहाँ लगाया गया प्रतिबंध प्रतिस्थापन समझौते के तहत समनुदेशन पर लागू नहीं होगा।

28.6.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 28.6.2 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति को उप-लाइसेंस, समनुदेशित या किसी भी तरह से कोई भार सृजित नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को प्राधिकरण अपने विवेक से केवल तभी अस्वीकार कर सकता है जब ऐसे उप-लाइसेंस, समनुदेशन या भार का इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ता हो या पड़ सकता हो; बशर्ते कि इस खंड 28.6.3 के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां रियायतग्राही उसके किसी भी नवीनीकरण सहित 11 (ग्यारह) महीने से अनधिक की संचयी अवधि के लिए उप-लाइसेंस प्रदान करता है। संदेह निवारण के लिए, यह सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि प्राधिकरण रियायतग्राही से पूर्ण विवरण और दस्तावेजों सहित नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर इस खंड 28.6.3 के तहत अपेक्षित अनुमोदन को अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुमोदन को उस सीमा तक प्रदान किया गया माना जाएगा जिस सीमा तक, यथास्थिति, ऐसा उप-लाइसेंस, समनुदेशन या भार इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार है।

28.6.4 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति पर किसी भी उप-लाइसेंस, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में, वह प्रचलित बाजार प्रथा के अनुसार, यथास्थिति, मासिक शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्सा, सुरक्षा जमा, प्रीमियम, ऋण और अग्रिम प्राप्त करने का हकदार है। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत होता है कि किसी भी उप-लाइसेंस, समनुदेशन या अन्य भार के लिए उसे देय प्रतिफल रियायत अवधि के दौरान समान रूप से अर्जित होगा और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा; बशर्ते कि इस अनुच्छेद 28 में कुछ भी रियायतग्राही को रियायत अवधि के

दौरान आदाता के राजस्व या लाभ में उतार-चढ़ाव के अनुपात में पूरे या प्रतिफल के किसी भी हिस्से को समायोजित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

28.6.5 इस खंड 28.6 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

28.7 समाप्ति के बाद उप-लाइसेंसधारियों के अधिकार (Rights of sub-licensees after Termination)

पक्षकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि रियायतग्राही अपने विवेक से, सिटी साइड विकास के लिए खंड 3.1.1 के तहत अनुमेय अधिकतम अवधि तक उप-लाइसेंस प्रदान कर सकता है, जिसमें उस खंड के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि शामिल होगी। पक्षकार आगे सहमत होते हैं कि ऐसी अधिकतम अनुमेय अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्ति (Termination) की स्थिति में, उप-लाइसेंसों की अवधि और उप-लाइसेंसधारियों के अधिकार इस प्रकार बने रहेंगे मानो उप-लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए थे, और प्राधिकरण प्रत्येक उप-लाइसेंस की शेष अवधि के लिए खंड 5.2.4 में संदर्भित प्रतिज्ञापत्र (Covenant) के अनुसरण में ऐसे उप-लाइसेंस में कदम रखकर (stepping into) उप-लाइसेंस का अनुदानकर्ता माना जाएगा। संदेह निवारण के लिए और उदाहरण के तौर पर, यदि विस्तारित अवधि सहित रियायत अवधि 60 (साठ) वर्ष है और रियायत समझौता नियत तिथि की 20वीं (बीसवीं) वर्षगांठ से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो उप-लाइसेंस की अवधि ऐसे उप-लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अवधि और नियत तिथि की 60वीं (साठवीं) वर्षगांठ, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित होगी।

28.8 लागू कानूनों का अनुपालन (Compliance with Applicable Laws)

रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह सिटी साइड विकास के संबंध में हर समय लागू कानूनों तथा भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुले स्थानों, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, सीवरेज और अन्य समान मामलों से संबंधित नियमों, विनियमों या उप-नियमों का अनुपालन करेगा।

28.9 वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन (Commercial advertisement or display)

रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप सिटी साइड विकास पर वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

28.10 विमानन कौशल विकास केंद्र की स्थापना (Establishment of the Aviation Skill Development Centre)

28.10.1 रियायतग्राही आईटीआई पेडने (ITI Pernem) या गोवा में किसी अन्य सरकारी आईटीआई में प्रदान की गई भूमि पर विमानन कौशल विकास केंद्र (Aviation Skill Development Centre) की स्थापना करेगा।

28.10.2 रियायतग्राही विमानन कौशल विकास केंद्र के माध्यम से विभिन्न विषयों में हर वर्ष कम से कम 75 (पचहत्तर) व्यक्तियों को अपनी लागत पर प्रशिक्षित करेगा। रियायतग्राही गोवा में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 3 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों में प्रदान किए जा रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विज्ञापन देगा। आगे बशर्ते कि, यदि ऊपर उल्लिखित विज्ञापनों पर 15 (पंद्रह) से कम व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं, तो रियायतग्राही उस विशेष अवधि के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

28.10.3 विमानन कौशल विकास केंद्र में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को उपयुक्त राज्य प्राधिकरण की मान्यता या राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) की मान्यता प्राप्त होगी।

28.10.4 रियायतग्राही इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन विमानन कौशल विकास केंद्र के प्रचालन में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग पद्धति का अनुपालन करेगा।

भाग IV
वित्तीय प्रसंविदाएं

अनुच्छेद 29 (ARTICLE 29)
वित्तीय समापन (FINANCIAL CLOSE)

29.1 वित्तीय समापन (Financial Close)

29.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि वह इस समझौते की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समापन (Financial Close) प्राप्त करेगा और विलंब की स्थिति में, वह प्राधिकरण को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि में हर्जाने (Damages) के भुगतान के अधीन, 120 (एक सौ बीस) दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा; बशर्ते कि यहाँ विनिर्दिष्ट हर्जाना प्रत्येक सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और उक्त 180 दिनों से परे की अवधि केवल इस प्रकार भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक ही प्रदान की जाएगी; आगे बशर्ते कि यदि वित्तीय समापन में ऐसा विलंब खंड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा किसी चूक या विलंब के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ है, तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही द्वारा इसके तहत देय हर्जाना खंड 4.3 के प्रावधानों के तहत देय हर्जाने (यदि कोई हो) के अतिरिक्त होगा।

29.1.2 रियायतग्राही वित्तीय समापन घटित होने पर तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा, और वित्तीय समापन से कम से कम 2 (दो) दिन पूर्व प्राधिकरण को वित्तीय पैकेज और वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सत्य प्रतियां, जो रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित होंगी, एमएस एक्सेल संस्करण में वित्तीय मॉडल की 3 (तीन) सॉफ्ट प्रतियों या उसके किसी ऐसे विकल्प के साथ जो वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्वीकार्य हो, प्रदान कर चुका होगा।

29.2 वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति (Termination due to failure to achieve Financial Close)

29.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 36.6 के अधीन, ऐसी स्थिति में जब खंड 29.1.1 में निर्धारित अवधि या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर किसी भी कारण से वित्तीय समापन नहीं होता है, तो इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियां रियायतग्राही की सहमति से छोड़ी गई और समाप्त मानी जाएंगी, और रियायत समझौते को पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि यदि पक्षों ने पारस्परिक सहमति से नियत तिथि को वित्तीय समापन से पूर्व होना निर्धारित किया है, तो इस खंड 29.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

29.2.2 खंड 29.2.1 के तहत समाप्ति पर, प्राधिकरण बोली सुरक्षा (Bid Security) को भुनाने और उसकी आय को हर्जाने के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा; बशर्ते, तथापि, कि यदि वित्तीय समापन अप्रत्याशित घटना के कारण या खंड 4.1.2 के तहत अपने किसी दायित्व में प्राधिकरण के चूककर्ता होने के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, तो वह समाप्ति पर, यथास्थिति, बोली सुरक्षा या निष्पादन सुरक्षा को और खंड 4.2 के तहत देय हर्जाने को तुरंत जारी करेगा। संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि बोली सुरक्षा को निष्पादन सुरक्षा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली सुरक्षा के बराबर राशि भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 30 (ARTICLE 30)
रियायत शुल्क (CONCESSION FEE)

30.1 रियायत शुल्क (Concession Fee)

रियायत के अनुदान के प्रतिफल में, रियायतग्राही प्राधिकरण को रियायत शुल्क के रूप में 1 रुपये (एक रुपया) प्रति वर्ष की राशि, और खंड 30.2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रीमियम ("रियायत शुल्क" / "Concession Fee") का भुगतान करेगा।

30.2 वार्षिक प्रीमियम (Annual Premium)

30.2.1 खंड 30.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किंतु खंड 30.2.2 के अधीन, रियायतग्राही नियत तिथि के घटित होने के छठे (6वें) वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए प्राधिकरण को यहाँ दिए गए प्रारूप और तरीके से उस वर्ष के दौरान सकल राजस्व (Gross Revenue) के 36.99% (छत्तीस दशमलव निन्यानवे प्रतिशत) के बराबर प्रीमियम ("वार्षिक प्रीमियम" / "Annual Premium") का भुगतान करने के लिए सहमत होता है।

30.2.2 ऐसी स्थिति में जब इस समझौते के तहत सकल राजस्व के हिस्से के रूप में मानी गई किसी उप-लाइसेंसधारी से प्राप्त जमा राशि को रियायतग्राही द्वारा किसी विशेष वर्ष में उक्त उप-लाइसेंसधारी या किसी अन्य अधिकृत पक्ष को वापस कर दिया जाता है, तो ऐसी राशि को वार्षिक प्रीमियम भुगतान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उस वर्ष के लिए रियायतग्राही के सकल राजस्व से काट लिया जाएगा।

30.2.3 इस अनुच्छेद 30 के तहत देय वार्षिक प्रीमियम को इस समझौते के प्रयोजनों के लिए रियायत शुल्क का हिस्सा माना जाएगा।

30.3 रियायत शुल्क का भुगतान (Payment of Concession Fee)

इस अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के तहत देय रियायत शुल्क मासिक किस्तों में देय और भुगतान योग्य होगा। प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही रियायत शुल्क के मद में प्राधिकरण को ठीक पूर्ववर्ती महीने के कुल सकल राजस्व के आधार पर परिकलित एक अनंतिम राशि का भुगतान करेगा, और रियायतग्राही के लेखापरीक्षित खातों के आधार पर उसका अंतिम निपटान संबंधित लेखा वर्ष के पूरा होने के 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर किया जाएगा।

30.4 सकल राजस्व का सत्यापन (Verification of Gross Revenue)

30.4.1 प्राधिकरण यह संतुष्ट करने के लिए कि रियायतग्राही अपने सकल राजस्व की ईमानदारी और निष्ठा से रिपोर्ट कर रहा है, किसी प्रतिष्ठित ऑडिट फर्म से अपने प्रतिनिधियों को हवाई अड्डे, स्वचालित शुल्क संग्रह प्रणाली के केंद्रीकृत नियंत्रणों और रियायतग्राही के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर सकता है, और रियायतग्राही के वास्तविक राजस्व का पता लगाने के लिए ऐसे अन्य उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा अर्जित सकल राजस्व के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उचित और आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी डेटा, सूचना, लॉग, शीट, दस्तावेज़ या विवरण की मांग कर सकता है।

अनुच्छेद 31 (ARTICLE 31)
उपयोगकर्ता शुल्क (USER FEES)

31.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्क संग्रह (Collection of Fees by the Concessionaire)

31.1.1 चरण I सीओडी से और हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही के पास एईआरए अधिनियम (AERA Act) और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एयरलाइनों और यात्रियों सहित उपयोगकर्ताओं से शुल्क (Fees) की मांग करने, एकत्र करने और विनियोजित करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार है, बशर्ते कि रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं की किसी भी श्रेणी के साथ सहमत ऐसी कम दरों पर शुल्क निर्धारित और एकत्र कर सकता है।

31.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाईअड्डे पर संबंधित विनिर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और रियायतग्राही किसी लागू कानून, लागू अनुमतियों या इस समझौते के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा के सिवाय, ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या नहीं लगवाएगा।

31.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी लागू कानून, लागू अनुमतियों या इस समझौते के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा के अलावा किसी भी प्रतिबंध के बिना हवाईअड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, हवाईअड्डे में निःशुल्क प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

31.1.4 रियायतग्राही वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों, विमानों, यात्रियों, विज्ञापनदाताओं और आगंतुकों सहित उपयोगकर्ताओं से शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा। किसी भी या सभी वैमानिकी सेवाओं के उपयोग के लिए वैमानिकी प्रभार (Aeronautical Charges) लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एईआरए द्वारा निर्धारित और संशोधित दरों के अनुसार होंगे।

31.1.5 पक्षकार सहमत होते हैं कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के प्रभार रियायतग्राही द्वारा यात्रियों से वसूले जाएंगे और प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को भुगतान किए जाएंगे।

32.2 दिक्चालन प्रभारों का संग्रह (Collection of Navigational Charges)

32.2.1 नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों के अनुसार एयरलाइनों से रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (RNFC) लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की हकदार होगी। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे प्रभारों का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, नामित भारत सरकार एजेंसी उस एयरलाइन को ऐसी सेवा का प्रावधान निलंबित करने और ऐसी एयरलाइन से प्रभार वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने की हकदार होगी।

32.2.2 रियायतग्राही एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जैसा कि नामित भारत सरकार एजेंसी खंड 32.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए दे सकती है, जिसमें किसी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन संचालक को ऐसी सेवा के प्रावधान के निलंबन के संबंध में निर्देश शामिल हैं।

32.3 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत (Principles of Determination and Revision of Aeronautical Charges)

32.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि कोई भी और सभी वैमानिकी प्रभार जो रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, एकत्र कर सकता है और विनियोजित कर सकता है, वे एईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और एईआरए द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एईआरए के एक आदेश के माध्यम से एईआरए द्वारा निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 101]

32.3.2 भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ. सं. AV.24011/12/2013-AD दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के माध्यम से हवाईअड्डे पर वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क (shared-till framework) को मंजूरी दी है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एईआरए द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, सिटी साइड विकास से रियायतग्राही के राजस्व को वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के लिए शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा।

32.3.3 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए वार्षिक प्रीमियम को हवाईअड्डे के पूंजीगत परिव्यय या विनियामक परिसंपत्ति आधार (RAB) या परिचालन व्यय के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा, और वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के लिए लागत के हिस्से के रूप में विचार किए जाने से हमेशा बाहर रखा जाएगा। रियायतग्राही एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय वार्षिक प्रीमियम पर एईआरए द्वारा वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण या संशोधन के लिए किसी भी प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

32.3.4 कहीं भी अन्यथा निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से चरण I सीओडी से प्रभावी रूप से टैरिफ की प्रारंभिक/तदर्थ (ad-hoc) दरों पर वैमानिकी प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा जैसा कि एईआरए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। टैरिफ की ऐसी प्रारंभिक/तदर्थ दरें एईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एईआरए द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अनुमोदन तक लागू और वैध रहेंगी। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगी कि एईआरए लागू कानूनों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा एईआरए के समक्ष दायर बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (MYTP) के आधार पर पहले नियंत्रण अवधि (first control period) के लिए अपने टैरिफ आदेश में अनुमेय राजस्व में उपयुक्त समायोजन प्रदान करे।

32.3.5 भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगी कि चरण I सीओडी से शुरू होने वाली पहली नियंत्रण अवधि (वर्तमान में 5 वर्ष) के लिए एईआरए द्वारा अनुमोदित तदर्थ या अंतिम वैमानिकी प्रभारों के संबंध में वैमानिकी राजस्व की किसी भी कम-वसूली (under-recovery) या अधिक-वसूली (over-recovery) को आगे ले जाया जाए और लागू कानूनों के अनुसार दूसरी टैरिफ नियंत्रण अवधि में अनुमेय वैमानिकी राजस्व का निर्धारण करते समय एईआरए द्वारा समायोजित किया जाए, बशर्ते कि ऐसा कैरी-फॉरवर्ड या समायोजन केवल एईआरए द्वारा निर्धारित वैमानिकी राजस्व की कम-वसूली या अधिक-वसूली के संबंध में उपलब्ध होगा, जो निम्नलिखित के अंतर पर आधारित होगा: (क) पहली नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डे पर प्रति यात्री अनुमत यील्ड (yield); तथा (ख) समान अवधि के लिए हवाईअड्डे पर प्रति यात्री वास्तविक यील्ड या एईआरए द्वारा निर्धारित डाबोलिम हवाईअड्डे के लिए प्रति यात्री अनुमोदित यील्ड, इनमें से जो भी अधिक हो।

32.3.6 रियायतग्राही को पड़ोसी हवाई अड्डों के टैरिफ के साथ टैरिफ को तुलनीय रखने के तरीकों का पता लगाने के लिए एईआरए के साथ काम करना होगा।

32.3.7 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण, उद्ग्रहण, वसूली (कम या अधिक वसूली सहित) या विनियोग से संबंधित किसी भी पहलू के संबंध में प्राधिकरण के विरुद्ध रियायतग्राही का कोई सहारा (recourse) नहीं होगा।

32.3.8 संप्रभु कार्यों को प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी तंत्र को किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए एक परिचालन व्यय माना जाएगा, और तदनुसार वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के लिए लागत के एक भाग के रूप में विचार किया जाएगा।

32.4 वैमानिकी प्रभारों के संशोधन पर संयम (Restraint on revision of Aeronautical Charges)

रियायतग्राही एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह एईआरए अधिनियम और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार के सिवाय, किसी भी रूप या तरीके से प्राधिकरण, एईआरए या किसी भी सरकारी तंत्र से वैमानिकी प्रभारों के किसी भी संशोधन या किसी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, रियायतग्राही एईआरए से या अन्यथा वैमानिकी प्रभारों में किसी संशोधन की मांग न करने का वचन देता है, और यदि लागू कानूनों और/या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अनुसार ऐसा कोई संशोधन मांगा जाता है, तो वह हर समय उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

32.5 वैमानिकी प्रभारों की समीक्षा (Review of Aeronautical Charges)

32.5.1 अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले वैमानिकी प्रभारों की समीक्षा एईआरए अधिनियम और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एईआरए द्वारा की जाएगी, बशर्ते, तथापि, कि ऐसी समीक्षा किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या आधार पर भरोसा नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी या विचार नहीं करेगी जिसके लिए और जिसके संबंध में इस समझौते में वैमानिकी प्रभारों, रियायत अवधि या किसी अन्य प्रकार की राहत या उपाय में संशोधन प्रदान किया गया है।

32.5.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विनिर्देशों और मानकों में परिवर्तन, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून का बल रखने वाले नए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत (यदि कोई हो) या उसमें कमी की समीक्षा वैमानिकी प्रभारों के संशोधन के प्रयोजनों के लिए एईआरए द्वारा की जा सकती है। एईआरए द्वारा ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी लागू अनुमतियों के अनुसार वैमानिकी सेवाओं के लिए और उनके संबंध में राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

32.5.3 खंड 32.5.1 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी प्रभारों की किसी भी समीक्षा में उन राजस्वों, समायोजनों, वसूलियों या भुगतानों (यदि कोई हों) को ध्यान में रखा जाएगा जो पक्षों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वसूल किए हैं या किए हैं, और एईआरए यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई और वसूली या भुगतान, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को देय है या उससे प्राप्य है। एईआरए जहाँ तक संभव हो, एईआरए अधिनियम और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वैमानिकी प्रभारों की दर में उचित वृद्धि या कमी करके और ऐसी अवधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, इसके तहत अपने निर्धारण को प्रभावी बना सकता है। बशर्ते, तथापि, कि यदि एईआरए यह निर्धारित करता है कि वैमानिकी प्रभारों में कोई वृद्धि अनुचित है और उपयोगकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, तो वह ऐसी वृद्धि को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ कर सकता है।

32.5.4 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस खंड 32.5 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी प्रभारों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

32.6 वैमानिकी प्रभारों में वृद्धि पर कतिपय सीमाएं (Certain limitations on increase in Aeronautical Charges)

32.6.1 खंड 32.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में किसी पूंजीगत लागत को वहन करने की आवश्यकता होने की स्थिति में, रियायतग्राही प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के परामर्श से उसकी जांच के लिए एईआरए को विनिर्देश और लागत प्रस्तुत करेगा। ऐसी जांच और परामर्श पूरा होने पर, एईआरए इस खंड 32.6 के प्रावधानों के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा वहन की जाने वाली अपेक्षित पूंजीगत लागत का निर्धारण करेगा।

32.6.2 रियायतग्राही प्राधिकरण और अन्य सरकारी तंत्रों द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार आगामी चरणों के लिए निर्माण कार्य करेगा और पूरा करेगा, और निर्माण कार्यों के लिए और उनके संबंध में इस समझौते के प्रावधान इस खंड 32.6 के अनुसरण में किए गए निर्माण कार्यों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

32.6.3 इस खंड 32.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत खर्च को प्रासंगिक निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, जिसमें एईआरए के लागू टैरिफ दिशानिर्देश शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा वसूला जाएगा।

32.7 शुल्क अपवंचन हेतु शास्ति (Penalty for evasion of Fees)

ऐसी स्थिति में जब कोई उपयोगकर्ता देय शुल्क का भुगतान किए बिना हवाईअड्डे का उपयोग करता है, तो रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, ऐसे व्यक्ति से देय शुल्क और हवाईअड्डे का अनधिकृत उपयोग करने के प्रयास के लिए हर्जाने के रूप में उसकी दोगुनी राशि तक निर्धारित करने और एकत्र करने का हकदार होगा; बशर्ते कि ऐसे शुल्क और हर्जाने का निर्धारण और संग्रह रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगा और प्राधिकरण इस मद में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 वैमानिकी प्रभारों का प्रदर्शन (Display of Aeronautical Charges)

32.8.1 रियायतग्राही अपनी वेबसाइट पर और अपने कार्यालय में उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए वैमानिकी प्रभारों की लागू दरों को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

32.8.2 रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को लागू वैमानिकी प्रभारों के बारे में सूचित करेगा।

32.8.3 रियायतग्राही एईआरए द्वारा विनिर्दिष्ट वैमानिकी प्रभारों की दरों से अधिक किसी भी राशि को संशोधित, प्रदर्शित या एकत्र नहीं करेगा।

32.9 मासिक शुल्क विवरण (Monthly Fee Statement)

परिचालन अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को काफी हद तक अनुसूची-ढमें निर्धारित प्रारूप में शुल्क का एक विवरण ("मासिक शुल्क विवरण" / "Monthly Fee Statement") प्रस्तुत करेगा। रियायतग्राही अपने सांविधिक कार्यों के निर्वहन में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी भी प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

32.10 शुल्क ठेकेदार (Fee contractor)

रियायतग्राही अपनी ओर से और अपने निमित्त शुल्क एकत्र करने के लिए एक शुल्क ठेकेदार (fee contractor) या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है; बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार शुल्क के संग्रह और एस्क्रो खाते में इसके जमा करने तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार बना रहेगा।

अनुच्छेद 33 (ARTICLE 33)
एस्क्रो खाता (ESCROW ACCOUNT)

33.1 एस्क्रो खाता (Escrow Account)

33.1.1 रियायतग्राही नियत तिथि से पूर्व एस्क्रो समझौते के साथ पठित इस समझौते के अनुसार एक बैंक ("एस्क्रो बैंक" / "Escrow Bank") के पास एक एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

33.1.2 एस्क्रो खाते की प्रकृति और कार्यक्षेत्र का पूर्ण विवरण उस समझौते ("एस्क्रो समझौता" / "Escrow Agreement") में दिया गया है जो रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं के बीच किया जाना है, जो काफी हद तक अनुसूची-दमें निर्धारित प्रारूप में होगा।

33.2 एस्क्रो खाते में जमा (Deposits into Escrow Account)

रियायतग्राही एस्क्रो खाते में निम्नलिखित आगम और प्राप्तियां जमा करेगा या करवाएगा:

(क) बैंकों, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों और बीमा कंपनियों से परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि;

(ख) हवाईअड्डे से या उसके संबंध में सभी शुल्क और कोई अन्य राजस्व, जिसमें किसी भी किराये, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों या बीमा दावों की आय शामिल है; तथा

(ग) किसी भी बकाया रियायत शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान।

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ईपीसी ठेकेदार को सीधे संवितरण कर सकते हैं।

आगे बशर्ते कि उप-लाइसेंसधारियों या समनुदेशितियों द्वारा अर्जित राजस्व एस्क्रो खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

33.3 रियायत अवधि के दौरान निकासी (Withdrawals during Concession Period)

33.3.1 रियायतग्राही एस्क्रो खाता खोलने के समय, एस्क्रो समझौते के माध्यम से एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया जाएगा कि एस्क्रो खाते में जमा राशियों को प्रत्येक माह, या आवश्यकतानुसार छोटे अंतरालों पर निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, और यदि किसी माह में देय नहीं है तो ऐसे माह में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाएगा और एस्क्रो खाते में बनाए रखा जाएगा तथा देय होने वाले माह में उसमें से भुगतान किया जाएगा:

(क) सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग को छोड़कर, हवाईअड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) हवाईअड्डे के निर्माण से संबंधित सभी भुगतान, वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन और उनके अनुसार;

(ग) लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित सीमा (यदि कोई हो) के अधीन O&M व्यय;

(घ) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए गए O&M व्यय और अन्य लागत एवं व्यय, और प्राधिकरण द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्रमाणित;

(ङ) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य रियायत शुल्क;

(च) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा (Debt Service) का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(छ) रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित सभी भुगतान और हर्जाना;

(ज) अधीनस्थ ऋण (Subordinated Debt) के संबंध में एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा भुगतानों का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(झ) वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित कोई भी आरक्षित आवश्यकताएं; तथा

(ञ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

33.3.2 रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के सिवाय, खंड 33.3.1 में विनिर्दिष्ट भुगतान के क्रम को किसी भी तरह से संशोधित नहीं करेगा।

33.4 समाप्ति पर निकासी (Withdrawals upon Termination)

33.4.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते में जमा सभी राशियां, समाप्ति (Termination) पर निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएंगी:

(क) सिटी साइड विकास के अप्रतिबंधित भाग को छोड़कर, हवाईअड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) अधीनस्थ ऋण को छोड़कर देय ऋण (Debt Due) का 90% (नब्बे प्रतिशत);

(ग) बकाया रियायत शुल्क;

(घ) प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्रमाणित सभी भुगतान और हर्जाना;

(ङ) अनुच्छेद 41 में निर्धारित दोषों और कमियों के दायित्व से संबंधित प्रतिधारण और भुगतान;

(च) देय ऋण के शेष सहित बकाया ऋण सेवा;

(छ) बकाया अधीनस्थ ऋण;

(ज) उपगत या अर्जित O&M व्यय;

(झ) इस समझौते के तहत किए जाने वाले कोई अन्य भुगतान; तथा

(ञ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

बशर्ते कि इस खंड 33.4.1 के उप-खंड (ञ) के तहत तब तक कोई विनियोग नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा निहितिकरण प्रमाणपत्र (Vesting Certificate) जारी न कर दिया गया हो।

33.4.2 इस अनुच्छेद 33 के प्रावधान और एस्क्रो समझौते में निहित निर्देश तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेंगे जब तक कि अनुच्छेद 41 में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नहीं हो जाता।

अनुच्छेद 34 (ARTICLE 34)
बीमा (INSURANCE)

34.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा (Insurance during Concession Period)

रियायतग्राही निर्माण अवधि और परिचालन अवधि के दौरान अपनी लागत पर, ऐसी अधिकतम राशियों के लिए ऐसा बीमा करवाएगा और बनाए रखेगा जैसा कि वित्तपोषण समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकता है, और ऐसा बीमा जो उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण हो सकता है। रियायतग्राही ऐसे बीमा भी करवाएगा और बनाए रखेगा जो निर्माण अवधि के दौरान रियायतग्राही के किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण पर आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में प्राधिकरण एक सह-बीमित (co-insured) होगा और बीमाकर्ता बीमा की आय का भुगतान एस्क्रो खाते में करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं के बकाये का पूर्ण पुनर्भुगतान

होने के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा का स्तर वरिष्ठ ऋणदाताओं के बकाये के ऐसे पुनर्भुगतान से पहले बीमा के स्तर का निर्धारण करने के लिए लागू समान सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाएगा।

34.2 बीमा कवर (Insurance Cover)

खंड 34.1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान निम्नलिखित सहित बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(क) प्रतिस्थापन मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपी गई परिसंपत्तियों सहित परियोजना परिसंपत्तियों की हानि, क्षति या विनाश;

(ख) प्राधिकरण के कर्मियों या हवाईअड्डे में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्तियों की चोट या मृत्यु सहित व्यापक तृतीय पक्ष दायित्व बीमा;

(ग) रियायत से उत्पन्न होने वाला रियायतग्राही का सामान्य दायित्व;

(घ) वस्तुओं या संपत्ति के नुकसान के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व;

(ङ) कर्मकार प्रतिकर बीमा (workmen's compensation insurance); तथा

(च) कोई अन्य बीमा जो रियायतग्राही और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसमें वे सभी अप्रत्याशित घटनाएँ (Force Majeure Events) शामिल हैं जो व्यावसायिक रूप से उचित प्रीमियम पर बीमा योग्य हैं और ऊपर मद (क) से (ङ) में शामिल नहीं हैं।

34.3 प्राधिकरण को नोटिस (Notice to the Authority)

यथास्थिति, निर्माण अवधि या परिचालन अवधि के प्रारंभ से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को इस अनुच्छेद 34 के अनुसार अपने द्वारा प्रभावी और बनाए रखने के लिए प्रस्तावित बीमा के संबंध में उचित विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करेगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही से इसके अनुसरण में आवश्यक ऐसे अन्य बीमा करवाने और बनाए रखने की मांग कर सकता है, और ऐसे किसी भी बीमा से संबंधित किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

34.4 बीमा कवर का साक्ष्य (Evidence of Insurance Cover)

इस अनुच्छेद 34 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त सभी बीमा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप शर्तों पर बीमाकर्ताओं के पास बनाए रखे जाएंगे। कोई भी बीमा कवर प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, रियायतग्राही बीमा प्रमाणपत्र(प्रमाणपत्रों) की नोटरीकृत सत्य प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और ऐसे बीमा के संबंध में प्रीमियम भुगतान रसीदें प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, और ऐसे किसी भी बीमा को तब तक रद्द, संशोधित या समाप्त या व्यपगत (lapse) नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का नोटिस दिए जाने के बाद कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन समाप्त न हो जाएं।

34.5 बीमा कराने में विफलता हेतु उपाय (Remedy for failure to insure)

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमाओं को कराने और लागू रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखे, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करे तथा उसकी लागत रियायतग्राही से वसूल करे, अथवा समाप्ति भुगतान (Termination Payment) की गणना की स्थिति में, बीमा कवर के बराबर की राशि को रियायतग्राही द्वारा प्राप्त माना गया माने।

34.6 प्रत्यासन का अधित्याग (Waiver of subrogation)

इस अनुच्छेद 34 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा के संबंध में सभी बीमा पॉलिसियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण, और उसके समनुदेशितियों, उत्तराधिकारियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों (underwriters) के विरुद्ध बीमाकर्ताओं के किसी भी और सभी प्रत्यासन (subrogation) या वसूली के अधिकारों का अधित्याग शामिल होगा, और ऐसी किसी भी पॉलिसी के तहत बीमित ऐसे किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के संबंध में या बीमा की ऐसी पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, दायित्व या बाध्यता से किसी भी तरह से जुड़े कुर्की द्वारा या अन्यथा किसी भी मुजरा (set-off) या प्रतिदावे (counterclaim) या किसी अन्य कटौती के बीमाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का अधित्याग शामिल होगा।

34.7 रियायतग्राही का अधित्याग (Concessionaire's waiver)

रियायतग्राही इसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण और उसके समनुदेशितियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के विरुद्ध किसी भी और सभी प्रत्यासन या वसूली के अधिकारों को मुक्त, समनुदेशित और अधित्यक्त करता है, जो रियायतग्राही के पास अन्यथा इस समझौते के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा बनाए रखी गई या बनाए रखने के लिए अपेक्षित बीमा पॉलिसियों (तृतीय पक्ष दायित्व बीमा पॉलिसियों के अलावा) द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, दायित्व या बाध्यता के संबंध में या उससे उत्पन्न हो सकते हैं या बीमा की ऐसी किसी भी पॉलिसी की सीमाओं की अपर्याप्तता या डिडक्टिबल खंडों (deductible clauses) के कारण हो सकते हैं।

34.8 बीमा आय का अनुप्रयोग (Application of insurance proceeds)

जीवन और व्यक्तिगत चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त आय का भुगतान एस्क्रो खाते में जमा करके रियायतग्राही को किया जाएगा और वह खंड 33.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, ऐसी आय का उपयोग हवाईअड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए करेगा, और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

34.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन (Compliance with conditions of insurance policies)

रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी की गई बीमा पॉलिसियों के तहत लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों से प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और वचन देता है।

अनुच्छेद 35 (ARTICLE 35)
लेखा और लेखापरीक्षा (ACCOUNTS AND AUDIT)

35.1 लेखापरीक्षित खाते (Audited accounts)

35.1.1 रियायतग्राही इस समझौते, उत्तम उद्योग पद्धति, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार अपनी सभी प्राप्तियों (हवाईअड्डे और/या इसके उपयोग से या उसके कारण इसके द्वारा प्राप्त/एकत्रित सभी सकल राजस्व और अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतानों (एस्क्रो खाते से भुगतान सहित), परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली खाता-बही बनाए रखेगा। रियायतग्राही संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अपनी बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण (cash flow statement) और लाभ-हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां, अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की उस पर

एक रिपोर्ट के साथ प्रदान करेगा और ऐसे लेखापरीक्षित खाते, सिवाय इसके जहां स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रदान किया गया हो, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेंगे। प्राधिकरण को कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और भुगतानों के आधार के सत्यापन के लिए प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाता-बही के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियों की मांग करने का अधिकार होगा, और किसी भी विसंगति या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में, उसे सुधारा जाएगा और ऐसा सुधारा गया खाता इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेगा।

35.1.2 रियायतग्राही किसी लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को पूर्ववर्ती तिमाही के संबंध में अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (unaudited financial results) प्रस्तुत करेगा, जिसमें (क) हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले और उसके शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना, (ख) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, सकल राजस्व और हवाई अड्डे, सिटी साइड तथा परियोजना से जुड़ी किसी अन्य परिसंपत्ति से प्राप्त और सीधे रियायतग्राही, उसके उप-लाइसेंसधारियों और किसी अन्य पक्ष द्वारा अर्जित अन्य राजस्व, जिसे इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को किसी भी व्यवस्था के माध्यम से इस समझौते की शर्तों के अनुसार उप-लाइसेंस या हस्तांतरित किया गया है, तथा (ग) ऐसी अन्य जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित हो, पर संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी।

35.1.3 प्रत्येक वर्ष 31 (इकतीस) मई को या उससे पहले, रियायतग्राही पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए प्राधिकरण को अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें (क) हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले और उसके शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना, (ख) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, सकल राजस्व और हवाई अड्डे, सिटी साइड तथा परियोजना से जुड़ी किसी अन्य परिसंपत्ति से प्राप्त और सीधे रियायतग्राही, उसके उप-लाइसेंसधारियों और किसी अन्य पक्ष द्वारा अर्जित अन्य राजस्व, जिसे इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को किसी भी व्यवस्था के माध्यम से इस समझौते की शर्तों के अनुसार उप-लाइसेंस या हस्तांतरित किया गया है, तथा (ग) ऐसी अन्य जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित हो, पर संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी।

35.2 लेखापरीक्षकों की नियुक्ति (Appointment of auditors)

35.2.1 रियायतग्राही चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की 5 (पांच) प्रतिष्ठित फर्मों की पारस्परिक रूप से सहमत सूची ("चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल" / "Panel of Chartered Accountants") में से अपने द्वारा चुनी गई एक फर्म को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditors) के रूप में नियुक्त करेगा और इस समझौते के अस्तित्व के दौरान रखेगा, ऐसी सूची काफी हद तक अनुसूची-धमें निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सांविधिक लेखापरीक्षकों की सभी फीस और खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

35.2.2 रियायतग्राही प्राधिकरण को 45 (पैंतालीस) दिनों के नोटिस के बाद अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थानी सांविधिक लेखापरीक्षक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से नियुक्त किए जाएं।

35.2.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण को उन सभी मामलों, खर्चों, लागतों, वसूलियों और चीजों का ऑडिट और सत्यापन करने के लिए, जिन्हें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस समझौते के अनुसरण में करना, संपन्न करना या प्रमाणित करना आवश्यक है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से समय-समय पर और किसी भी समय अपनी लागत पर एक अन्य फर्म

("अतिरिक्त लेखापरीक्षक" / "Additional Auditors") नियुक्त करने का अधिकार होगा, बाध्यता नहीं।

35.2.4 प्राधिकरण को निर्माण अवधि की अवधि के लिए रियायतग्राही के खातों का समवर्ती ऑडिट (concurrent audit) करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से अपनी लागत पर एक अन्य फर्म ("समवर्ती लेखापरीक्षक" / "Concurrent Auditors") नियुक्त करने का अधिकार होगा, बाध्यता नहीं।

35.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण (Certification of claims by Statutory Auditors)

प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, व्ययों, खातों या ऑडिट और उसके आनुषंगिक किसी भी मामले के संबंध में या उससे संबंधित रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज़ केवल तभी वैध और प्रभावी होगा जब वह उसके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो। संदेह निवारण के लिए, खंड 32.9 के तहत मासिक शुल्क विवरण प्रस्तुत करने सहित सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसे प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

35.4 मुजरा / सेट-ऑफ (Set-off)

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई राशि देय और भुगतान योग्य हो, तो वह रियायतग्राही द्वारा उसे देय किसी भी राशि का मुजरा (set-off) कर सकता है और शेष बची राशि का भुगतान कर सकता है। इस खंड 35.4 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों का कोई भी प्रयोग इस समझौते के तहत या अन्यथा उसके पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

35.5 विवाद समाधान (Dispute resolution)

यथास्थिति, अतिरिक्त लेखापरीक्षकों या समवर्ती लेखापरीक्षकों के निष्कर्षों और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणीकरण के बीच कोई मतभेद होने की स्थिति में, ऐसे लेखापरीक्षक मतभेदों को हल करने के लिए बैठक करेंगे और यदि वे इसे हल करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद का समाधान प्राधिकरण द्वारा विवाद समाधान प्रक्रिया का सहारा लेकर किया जाएगा।

भाग V
अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

अनुच्छेद 36 (ARTICLE 36)
अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE)

36.1 अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

इस समझौते में यथाप्रयुक्त, अभिव्यक्ति "अप्रत्याशित घटना" या "अप्रत्याशित घटना की घटना" ("Force Majeure" / "Force Majeure Event") का अर्थ, स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, क्रमशः खंड 36.2, 36.3 और 36.4 में यथा परिभाषित गैर-राजनीतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना और राजनीतिक घटना में से किसी या सभी का भारत में घटित होना होगा, यदि यह अप्रत्याशित घटना के लाभ का दावा करने वाले पक्ष ("प्रभावित पक्ष" / "Affected Party") द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करता है और जो कृत्य या घटना (क) प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, और (ख) प्रभावित पक्ष उचित तत्परता बरतने और उत्तम

उद्योग पद्धति का पालन करके रोक या दूर नहीं कर सकता था, और (ग) प्रभावित पक्ष पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव (Material Adverse Effect) डालती है।

36.2 गैर-राजनीतिक घटना (Non-Political Event)

गैर-राजनीतिक घटना (Non-Political Event) का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

(क) दैवीय कृत्य (act of God), महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकरण विकिरण, आग या विस्फोट (स्थल के बाहर के किसी स्रोत से उत्पन्न होने वाले संदूषण या विकिरण या आग या विस्फोट की सीमा तक);

(ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही, ठेकेदारों या उनके संबंधित कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले, या उनमें से किसी के किसी कार्य या चूक के कारण होने वाले बहिष्कार के अलावा) जो किसी लेखा वर्ष में निरंतर 24 (चौबीस) घंटे की अवधि और कुल 7 (सात) दिनों से अधिक अवधि के लिए हवाईअड्डे की आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करते हैं, और खंड 36.3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना नहीं हैं;

(ग) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या विलंब किंतु केवल उस सीमा तक जो किसी अन्य गैर-राजनीतिक घटना के कारण हुआ हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिपूरक मुआवजा देय न हो;

(घ) किसी विदेशी ठेकेदार द्वारा भारत में उपकरणों के वितरण में कोई विलंब या विफलता यदि ऐसा विलंब या विफलता भारत के बाहर ऊपर उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिपूरक मुआवजा देय न हो;

(ङ) किसी भी कार्यवाही में रियायतग्राही के विरुद्ध सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय या सांविधिक प्राधिकरण का कोई निर्णय या आदेश जो (i) रियायतग्राही द्वारा किसी लागू कानून या लागू अनुमति का पालन करने में विफलता, या (ii) किसी लागू कानून या लागू अनुमति या किसी अनुबंध के उल्लंघन के कारण, या (iii) इस समझौते के प्रवर्तन, या (iv) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग के अलावा अन्य कारणों से दिया गया हो;

(च) स्थल पर ऐसी भूवैज्ञानिक स्थितियों, जहरीले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज जिसकी स्थल निरीक्षण के माध्यम से खोजे जाने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी; या

(छ) पूर्वगामी में से किसी के सदृश प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

36.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना (Indirect Political Event)

अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना (Indirect Political Event) का अर्थ निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

(क) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध (embargo), दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक अशांति या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़;

(ख) कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, अशांति, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसका किसी विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था और जो परियोजना के निर्माण या प्रचालन को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक या अन्यथा संभव नहीं बनाती है;

(ग) किसी लेखा वर्ष में निरंतर 24 (चौबीस) घंटे की अवधि और कुल 7 (सात) दिनों से अधिक अवधि के लिए उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई;

(घ) कोई नागरिक अशांति, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो किसी लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए रियायतग्राही द्वारा शुल्क के संग्रह को रोकता है;

(ङ) किसी भी भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक खोज के बाद ऐसे कार्यों के रुकने की स्थिति में, संशोधनों के साथ या बिना, रियायतग्राही को निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति देने में प्राधिकरण की विफलता;

(च) किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण किसी ठेकेदार की विफलता या विलंब और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिपूरक मुआवजा देय नहीं होता है;

(छ) कोई भी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना जो गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या

(ज) पूर्वगामी में से किसी के सदृश प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

36.4 राजनीतिक घटना (Political Event)

राजनीतिक घटना (Political Event) का अर्थ किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा या उसके कारण निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक होगा:

(क) कानून में परिवर्तन (Change in Law), केवल तभी यदि उसके परिणामों से अनुच्छेद 43 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार नहीं निपटा जा सकता है और वित्तीय दृष्टि से इसका प्रभाव खंड 43.1 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक है;

(ख) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या रियायतग्राही या ठेकेदारों के किसी भी परियोजना परिसंपत्ति या अधिकारों का हरण (expropriation);

(ग) इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही या ठेकेदारों में से किसी के द्वारा अपेक्षित किसी भी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), सहमति, अनुमोदन या छूट का गैर-कानूनी या अनधिकृत या बिना क्षेत्राधिकार के निरस्तीकरण, या वैध कारण के बिना नवीनीकरण या अनुदान से इनकार करना; बशर्ते कि ऐसा विलंब, संशोधन, इनकार या निरस्तीकरण ऐसी मंजूरी, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट के अनुदान, रखरखाव या नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की असमर्थता या विफलता के परिणामस्वरूप नहीं हुआ हो;

(घ) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या विलंब किंतु केवल उस सीमा तक जो किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण हुआ हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई प्रतिपूरक मुआवजा देय न हो; या

(ङ) पूर्वगामी में से किसी के सदृश प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

36.5 अप्रत्याशित घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य (Duty to report Force Majeure Event)

36.5.1 किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को इस तरह के घटित होने की सूचना देगा। इसके अनुसरण में किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा:

(क) प्रत्येक अप्रत्याशित घटना की प्रकृति और सीमा जो इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ इस अनुच्छेद 36 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय है;

(ख) अनुमानित अवधि और प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी अप्रत्याशित घटना का इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रभावित पक्ष के निष्पादन पर पड़ रहा है या पड़ेगा;

(ग) वे उपाय जो प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए कर रहा है

या करने का प्रस्ताव करता है; तथा

(घ) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

36.5.2 प्रभावित पक्ष किसी अप्रत्याशित घटना के लिए या उसके संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अप्रत्याशित घटना के घटित होने के बारे में यथोचित व्यावहारिक रूप से शीघ्र, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा इसके घटित होने की जानकारी मिलने या यथोचित रूप से जानकारी होनी चाहिए थी के 7 (सात) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को सूचित न किया हो, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर अप्रत्याशित घटना के संभावित तात्विक प्रभाव का विवरण न दिया हो।

36.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना से भौतिक रूप से प्रभावित होने का दावा करना जारी रखता है, वह दूसरे पक्ष को खंड 36.5.1 द्वारा अपेक्षित जानकारी युक्त नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा, और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा जैसा कि दूसरा पक्ष प्रभावित पक्ष से यथोचित रूप से प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है।

36.6 रियायत पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव (Effect of Force Majeure Event on the Concession)

36.6.1 नियत तिथि से पूर्व किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए खंड 29.1.1 में निर्धारित अवधि को अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

36.6.2 नियत तिथि के बाद किसी भी समय, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है:

(क) सीओडी से पहले, तो रियायत अवधि और परियोजना पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों को उस अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा जिसके लिए ऐसी अप्रत्याशित घटना बनी रहती है; या

(ख) किसी चरण के सीओडी के बाद, जिसके पश्चात रियायतग्राही सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद वैमानिकी प्रभार एकत्र करने में असमर्थ है या प्राधिकरण या किसी सरकारी तंत्र द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व के दौरान उसके संग्रह को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, तो एईआरए ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त उपाय प्रदान करेगा।

36.7 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन (Allocation of costs arising out of Force Majeure)

36.7.1 नियत तिथि से पूर्व किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, पक्षकार अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को उसकी कोई लागत चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।

36.7.2 नियत तिथि के पश्चात किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना के कारण होने वाली और सीधे परियोजना से संबंधित लागत ("अप्रत्याशित घटना लागत" / "Force Majeure Costs") का आवंटन और भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) गैर-राजनीतिक घटना घटित होने पर, पक्षकार अपनी-अपनी अप्रत्याशित घटना लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को उसकी कोई लागत चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना घटित होने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अप्रत्याशित घटना लागत, जो ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए बीमा कवर से अधिक न हो, रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएगी, और जिस सीमा तक अप्रत्याशित घटना लागत ऐसे बीमा कवर से अधिक हो, उस अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति

किया जाएगा; तथा

(ग) राजनीतिक घटना घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अप्रत्याशित घटना लागत की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को की जाएगी।

संदेह निवारण के लिए, अप्रत्याशित घटना लागत में ऋण पर ब्याज भुगतान, O&M व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में कोई वृद्धि और सीधे अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाली अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, किंतु इसमें शुल्क राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे, और ऐसी लागतों का निर्धारण करने के लिए, वित्तीय पैकेज में निहित जानकारी पर उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है जिस सीमा तक ऐसी जानकारी प्रासंगिक हो।

36.7.3 इस अनुच्छेद 36 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के सिवाय, कोई भी पक्षकार किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाहियों अथवा इसके अनुसरण में किसी अधिकार के प्रयोग के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

36.8 अप्रत्याशित घटना हेतु समाप्ति नोटिस (Termination Notice for Force Majeure Event)

यदि कोई अप्रत्याशित घटना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से इस अनुच्छेद 36 में दिए गए प्रावधानों के सिवाय, किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस (Termination Notice) जारी करके इस समझौते को समाप्त कर सकता है, और ऐसा समाप्ति नोटिस जारी होने पर, यह समझौता इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, तत्काल समाप्त हो जाएगा; बशर्ते कि ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, समाप्ति नोटिस जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को इस तरह के इरादे की सूचना देगा और अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, अपने एकमात्र विवेक से समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

36.9 अप्रत्याशित घटना हेतु समाप्ति भुगतान (Termination Payment for Force Majeure Event)

36.9.1 यदि समाप्ति किसी गैर-राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को देय ऋण (Debt Due) के 90% (नब्बे प्रतिशत) में से बीमा कवर घटाकर शेष राशि के बराबर समाप्ति भुगतान (Termination Payment) करेगा।

36.9.2 यदि समाप्ति किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित के बराबर राशि का समाप्ति भुगतान करेगा:

(क) देय ऋण में से बीमा कवर घटाकर; बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी भी बीमा दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे अवैतनिक दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) देय ऋण की गणना में शामिल किया जाएगा;

(ख) समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity) का 110% (एक सौ दस प्रतिशत); तथा

(ग) अतिरिक्त समाप्ति भुगतान (Additional Termination Payment) के बराबर राशि में से बीमा कवर घटाकर;

बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी भी बीमा दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे अवैतनिक दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) इसके तहत देय राशि की गणना में शामिल किया जाएगा।

36.9.3 यदि समाप्ति किसी राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को खंड 39.3.2 के तहत देय राशि के बराबर समाप्ति भुगतान करेगा मानो यह प्राधिकरण चूक (Authority Default) थी।

36.10 विवाद समाधान (Dispute resolution)

ऐसी स्थिति में जब पक्षकार किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में सद्भावपूर्वक सहमत होने में असमर्थ हों, तो ऐसे विवाद का अंतिम निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा; बशर्ते कि ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व के संबंध में सबूत का भार (burden of proof) ऐसी अप्रत्याशित घटना के आधार पर राहत और/या छूट का दावा करने वाले पक्ष पर होगा।

36.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट (Excuse from performance of obligations)

यदि प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पूर्ण या आंशिक रूप से पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने ऐसे दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी जिस सीमा तक वह ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन करने में असमर्थ है; बशर्ते कि:

(क) निष्पादन का निलंबन अप्रत्याशित घटना द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित सीमा से अधिक व्यापक और लंबी अवधि का नहीं होगा;

(ख) प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व या घटित होने के परिणामस्वरूप या उससे उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष के नुकसान को कम करने या सीमित करने तथा उचित तत्परता के साथ उसे ठीक करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा; तथा

(ग) जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को पुनः शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो वह दूसरे पक्ष को इस आशय की सूचना देगा और इसके तहत अपने दायित्वों का निष्पादन तुरंत पुनः शुरू करेगा।

36.12 अदृश्य घटनाओं हेतु राहत (Relief for Unforeseen Events)

36.12.1 इस समझौते में परिकल्पित या संदर्भित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के घटित होने पर, जिसका किसी विवेकपूर्ण और कर्मठ व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ("अदृश्य घटना" / "Unforeseen Event"), कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी अदृश्य घटना के घटित होने की सूचना उसके विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर उसके प्रभावों के साथ दे सकता है। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार बैठक करेंगे और यह निर्धारित करने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अदृश्य घटना घटित हुई है, और उसके घटित होने पर सहमति बनने पर इस खंड 36.12 के प्रावधानों के अनुसार उससे निपटेंगे।

36.12.2 किसी अदृश्य घटना के घटित होने के निर्धारण पर, पक्षकार एक सुलह न्यायाधिकरण (conciliation tribunal) को संदर्भ देंगे जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्तियों में से नामित एक-एक सदस्य शामिल होगा और इस प्रकार नामित सुलहकर्ता एक अध्यक्ष का चयन करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

36.12.3 खंड 36.12.2 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाही अनुच्छेद 46 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करेगा मानो यह उस अनुच्छेद के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही है, सिवाय इसके जैसा कि इस खंड 36.12 में प्रदान किया गया है।

36.12.4 इस खंड 36.12 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण यह संतुष्ट करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करेगा कि:

(क) एक अदृश्य घटना घटित हुई है;

(ख) ऐसी अदृश्य घटना के प्रभावों को किसी ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जो समझौते में परिकल्पित नहीं है; तथा

(ग) अदृश्य घटना या उसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा अपनी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं;

और यदि सुलह न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रत्येक शर्त पूरी होती है, तो वह इस आशय का एक आदेश जारी करेगा और इस खंड 36.12 के तहत आगे की कार्यवाही संचालित करेगा।

36.12.5 इस खंड 36.12 में संदर्भित सुलह कार्यवाही के पूरा होने पर, सुलह न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है जो:

(क) निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित होंगी;

(ख) अदृश्य घटना के प्रभावों को कम करने के लिए जितनी आवश्यक हो, उससे अधिक कार्यक्षेत्र की नहीं होंगी;

(ग) अदृश्य घटना के प्रभावों को कम करने के लिए जितनी आवश्यक हो, उससे अधिक लंबी अवधि की नहीं होंगी; तथा

(घ) राहत या उपाय के संदर्भ में परिमाणित और प्रतिबंधित होंगी।

36.12.6 खंड 36.12.5 में संदर्भित आदेश प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार बैठक करेंगे और अदृश्य घटना के प्रभावों को कम करने तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुलह न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपाय को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। इसके अनुसरण में, पक्षकार एक सहमति ज्ञापन ("MoU") में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें इसके तहत हुआ समझौता निर्धारित होगा, और ऐसे समझौता ज्ञापन की शर्तों का वही बल और प्रभाव होगा मानो वे इस समझौते का हिस्सा हों।

अनुच्छेद 37 (ARTICLE 37)

समझौते के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति (COMPENSATION FOR BREACH OF AGREEMENT)

37.1 रियायतग्राही द्वारा चूक हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for default by the Concessionaire)

रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तात्विक उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह ऐसे तात्विक उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा वहन या उपगत की गई सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजे के रूप में आवश्यक विवरणों सहित मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को भुगतान करेगा; बशर्ते कि इस खंड 37.1 के तहत किसी ऐसे तात्विक उल्लंघन या चूक के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते के तहत हर्जाना (Damages) स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट और देय है अथवा प्राधिकरण द्वारा वहन किए गए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए देय नहीं होगा।

37.2 प्राधिकरण द्वारा चूक हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for default by the Authority)

खंड 37.5 के प्रावधानों के अधीन, नियत तिथि के बाद किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तात्विक उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह ऐसे तात्विक उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप रियायतग्राही द्वारा वहन या उपगत की गई सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजे के रूप में आवश्यक विवरणों सहित मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर रियायतग्राही को भुगतान करेगा; बशर्ते कि किसी ऐसे तात्विक उल्लंघन या चूक के लिए कोई ऐसा मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते में

हर्जाना स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। संदेह निवारण के लिए, देय मुआवजे में ऋण पर ब्याज भुगतान, O&M व्यय, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में कोई वृद्धि और सीधे ऐसे तात्विक उल्लंघन या चूक के कारण होने वाली अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, किंतु इसमें शुल्क राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे, और ऐसे मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, वित्तीय पैकेज और वित्तीय मॉडल में निहित जानकारी पर उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है जिस सीमा तक वह प्रासंगिक हो।

37.3 रियायत अवधि का विस्तार (Extension of Concession Period)

खंड 37.5 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी स्थिति में जब खंड 37.2 में निर्धारित इस समझौते का कोई तात्विक उल्लंघन या चूक सीओडी प्राप्त करने में देरी का कारण बनती है या, यथास्थिति, शुल्क की वसूली के निलंबन या उसमें कमी का कारण बनती है, तो प्राधिकरण खंड 37.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के अतिरिक्त, रियायत अवधि का विस्तार करेगा, रियायत अवधि में ऐसे विस्तार पर उस समय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा और उसका निर्धारण किया जाएगा।

37.4 क्षतिपूर्ति का अतिरिक्त होना (Compensation to be in addition)

इस अनुच्छेद 37 के तहत देय मुआवजा इस समझौते के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है।

37.5 लागत और नुकसान का न्यूनीकरण (Mitigation of costs and damage)

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली लागत और नुकसान को कम या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 38 (ARTICLE 38)

रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन (SUSPENSION OF CONCESSIONAIRE'S RIGHTS)

38.1 रियायतग्राही चूक पर निलंबन (Suspension upon Concessionaire Default)

रियायतग्राही चूक होने पर, प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसके तहत समाप्ति के अधिकार भी शामिल हैं, (क) इसके अनुसरण में शुल्क और अन्य राजस्व एकत्र करने के रियायतग्राही के अधिकार सहित इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने, और (ख) ऐसे अधिकारों का स्वयं प्रयोग करने और इसके तहत दायित्वों का निष्पादन करने अथवा ऐसे निलंबन के दौरान अपनी ओर से उनका प्रयोग या निष्पादन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने ("निलंबन" / "Suspension") का हकदार होगा। इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी करने पर तुरंत प्रभावी होगा और ऐसे नोटिस जारी होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक अवधि तक विस्तारित हो सकता है; बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण पूर्वोक्त 180 दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अगली अवधि के लिए बढ़ाएगा।

38.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकरण (Authority to act on behalf of Concessionaire)

38.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण रियायतग्राही की ओर से इस समझौते के तहत और उसके अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उसे एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण O&M व्यय को पूरा करने और निलंबन के कारण का समाधान और सुधार करने के लिए तथा उसके बाद

खंड 33.3 में विनिर्दिष्ट व्ययों को चुकाने के लिए अपने द्वारा किए गए खर्चों को पूरा करने हेतु एस्क्रो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

38.2.2 इसके तहत निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और देनदारियां रियायतग्राही में निहित रहेंगी और इस समझौते तथा परियोजना समझौतों के अनुसार रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च सहित किए गए सभी कार्य या की गई कार्रवाइयां रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से की गई मानी जाएंगी तथा रियायतग्राही ऐसी अवधि के दौरान किए गए सभी खर्चों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही इसके द्वारा खंड 38.1 के तहत उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को निलंबन के दौरान हवाईअड्डे और उसके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के संबंध में रियायतग्राही की या उसे लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) का उपयोग करने के लिए क्रमशः लाइसेंस और उप-लाइसेंस देता है, जिसका उपयोग या निर्माण रियायतग्राही द्वारा समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में किया जाता है।

38.3 निलंबन का प्रतिसंहरण (Revocation of Suspension)

38.3.1 ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने निलंबन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर निलंबन के कारण को सुधार या दूर कर दिया हो, तो वह निलंबन को तुरंत रद्द (revoke) करेगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल करेगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी समय निलंबन को रद्द कर सकता है, चाहे इसके तहत निलंबन के कारण को सुधारा या दूर किया गया हो या नहीं।

38.3.2 रियायतग्राही द्वारा निलंबन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर रियायतग्राही चूक को ठीक कर दिए जाने पर, प्राधिकरण निलंबन को तुरंत रद्द करेगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल करेगा।

38.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन (Substitution of Concessionaire)

निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, ऋणदाता प्रतिनिधि वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा, और ऋणदाता प्रतिनिधि से इसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में ऋणदाता प्रतिनिधि को सक्षम बनाने के लिए निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक अवधि और खंड 38.1 के तहत उसके किसी भी विस्तार के लिए समाप्ति को रोके रखेगा।

38.5 समाप्ति (Termination)

38.5.1 इस अनुच्छेद 38 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को रद्द करने और समाप्ति नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और खंड 38.4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिस्थापन करने के ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकारों के अधीन, प्राधिकरण ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अनुच्छेद 39 के तहत और उसके अनुसार इस समझौते को समाप्त करेगा मानो यह खंड 39.1 के तहत एक रियायतग्राही चूक है।

38.5.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, ऐसी स्थिति में जब निलंबन को इसके तहत निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या खंड 38.1 में निर्धारित विस्तारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर रद्द नहीं किया जाता है, तो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रियायत समझौते को पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा और इस समझौते के सभी प्रावधान

ऐसी समाप्ति पर यथोचित परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो रियायतग्राही चूक होने पर प्राधिकरण द्वारा एक समाप्ति नोटिस जारी किया गया था।

अनुच्छेद 39 (ARTICLE 39)
समाप्ति (TERMINATION)

39.1 रियायतग्राही चूक हेतु समाप्ति (Termination for Concessionaire Default)

39.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, ऐसी स्थिति में जब नीचे विनिर्दिष्ट चूकों में से कोई भी घटित हुई हो, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित उपचार अवधि (Cure Period) के भीतर, या जहां कोई उपचार अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को सुधारने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही को इस समझौते की चूक में माना जाएगा ("रियायतग्राही चूक" / "Concessionaire Default"), जब तक कि चूक प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हो। यहाँ संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) निष्पादन सुरक्षा को खंड 9.2 के अनुसार भुनाया और विनियोजित किया गया है और रियायतग्राही 30 (तीस) दिनों की उपचार अवधि के भीतर नई निष्पादन सुरक्षा की पुनः भरपाई करने या प्रदान करने में विफल रहता है;

(ख) खंड 9.2 के अनुसार नई निष्पादन सुरक्षा की पुनः भरपाई या प्रस्तुत करने के पश्चात, रियायतग्राही 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि के भीतर किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने या रियायतग्राही चूक को ठीक करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए पूरी या निष्पादन सुरक्षा का हिस्सा विनियोजित किया गया था;

(ग) रियायतग्राही अनुसूची-छके प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम बकाया परियोजना मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस) दिनों तक चूक में बना रहता है;

(घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाईअड्डे के निर्माण या प्रचालन का परित्याग (abandons) करता है;

(ङ) सीओडी खंड 12.4.3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर घटित नहीं होती है;

(च) पंच सूची की मदें खंड 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई हैं;

(छ) रियायतग्राही, यथास्थिति, रखरखाव आवश्यकताओं या सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में है, या प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप होने में बार-बार चूक करता है;

(ज) रियायतग्राही इस समझौते में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भुगतान करने में विफल रहा है;

(झ) एस्क्रो चूक (Escrow Default) हुई है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;

(ञ) वित्तीय चूक (Financial Default) होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि ने नोटिस द्वारा प्राधिकरण से प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार, यथास्थिति, निलंबन या समाप्ति करने की मांग की है और रियायतग्राही ऊपर विनिर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर चूक को ठीक करने में विफल रहता है;

(ट) रियायतग्राही द्वारा परियोजना समझौतों में से किसी के उल्लंघन से प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ा है;

(ठ) रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई भार (Encumbrance) सृजित करता है;

(ड) रियायतग्राही इस समझौते का परित्याग (repudiates) करता है या अन्यथा कोई कार्रवाई करता है या समझौते से बाध्य न होने का इरादा प्रदर्शित या संप्रेषित करता है;

(ढ) खंड 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में स्वामित्व में कोई परिवर्तन (Change in Ownership) हुआ है;

(ण) कानून के अनुसरण में या तो (i) किसी परियोजना समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या (ii) रियायतग्राही की सभी या परिसंपत्तियों या उपक्रम के हिस्से का हस्तांतरण होता है, और ऐसा हस्तांतरण प्रतिकूल तात्विक प्रभाव का कारण बनता है;

(त) रियायतग्राही की किसी परिसंपत्ति पर लगाए गए निष्पादन (execution) से प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ा है;

(थ) रियायतग्राही को दिवालिया या शोधन-अक्षम घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी परिसंपत्तियों के पूरे या भौतिक हिस्से के लिए कोई ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;

(द) रियायतग्राही का परिसमापन, विघटन, समापन, समामेलन या पुनर्गठन किया गया है, या किया जा रहा है, इस तरह से जिससे प्राधिकरण की उचित राय में, प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ेगा;

(ध) रियायतग्राही के समापन के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, या रियायतग्राही के समापन के लिए कोई याचिका सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है और एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश उसकी तिथि के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है अथवा समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्य को छोड़कर किसी न्यायालय द्वारा रियायतग्राही को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है; बशर्ते कि ऐसे समामेलन या पुनर्गठन के भाग के रूप में, रियायतग्राही की संपूर्ण संपत्ति, परिसंपत्तियां और उपक्रम समामेलित या पुनर्गठित इकाई को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और समामेलित या पुनर्गठित इकाई ने इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को बिना शर्त ग्रहण कर लिया है; तथा बशर्ते कि:

(i) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक क्षमता और परिचालन अनुभव है;

(ii) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए वित्तीय स्थिति है और उसकी साख कम से कम उतनी ही अच्छी है जितनी नियत तिथि पर रियायतग्राही की थी; तथा

(iii) प्रत्येक परियोजना समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहता है;

(न) इसमें निहित रियायतग्राही का कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी जो आज की तिथि पर भौतिक रूप से असत्य, गलत या भ्रामक पाई जाती है या रियायतग्राही इसके बाद किसी भी समय उसके उल्लंघन

में पाया जाता है;

(प) रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई बयान, नोटिस या अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो महत्वपूर्ण विवरणों में गलत है;

(फ) रियायतग्राही किसी भी ऐसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिसकी विफलता के लिए इस समझौते में समाप्ति विनिर्दिष्ट की गई है;

(ब) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्ति नोटिस जारी करता है; या

(भ) रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में चूक करता है यदि ऐसी चूक से प्राधिकरण पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ता है।

39.1.2 इस समझौते के तहत प्राधिकरण के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही चूक होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और रियायतग्राही को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, खंड 39.1.3 के प्रावधानों के अधीन समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

39.1.3 यदि वरिष्ठ ऋणदाता मौजूद हैं, तो प्राधिकरण खंड 39.1.2 में संदर्भित समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए भेजेगा और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा। यदि प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, ऋणदाता प्रतिनिधि को प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक अवधि के लिए समाप्ति को रोके रखेगा अथवा, यथास्थिति, निलंबन के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा:

बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट चूक को पूर्वोक्त 180 दिनों की अवधि के भीतर ठीक कर दिया जाए, और ऐसे सुधार पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा:

आगे बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण पूर्वोक्त 180 दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की ऐसी अगली अवधि के लिए बढ़ाएगा, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

39.2 प्राधिकरण चूक हेतु समाप्ति (Termination for Authority Default)

39.2.1 ऐसी स्थिति में जब नीचे विनिर्दिष्ट चूकों में से कोई भी घटित हुई हो, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि या इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई ऐसी लंबी अवधि के भीतर ऐसी चूक को सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते की चूक में माना जाएगा ("प्राधिकरण चूक" / "Authority Default") जब तक कि चूक रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुई हो। यहाँ संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. प्राधिकरण इस समझौते के किसी भी प्रावधान का पालन करने में महत्वपूर्ण चूक करता है और ऐसी चूक का रियायतग्राही पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव पड़ता है;

ख. प्राधिकरण इस समझौते में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रियायतग्राही को कोई भुगतान करने में विफल रहा है;

ग. प्राधिकरण हवाईअड्डे के निर्माण के लिए आवश्यक और अनिवार्य स्थल के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 90% (नब्बे प्रतिशत) पर आवश्यक मार्ग का अधिकार (Right of Way) प्रदान करने में विफल रहता है; या

घ. प्राधिकरण इस समझौते का परित्याग करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बाध्य न होने के अपरिवर्तनीय इरादे के बराबर है या उसे प्रकट करती है।

39.2.2 इस समझौते के तहत रियायतग्राही के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण चूक होने पर, रियायतग्राही प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

39.3 समाप्ति भुगतान (Termination Payment)

39.3.1 परिचालन अवधि के दौरान रियायतग्राही चूक के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण समाप्ति भुगतान के रूप में रियायतग्राही को निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

क. देय ऋण (Debt Due) के 90% (नब्बे प्रतिशत) में से बीमा कवर घटाकर; तथा

ख. (ख) अतिरिक्त समाप्ति भुगतान (Additional Termination Payment) का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का 70% (सत्तर प्रतिशत)।

बशर्ते कि यदि बीमा कवर का हिस्सा बनने वाले किसी भी बीमा दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे अवैतनिक दावों का 80% (अस्सी प्रतिशत) देय ऋण की गणना में शामिल किया जाएगा।

संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि खंड 39.3.3 में प्रदान किए गए के सिवाय, सीओडी से पूर्व होने वाली रियायतग्राही चूक के कारण कोई समाप्ति भुगतान देय या भुगतान योग्य नहीं होगा।

39.3.2 प्राधिकरण चूक के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण समाप्ति भुगतान के रूप में रियायतग्राही को निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(क) देय ऋण (Debt Due);

(ख) समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity) का 150% (एक सौ पचास प्रतिशत); तथा

(ग) अतिरिक्त समाप्ति भुगतान का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का 115% (एक सौ पंद्रह प्रतिशत)।

39.3.3 निर्माण अवधि के दौरान रियायतग्राही चूक के कारण समाप्ति पर, कुल परियोजना लागत के पहले 40% (चालीस प्रतिशत) के व्यय के लिए और उसके संबंध में कोई समाप्ति भुगतान देय और भुगतान योग्य नहीं होगा और ऐसे 40% से अधिक होने वाले और देय ऋण का हिस्सा बनने वाले व्यय की स्थिति में, खंड 39.3.1 के प्रावधान, देय ऋण पर लागू सीमा तक, ऐसे 40% से अधिक व्यय के संबंध में लागू होंगे। संदेह निवारण के लिए और उदाहरण के तौर पर, पक्षकार सहमत होते हैं कि

यदि समाप्ति से पूर्व किया गया कुल व्यय कुल परियोजना लागत का 90% (नब्बे प्रतिशत) है, तो इसके तहत समाप्ति भुगतान की गणना के लिए पात्र व्यय कुल परियोजना लागत का 50% (पचास प्रतिशत) होगा और ऐसी स्थिति में देय और भुगतान योग्य समाप्ति भुगतान कुल परियोजना लागत के 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। पक्षकार आगे सहमत होते हैं कि इस खंड 39.3.3 के प्रयोजनों के लिए, कुल परियोजना लागत का अर्थ खंड 50.1 में कुल परियोजना लागत की परिभाषा के उप-खंड (ख) में विनिर्दिष्ट राशि होगी। पक्षकार यह भी सहमत होते हैं कि इस खंड 39.3.3 के तहत समाप्ति भुगतान का निर्धारण करने के लिए, नवीनतम परियोजना मील के पत्थर से युक्त व्यय की गणना की जाएगी।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 124]

39.3.4 आवश्यक विवरणों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से मांग किए जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर समाप्ति भुगतान रियायतग्राही को देय और भुगतान योग्य हो जाएगा, और किसी भी विलंब की स्थिति में, प्राधिकरण समाप्ति भुगतान की अदत्त राशि पर बैंक दर से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक दर से ब्याज का भुगतान करेगा; बशर्ते कि ऐसा विलंब 90 (नब्बे) दिनों से अधिक नहीं होगा। संदेह निवारण के लिए, यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि समाप्ति भुगतान इसके तहत उसके संबंध में अपने भुगतान दायित्वों का प्राधिकरण द्वारा पूर्ण निर्वहन का गठन करेगा।

39.3.5 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर और ऐसी स्थिति में जब हवाईअड्डे के कुशल, किफायती और सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक या अन्यथा इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार कोई परियोजना परिसंपत्तियां नियत तिथि की 25वीं (पच्चीसवीं) वर्षगांठ के बाद प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति से अधिगृहीत और स्थापित की गई हों, जिस सहमति को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तो खंड 39.4.1 के प्रावधानों के होते हुए भी, ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों के समायोजित मूल्यह्रास मूल्य (Adjusted Depreciated Value) के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर समाप्ति भुगतान प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे किसी भी समाप्ति भुगतान को उस राशि से समायोजित और कम किया जाएगा जिस पर वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण में एईआरए द्वारा विचार किया गया हो।

39.3.6 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 39.3.5 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी स्थिति में जब हवाईअड्डे के कुशल, किफायती और सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक कोई परियोजना परिसंपत्तियां नियत तिथि की 30वीं (तीसवीं) वर्षगांठ के बाद प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति से अधिगृहीत और स्थापित की गई हों, जिस सहमति को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसके समायोजित मूल्यह्रास मूल्य के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि को समाप्ति भुगतान के प्रयोजनों के लिए देय ऋण माना जाएगा।

39.3.7 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से सहमत होता है कि इस अनुच्छेद 39 के तहत समाप्ति भुगतान किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति के कारण रियायतग्राही के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा और किसी भी कानून, संधि, अभिसमय, अनुबंध या अन्यथा के तहत उसका कोई और अधिकार या दावा नहीं होगा।

39.4 समाप्ति भुगतान पर कतिपय सीमाएं (Certain limitations on Termination Payment)

39.4.1 इस समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य समाप्ति भुगतान, जो अतिरिक्त समाप्ति भुगतान नहीं है, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, देय ऋण और समायोजित इक्विटी के संदर्भ में परिकलित किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि सीओडी से 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को सीओडी पर कुल परियोजना लागत और देय ऋण तथा इक्विटी के बीच इसके पृथक्करण (disaggregation) के बारे में सूचित करेगा, और

केवल इस प्रकार संप्रेषित राशियां ही समाप्ति भुगतान की गणना का आधार बनेंगी। पक्षकार आगे सहमत होते हैं कि यदि ऐसा पृथक्करण प्राधिकरण को सूचित नहीं किया जाता है, तो इक्विटी को कुल परियोजना लागत में से देय ऋण घटाकर प्राप्त राशि माना जाएगा। पक्षकार यह भी सहमत होते हैं कि समाप्ति भुगतान की गणना के प्रयोजनों के लिए, देय ऋण किसी भी समय कुल परियोजना लागत के 85% (पचासी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

39.4.2 विदेशी मुद्रा में व्यक्त किसी भी देय ऋण के संबंध में देय राशि की गणना समाप्ति भुगतान की तिथि पर प्रासंगिक विदेशी मुद्रा में रूपांतरण के लिए संदर्भ विनिमय दर (Reference Exchange Rate) पर की जाएगी। बशर्ते, तथापि, कि इस खंड 39.4.2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि रियायतग्राही ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के भारतीय मुद्रा में रूपांतरण की तिथि के 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी विदेशी मुद्रा ऋण के विवरण की सूचना नहीं देता है। आगे बशर्ते कि विदेशी मुद्रा में सभी उधार कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण तक ही सीमित होंगे और उससे अधिक का कोई भी उधार समाप्ति भुगतान की गणना के लिए पात्र नहीं होगा।

39.4.3 विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों (Specified Assets) के संबंध में देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त समाप्ति भुगतान, जो सिटी साइड विकास या हवाईअड्डे के विस्तार का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियां नहीं हैं, जो सीओडी की 5वीं (पांचवीं) वर्षगांठ के बाद किंतु नियत तिथि की 30वीं (तीसवीं) वर्षगांठ से पहले निर्मित, अधिगृहीत या स्थापित की गई हैं, निम्नलिखित में से जो भी न्यूनतम हो, तक सीमित होगा:

(क) उसका समायोजित मूल्यह्रास मूल्य (Adjusted Depreciated Value);
(ख) एक अनुमोदित मूल्यांकक (Approved Valuer) द्वारा आकलित उसका प्रतिस्थापन मूल्य, जिसे अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा; तथा
(ग) कुल परियोजना लागत के योग का 40% (चालीस प्रतिशत)।

39.4.4 विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों का हिस्सा बनने वाले सिटी साइड विकास के संबंध में देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त समाप्ति भुगतान निम्नलिखित में से जो भी न्यूनतम हो, तक सीमित होगा:

(क) उसका समायोजित मूल्यह्रास मूल्य;
(ख) अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा आकलित उसका प्रतिस्थापन मूल्य; तथा
(ग) कुल परियोजना लागत के योग का 40% (चालीस प्रतिशत)।

39.4.5 खंड 12.8 और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे के विस्तार के संबंध में देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त समाप्ति भुगतान, जो विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों का हिस्सा है, निम्नलिखित में से जो भी न्यूनतम हो, तक सीमित होगा:

(क) उसका समायोजित मूल्यह्रास मूल्य;
(ख) वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित हवाईअड्डे के विस्तार की पूंजीगत लागत;
(ग) पूरा होने पर हवाईअड्डे के विस्तार की वास्तविक लागत; तथा
(घ) स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से और निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से विनिर्दिष्ट हवाईअड्डे के विस्तार की अनुमानित पूंजीगत लागत।

39.5 रियायत अवधि का विस्तार (Extension of Concession Period)

खंड 3.1.1 में निर्धारित विस्तार की स्थिति में, खंड 39.3.5 में विनिर्दिष्ट समाप्ति भुगतान रियायतग्राही को देय और भुगतान योग्य नहीं होगा। इसके तहत विस्तारित रियायत अवधि की समाप्ति पर, हवाई अड्डा

इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार प्राधिकरण में निहित होगा, और इसके तहत प्राधिकरण को हवाईअड्डे के हस्तांतरण के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही को कोई समाप्ति भुगतान देय और भुगतान योग्य नहीं होगा। बशर्ते, तथापि, कि खंड 3.1.1 के अनुसार विस्तार न दिए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण रियायतग्राही को खंड 39.3.5 और 39.3.6 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित समाप्ति भुगतान का भुगतान करेगा। आगे बशर्ते कि इसके तहत विस्तार की स्थिति में, खंड 3.1.1 और इस खंड 39.5 के तहत विस्तार के प्रावधानों को छोड़कर, इस समझौते के प्रावधान विस्तारित रियायत अवधि पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

39.6 सिटी साइड विकास का पृथक्करण (Separation of City Side Development)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समाप्ति पर, अपने एकमात्र विवेक से सिटी साइड के हस्तांतरण को स्वीकार न करने और उसके संबंध में कोई समाप्ति भुगतान न करने का विकल्प चुन सकता है, और ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही रियायत अवधि की अवधि के लिए सिटी साइड का हिस्सा बनने वाले स्थल और परियोजना परिसंपत्तियों को अपने पास रखेगा और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसके प्रति अपने दायित्वों का निष्पादन करेगा।

39.7 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व (Other rights and obligations of the Authority)

किसी भी कारण से समाप्ति पर, प्राधिकरण:

क. हवाईअड्डे का तत्काल कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

ख. स्थल पर या उसके आसपास सभी सामग्रियों, भंडारों, औजारों, निर्माण संयंत्रों और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

ग. रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थल या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;

घ. रियायतग्राही से खंड 40.1 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन करने की मांग करेगा; तथा

ङ. रियायतग्राही द्वारा किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, प्राधिकरण के चयन पर, ऐसे परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी बनेगा जैसा कि प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसे चयन पर ठेकेदारों को केवल उस तिथि से और उसके बाद उनके संबंधित परियोजना समझौतों की शर्तों के तहत उनके लिए अर्जित होने वाले और देय होने वाले मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा जिस तिथि को प्राधिकरण रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी बनने का विकल्प चुनता है। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसी तिथि से पूर्व किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए देय और बकाया के रूप में या किसी कार्य, चूक या घटना के कारण अर्जित होने वाली ऐसी सभी राशियां रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच ऋण का गठन करेंगी, और प्राधिकरण ऐसी राशियों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। यह आगे सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि प्राधिकरण ऐसे परियोजना समझौतों के तहत किसी भी बकाया चूक को ठीक करने का विकल्प चुनता है, तो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि को समाप्ति भुगतान से काट लिया जाएगा।

39.8 अधिकारों की उत्तरजीविता (Survival of rights)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 39.3.7 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में कोई भी समाप्ति किसी भी पक्ष के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें धन हर्जाना, बीमा आय, सुरक्षा जमा, और अन्य अधिकारों और उपायों का दावा करने और वसूलने का उसका अधिकार शामिल है, जो उसके पास कानून या

अनुबंध में हो सकते हैं। इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के सभी अधिकार और दायित्व, जिसमें समाप्ति भुगतान और विनिवेश आवश्यकताएं शामिल हैं, उस सीमा तक समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे जिस सीमा तक ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी करने के लिए ऐसा बना रहना आवश्यक है।

अनुच्छेद 40 (ARTICLE 40)
अधिकारों और हितों का विनिवेश (DIVESTMENT OF RIGHTS AND INTEREST)

40.1 विनिवेश आवश्यकताएं (Divestment Requirements)

40.1.1 समाप्ति पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं ("विनिवेश आवश्यकताएं" / "Divestment Requirements") का अनुपालन करेगा और उनके अनुरूप कार्य करेगा:

क. सभी परियोजना परिसंपत्तियों के स्थान और विवरण की तुरंत प्राधिकरण को सूचना देगा;

ख. प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित सीमा के सिवाय, सभी भारों से मुक्त, हवाईअड्डे का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तुरंत सौंपेगा;

ग. सभी परियोजना परिसंपत्तियों के सभी दोषों और कमियों को सुधारेगा ताकि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप हो; बशर्ते कि निर्माण अवधि के दौरान समाप्ति की स्थिति में, सभी परियोजना परिसंपत्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर सौंपा जाएगा;

घ. हवाईअड्डे और उसके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा और अन्य लाइसेंस सौंपेगा और हस्तांतरित करेगा, जिसमें उससे संबंधित सभी कार्यक्रम और नियमावलियां शामिल हैं, तथा हस्तांतरण तिथि पर पूर्ण 'ऐज़-बिल्ट' रेखाचित्र सौंपेगा। संदेह निवारण के लिए, रियायतग्राही अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि इसके तहत सौंपी गई बौद्धिक संपदा हवाईअड्डे के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और किसी भी भार से मुक्त होकर प्राधिकरण को समनुदेशित की जाएगी;

ङ. लागू कानूनों के तहत अनुमेय सीमा तक सभी लागू अनुमतियों को हस्तांतरित और/या वितरित करेगा;

च. ऐसे हस्तांतरण विलेख, दस्तावेज़ और अन्य लेख निष्पादित करेगा जैसा कि प्राधिकरण रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों को परियोजना परिसंपत्तियों में, जिसमें किसी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, पूरी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति को सौंपने, विनिवेश करने और समनुदेशित करने के लिए उचित रूप से मांग कर सकता है; तथा

छ. हवाईअड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों के विनिवेश और समनुदेशन को सभी भारों से मुक्त, पूरी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित या अपेक्षित अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

40.1.2 किसी तीसरे पक्ष द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों में से किसी के निष्पादन या निष्पादन करवाने के लिए इस समझौते के तहत या किसी परियोजना समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के अधीन, पक्षकार किसी भी समाप्ति नोटिस जारी होने के बावजूद, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इस समझौते की समाप्ति अपनी शर्तों के अनुसार प्रभावी न हो जाए।

40.2 निरीक्षण और उपचार (Inspection and cure)

समाप्ति से 90 (नब्बे) दिन पहले से अनधिक किंतु ऐसी समाप्ति की प्रभावी तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पूर्व, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को समय, तिथि और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए उचित नोटिस देने के बाद, रखरखाव आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन का सत्यापन और/या निरीक्षण करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रयोजन के लिए रियायतग्राही की लागत पर उपयुक्त परीक्षण करवाएगा। रखरखाव आवश्यकताओं में चूकों (यदि कोई हों) को रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाएगा और इस अनुच्छेद 40 के तहत दोषों या कमियों को ठीक करने के संबंध में अनुच्छेद 41 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

40.3 परियोजना हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता (Cooperation and assistance on transfer of Project)

40.3.1 पक्षकार सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहयोग करेंगे और उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या स्थल के किसी भी हिस्से के वैध अधिभोगियों की सुरक्षा की रक्षा करने और उन्हें अनुचित विलंब या असुविधा से बचाने के लिए इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना का सुचारू हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए सद्भावपूर्वक सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

40.3.2 पक्षकार समय बीतने के कारण समाप्ति की स्थिति में हस्तांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पूर्व और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराने की स्थिति में तुरंत, यथास्थिति, हस्तांतरण तिथि के बाद हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में यथोचित व्यावहारिक रूप से यथासंभव अधिक जानकारी और सलाह एक दूसरे को प्रदान करेंगे। रियायतग्राही आगे ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जिसकी प्राधिकरण, उसके रियायतग्राही या एजेंट को हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीने बाद की समाप्ति तक परियोजना के प्रचालन के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

40.3.3 प्राधिकरण के पास रियायतग्राही से उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी भार से मुक्त परियोजना के संबंध में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के पूरे या किसी हिस्से को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा, जो खंड 40.1.1 में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं है और परियोजना के प्रचालन के संबंध में यथोचित रूप से आवश्यक है। संदेह निवारण के लिए, उचित बाजार मूल्य से संबंधित विवाद या मतभेद की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

40.4 निहितिकरण प्रमाणपत्र (Vesting Certificate)

हवाईअड्डे में सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों का विनिवेश उस तिथि को पूर्ण माना जाएगा जब सभी विनिवेश आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों, और प्राधिकरण उसके पश्चात बिना किसी अनुचित विलंब के, काफी हद तक अनुसूची-नमें निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र ("निहितिकरण प्रमाणपत्र" / "Vesting Certificate") जारी करेगा, जिसका प्रभाव रियायतग्राही द्वारा हवाईअड्डे में अपने सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों के विनिवेश और इसके अनुसरण में प्राधिकरण में उनके निहित होने का साक्ष्य गठित

करने का होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि विनिवेश आवश्यकताओं में किसी भी दोष या कमी का किसी भी तरह से यह अर्थ या व्याख्या नहीं की जाएगी कि वह इस आधार पर हवाईअड्डे पर या उसके संबंध में प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिकार के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है कि रियायतग्राही द्वारा सभी विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

40.5 विनिवेश लागत आदि (Divestment costs etc.)

40.5.1 रियायतग्राही समाप्ति पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, स्वत्वों और हितों के विनिवेश के आनुषंगिक सभी लागतों को वहन और भुगतान करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी विलेख या दस्तावेज़ पर देय सभी स्टाम्प शुल्क प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे।

40.5.2 इस अनुच्छेद 40 के तहत और इसके अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 129]

अनुच्छेद 41 (ARTICLE 41)

समाप्ति के बाद दोष दायित्व (DEFECTS LIABILITY AFTER TERMINATION)

41.1 समाप्ति के बाद दोषों हेतु दायित्व (Liability for defects after Termination)

रियायतग्राही समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाईअड्डे में सभी दोषों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उसके पास पूर्वोक्त अवधि के दौरान हवाईअड्डे में स्वतंत्र अभियंता द्वारा देखे गए सभी दोषों और कमियों को अपनी लागत पर सुधारने या ठीक करने का दायित्व होगा। ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दोष या कमी को सुधारने या ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर इसे सुधारने या ठीक करवाने का हकदार होगा ताकि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाए। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा उसकी मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति में चूक की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 41.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि से या उसके तहत प्रदान की गई निष्पादन गारंटी से उसे वसूलने का हकदार होगा।

41.2 एस्क्रो खाते में प्रतिधारण (Retention in Escrow Account)

41.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, किंतु खंड 41.2.3 के प्रावधानों के अधीन, खंड 41.1 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली या उनके संबंध में देनदारियों (यदि कोई हों) को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हस्तांतरण तिथि से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के कुल सकल राजस्व के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

41.2.2 खंड 41.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वतंत्र अभियंता समाप्ति से 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाईअड्डे का निरीक्षण करेगा और यदि वह सिफारिश करता है कि हवाईअड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 41.2.1 में निर्धारित राशि से अधिक राशि एस्क्रो खाते में रखी जानी चाहिए और पूर्वोक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक लंबी अवधि के लिए रखी जानी चाहिए, तो स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुशंसित राशि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

41.2.3 रियायतग्राही इस अनुच्छेद 41 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, इस उद्देश्य हेतु यथोचित परिवर्तनों सहित संशोधित अनुसूची-चमें निर्धारित प्रारूप में, यथास्थिति, खंड 41.2.1 या 41.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर राशि के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी बैंक से प्राधिकरण को एक गारंटी ("निष्पादन गारंटी" / "Performance Guarantee") प्रदान कर सकता है, और प्राधिकरण इस समझौते या कानून के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 41.2.3 के तहत निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, खंड 41.2.1 या 41.2.2 के संदर्भ में एस्क्रो खाते में धनराशि का प्रतिधारण समाप्त कर दिया जाएगा।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 130]

भाग VI

अन्य प्रावधान

(Part VI - Other Provisions)

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 131]

अनुच्छेद 42 (ARTICLE 42)

समनुदेशन और प्रभार (ASSIGNMENT AND CHARGES)

42.1 समनुदेशन और प्रभारों पर प्रतिबंध (Restrictions on assignment and charges)

42.1.1 खंड 42.2 और 42.3 के अधीन, यह समझौता रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित नहीं किया जाएगा, सिवाय प्राधिकरण की लिखित में पूर्व सहमति के, जिस सहमति को प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का हकदार होगा।

42.1.2 खंड 42.2 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही प्राधिकरण की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कोई भार सृजित नहीं करेगा और न ही बने रहने देगा, या अन्यथा इस समझौते या किसी परियोजना समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभों को हस्तांतरित या निपटाएगा नहीं, जिसका रियायतग्राही एक पक्षकार है, जिस सहमति को प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का हकदार होगा।

42.2 अनुमत समनुदेशन और प्रभार (Permitted assignment and charges)

खंड 42.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:
(क) हवाईअड्डे के व्यवसाय के सामान्य क्रम में कानून के प्रवर्तन द्वारा (या उसी का साक्ष्य देने वाले किसी समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाले ग्रहणाधिकार (liens);
(ख) परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वस्तुओं/परिसंपत्तियों और उनके संबंधित स्वत्व दस्तावेजों का बंधक/गिरवी/दृष्टिबंधक (mortgages/pledges/hypothecation), जो हवाईअड्डे के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न या सृजित होते हैं, और केवल वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति ऋणग्रस्तता के लिए सुरक्षा के रूप में और/या हवाईअड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए। संदेह निवारण के लिए, वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के अधीन और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एस्क्रो खाते पर ग्रहणाधिकार सृजित करने के हकदार होंगे;
(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार और उसके अंतर्गत कवर की गई सीमा तक, वरिष्ठ ऋणदाताओं

के लाभ के लिए और उनके नामित व्यक्ति के रूप में ऋणदाता प्रतिनिधि के पक्ष में रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का समनुदेशन; तथा
(घ) किसी लागू कानून द्वारा अपेक्षित ग्रहणाधिकार या भार।

42.3 प्रतिस्थापन समझौता (Substitution Agreement)

42.3.1 ऋणदाता प्रतिनिधि वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से, काफी हद तक अनुसूची-पमें निर्धारित प्रारूप में रियायतग्राही, प्राधिकरण और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच किए जाने वाले रियायतग्राही के प्रतिस्थापन हेतु समझौते ("प्रतिस्थापन समझौता" / "Substitution Agreement") के अनुसरण में रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

42.3.2 प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामित कंपनी (Nominated Company) को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का उपभोग करेगी और सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी मानो वह रियायतग्राही थी; बशर्ते कि जहां ऐसे प्रतिस्थापन की तिथि पर रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में है, वहां प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि (Cure Period) प्रदान करेगा।

[मूल दस्तावेज़ पृष्ठ 132]

रियायत समझौता - मुख्य पाठ (अनुवाद)
(खंड 43.3 की समाप्ति से खंड 46.3.4)

गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास

...शुद्ध नकदी प्रवाह का शुद्ध वर्तमान मूल्य ("एनपीवी" / "NPV") स्थापित करने के लिए वित्तीय मॉडल पर भरोसा करेंगे और लागत, राजस्व, मुआवजे या अन्य प्रासंगिक मापदंडों में, जैसा भी मामला हो, आवश्यक समायोजन करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुद्ध नकदी प्रवाह का एनपीवी वही रहे जैसा कि कानून में कोई परिवर्तन (Change in Law) न होने की स्थिति में होता। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि एनपीवी के निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर (discount rate) उस ब्याज की भारित औसत दर (weighted average rate of interest) के बराबर होगी जिस पर रियायतग्राही ने अपने वित्तपोषण समझौतों के तहत देय ऋण (Debt Due) जुटाया है।

43.4 नकद मुआवजे पर प्रतिबंध (Restriction on cash compensation)

पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस खंड 43.4 के तहत नकद मुआवजे की मांग संबंधित लेखा वर्ष के दौरान कानून में परिवर्तन के प्रभाव तक ही सीमित होगी और ऐसे लेखा वर्ष के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय की जाएगी, किंतु ऐसे लेखा वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के बाद नहीं। किसी भी आगामी लेखा वर्ष के लिए और उसके संबंध में देय नकद मुआवजे की कोई भी मांग उस लेखा वर्ष के प्रारंभ होने के बाद की जाएगी जिससे वह मांग संबंधित है, किंतु ऐसे लेखा वर्ष की समाप्ति से 2 (दो) वर्ष के बाद नहीं।

43.5 उपयोगकर्ताओं से वसूली की स्थिति में कोई दावा नहीं (No claim in the event of recovery from Users)

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कानून में परिवर्तन के कारण प्राधिकरण रियायतग्राही को किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह राशि उपयोगकर्ताओं (Users) से वसूल की जा सकती है।

अनुच्छेद 44 (ARTICLE 44)
दायित्व और क्षतिपूर्ति (LIABILITY AND INDEMNITY)

44.1 सामान्य क्षतिपूर्ति (General indemnity)

44.1.1 रियायतग्राही प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, सेवकों, एजेंटों, सरकारी तंत्रों, नामित भारत सरकार एजेंसियों तथा प्राधिकरण के स्वामित्व वाली और/या नियंत्रित संस्थाओं/उद्यमों ("सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति" / "Government Indemnified Persons") को तीसरे पक्षों के किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से किसी भी प्रकार और प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा और हानिरहित रखेगा, चाहे वह इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों में से किसी के किसी उल्लंघन से उत्पन्न हुआ हो या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण या किसी उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करने में किसी दोष या कमी के कारण हो या अनुबंध या अपकृत्य (tort) के तहत रियायतग्राही की किसी लापरवाही से हो, या किसी अन्य आधार पर हो, सिवाय उस सीमा तक जहां ऐसे कोई वाद, कार्यवाहियां, कार्रवाइयां, मांगें और दावे सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों की ओर से किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, अथवा इस समझौते के उल्लंघन या चूक के कारण उत्पन्न हुए हों।

44.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को तीसरे पक्षों के किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से किसी भी प्रकार और प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा, उसे सुरक्षित रखेगा और हानिरहित रखेगा, जो (क) स्वत्व में दोष और/या स्थल में सम्मिलित भूमि में प्राधिकरण के अधिकारों से उत्पन्न हुए हों, और/या (ख) इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी दायित्व के प्राधिकरण द्वारा उल्लंघन से उत्पन्न हुए हों, जो रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रतिकूल और तात्विक रूप से प्रभावित करते हैं, सिवाय इसके जहां ऐसा कोई दावा, वाद, कार्यवाही, कार्रवाई, और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों की ओर से किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, अथवा इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के किसी प्रावधान के तहत उसके दायित्वों के उल्लंघन और/या उसके सांविधिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई हो, तो वह रियायतग्राही का दायित्व होगा।

44.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति (Indemnity by the Concessionaire)

44.2.1 खंड 44.1 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में होने वाले किसी भी और सभी नुकसान और/या क्षति से पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

(क) रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करने में विफलता;

(ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान; या

(ग) रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार को प्रदान की गई सामग्री या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का गैर-भुगतान जो रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

44.2.2 इस अनुच्छेद 44 के प्रावधानों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, दावों, मांगों, देनदारियों और हर्जाने से पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा, जो सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को इसके बाद रियायतग्राही द्वारा या रियायतग्राही के ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन में उपयोग की गई या किसी भी तरह से परियोजना में समाविष्ट या उससे संबंधित किसी भी सामग्री, सूचना, डिज़ाइन या प्रक्रिया के संबंध में किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, मालिकाना या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न होने वाली किसी भी मांग, दावे, वाद या कार्यवाही के कारण भुगतना पड़े या भुगतान करना पड़े।

यदि ऐसे किसी वाद, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, कोई अस्थायी रोक आदेश (temporary restraint order) या प्रारंभिक निषेधाज्ञा (preliminary injunction) दी जाती है, तो रियायतग्राही एक संतोषजनक बांड देकर या अन्यथा, निषेधाज्ञा या रोक आदेश को रद्द या निलंबित करने के लिए हर उचित प्रयास करेगा। यदि, ऐसे किसी वाद, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, हवाई अड्डे, या उसके किसी हिस्से को उल्लंघन माना जाता है और इसके उपयोग पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के उल्लंघनकारी कार्य के निरंतर उपयोग को अधिकृत करने वाला लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तुरंत हर उचित प्रयास करेगा। यदि रियायतग्राही उचित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही अपने खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों को कम किए बिना, या तो प्रभावित कार्य, या हिस्से, या प्रक्रिया को गैर-उल्लंघनकारी कार्य या हिस्से या प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करेगा, या इसे संशोधित करेगा ताकि यह गैर-उल्लंघनकारी बन जाए।

44.3 दावों की सूचना और मुकाबला (Notice and contest of claims)

ऐसी स्थिति में जब किसी भी पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा या मांग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद 44 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है ("क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष" / "Indemnified Party"), तो वह दावा या मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" / "Indemnifying Party") को सूचित करेगा और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे या मांग का मुकाबला या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है, जो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को उसकी उचित संतुष्टि के अनुसार किसी भी लागत के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने के अधीन होगा।

44.4 दावों का बचाव (Defence of claims)

44.4.1 क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे मामले के संबंध में, उसके परिणामस्वरूप, उससे संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी दावे, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही का मुकाबला करने, बचाव करने और मुकदमा लड़ने का अधिकार होगा, बाध्यता नहीं, जिसके लिए वह इसके तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है, और उसकी उचित लागत और व्यय की क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष द्वारा की जाएगी। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष इस अनुच्छेद 44 द्वारा पूरी सीमा तक प्रदान किए गए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष अपने विकल्प पर, अपने खर्च पर और अपनी पसंद के वकील के माध्यम से ऐसे दावे, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही, देनदारियों, भुगतानों और दायित्वों के बचाव को संभालने और

नियंत्रित करने का हकदार होगा; बशर्ते कि वह ऐसा करने के अपने इरादे की त्वरित सूचना क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को दे और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष द्वारा ऐसे बचाव को संभालने से पहले क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा किए गए उचित खर्च और व्यय की प्रतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को ऐसी सुरक्षा प्रदान न करे जो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा इस प्रकार समझौते या निपटान की सीमा तक इसके तहत क्षतिपूर्ति किए जाने वाले नुकसान को सुरक्षित करने के लिए यथोचित आवश्यक हो।

44.4.2 यदि क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष ने खंड 44.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति (जिस सहमति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा) के बिना किसी भी दावे, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा।

44.4.3 यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष खंड 44.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को फिर भी अपना स्वयं का वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के खर्च पर होंगे, जब और जैसे उपगत हों, जब तक कि:

(क) ऐसे पक्ष द्वारा वकील का नियोजन क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत न किया गया हो;

(ख) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष ने यथोचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला हो कि ऐसी कार्रवाई के बचाव के प्रचालन में क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के बीच हितों का टकराव (conflict of interest) हो सकता है;

(ग) क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष ने वास्तव में, ऐसी कार्रवाई का बचाव संभालने के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को यथोचित रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील नियुक्त न किया हो और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष द्वारा उसे इस प्रकार सूचित किया गया हो; या

(घ) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष ने यथोचित रूप से निष्कर्ष निकाला हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को सूचित किया हो कि:

(i) उसके पास विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध बचावों से भिन्न या अतिरिक्त हैं; या

(ii) ऐसे दावे, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही में इस समझौते के दायरे से परे उस पर प्रतिकूल तात्विक प्रभाव शामिल है या हो सकता है:

बशर्ते कि यदि इस खंड 44.4.3 के उप-खंड (ख), (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के वकील को क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष की ओर से ऐसे दावे, मांग, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही के बचाव को निर्देशित करने का अधिकार होगा, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण इसके तहत कानूनी या अन्य खर्चों का गठन करेंगे।

44.5 कोई परिणामी दावा नहीं (No consequential claims)

इस अनुच्छेद 44 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यहाँ प्रदान की गई क्षतिपूर्ति में इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के सिवाय, लाभ की हानि सहित किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी प्रकृति की किसी भी लागत, व्यय, हानि या क्षति के संबंध में कोई दावा या वसूली शामिल नहीं होगी।

44.6 समाप्ति पर उत्तरजीविता (Survival on Termination)

इस अनुच्छेद 44 के प्रावधान की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेंगे।

अनुच्छेद 45 (ARTICLE 45)
स्थल पर अधिकार और स्वत्व (RIGHTS AND TITLE OVER THE SITE)

45.1 लाइसेंसधारी के अधिकार (Licensee rights)

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, रियायतग्राही के पास इस समझौते के अधीन और इसके अनुसार एकमात्र लाइसेंसधारी के रूप में स्थल के उपयोग के अधिकार होंगे, और इस उद्देश्य के लिए, वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन तीसरे पक्षों द्वारा हवाईअड्डे के प्रवेश और उपयोग को विनियमित कर सकता है।

45.2 प्राधिकरण और अन्य की पहुँच अधिकार (Access rights of the Authority and others)

45.2.1 रियायतग्राही प्राधिकरण, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए, तथा हवाईअड्डे का निरीक्षण करने और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले की जांच करने के लिए किसी भी सरकारी तंत्र या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों के लिए हर समय स्थल तक निःशुल्क पहुँच की अनुमति देगा, और उचित सूचना मिलने पर, रियायतग्राही ऐसे व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

45.2.2 रियायतग्राही अनुच्छेद 11 में विनिर्दिष्ट किसी उपयोगिता या सड़क के प्रचालन और रखरखाव के प्रयोजनार्थ, ऐसी उपयोगिता या सड़क के नियंत्रक निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के लिए हर समय स्थल तक निःशुल्क पहुँच की अनुमति देगा।

45.3 संपत्ति कर (Property taxes)

स्थल पर सभी संपत्ति कर स्थल के स्वामी के रूप में प्राधिकरण द्वारा देय होंगे; बशर्ते, तथापि, कि रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास से उत्पन्न होने वाली सीमा तक प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर किसी भी कर का भुगतान प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और आवश्यक विवरणों सहित प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी। संदेह निवारण के लिए, पक्षकार सहमत होते हैं कि इस समझौते का गठन करने वाले लाइसेंस के अनुदान पर देय स्टाम्प शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। बशर्ते, तथापि, कि प्राधिकरण रियायतग्राही से ऐसे स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की मांग कर सकता है, जिसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा उसकी मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही को की जाएगी।

45.4 उप-पट्टे पर प्रतिबंध (Restriction on sub-letting)

रियायतग्राही पूरे या स्थल के किसी भी हिस्से को उप-लाइसेंस या उप-पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय इसके जैसा कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है; बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ या व्याख्या नहीं की जाएगी कि वह हवाईअड्डे के सभी या किसी भी हिस्से के प्रचालन और रखरखाव सहित इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने के रियायतग्राही के अधिकार को प्रतिबंधित करती है।

अनुच्छेद 46 (ARTICLE 46)
विवाद समाधान (DISPUTE RESOLUTION)

46.1 विवाद समाधान (Dispute resolution)

46.1.1 पक्षों के बीच इस समझौते (इसकी व्याख्या सहित) के तहत या उससे उत्पन्न या उसके संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, मतभेद या असहमति, और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह से लिखित रूप में अधिसूचित ("विवाद" / "Dispute"), प्रथम दृष्टया, खंड 46.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

46.1.2 पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, निष्पक्ष रूप से और सद्भावपूर्वक हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं, और आगे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, सूचना और डेटा तक सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को उचित पहुँच प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।

46.2 सुलह (Conciliation)

पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष स्वतंत्र अभियंता से मध्यस्थता करने और उसके सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने में पक्षों की सहायता करने का आह्वान कर सकता है। स्वतंत्र अभियंता द्वारा मध्यस्थता विफल होने पर या स्वतंत्र अभियंता के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्ष ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गोवा सरकार के मुख्य सचिव और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को संदर्भित करने की मांग कर सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर बैठक करेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है या खंड 46.1.1 में संदर्भित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर समझौते की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित किए जाने के अनुसार विवाद का समाधान नहीं होता है अथवा पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी लंबी अवधि के भीतर समाधान नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष खंड 46.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।

46.3 मध्यस्थता (Arbitration)

46.3.1 कोई भी विवाद जो खंड 46.2 में दिए गए अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, उसे खंड 46.3.2 के अनुसार एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण (arbitral tribunal) द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) या उसके किसी आगामी संशोधन या पुनः अधिनियमन ("अधिनियम" / "Act") के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

46.3.2 तीन मध्यस्थों से युक्त एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण होगा, जिनमें से प्रत्येक पक्षकार एक का चयन करेगा, और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार चयनित दो मध्यस्थों द्वारा की जाएगी, और दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

46.3.3 मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत अधिनिर्णय (Award) देगा। इस अनुच्छेद 46 के अनुसरण में आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी अधिनिर्णय जिस तिथि को दिया गया है, उस तिथि से पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही तथा प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे अधिनिर्णय का पालन करने के लिए सहमत होते हैं और वचन देते हैं।

46.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत होते हैं कि एक अधिनिर्णय को, यथास्थिति, रियायतग्राही और/या प्राधिकरण तथा उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के विरुद्ध, वे जहाँ कहीं भी स्थित हों, लागू किया जा सकता है।

46.3.5 यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, इसके अंतर्गत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय आने तक पूर्ण रूप से लागू रहेंगे।

46.4 न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय

यदि रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले किसी वैधानिक न्यायाधिकरण या अन्य मंच का गठन किया जाता है, तो ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को धारा 46.3 के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के बजाय, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या अन्य मंच द्वारा निपटाया जाएगा और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद 47
खुलासा

47.1 निर्दिष्ट दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही इस रियायत समझौते, रखरखाव नियमावली, रखरखाव कार्यक्रम, रखरखाव आवश्यकताओं और सुरक्षा आवश्यकताओं (इसके बाद सामूहिक रूप से "निर्दिष्ट दस्तावेज़" कहा जाएगा) की प्रतियां, रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय और हवाईअड्डे पर सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। रियायतग्राही टर्मिनल भवन में प्रमुखता से सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करेगी जिनमें निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की उपलब्धता बताई गई हो, और प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को 'लाभ-रहित हानि' के आधार पर इनकी प्रतियां प्रदान करेगी।

47.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही हवाईअड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और आंकड़ों की प्रतियां, सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। रियायतग्राही इन दस्तावेजों और आंकड़ों की प्रतियां प्रतिलिपि बनाने के शुल्क के भुगतान पर 'लाभ-रहित हानि' के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगी।

47.3 संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना

धारा 47.1 और 47.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को उपर्युक्त धाराओं के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) का खुलासा रोकने का निर्देश देने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:

संरक्षित दस्तावेज़ अभिव्यक्ति का अर्थ निर्दिष्ट दस्तावेज़ों या खंड 47.1 और 47.2 में संदर्भित दस्तावेज़ों या उनके अंशों से है, जिनका खुलासा प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत रोक सकता

अनुच्छेद 48
सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

48.1 शिकायत रजिस्टर

48.1.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा जहाँ वह एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगा जो सभी के लिए हर समय सुलभ रहेगा, ताकि किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायतें दर्ज की जा सकें। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा टर्मिनल भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि सभी उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके।

48.1.2 शिकायत रजिस्टर को सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत क्रमांक अंकित होंगे। इसमें शिकायत संख्या, दिनांक, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और रियायतकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई सहित उपयुक्त स्तंभ होंगे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायतकर्ता शिकायतकर्ता को दिनांक और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

48.1.3 धारा 48.1.1 और 48.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, रियायतकर्ता के साथ परामर्श करके, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें करने और उनके जवाब देने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

48.2 शिकायतों का निवारण

48.2.1 रियायतग्राही प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए शीघ्र और उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और रियायतग्राही द्वारा शिकायतकर्ता को डाक प्रमाण पत्र के माध्यम से कार्रवाई का विवरण देते हुए उत्तर भेजा जाएगा।

48.2.2 प्रत्येक माह की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक-एक सही फोटोकॉपी भेजेगा जिन पर उस माह के

दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई हो, और उसका अवलोकन करने पर, प्राधिकरण अपने विवेक से, रियायतग्राही को किसी भी शिकायत के उचित और न्यायसंगत निवारण के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली आगे की कार्रवाई करने की सलाह दे सकता है। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और इस संबंध में अपने निर्णय की सूचना प्राधिकरण को देगा, और यदि प्राधिकरण की राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह मामले को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निपटान के लिए सक्षम मंच को भेज सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और खर्च पर शिकायत को आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 49
मिश्रित

49.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार

इस समझौते की व्याख्या और अर्थ भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, और इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों पर राज्य की अदालतों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

49.2 प्रतिरक्षा का त्याग

प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) इस बात से सहमत है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और निष्पादन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए वाणिज्यिक कार्य हैं;

(ख) इस बात से सहमत है कि यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से इसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई प्रतिरक्षा (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;

(ग) किसी भी ऐसे प्रतिरक्षा अधिकार का त्याग करता है जो उसे या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व को वर्तमान में प्राप्त है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या किसी भी क्षेत्राधिकार में उसे सौंपा जा सकता है; और

(घ) किसी भी ऐसी कार्यवाही में उसके विरुद्ध किसी निर्णय या पुरस्कार के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की राहत देने या किसी प्रक्रिया जारी करने के लिए सामान्यतः सहमति देता है (जिसमें उसके विरुद्ध या किसी भी संपत्ति, जायदाद या राजस्व के संबंध में, उनके उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना, उससे संबंधित किसी भी आदेश या निर्णय को बनाना, लागू करना या निष्पादित करना शामिल है)।

49.3 मूल्यह्रास

लागू कानूनों के तहत मूल्यह्रास के प्रयोजन हेतु, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजी निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्व वाली माना जाएगा। स्पष्टता के लिए, प्राधिकरण किसी भी प्रकार से लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले मूल्यह्रास के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

49.4 विलंबित भुगतान

49.4.1 इस समझौते के पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतान इसमें निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरण सहित मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा। जब तक इस समझौते में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऐसी अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, चूक करने वाला पक्ष विलंब की अवधि के लिए बैंक ब्याज दर से 4% (चार प्रतिशत) अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, और इसकी वसूली इस समझौते के तहत पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें समझौते को समाप्त करना भी शामिल है।

49.4.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक आधार पर अर्जित होगा और तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होगा।

49.5 छूट

49.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के इस समझौते के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में किसी भी चूक के लिए आंशिक या सशर्त छूट सहित छूट देना:

क. इसे इस समझौते के किसी अन्य या बाद के उल्लंघन या इस समझौते के अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में संचालित या समझा नहीं जाएगा;

ख. यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पार्टी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

ग. इससे इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

49.5.2 किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते की शर्तों, प्रावधानों और नियमों के पालन पर किसी भी अवसर पर जोर देने में विफलता, या इसके तहत किसी भी दायित्व पर, न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य रियायत को ऐसे उल्लंघन की माफी या किसी भी बदलाव की स्वीकृति या इसके तहत किसी भी ऐसे अधिकार के त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

49.6 दस्तावेजों और रेखाचित्रों की समीक्षा के लिए दायित्व

इस समझौते में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों के अलावा:

क. प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना अनुबंध, दस्तावेज या चित्र की कोई समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन न करना, न ही हवाईअड्डे के निर्माण, प्रचालन या

रखरखाव का कोई अवलोकन या निरीक्षण करना, और न ही इस अनुबंध के अंतर्गत समीक्षा, अनुमोदन, टिप्पणी, अवलोकन या निरीक्षण करने में विफलता रियायतग्राही को इस अनुबंध, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों से मुक्त या बरी करेगी; और

ख. (ख) उपखंड (क) में उल्लिखित किसी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण प्राधिकरण रियायतग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

49.7 निहित वारंटियों आदि का अपवर्जन।

यह समझौता स्पष्ट रूप से किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य वचनबद्धता को बाहर करता है जो कानून या प्रथा या अन्यथा पक्षों के बीच किसी अन्य समझौते से उत्पन्न होती है या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को बाहर करता है जो दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित बाध्यकारी कानूनी समझौते में शामिल नहीं है।

49.8 उत्तरजीविता

49.8.1 समाप्ति इस प्रकार होगी:

क. रियायतकर्ता या प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इस अनुबंध की समाप्ति के बाद भी लागू रहता है, और

ख. इस समझौते के किसी प्रावधान में किसी भी पक्ष की देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करने के अलावा, किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देनदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो कि समाप्ति के प्रभावी होने से पहले या समाप्ति के कारण हुई हो।

49.8.2 समाप्ति के बाद भी सभी दायित्व समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि तक ही प्रभावी

49.9 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और इसकी अनुसूचियां मिलकर इस विषय पर पक्षों के बीच हुए समझौते की शर्तों का पूर्ण और अनन्य विवरण प्रस्तुत करती हैं, और इसमें कोई भी संशोधन या परिवर्तन तब तक मान्य और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा संशोधन या परिवर्तन पक्षों द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत न हो और संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो। इस समझौते से संबंधित सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझौते, प्रस्ताव या अन्य सभी प्रकार के संचार निरस्त और वापस लिए जाते हैं। किसी भी संदेह से बचने के लिए, पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि योग्यता अनुरोध या प्रस्ताव अनुरोध से उत्पन्न रियायतग्राही के किसी भी दायित्व को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

49.10 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या किसी सक्षम न्यायालय या किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित कर दिया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार सद्भावनापूर्वक एक या अधिक प्रावधानों पर सहमति बनाने के उद्देश्य से बातचीत करेंगे जो ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर यथासंभव उपयुक्त हों। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमति न बन पाने की स्थिति में इस समझौते या अन्यथा निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

49.11 कोई साझेदारी नहीं

इस समझौते की व्याख्या या अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाएगा कि पक्षों के बीच कोई संघ, संयुक्त उद्यम या साझेदारी स्थापित हो, या किसी भी पक्ष पर कोई साझेदारी संबंधी दायित्व या जिम्मेदारी थोपी जाए, और न ही किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए कोई समझौता या वचनबद्धता करने, उसकी ओर से कार्य करने, उसके एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने, या उसे किसी भी प्रकार से बाध्य करने का कोई अधिकार, शक्ति या प्राधिकार होगा।

49.12 तृतीय पक्ष

यह समझौता केवल पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस समझौते के पक्षकार न होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य, देखभाल का मानक या कोई दायित्व उत्पन्न हो।

49.13 उत्तराधिकारी और असाइनमेंट

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए प्रभावी होगा।

49.14 सूचनाएँ

इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और उसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

क. रियायतग्राही के मामले में, सूचना फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा नीचे दिए गए पते पर हाथ से दी गई चिट्ठी द्वारा दी जा सकती है, जिस पर नीचे उल्लिखित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने का चिह्न लगा हो, या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को सूचना देकर नामित कर सकता है, बशर्ते कि नीचे उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट शहर के बाहर के पते पर भेजी जाने वाली सूचनाएं या अन्य संचार, यदि उनकी एक प्रति पंजीकृत पावती द्वारा पुष्टि की जाती है, तो देय राशि, चाहे हवाई डाक द्वारा भेजी जाए या कूरियर द्वारा, फैक्स या ईमेल द्वारा उस नंबर पर भेजी जाए जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को सूचना देकर निर्दिष्ट कर सकता है।
ध्यान दें :एमआर. आर.वी. शेषन
पद का नाम:मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पता:सर्वे संख्या: 381/3, मथुरा वन, पहली मंजिल, एनएच 17, पोरवोरिम
फैक्स नंबर:403501, गोवा 011-4719 8998
ईमेल:sheshan.rv@gmrgroup.in

ख. प्राधिकरण के मामले में, यह सूचना फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा नीचे दिए गए पते पर हाथ से दी गई चिट्ठी द्वारा दी जाएगी और नीचे नामित व्यक्ति को संबोधित होगी, जिसकी एक प्रति प्राधिकरण के प्रतिनिधि या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी जिसे प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को सूचना द्वारा नामित कर सकता है; बशर्ते कि यदि रियायतग्राही का कार्यालय प्राधिकरण के समान शहर में नहीं है, तो वह ऐसी सूचना फैक्स या ई-मेल द्वारा तथा पंजीकृत पावती, हवाई डाक या कूरियर द्वारा भेज सकता है।
नाम: (अधिसूचना जारी करने के समय निदेशक, नागर विमानन का नाम)
पद का नाम: निदेशक, नागर विमानन
पता: गोवा सरकार, नागर विमानन निदेशालय, कमरा संख्या 19, सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा-403521
फैक्स नंबर:08322419869

ईमेल:dir-civilavis.coa@nic.in

ग. किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस अनुबंध के अनुसार दी गई कोई भी सूचना या संचार, डाक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जिस समय तक पहुंचना चाहिए था, उस समय तक पहुंचा हुआ माना जाएगा; और अन्य सभी मामलों में, इसे वास्तविक तिथि और समय पर पहुंचा हुआ माना जाएगा; बशर्ते कि फैक्स या ई-मेल के मामले में, इसे इसकी डिलीवरी की तिथि के बाद वाले कार्यदिवस पर पहुंचा हुआ माना जाएगा।

49.15 भाषा

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली सभी सूचनाएं और अन्य सभी संचार, दस्तावेज और कार्यवाही जो किसी भी तरह से इस समझौते से संबंधित हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगी।

49.16 काउंटरपार्ट्स

इस समझौते की दो प्रतियां तैयार की जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक, जब तैयार होकर सौंप दी जाएगी, तो इस समझौते की मूल प्रति मानी जाएगी।

अनुच्छेद 50

परिभाषाएं

50.1 परिभाषाएं

इस करार में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे अर्थ होंगे जो यहां नीचे उन्हें क्रमशः सौंपे गए हैं:

"**एएआई (AAI)**" का अर्थ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्थापित किया गया है;

"**अधिनियम (Act)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 46.3.1 के अंतर्गत उसे सौंपा गया है;

"**एईआरए (AERA)**" का अर्थ है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, जिसे एईआरए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, और इसमें कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण भी शामिल होगा जो लागू कानूनों के अनुसार एईआरए के कार्यों और प्राधिकारों का स्थान लेता है या उन्हें प्रतिस्थापित करता है;

"**एईआरए अधिनियम (AERA Act)**" का अर्थ है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित और प्रतिस्थापित किया गया हो;

"**एटीसी (ATC)**" का अर्थ है वायु यातायात नियंत्रण, और इसमें विमानपत्तन पर स्थित टावर तथा संबद्ध भवन एवं उपकरण सम्मिलित हैं;

"**एटीसी सुविधा (ATC Facility)**" का अर्थ है विमानपत्तन पर स्थित वायु यातायात सेवा परिसर, जिसमें एटीसी टावर, तकनीकी खंड तथा अपने कार्मिकों के लिए संबद्ध पार्किंग सहित कार्यालय आवास शामिल है, जिसमें वातानुकूलन तथा विद्युत एवं जल की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था हो;

"**लेखा वर्ष (Accounting Year)**" का अर्थ है वह वित्तीय वर्ष जो किसी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है;

"**अतिरिक्त लेखा परीक्षक (Additional Auditors)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 35.2.3 में निर्धारित किया गया है;

"**अतिरिक्त समापन भुगतान (Additional Termination Payment)**" का अर्थ है समापन पर विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में देय राशि, यदि कोई हो, जो खंड 39.4.3, 39.4.4 और 39.4.5 के उपबंधों द्वारा सीमित हो, जैसी भी स्थिति हो;

"**समायोजित मूल्यह्रासित मूल्य (Adjusted Depreciated Value)**" का अर्थ है किसी आस्ति के मूल्यह्रासित बही मूल्य (जैसा कि रियायतग्राही के लेखा-पुस्तकों में उल्लिखित है) को समायोजित करने के पश्चात प्राप्त राशि, सिवाय इसके कि भवनों और स्थायी संरचनाओं के मामले में मूल्यह्रासित बही मूल्य को लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर 3% (तीन प्रतिशत) की वार्षिक मूल्यह्रास दर लागू करके, आस्ति के अधिग्रहण की तिथि और अंतरण तिथि के बीच मूल्य सूचकांक में होने वाले परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने हेतु निर्धारित किया जाएगा;

"**समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity)**" का अर्थ है भारतीय रुपयों में निधीकृत इक्विटी जो चालू माह के प्रथम दिन ("संदर्भ तिथि") को, मूल्यह्रास तथा मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने हेतु, तथा किसी भी उत्पन्न होने वाली संदर्भ तिथि के लिए, नीचे दिए गए ढंग से समायोजित की जाती है:

(क) सीओडी को अथवा उससे पूर्व, समायोजित इक्विटी वह राशि होगी जो भारतीय रुपयों में निधीकृत तथा परियोजना पर व्यय की गई इक्विटी के बराबर हो, जिसे नियत तिथि के माह के प्रथम दिन और संदर्भ तिथि के बीच होने वाले मूल्य सूचकांक के परिवर्तन के आधे भाग की सीमा तक संशोधित किया गया हो;

(ख) सीओडी से लेकर उसकी चौथी वर्षगांठ तक, सीओडी के दिन की समायोजित इक्विटी को आधार ("आधार समायोजित इक्विटी") माना जाएगा और तत्पश्चात समायोजित इक्विटी वह राशि होगी जो आधार समायोजित इक्विटी के बराबर हो, जिसे सीओडी के पश्चात प्रत्येक माह के प्रारंभ में, सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच उत्पन्न मूल्य सूचकांक के परिवर्तन की सीमा तक संशोधित किया गया हो; और

(ग) सीओडी की चौथी वर्षगांठ के पश्चात, समायोजित इक्विटी वह राशि होगी जो आधार समायोजित इक्विटी के बराबर हो, जिसे सीओडी की चौथी वर्षगांठ के पश्चात प्रत्येक माह के प्रारंभ में 0.11% (शून्य दशमलव ग्यारह प्रतिशत) से घटाया गया हो, और इस प्रकार प्राप्त राशि को सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच उत्पन्न मूल्य सूचकांक के परिवर्तन की सीमा तक संशोधित किया जाएगा;

और उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), खंड 12.8 और मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन के विस्तार हेतु निधीकृत तथा व्यय की गई इक्विटी पर लागू होगा। संदेह की निवृत्ति हेतु, समापन की स्थिति में समायोजित इक्विटी की गणना अंतरण तिथि से ठीक पूर्व की संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी; बशर्ते कि उस अवधि के लिए समायोजित इक्विटी में कोई कमी नहीं की जाएगी, यदि कोई हो, जिसके लिए रियायत अवधि को बढ़ाया गया है, परंतु मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन जारी रहेगा;

"**वैमानिकी आस्तियां (Aeronautical Assets)**" का अर्थ है वे आस्तियां जो विमानपत्तन पर वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य आस्तियां भी शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस करार के उपबंधों के अनुसार, वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित, समय-समय पर प्राप्त कर सकता है, और इसमें गैर-वैमानिकी आस्तियां तथा नगरीय पक्ष विकास शामिल नहीं है;

"**वैमानिकी प्रभार (Aeronautical Charges)**" का अर्थ है एईआरए द्वारा अनुमोदित वैमानिकी सेवाओं के लिए प्रभार, जिन्हें रियायतग्राही द्वारा उद्ग्रहीत, संगृहीत और विनियोजित किया जा सकता है;

"**वैमानिकी राजस्व (Aeronautical Revenues)**" का अर्थ है लागू कानूनों के अनुसार एईआरए द्वारा निर्धारित समग्र राजस्व अपेक्षा;

"**वैमानिकी सेवाएं (Aeronautical Services)**" का वह अर्थ है जो विमानपत्तन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में एईआरए अधिनियम में निर्धारित किया गया है;

"**प्रभावित पक्ष (Affected Party)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.1 में निर्धारित किया गया है;

"**करार (Agreement)**" या "**रियायत करार (Concession Agreement)**" का अर्थ है यह करार, इसकी प्रस्तावना, इसकी अनुसूचियां तथा इस करार में निहित उपबंधों के अनुसार की गई इसमें कोई संशोधन;

"**विमान ईंधन भरण सेवाएं (Aircraft Fuelling Services)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 18.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"**वायुक्षेत्र प्रकाश प्रणाली (Airfield Lighting System)**" का अर्थ है विमानपत्तन पर स्थित प्रकाश प्रणालियां, जिनमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच के संबंध में वे प्रणालियां शामिल हैं जो संबद्ध आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित उपबंधों के अनुसार विमान परिचालन एवं वायुगतिकी श्रेणी के विमानपत्तनों हेतु अपेक्षित हैं;

"**विमानपत्तन (Airport)**" का अर्थ है प्रस्तावना में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्थित विमानपत्तन, और इसमें सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत कार्य, टर्मिनल भवन, रनवे तथा विमानपत्तन के परिचालन हेतु आवश्यक और उससे संबद्ध सभी परियोजना आस्तियां शामिल हैं, और इसमें नगरीय पक्ष विकास भी शामिल होगा;

"**वार्षिक प्रीमियम (Annual Premium)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 30.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**परिशिष्ट (Appendix)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 10.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"**लागू कानून (Applicable Laws)**" का अर्थ है भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एवं प्रभावी बनाए गए सभी कानून, जिनमें उनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम और अधिसूचनाएं शामिल हैं, तथा किसी अभिलेख न्यायालय के निर्णय, आदेश, व्यादेश, रिट और आदेश जो इस करार पर तथा पक्षकारों के तहत उनके संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन तथा निर्वहन पर लागू होते हैं, जैसे भी इस करार की अवधि के दौरान प्रवृत्त एवं प्रभावी हों;

"**लागू अनुज्ञप्तियां (Applicable Permits)**" का अर्थ है सभी अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां, अनुमतियां, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमतियां, अनुमोदन तथा छूट जो इस करार की अवधि के दौरान विमानपत्तन के निर्माण, परिचालन तथा रखरखाव के संबंध में लागू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की जानी अथवा बनाए रखी जानी अपेक्षित हैं;

"**नियत तिथि (Appointed Date)**" का अर्थ है वह तिथि जिस दिन वित्तीय समापन प्राप्त होता है और प्रत्येक पूर्ववर्ती शर्त या तो इस करार के उपबंधों के अनुसार पूर्ण की गई हो या छूट दी गई हो, जैसी भी स्थिति हो, और ऐसी तिथि रियायत अवधि के प्रारंभ की तिथि होगी;

"**अनुमोदित मूल्यांकक (Approved Valuer)**" का अर्थ है आयकर विभाग द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त मूल्यांककों की एक फर्म, जिसे कम से कम 5 (पांच) ऐसी संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुभव हो जिनका मूल्य प्रत्येक रु. 100,00,00,000 (रुपये एक सौ करोड़) से अधिक हो;

"**वास्तु अभिकल्प (Architectural Design)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 12.1.2 में निर्धारित किया गया है;

"**सहयोगी (Associate)**" या "**संबद्ध (Affiliate)**" का अर्थ है, किसी भी पक्ष और/या चयनित बोलीदाता के संबंध में, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पक्ष या चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करता हो, उसके द्वारा नियंत्रित हो, अथवा उसके साथ सामान्य नियंत्रण में हो (इस परिभाषा में प्रयुक्त "नियंत्रण" अभिव्यक्ति का अर्थ है, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी या निगम हो,

(i) ऐसे व्यक्ति के मताधिकार शेयरों के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व; अथवा

(ii) किसी करार के आधार पर ऐसे व्यक्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक मताधिकारों का धारण; अथवा

(iii) कानून या करार के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के नीति निर्णयों को शासित करने की शक्ति; अथवा

(iv) निदेशक मंडल के बहुसंख्यक सदस्यों को नियुक्त या हटाने की शक्ति; अथवा

(v) निदेशक मंडल की बैठक में बहुसंख्यक मत डालने की शक्ति; और

ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी या निगम न हो, कानून के प्रवर्तन द्वारा ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन तथा नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति।)

"**प्राधिकरण (Authority)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना में उल्लिखित पक्षों की सूची में इसे सौंपा गया है;

"**प्राधिकरण व्यतिक्रम (Authority Default)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 39.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**प्राधिकरण प्रतिनिधि (Authority Representative)**" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगण जिन्हें प्राधिकरण द्वारा इस करार के अंतर्गत उसकी ओर से कार्य करने हेतु लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगण शामिल हैं जिन्हें इस करार के अंतर्गत प्राधिकरण के किसी अधिकार का प्रयोग करने या किसी दायित्व को निष्पादित एवं पूर्ण करने का प्राधिकार प्राप्त हो;

"**औसत दैनिक राजस्व (Average Daily Revenue)**" का अर्थ है वह राशि जो ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के कुल फीस को 365 (तीन सौ पैंसठ) से विभाजित करके तथा उस भागफल को 5% (पांच प्रतिशत) बढ़ाकर प्राप्त की जाती है; बशर्ते कि सीओडी के पश्चात प्रथम लेखा वर्ष की पूर्णता से पूर्व की किसी अवधि के लिए औसत दैनिक राजस्व, सीओडी और उस माह के अंतिम दिन, जिसमें इसकी गणना आवश्यक करने वाली घटना घटित हुई हो, के पूर्ववर्ती माह के बीच प्रत्येक दिन संगृहीत फीस का सरल औसत होगा, और यदि किसी कारण से यातायात के किसी खंड द्वारा देय फीस वसूल नहीं की जा सकी हो, तो उस अवधि हेतु औसत दैनिक राजस्व के भाग के रूप में स्वतंत्र अभियंता द्वारा उसका आकलन किया जाएगा;

"**विमानन कौशल विकास केंद्र (Aviation Skill Development Centre)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 28.10.1 में निर्धारित किया गया है;

"**अधिनिर्णय (Award)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 46.3.3 में निर्धारित किया गया है;

"**बीसीएएस (BCAS)**" का अर्थ है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो;

"**बैंक (Bank)**" का अर्थ है भारत में निगमित तथा रु. 1000,00,00,000 (रुपये एक हजार करोड़) की न्यूनतम निवल संपत्ति वाला बैंक अथवा वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्वीकार्य कोई अन्य बैंक, किंतु इसमें ऐसा कोई बैंक शामिल नहीं है जिसमें किसी वरिष्ठ ऋणदाता का हित हो;

"**बैंक दर (Bank Rate)**" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसरण में समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज दर अथवा उस समय प्रभावी ऐसी बैंक दर का कोई प्रतिस्थापन;

"**बोली (Bid)**" का अर्थ है वे दस्तावेज जो प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रतिउत्तर में चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली में उसके उपबंधों के अनुसार पूर्णरूपेण समाविष्ट हैं, और "**बोलियां**" का अर्थ है किसी और सभी पूर्व-अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां;

"**बोली तिथि (Bid Date)**" का अर्थ है वह अंतिम तिथि जिसे प्रस्ताव हेतु अनुरोध के उपबंधों के अनुसार बोली प्रस्तुत की जा सकती थी;

"**बोली प्रतिभूति (Bid Security)**" का अर्थ है वह प्रतिभूति जो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को, प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुसार, बोली के साथ प्रदान की जाती है, और जो निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगी;

"**सीएनएस/एटीएम उपकरण (CNS/ATM Equipment)**" का अर्थ है सीएनएस/एटीएम सेवाओं के निष्पादन हेतु नामित जीओआई अभिकरण द्वारा अपेक्षित सभी उपकरण;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)**" का अर्थ है संचार, नौवहन और निगरानी, तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं जो विमानपत्तन पर, ऐसे वायुक्षेत्र के पार्श्विक और उर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर वायुक्षेत्र विन्यास के अनुरूप, प्रदान की जानी हैं, और इसमें शामिल है:

(i) वायुगतिकी नियंत्रण सेवा जिसमें भूतल संचलन नियंत्रण या भूमि नियंत्रण शामिल है किंतु एप्रन नियंत्रण को छोड़कर;

(ii) उपागम नियंत्रण / उपागम रडार नियंत्रण सेवा;

(iii) क्षेत्र नियंत्रण / क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो); और

(iv) संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिकी सूचना सेवा, उड़ान सूचना सेवा, परामर्शी सेवा, सतर्कता सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं, जैसी भी उपयुक्त हों, वे सभी संबद्ध आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित उपबंधों के अनुसार तथा विमानपत्तन पर विमान परिचालनों हेतु आवश्यकतानुसार;

"सीओडी (COD)" या **"वाणिज्यिक परिचालन तिथि (Commercial Operation Date)"** का वह अर्थ होगा जो खंड 15.1 में निर्धारित किया गया है;

"**सीपीआई (आईडब्ल्यू) [CPI (IW)]**" का अर्थ है औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसा कि श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसमें कोई भी ऐसा सूचकांक शामिल होगा जो सीपीआई (आईडब्ल्यू) को प्रतिस्थापित करता हो, और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के किसी संदर्भ को, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, पूर्ववर्ती तिमाही के साथ समाप्त होने वाली अवधि हेतु प्रकाशित सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

"**कार पार्क (Car Park)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 12.6.1 में निर्धारित किया गया है;

"**कार्गो सुविधाएं (Cargo Facilities)**" का अर्थ है आने वाले तथा बाहर जाने वाले कार्गो के प्रबंधन हेतु अपेक्षित रियल एस्टेट, भवन, संरचनाएं तथा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें इस करार के अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अनुसार उसका अल्पकालिक भंडारण भी सम्मिलित है;

"**कानून में परिवर्तन (Change in Law)**" का अर्थ है बोली तिथि के पश्चात निम्नलिखित में से किसी की घटना:

(क) किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ख) किसी विद्यमान भारतीय कानून का निरसन, संशोधन या पुनः अधिनियमन;

(ग) किसी भारतीय कानून का प्रारंभ होना जो बोली तिथि तक प्रभाव में नहीं आया हो;

(घ) किसी अभिलेख न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में ऐसा परिवर्तन जो अंतिम, निर्णायक तथा बाध्यकारी हो गया हो, जैसा कि बोली तिथि से पूर्व किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग की तुलना में हो; अथवा

(ङ) किसी ऐसे कर की दरों में कोई परिवर्तन जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो;

"**स्वामित्व में परिवर्तन (Change in Ownership)**" का अर्थ है किसी शेयर अथवा शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष विधिक या हितकारी स्वामित्व का ऐसा अंतरण, जिसके परिणामस्वरूप चयनित बोलीदाता का, उसके सहयोगियों सहित, कुल इक्विटी में समग्र धारण, सीओडी की 7वीं (सातवीं) वर्षगांठ तक, उसके 51% (इक्यावन प्रतिशत) से नीचे गिर जाए; बशर्ते कि पात्रता की न्यूनतम शर्तों को पूरा करने अथवा उसके आवेदन या बोली के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ बोली प्रक्रिया के दौरान रियायतग्राही द्वारा की गई प्रस्तुतियों की तुलना में, चयनित बोलीदाता के कुल इक्विटी में इक्विटी धारण के अनुपात में कोई भौतिक भिन्नता (यदि वह सीओडी से पूर्व घटित हो) स्वामित्व में परिवर्तन गठित करेगी;

"**कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (Change of Scope)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 16.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश (Change of Scope Order)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 16.2.3 में निर्धारित किया गया है;

"**कार्यक्षेत्र परिवर्तन सूचना (Change of Scope Notice)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 16.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**चेक-इन सेवाएं (Check-in Services)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 19.6.1 में निर्धारित किया गया है;

"**शिकागो अभिसमय (Chicago Convention)**" का अर्थ है शिकागो अभिसमय 1944, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या अनुपूरित किया गया हो; तथा शिकागो अभिसमय के "अनुलग्नक" के संदर्भों का अर्थ ऐसा अनुलग्नक होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या अनुपूरित किया गया हो;

"**नगरीय पक्ष (City Side)**" का अर्थ है वह रियल एस्टेट जो साइट का भाग है तथा अनुसूची-ए में नगरीय पक्ष के रूप में चिह्नित है;

"**नगरीय पक्ष विकास (City Side Development)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 3.2 में निर्धारित किया गया है;

"**कंपनी (Company)**" का अर्थ है इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के रूप में कार्य करने वाली कंपनी;

"**परिवादी (Complainant)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 48.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**परिवाद पंजी (Complaint Register)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 48.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 14.2 में निर्धारित किया गया है;

"**रियायत (Concession)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 3.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**रियायतग्राही (Concessionaire)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना में उल्लिखित पक्षों की सूची में इसे सौंपा गया है;

"**रियायत फीस (Concession Fee)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 30.1 में निर्धारित किया गया है;

"**रियायत अवधि (Concession Period)**" का अर्थ है वह अवधि जो नियत तिथि को और उससे प्रारंभ होकर अंतरण तिथि को समाप्त होती है;

"**रियायतग्राही व्यतिक्रम (Concessionaire Default)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 39.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**समवर्ती लेखा परीक्षक (Concurrent Auditors)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 35.2.4 में निर्धारित किया गया है;

"**पूर्ववर्ती शर्तें (Conditions Precedent)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 4.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**पुष्टिकर्ता पक्ष (Confirming Party)**" का वह अर्थ होगा जो पक्षों की सूची में इसे सौंपा गया है।

"**निर्माण अवधि (Construction Period)**" का अर्थ है वह अवधि जो नियत तिथि से प्रारंभ होकर सीओडी को समाप्त होती है;

"**निर्माण कार्य (Construction Works)**" का अर्थ है इस करार के अनुसार विमानपत्तन को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सभी कार्य और वस्तुएं, और इसमें वैमानिकी आस्तियां, गैर-वैमानिकी आस्तियां, परियोजना सुविधाएं तथा रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय विमानपत्तन पर किया गया कोई अन्य निर्माण कार्य शामिल है;

"**ठेकेदार (Contractor)**" का अर्थ है वह व्यक्ति या व्यक्तिगण, जैसी भी स्थिति हो, जिनके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी करार, ओ&एम करार अथवा विमानपत्तन के निर्माण, परिचालन और/या रखरखाव या उससे आनुषंगिक विषयों हेतु किसी अन्य सारवान करार या संविदा में प्रवेश किया हो, किंतु इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु करार में प्रवेश किया हो;

"**उपचार अवधि (Cure Period)**" का अर्थ है इस करार में उस पक्ष द्वारा, जो ऐसे भंग या व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी हो, इस करार के किसी उपबंध के किसी भंग या व्यतिक्रम को उपचारित करने हेतु विनिर्दिष्ट अवधि, और यह:

(क) उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस दिन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट भंग या व्यतिक्रम को उपचारित करने हेतु सूचना दी जाती है;

(ख) इस करार के उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्व से किसी भी पक्ष को उन्मुक्त नहीं करेगी; और

(ग) इस करार के अंतर्गत निलंबन की किसी अवधि द्वारा किसी भी प्रकार बढ़ाई नहीं जाएगी।

बशर्ते कि यदि रियायतग्राही द्वारा किसी भंग के उपचार हेतु रियायतग्राही द्वारा ऐसी कोई युक्तियुक्त कार्रवाई अपेक्षित हो जिसे प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा यहां अनुमोदित किया जाना आवश्यक हो, तो लागू उपचार अवधि को प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा अपना अनुमोदन देने में लगे समय की सीमा तक बढ़ाया जाएगा;

"**डीबीएफओटी (DBFOT)**" या "**अभिकल्पन, निर्माण, वित्तपोषण, परिचालन और अंतरण (Design, Build, Finance, Operate and Transfer)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना (A) में निर्धारित किया गया है;

"**डीजीसीए (DGCA)**" का अर्थ है नागर विमानन महानिदेशालय अथवा उसका कोई स्थानापन्न;

"**क्षतिपूर्ति (Damages)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 1.2.1 के उप-खंड (x) में निर्धारित किया गया है;

"**शोध्य ऋण (Debt Due)**" का अर्थ है अंतरण तिथि को बकाया, भारतीय रुपयों में व्यक्त निम्नलिखित राशियों का समग्र:

(क) वित्तपोषण करारों के अंतर्गत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण हेतु प्रदान किए गए ऋण की मूल राशि ("मूलधन"), किंतु इसमें मूलधन का वह भाग शामिल नहीं है जो अंतरण तिथि से 2 (दो) वर्ष पूर्व चुकौती हेतु देय हो गया हो;

(ख) उप-खंड (क) में उल्लिखित ऋण पर, अंतरण तिथि तक, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत, अथवा उसके संबंध में, देय सभी संचित ब्याज, वित्तपोषण फीस तथा प्रभार, किंतु इसमें (i) कोई ऐसा ब्याज, फीस या प्रभार शामिल नहीं है जो अंतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पूर्व देय हो गया हो, (ii) किसी वरिष्ठ ऋणदाता को वित्तपोषण करारों के अंतर्गत देय कोई शास्ति ब्याज या प्रभार, और (iii) प्राधिकरण व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न मामलों को छोड़कर त्वरित ऋण चुकौती से संबंधित कोई पूर्व-भुगतान प्रभार शामिल नहीं है; और

(ग) कोई गौण ऋण जो वित्तीय पैकेज में सम्मिलित है तथा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण हेतु ऋणदाताओं द्वारा संवितरित किया गया है।

बशर्ते कि यदि शोध्य ऋण का समग्र अथवा उसका कोई भाग, वरिष्ठ ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय हो, तो इस करार के प्रयोजनार्थ ऐसा परिवर्तन होने पर भी इसे शोध्य ऋण माना जाएगा तथा उसके मूलधन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया हो।

आगे यह भी बशर्ते कि सीओडी को अथवा उसके पश्चात शोध्य ऋण किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 85% (पचासी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा;

"**ऋण सेवा (Debt Service)**" का अर्थ है वरिष्ठ ऋणदाताओं को वित्तपोषण करारों के अंतर्गत शोध्य ऋण के संबंध में और उसके लिए किसी लेखा वर्ष में देय और संदेय मूलधन, ब्याज, वित्तपोषण फीस तथा प्रभार के संबंध में सभी भुगतानों का योग;

"**मानी गई निष्पादन प्रतिभूति (Deemed Performance Security)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 9.4 में निर्धारित किया गया है;

"**रक्षा बल (Defence Forces)**" का अर्थ है भारतीय थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना, और इसमें भारत की रक्षा में संलग्न अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं;

"**नामित जीओआई अभिकरण (Designated GOI Agency)**" का अर्थ है जीओआई के नियंत्रणाधीन कोई विभाग अथवा अन्य निकाय, जिसे सीमा शुल्क नियंत्रण, आप्रवासन नियंत्रण, संगरोध, वायु यातायात नियंत्रण अथवा विमानपत्तन सुरक्षा जैसे सांविधिक कार्य सौंपे गए हों;

"**विकास अवधि (Development Period)**" का अर्थ है इस करार की तिथि से नियत तिथि तक की अवधि;

"**विकास योजना (Development Plan)**" का वह अर्थ होगा जो अनुसूची ए के अनुलग्नक II के खंड 7 में निर्धारित किया गया है;

"**निदेशक (Director)**" का अर्थ है रियायतग्राही का निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त किया गया हो;

"**विस्थापित परिवार (Displaced Family)**" का अर्थ है कोई भी परिवार जिसे भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित तथा पुनर्वासित किया जाना है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे 15 (पंद्रह) विस्थापित परिवार हैं;

"**विवाद (Dispute)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 46.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure)**" का अर्थ है अनुच्छेद 46 में निर्धारित विवादों के समाधान की प्रक्रिया;

"**विनिवेश अपेक्षाएं (Divestment Requirements)**" का अर्थ है समापन के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के दायित्व जैसा कि खंड 40.1 में निर्धारित किया गया है;

"**दस्तावेज (Document)**" या "**दस्तावेजीकरण (Documentation)**" का अर्थ है मुद्रित या लिखित रूप में, अथवा टेप, डिस्क, चित्र, कंप्यूटर प्रोग्राम, लेखन, प्रतिवेदन, छायाचित्र, फिल्म, कैसेट में, अथवा किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य या दृश्य रूप में व्यक्त दस्तावेजीकरण;

"**रेखांकन (Drawings)**" का अर्थ है अनुसूची-एच में निर्धारित विमानपत्तन से संबंधित सभी रेखांकन, गणनाएं तथा दस्तावेज, और इसमें विमानपत्तन के 'यथानिर्मित' रेखांकन भी शामिल हैं;

"**ईडीआई (EDI)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 25.4 में निर्धारित किया गया है;

"**ईपीसी करार (EPC Contract)**" का अर्थ है इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण करार अथवा करार जिसमें रियायतग्राही एक या अधिक ठेकेदारों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, इस करार के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन की इंजीनियरिंग और निर्माण हेतु प्रवेश करता है;

"**ईपीसी ठेकेदार (EPC Contractor)**" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ रियायतग्राही ने कोई ईपीसी करार किया हो;

"**आपातकाल (Emergency)**" का अर्थ है ऐसी स्थिति या परिस्थिति जो विमानपत्तन पर अथवा उसके आसपास के व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हो अथवा जिससे किसी परियोजना आस्ति को भौतिक क्षति का तात्कालिक खतरा उत्पन्न हो, और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी शामिल है;

"**भार (Encumbrances)**" का अर्थ है, विमानपत्तन तथा नगरीय पक्ष विकास के संबंध में, बंधक, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार, विनिधान-अंतरण, प्रतिभूति हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता जिसका प्रभाव प्रतिभूति या अन्य ऐसे दायित्वों के समान हो, और इसमें खंड 11.1 में निर्दिष्ट उपयोगिताओं को छोड़कर, विमानपत्तन से संबंधित किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि प्रापकों अथवा हितलाभियों का कोई पदनाम अथवा ऐसी कोई समान व्यवस्था, जहां यहां लागू हो, शामिल है;

"**इक्विटी (Equity)**" का अर्थ है कुल परियोजना लागत के इक्विटी घटक को पूरा करने हेतु रियायतग्राही की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी को दर्शाने वाली भारतीय रुपयों में व्यक्त राशि, और इस करार के प्रयोजनार्थ इसमें परिवर्तनीय लिखत या ऐसे अन्य समान पूंजी स्वरूप भी शामिल होंगे, जो कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तित होंगे, तथा कंपनी के किसी शेयरधारक द्वारा ऐसे इक्विटी घटक को पूरा करने हेतु अग्रिम किए गए ब्याज-मुक्त निधि भी शामिल हैं;

"**एस्क्रो खाता (Escrow Account)**" का अर्थ है ऐसा खाता जिसे रियायतग्राही किसी बैंक में खोलेगा तथा बनाए रखेगा, जिसमें पूंजी तथा राजस्व प्राप्तियों और व्यय के लेखे में नकदी के सभी अंतर्वाह और बहिर्वाह को, इस करार के उपबंधों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, जमा तथा नामे किया जाएगा, और इसमें ऐसे एस्क्रो खाते के उप-खाते भी शामिल हैं;

"**एस्क्रो करार (Escrow Agreement)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 33.1.2 में निर्धारित किया गया है;

"**एस्क्रो बैंक (Escrow Bank)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 33.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**एस्क्रो व्यतिक्रम (Escrow Default)**" का वह अर्थ होगा जो अनुसूची-आर में निर्धारित किया गया है;

"**छूटप्राप्त व्यक्ति (Exempted Person)**" का अर्थ है:

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) भारत के प्रधानमंत्री;

(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश;

(ङ) राज्यपालगण और उपराज्यपालगण;

(च) केंद्रीय मंत्रीगण;

(छ) मुख्यमंत्रीगण;

(ज) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण;

(झ) केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारीगण;

(ञ) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशगण;

(ट) सभी राज्य सरकारों के मंत्रीगण;

(ठ) राजकीय भ्रमण पर आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति;

(ड) जीओआई द्वारा इस रूप में अधिसूचित व्यक्ति;

(ढ) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में संलग्न व्यक्ति;

(ण) अग्निशमन कार्मिक तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा पर लगे व्यक्ति;

(त) निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, अथवा परिचालन एवं रखरखाव के प्रयोजनार्थ टर्मिनल भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति; तथा

(थ) कोई भी व्यक्ति जिसे प्राधिकरण द्वारा टर्मिनल भवन में प्रवेश हेतु अथवा आरक्षित कार पार्क के उपयोग हेतु पास जारी किया गया हो; बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति का नाम तथा विवरण रियायतग्राही को तत्काल सूचित किया जाएगा;

"**एक्सप्रेसवे (Expressway)**" का अर्थ है मानचित्र 2: मोपा विमानपत्तन विद्यमान अभिगम्यता तथा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में दर्शाई गई प्रस्तावित संरेखण के साथ एनएच-17 से 4 (चार) लेन का एक्सप्रेसवे;

"**फीस (Fee)**" का अर्थ है वह प्रभार जो किसी उपयोगकर्ता द्वारा (क) एईआरए अधिनियम और इस करार के उपबंधों के अनुसार एईआरए द्वारा निर्धारित या संशोधित एवं अनुमोदित दरों के अनुसार वैमानिकी सेवाओं में से किसी एक या सभी के उपयोग हेतु; और (ख) गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए उद्ग्रहित तथा देय होता है;

"**वित्तीय समापन (Financial Close)**" का अर्थ है वित्तपोषण करारों के अंतर्गत निधियों की प्रारंभिक उपलब्धता हेतु सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति;

"**वित्तीय व्यतिक्रम (Financial Default)**" का वह अर्थ होगा जो अनुसूची-यू में निर्धारित किया गया है;

"**वित्तीय मॉडल (Financial Model)**" का अर्थ है वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा अंगीकृत वित्तीय मॉडल, जिसमें परियोजना की पूंजी और परिचालन लागतों तथा उससे उत्पन्न राजस्व को इस आधार पर निर्धारित किया गया है कि परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित की गई हो, और इसमें गणनाओं तथा प्रक्षेपणों हेतु उपयोग की गई मान्यताओं तथा प्राचलों का वर्णन भी शामिल है;

"**वित्तीय पैकेज (Financial Package)**" का अर्थ है विमानपत्तन की कुल पूंजी लागत तथा उसके वित्तपोषण के साधनों को दर्शाने वाला वित्तपोषण पैकेज, जैसा कि वित्तीय मॉडल में निर्धारित तथा वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित हो, और इसमें इक्विटी, वित्तपोषण करारों में विनिर्दिष्ट सभी वित्तीय सहायता, गौण ऋण शामिल हैं;

"**वित्तपोषण करार (Financing Agreements)**" का अर्थ है रियायतग्राही द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा ऋण, गारंटी, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता तथा अन्य ऋण लिखतों सहित प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में निष्पादित करार, जिसमें ऋण करार, गारंटी, वचन पत्र, डिबेंचर, बांड तथा अन्य ऋण लिखत, प्रतिभूति करार, तथा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण (पुनर्वित्तपोषण सहित) से संबंधित अन्य दस्तावेज

शामिल हैं, जिसमें विदेशी उधार के मामले में कोई हेजिंग व्यवस्था तथा खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए संशोधन या परिवर्तन भी शामिल हैं;

"**अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)**" या "**अप्रत्याशित घटना प्रसंग (Force Majeure Event)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.1 में उसे बताया गया है;

"**अप्रत्याशित घटना लागत (Force Majeure Costs)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.7.2 में निर्धारित किया गया है;

"**गोवावासी (Goans)**" का अर्थ है तथा इसमें शामिल हैं:

(i) गोवा राज्य में जन्मे तथा निवासरत व्यक्ति;

(ii) वे व्यक्ति जिनका उस राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक का अधिवास हो;

(iii) वे व्यक्ति जिनके माता-पिता में से कम से कम एक का जन्म गोवा में हुआ हो; तथा

(iv) वे व्यक्ति जो गोवा में जन्मे हों किंतु उस राज्य में निवासरत न हों और जिनके माता-पिता उपर्युक्त तीन मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हों।

"जीओआई" का अर्थ है भारत सरकार;

"**गोल्डन शेयर (Golden Share)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 5.4.1 में निर्धारित किया गया है;

"**सुष्ठु उद्योग प्रथा (Good Industry Practice)**" का अर्थ है वे प्रथाएं, पद्धतियां, तकनीक, अभिकल्प, मानक, कौशल, तत्परता, दक्षता, विश्वसनीयता तथा विवेकशीलता जो इस करार के अंतर्गत परिकल्पित उपक्रम के समान प्रकार में संलग्न किसी युक्तियुक्त रूप से कुशल तथा अनुभवी परिचालक से सामान्यतः तथा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हों तथा जो रियायतग्राही द्वारा इस करार, लागू कानूनों तथा लागू अनुज्ञप्तियों के अनुसार विश्वसनीय, सुरक्षित, आर्थिक तथा दक्ष रीति से, तथा सुरक्षित, आर्थिक, विश्वसनीय एवं दक्ष वैमानिकी तथा गैर-वैमानिकी सेवाएं प्रदान करने हेतु, अपने दायित्वों के निष्पादन में परिणामित होने की अपेक्षा हो;

"**सरकार (Government)**" का अर्थ है राज्य की सरकार;

"**सरकारी निकाय (Government Instrumentality)**" का अर्थ है भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, प्रभाग अथवा उप-प्रभाग, और इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, अभिकरण अथवा नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय शामिल हैं, जिसमें पंचायत भी शामिल है, जैसी भी स्थिति हो, तथा विमानपत्तन के किसी भाग अथवा इस करार के अंतर्गत या उसके अनुसरण में रियायतग्राही की सेवाओं या दायित्वों के निष्पादन पर क्षेत्राधिकार रखने वाला कोई निकाय;

"**भूमि प्रबंधन सेवाएं (Ground Handling Services)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 18.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**सकल राजस्व (Gross Revenue)**" का अर्थ है कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर लागू कानूनों तथा इस करार के अनुसार संशोधित किया गया हो, किसी लेखा वर्ष हेतु वार्षिक आधार पर परिकलित राजस्व, और इसमें उप-अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य व्यक्तियों से रियायतग्राही द्वारा जमा (वापसी योग्य या अन्यथा) के रूप में प्राप्त कोई भी राशि शामिल होगी किंतु इसमें केवल निम्नलिखित को छोड़कर:

(क) रियायतग्राही द्वारा प्राप्त कोई बीमा आगम जो (i) उस व्यक्ति को भुगतान किए गए या भुगतान योग्य तृतीय पक्ष दायित्व बीमा से संबंधित हो जिसके दावे उस जोखिम या दायित्व को गठित करते हों जिसके विरुद्ध बीमा किया गया हो; और (ii) आस्तियों को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से, तथा रियायतग्राही ने ऐसी

आस्तियों की तत्परता तथा शीघ्रता से मरम्मत, पुनर्स्थापन अथवा अन्यथा प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त ऐसे आगम के बराबर या उससे अधिक व्यय किया हो या करेगा;

(ख) रियायतग्राही द्वारा, किसी सरकारी निकाय (जैसा कि रियायत करार में परिभाषित है) की ओर से या उसके लिए, ऐसे सरकारी निकाय के प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(ग) किसी विशेष रियायत वर्ष में संबंधित उप-अनुज्ञप्तिधारी अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को वापस की गई कोई जमा राशि, बशर्ते कि यह पूर्व जमा से संबंधित हो जिस पर प्राधिकरण को वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका हो; तथा

(घ) इंड-एएस के तहत निर्माण या उन्नयन सेवाओं हेतु मान्यताप्राप्त कोई राजस्व, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) 11 के परिशिष्ट ए (सेवा रियायत व्यवस्था), निर्माण संविदाओं तथा उनमें उल्लिखित संदर्भों के उपबंधों के अंतर्गत, जिसमें लागू कानूनों के अनुसार इंड-एएस के अंतर्गत निर्माण या उन्नयन सेवाओं हेतु प्राप्त राजस्व अथवा प्रतिफल की पहचान के संबंध में उसमें किए गए उपांतरण भी शामिल हैं।

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) अपवर्जन (क) में उल्लिखित बीमा आगम में राजस्व की हानि और/या कारोबार में व्यवधान हेतु प्राप्त बीमा आगम का कोई अपवर्जन शामिल नहीं होगा;

(ii) अपवर्जन (ख) में उल्लिखित राशियां केवल तभी अपवर्जित होंगी जब वे रियायतग्राही द्वारा संबंधित सरकारी निकाय को तत्परता तथा शीघ्रता से जमा की गई हों या की जाएंगी, तथा लागू कानूनों के अंतर्गत ऐसी राशियों के भुगतान न किए जाने या विलंबित भुगतान के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई शास्ति, दंड या समान प्रकृति की अन्य राशि अपवर्जित नहीं की जाएगी;

(iii) किसी लेखा वर्ष हेतु रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया गया या देय वार्षिक प्रीमियम, सकल राजस्व की गणना में शामिल किया जाएगा; तथा

(iv) सकल राजस्व की गणना और/या अर्थ से संबंधित किसी विवाद, विसंगति, अस्पष्टता, संदेह अथवा अन्यथा की स्थिति में, प्राधिकरण का, अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, निर्णय अंतिम होगा;

"आईएटीए (IATA)" का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ;

"आईसीएओ (ICAO)" का अर्थ है शिकागो अभिसमय द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन तथा उसका कोई उत्तरवर्ती;

"आईसीएओ दस्तावेज तथा अनुलग्नक (ICAO Documents and Annexes)" का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेज तथा अनुलग्नक, जैसा कि समय-समय पर संशोधित तथा प्रकाशित किया गया हो;

"क्षतिपूर्तिग्रस्त पक्ष (Indemnified Party)" का अर्थ है वह पक्ष जो अनुच्छेद 44 के अनुसरण में क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार हो;

"क्षतिपूर्तिकर्ता पक्ष (Indemnifying Party)" का अर्थ है वह पक्ष जो अनुच्छेद 44 के अनुसरण में दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति देने हेतु बाध्य हो;

"स्वतंत्र अभियंता (Independent Engineer)" का वह अर्थ होगा जो खंड 27.1 में निर्धारित किया गया है;

"अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रसंग (Indirect Political Event)" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.3 में निर्धारित किया गया है;

"**सैद्धांतिक अनुमोदन (In-Principle Approval)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना (A) में निर्धारित किया गया है;

"**निरीक्षण प्रतिवेदन (Inspection Report)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 13.2 में निर्धारित किया गया है;

"**बीमा आवरण (Insurance Cover)**" का अर्थ है अनुच्छेद 34 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा ली गई बीमाओं के अंतर्गत बीमाकृत अधिकतम राशियों का समग्र, और इसमें खंड 34.2 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा अपेक्षित सभी बीमाएं शामिल हैं जो वास्तव में नहीं ली गई हों, तथा किसी कार्य या घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होने पर, इसका अर्थ ऐसे कार्य या घटना के संबंध में बीमाकृत तथा देय अथवा बीमाकृत और देय माने जाने वाली अधिकतम राशियों का समग्र होगा;

"**बौद्धिक संपदा (Intellectual Property)**" का अर्थ है सभी पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, लोगो, गेट-अप, व्यापार नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, अभिकल्पों में अधिकार, ब्लू प्रिंट, प्रोग्राम तथा नियमावली, रेखांकन, प्रतिलिप्याधिकार (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकार सहित), डाटाबेस अधिकार, अर्ध-चालक, टोपोग्राफी अधिकार, उपयोगिता मॉडल, ज्ञान-कौशल में अधिकार तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रत्येक स्थिति में चाहे पंजीकृत हो या अपंजीकृत तथा पंजीकरण हेतु आवेदन सहित, तथा विश्व में कहीं भी समतुल्य या समान प्रभाव रखने वाले संरक्षण के सभी अधिकार या स्वरूप;

"**आईएमडी (IMD)**" का अर्थ है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार;

"**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (Key Managerial Personnel)**", रियायतग्राही के संबंध में, का अर्थ है:

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक;

(ख) पूर्णकालिक निदेशक;

(ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, कंपनी सचिव अथवा उनके एक स्तर नीचे के मूल प्रबंधन अधिकारी जो बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन के अधीन, रियायतग्राही के सारवान कार्यों के प्रबंधन में हों; तथा

(घ) वे व्यक्ति जिनके पास रियायतग्राही की विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यों की योजना बनाने, निर्देशन देने तथा नियंत्रण करने का प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व हो;

"**मुख्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 26.1 में निर्धारित किया गया है;

"**एलओए (LOA)**" या "**अधिनिर्णय पत्र (Letter of Award)**" का अर्थ है प्रस्तावना (D) में निर्दिष्ट अधिनिर्णय पत्र;

"**ऋणदाता प्रतिनिधि (Lenders' Representative)**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा इस करार से उत्पन्न या उससे संबंधित विषयों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से तथा उनके लिए कार्य करने हेतु विधिवत प्राधिकृत हो, और इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती तथा स्थानापन्न भी शामिल हैं;

"**एमआरओ (MRO)**" का अर्थ है रखरखाव, मरम्मत तथा नवीनीकरण (Maintenance, Repair and Overhaul);

"**एमआरओ सुविधाएं (MRO Facilities)**" का अर्थ है इस करार के अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अनुसार एमआरओ सुविधाओं के परिचालन तथा रखरखाव हेतु अपेक्षित रियल एस्टेट, भवन, संरचनाएं तथा उपकरण, जैसी भी स्थिति हो;

"**रखरखाव नियमावली (Maintenance Manual)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 17.3 में निर्धारित किया गया है;

"**रखरखाव कार्यक्रम (Maintenance Programme)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 17.4.1 में इसे निर्धारित किया गया है;

"**रखरखाव अपेक्षाएं (Maintenance Requirements)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 17.2 में निर्धारित किया गया है;

"**प्रमुख विमानपत्तन (Major Airport)**" का अर्थ है ऐसा विमानपत्तन जिसकी वार्षिक यात्री यातायात हेतु क्षमता 15,00,000 (पंद्रह लाख) से अधिक हो, अथवा एईआरए अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई अन्य विमानपत्तन;

"**मास्टर प्लान (Master Plan)**" का अर्थ है इस करार के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन के निर्माण तथा विकास हेतु अनुसूची-ए में निर्धारित रियायतग्राही द्वारा विकसित की जाने वाली मास्टर प्लान;

"**सारवान प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect)**" का अर्थ है किसी कार्य या घटना का इस करार के उपबंधों के अनुसार तथा उसके अंतर्गत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन की क्षमता पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव, तथा ऐसा कार्य या घटना जिससे किसी भी पक्ष को सारवान वित्तीय भार या हानि हो;

"**नामित कंपनी (Nominated Company)**" का अर्थ है ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित कंपनी जो प्रतिस्थापन करार के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने हेतु प्राधिकरण को प्रस्तावित की गई हो;

"**गैर-वैमानिकी आस्तियां (Non-Aeronautical Assets)**" का अर्थ है वे आस्तियां जो विमानपत्तन पर गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य आस्तियां भी शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस करार के उपबंधों के अनुसार, गैर-वैमानिकी सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित, समय-समय पर प्राप्त कर सकता है, और इसमें वैमानिकी आस्तियां तथा नगरीय पक्ष विकास शामिल नहीं है;

"**गैर-वैमानिकी सेवाएं (Non-Aeronautical Services)**" का अर्थ है वे सेवाएं जो (i) वैमानिकी सेवाओं तथा (ii) नगरीय पक्ष विकास से भिन्न हों;

"**गैर-राजनीतिक प्रसंग (Non-Political Event)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.2 में निर्धारित किया गया है;

"**ओ&एम (O&M)**" का अर्थ है विमानपत्तन का परिचालन तथा रखरखाव, और इसमें इस करार के उपबंधों के अनुसार ऐसे परिचालन तथा रखरखाव, सेवाओं तथा सुविधाओं के प्रावधान, तथा फीस के संग्रहण से जुड़े या उससे आनुषंगिक सभी मामले शामिल हैं;

"**ओ&एम करार (O&M Contracts)**" का अर्थ है वे परिचालन तथा रखरखाव करार जो रियायतग्राही तथा ओ&एम ठेकेदारों के बीच सभी या किसी भी ओ&एम दायित्वों के निष्पादन हेतु प्रविष्ट किए जा सकते हैं;

"**ओएण्डएम ठेकेदार (O&M Contractor)**" का अर्थ है वे व्यक्ति, यदि कोई हों, जिनके साथ रियायतग्राही ने रियायतग्राही की ओर से तथा उसके लिए ओ&एम दायित्वों का निर्वहन करने हेतु ओ&एम करार में प्रवेश किया हो;

"**ओएण्डएम व्यय (O&M Expenses)**" का अर्थ है रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से अथवा प्राधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, समस्त ओ&एम हेतु किए गए व्यय, जिसमें (क) कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य प्रतिकर की लागत, (ख) सामग्री, आपूर्ति, उपयोगिता तथा अन्य सेवाओं की लागत, (ग) बीमा हेतु प्रीमियम, (घ) ओएण्डएम हेतु देय तथा संदेय सभी कर, शुल्क, उपकर तथा फीस, (ङ) सभी मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, सुधार तथा रखरखाव लागतें, (च) ओएण्डएम करार, फीस संग्रहण करार अथवा ओएण्डएम से जुड़े या उससे आनुषंगिक किसी अन्य करार के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान; तथा (छ) लागू कानूनों, लागू अनुज्ञप्तियों अथवा इस करार के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित अन्य सभी व्यय शामिल हैं;

"**ओएण्डएम निरीक्षण प्रतिवेदन (O&M Inspection Report)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 24.3 में निर्धारित किया गया है;

"**परिचालन अवधि (Operation Period)**" का अर्थ है वह अवधि जो सीओडी से प्रारंभ होकर अंतरण तिथि को समाप्त होती है;

"**सनदी लेखाकार पैनल (Panel of Chartered Accountants)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 35.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**पक्षकार (Parties)**" का अर्थ है इस करार के पक्षकार सामूहिक रूप से, और "**पक्ष (Party)**" का अर्थ है इस करार के पक्षकारों में से कोई भी एक व्यक्तिगत रूप से;

"**यात्री चार्टर (Passenger Charter)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 26.11 में निर्धारित किया गया है;

"**यात्री यातायात (Passenger Traffic)**" का अर्थ है किसी लेखा वर्ष के दौरान विमानपत्तन का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या, जिसमें आरोहण, अवरोहण तथा पारगमन यात्री शामिल हैं, और इसमें पीक ऑवर, पीक अवधि अथवा संदर्भ द्वारा अपेक्षित किसी अन्य अवधि के दौरान यात्री यातायात भी शामिल है;

"**पीक ऑवर (Peak Hour)**" का अर्थ है वह घंटा जो पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें उस वर्ष के दौरान यात्री यातायात तीसवां सबसे व्यस्त रहा हो;

"**पीक ऑवर यातायात (Peak Hour Traffic)**" का अर्थ है प्रत्येक दिन पीक ऑवर के दौरान यात्री यातायात;

"**पीक अवधि (Peak Period)**" का अर्थ है दिन के वे 4 (चार) घंटे जब यात्री यातायात सर्वाधिक हो; तथा दिन के शेष घंटों को "ऑफ पीक अवधि" माना जाएगा;

"**निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 41.2.3 में निर्धारित किया गया है;

"**निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 9.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"**पुलिस (Police)**" का अर्थ है कोई विधि प्रवर्तन अभिकरण, और इसमें राज्य पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा सुरक्षा, अपराध निवारण अथवा कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करने हेतु लागू कानूनों के अंतर्गत सशक्त कोई अन्य संगठन शामिल है;

"**राजनीतिक प्रसंग (Political Event)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.4 में निर्धारित किया गया है;

"**संरक्षण लागत (Preservation Costs)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 13.5.3 में निर्धारित किया गया है;

"**मूल्य सूचकांक (Price Index)**" में शामिल होगा:

(क) डब्ल्यूपीआई (WPI) का 70% (सत्तर प्रतिशत); तथा

(ख) सीपीआई (आईडब्ल्यू) [CPI (IW)] का 30% (तीस प्रतिशत),

जिनके घटकों को पक्षकार पारस्परिक सहमति से ऐसे वैकल्पिक सूचकांक या सूचकांकों द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं;

"**परियोजना (Project)**" का अर्थ है इस करार तथा मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन का निर्माण, परिचालन तथा रखरखाव, और इसमें परियोजना के कार्यक्षेत्र से संबंधित अथवा उसके संबंध में सभी कार्य, सेवाएं तथा उपकरण शामिल हैं;

"**परियोजना करार (Project Agreements)**" का अर्थ है यह करार, वित्तपोषण करार, ईपीसी करार, ओएण्डएम करार, फीस संग्रहण करार, नगरीय पक्ष विकास से संबंधित सभी करार तथा उप-अनुज्ञप्तियां, तथा कोई अन्य सारवान करार अथवा संविदा जिसमें रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति के साथ परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न अथवा आनुषंगिक मामलों के संबंध में प्रवेश कर सकता है, किंतु इसमें एस्क्रो करार, प्रतिस्थापन करार, अथवा रु. 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़) तक के प्रतिफल से जुड़ी वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कोई करार शामिल नहीं है;

"**परियोजना आस्तियां (Project Assets)**" का अर्थ है साइट से संबंधित तथा उसका भाग गठित करने वाली सभी भौतिक तथा अन्य आस्तियां, जिसमें शामिल हैं:

(क) अनुज्ञप्ति, मार्ग अधिकार अथवा अन्यथा के रूप में साइट पर अधिकार;

(ख) वैमानिकी आस्तियां तथा गैर-वैमानिकी आस्तियां;

(ग) मूर्त आस्तियां जैसे सिविल कार्य तथा उपकरण जिसमें नींव, जल निकासी कार्य, विद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली तथा प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;

(घ) साइट पर स्थित परियोजना सुविधाएं;

(ङ) नगरीय पक्ष विकास का भाग गठित करने वाले भवन तथा अचल जुड़नार अथवा संरचनाएं;

(च) परियोजना करारों के अंतर्गत रियायतग्राही के सभी अधिकार;

(छ) वित्तीय आस्तियां, जैसे प्राप्य राशि, प्रतिभूति जमा आदि;

(ज) बीमा आगम; तथा

(झ) विमानपत्तन से संबंधित अथवा उसके संबंध में लागू अनुज्ञप्तियां तथा प्राधिकरण, जिसमें नगरीय पक्ष विकास भी शामिल है;

"**परियोजना पूर्णता अनुसूची (Project Completion Schedule)**" का अर्थ है निर्धारित पूर्णता तिथि को अथवा उससे पूर्व विमानपत्तन की पूर्णता हेतु अनुसूची-जी में निर्धारित प्रगतिशील परियोजना मील के पत्थर;

"**परियोजना सुविधाएं (Project Facilities)**" का अर्थ है साइट पर स्थित सभी सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं जैसा कि अनुसूची-सी में वर्णित है;

"**परियोजना मील के पत्थर (Project Milestones)**" का अर्थ है अनुसूची-जी में निर्धारित परियोजना मील के पत्थर;

"**अनंतिम प्रमाणपत्र (Provisional Certificate)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 14.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"**पंच सूची (Punch List)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 14.3.1 में उसे सौंपा गया है;

"**रु.**", "**रुपये**" **या** "**रुपए (Rupees)**" या "**भारतीय रुपये (Indian Rupees)**" का अर्थ है भारत गणराज्य की विधि-मान्य मुद्रा;

"**रीसा (RESA)**" या "**रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र (Runway End Safety Area)**" का अर्थ है विस्तारित रनवे केंद्र रेखा के बारे में सममित तथा पट्टी के अंत से सटा हुआ एक क्षेत्र, जो मुख्यतः किसी विमान के अंडरशूटिंग या रनवे को ओवररनिंग करने के जोखिम को कम करने हेतु आशयित हो;

"**संदर्भ विनिमय दर (Reference Exchange Rate)**" का अर्थ है, इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के संबंध में, संबंधित तिथि को दोपहर 12.00 (बारह) बजे दिल्ली

में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उद्धृत विनिमय दर, तथा ऐसी दर के अभाव में, दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उद्धृत समान दरों का औसत;

"**संबद्ध पक्ष (Related Party)**", रियायतग्राही के संदर्भ में, का वह अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ऐसे पद को सौंपा गया है;

"**संबद्ध पक्ष संव्यवहार (Related Party Transaction)**" का अर्थ है संबद्ध पक्षों के बीच पट्टा, उप-पट्टा, अनुज्ञप्ति, उप-अनुज्ञप्ति, अंतरण अथवा कार्यात्मकता(यों), संसाधन(संसाधनों) अथवा दायित्व(दायित्वों) का आबंटन, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके लिए कोई मूल्य प्रभारित किया जाता है या नहीं, तथा जो सभी समय पर खंड 5.6.3 में निर्धारित संविदात्मक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा;

"**प्रस्ताव हेतु अनुरोध (Request for Proposals)**" या "**आरएफपी (RFP)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना (C) में निर्धारित किया गया है;

"**अर्हता हेतु अनुरोध (Request for Qualification)**" या "**आरएफक्यू (RFQ)**" का वह अर्थ होगा जो प्रस्तावना (B) में निर्धारित किया गया है;

"**आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area)**" का अर्थ है वह स्थान तथा क्षेत्र जो प्राधिकरण तथा नामित जीओआई अभिकरणों हेतु खंड 19.4 और 22.8 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित हो;

"**आरक्षित कार पार्क (Reserved Car Park)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 20.2 में निर्धारित किया गया है;

"**आरक्षित सेवाएं (Reserved Services)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 22.1 में निर्धारित किया गया है;

"**नगरीय पक्ष विकास का प्रतिबंधित भाग (Restricted Part of City Side Development)**" का अर्थ है नगरीय पक्ष विकास का वह भाग जिसका क्षेत्रफल 149 एकड़ हो, जो अनुसूची-ए के अनुलग्नक III में उल्लिखित पार्किंग, ईंधन फार्म तथा उपयोगिता अवसंरचना हेतु चिह्नित हो। उपर्युक्त उल्लिखित भूमि का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों हेतु किया जाएगा जो मास्टर प्लान में उल्लिखित तथा परिभाषित हैं;

"**मार्ग अधिकार (Right of Way)**" का अर्थ है साइट का रचनात्मक कब्जा, जिसमें सभी पथ-त्याग, सुखाधिकार, अप्रतिबंधित पहुंच तथा मार्ग के अन्य अधिकार, चाहे जैसे भी वर्णित हों, शामिल हैं, जो इस करार के अनुसार विमानपत्तन तथा नगरीय पक्ष विकास के निर्माण, परिचालन तथा रखरखाव हेतु आवश्यक हैं;

"**मार्ग नौवहन सुविधा प्रभार (Route Navigation Facilities Charges)**" का अर्थ है लागू कानूनों के अनुसार मार्ग नौवहन सुविधाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण द्वारा विमान कंपनियों और/या विमान परिचालकों से प्रभारित राशियां;

"**रनवे (Runway)**" का अर्थ है विमानपत्तन पर भूमि की वह पट्टी जिस पर विमान उड़ान भरेंगे तथा उतरेंगे, तथा यह डामर, कंक्रीट अथवा दोनों के मिश्रण के उपयोग सहित मानव-निर्मित सतह हो सकती है;

"**सुरक्षा अपेक्षाएं (Safety Requirements)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 23.1 में निर्धारित किया गया है;

"**निर्धारित पूर्णता तिथि (Scheduled Completion Date)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 12.4.1 में निर्धारित किया गया है;

"**परियोजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Project)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**वरिष्ठ ऋणदाता (Senior Lenders)**" का अर्थ है वित्तीय संस्थाएं, बैंक, बहुपक्षीय ऋणदाता अभिकरण, न्यास, निधियां तथा डिबेंचरधारकों के अभिकर्ता या न्यासी, जिनमें उनके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती भी शामिल हैं, जिन्होंने कुल परियोजना लागत के सभी या किसी भाग को पूरा करने हेतु किसी वित्तपोषण करार

के अंतर्गत रियायतग्राही को गारंटी देने अथवा वित्त प्रदान करने हेतु सहमति व्यक्त की हो और जो रियायतग्राही की आस्तियों, अधिकारों, अभिधान तथा हितों पर पारी पासु प्रभार धारण करते हों;

"**सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएं (Service Quality Requirements)**" का वह अर्थ होगा जो अनुसूची-एल के अनुलग्नक-1 में निर्धारित किया गया है;

"**शेयरधारक करार (Shareholders' Agreement)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 5.4.1 में निर्धारित किया गया है;

"**साइट (Site)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 10.1 में निर्धारित किया गया है;

"**विनिर्देश तथा मानक (Specifications and Standards)**" का अर्थ है अनुसूची-डी में निर्धारित विमानपत्तन हेतु गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता तथा अन्य अपेक्षाओं से संबंधित विनिर्देश तथा मानक, तथा रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत तथा स्पष्ट रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विमानपत्तन हेतु अभिकल्प तथा इंजीनियरिंग में शामिल इसके कोई उपांतरण या इसमें अतिरिक्तियां;

"**विनिर्दिष्ट आस्तियां (Specified Assets)**" का अर्थ है तथा इसमें शामिल हैं निम्नलिखित में से सभी या कोई भी:

(क) परियोजना आस्तियों में से वे जो सीओडी की 5वीं (पांचवीं) वर्षगांठ के पश्चात निर्मित, अर्जित अथवा स्थापित की गई हों, किंतु नियत तिथि की 30वीं (तीसवीं) वर्षगांठ से बाद में नहीं;

(ख) नगरीय पक्ष विकास का भाग गठित करने वाले सभी भवन तथा अचल जुड़नार अथवा संरचनाएं; तथा

(ग) खंड 12.8 तथा मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन के विस्तार का भाग गठित करने वाली आस्तियां;

किंतु किसी भी स्थिति में इसमें भूमि शामिल नहीं होगी;

"**विनिर्दिष्ट दस्तावेज (Specified Documents)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 47.1 में निर्धारित किया गया है;

"**राज्य (State)**" का अर्थ है वह राज्य जिसमें प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है और "**राज्य सरकार (State Government)**" का अर्थ है उस राज्य की सरकार;

"**सांविधिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditors)**" का अर्थ है सनदी लेखाकारों की एक प्रतिष्ठित फर्म जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत, जिसमें इसके किसी पुनः अधिनियमन या संशोधन सहित, उस समय प्रभावी हो, रियायतग्राही के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हुए, खंड 35.2.1 के अनुसार नियुक्त की गई हो;

"**गौण ऋण (Subordinated Debt)**" का अर्थ है अंतरण तिथि को बकाया, भारतीय रुपयों में अथवा ऋण की मुद्रा में, जैसी भी स्थिति हो, व्यक्त निम्नलिखित राशियों का समग्र:

(क) परियोजना लागत को पूरा करने हेतु ऋणदाताओं अथवा रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई तथा वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीनस्थ ऋण की मूल राशि; तथा

(ख) उप-खंड (क) में उल्लिखित ऋण पर संचित ब्याज, किंतु यह वास्तविक ब्याज दर तथा भारतीय रुपयों में व्यक्त ऋणों के मामले में बैंक दर से 5% (पांच प्रतिशत) ऊपर की दर में से कम दर तथा विदेशी मुद्रा में व्यक्त ऋणों के मामले में वास्तविक ब्याज दर तथा 6 (छह) माह की लाइबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट) प्लस 2% (दो प्रतिशत) में से कम की दर तक प्रतिबंधित होगा, किंतु इसमें अंतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पूर्व देय हुए किसी ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि गौण ऋण का समग्र अथवा उसका कोई भाग, ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय हो, तो इस करार के प्रयोजनार्थ ऐसा परिवर्तन होने पर भी इसे गौण ऋण माना जाएगा तथा उसके मूलधन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया हो;

"**अनुवर्ती चरण मास्टर प्लान (Subsequent Phase Master Plan)**" का अर्थ है साइट हेतु रियायतग्राही द्वारा चरण 2 तथा उसके पश्चात के लिए विकसित की जाने वाली मास्टर प्लान। अनुसूची ए का अनुलग्नक-II;

"**प्रतिस्थापन करार (Substitution Agreement)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 42.3 में निर्धारित किया गया है;

"**निलंबन (Suspension)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 38.1 में निर्धारित किया गया है;

"**कर (Taxes)**" का अर्थ है कोई भी भारतीय कर, जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर तथा विमानपत्तन में शामिल तथा उसका भाग गठित करने वाले माल, सामग्री, उपकरण तथा सेवाओं पर किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रभारित, उद्ग्रहीत अथवा अधिरोपित समान प्रकृति का कोई अधिभार या उपकर शामिल है (चाहे केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय हो), किंतु इसमें उस संबंध में किसी भी लेखे पर अधिरोपित कोई ब्याज, शास्ति तथा अन्य राशियां शामिल नहीं हैं। संदेह की निवृत्ति हेतु, करों में कॉर्पोरेट आय पर अथवा नगरीय पक्ष विकास पर कर शामिल नहीं होंगे;

"**टर्मिनल (Terminal)**" का अर्थ है तथा इसमें शामिल है टर्मिनल भवन, कार पार्क, उपागम मार्ग, कार्गो सुविधाएं तथा उससे संलग्न भूमि, किंतु इसमें नगरीय पक्ष शामिल नहीं है;

"**टर्मिनल भवन (Terminal Building)**" का अर्थ है साइट पर स्थित यात्री टर्मिनल भवन तथा उससे संलग्न भूमि, जिसमें कर्बसाइड तथा उपागम मार्ग शामिल हैं, जैसा कि अनुसूची-ए में वर्णित तथा सीमांकित है;

"**टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार (Terminal Navigational Landing Charges)**" का अर्थ है विमानपत्तन पर टर्मिनल नौवहन अवतरण सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण द्वारा विमान कंपनियों या विमान परिचालकों से प्रभारित अथवा प्रभारित की जाने वाली राशियां;

"**समापन (Termination)**" का अर्थ है इस करार तथा उसके अंतर्गत रियायत की अवधि की समाप्ति अथवा समापन;

"**समापन सूचना (Termination Notice)**" का अर्थ है इस करार को समाप्त करते हुए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस करार के अनुसार जारी संसूचना;

"**समापन भुगतान (Termination Payment)**" का अर्थ है समापन पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार तथा उनके अंतर्गत, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशि;

"**परीक्षण (Tests)**" का अर्थ है इस करार के उपबंधों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों तथा अनुबंधों, तथा डीजीसीए द्वारा विनिर्दिष्ट लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विमानपत्तन की पूर्णता निर्धारित करने हेतु अनुसूची-I में निर्धारित परीक्षण, और इसमें, आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis), खंड 12.8 तथा मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन के विस्तार की पूर्णता निर्धारित करने हेतु समान परीक्षण भी शामिल हैं;

"**कुल परियोजना लागत (Total Project Cost)**" का अर्थ है परियोजना, वैमानिकी आस्तियों तथा गैर-वैमानिकी आस्तियों के निर्माण तथा वित्तपोषण पर हुई पूंजी लागत, जिसमें नगरीय पक्ष विकास शामिल नहीं है, और यह निम्नलिखित में से न्यूनतम तक सीमित होगी:

(क) परियोजना की पूंजी लागत, जैसा कि वित्तीय पैकेज में निर्धारित है; तथा

(ख) रु. 3100,00,00,000 (रुपये तीन हजार एक सौ करोड़) की राशि।

बशर्ते कि यदि यहां की तिथि तथा सीओडी के बीच की अवधि हेतु मूल्य सूचकांक में, औसतन, प्रति वर्ष 3% (तीन प्रतिशत) से अधिक वृद्धि होती है, तो पक्षकार, यथासंभव शीघ्रता से, मिलेंगे और उपर्युक्त निर्दिष्ट राशि के संशोधन पर सहमत होंगे ताकि ऐसे 3% (तीन प्रतिशत) से अधिक की मूल्य सूचकांक की वृद्धि के प्रभाव को कुल परियोजना लागत में प्रतिबिंबित किया जा सके।

आगे यह भी बशर्ते कि समापन की स्थिति में, कुल परियोजना लागत को समायोजित इक्विटी तथा शोध्य ऋण के संबंध में उत्पन्न मूल्य सूचकांक या संदर्भ विनिमय दर में परिवर्तन की सीमा तक, इस करार के उपबंधों के अनुसार, संशोधित माना जाएगा।

यह भी बशर्ते कि कुल परियोजना लागत, विमानपत्तन के चरण-1 के निर्माण कार्यों की पूर्णता पर, वास्तविक पूंजी लागत से अधिक नहीं होगी;

"**अंतरण तिथि (Transfer Date)**" का अर्थ है वह तिथि जिस दिन यह करार तथा उसके अंतर्गत रियायत, इस करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होती है अथवा समापन सूचना द्वारा समाप्त की जाती है;

"**अप्रत्याशित प्रसंग (Unforeseen Event)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 36.12.1 में निर्धारित किया गया है;

"**नगरीय पक्ष विकास का अप्रतिबंधित भाग (Unrestricted Part of City Side Development)**" का अर्थ है नगरीय पक्ष विकास का वह भाग जिसका क्षेत्रफल 232 एकड़ हो, जो अनुसूची-ए के अनुलग्नक III में उल्लिखित वाणिज्यिक विकास हेतु चिह्नित हो;

"**उपयोगकर्ता (User)**" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जिसमें कोई विमान कंपनी, यात्री, आगंतुक अथवा अन्य व्यक्ति शामिल है, जो विमानपत्तन या उसके किसी भाग का उपयोग करता हो अथवा उपयोग करने का आशय रखता हो, जिसमें इस करार तथा लागू कानूनों के उपबंधों के अनुसार फीस के भुगतान पर अथवा उसके अनुसार कोई या सभी वैमानिकी सेवाएं या गैर-वैमानिकी सेवाएं शामिल हैं;

"**निहित प्रमाणपत्र (Vesting Certificate)**" का वह अर्थ होगा जो खंड 40.4 में निर्धारित किया गया है; तथा

"**डब्ल्यूपीआई (WPI)**" का अर्थ है उद्योग मंत्रालय, जीओआई द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं हेतु थोक मूल्य सूचकांक, और इसमें कोई भी ऐसा सूचकांक शामिल होगा जो डब्ल्यूपीआई को प्रतिस्थापित करता हो, और डब्ल्यूपीआई के किसी संदर्भ को, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे, पूर्ववर्ती माह के साथ समाप्त होने वाली अवधि हेतु प्रकाशित डब्ल्यूपीआई के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, सिवाय इसके कि खंड 32.3 के उपबंधों के अनुसार फीस के वार्षिक संशोधन के प्रयोजनार्थ, किसी वर्ष की 1 अप्रैल को देय संशोधन की गणना उस वर्ष की 31 जनवरी को यथाविद्यमान डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में की जाएगी।

साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस करार को उपर्युक्त प्रथम लिखित दिन, माह तथा वर्ष के अनुसार निष्पादित तथा परिदत्त किया है।

प्राधिकरण की ओर से तथा उसकी ओर से हस्ताक्षरित:

द्वारा:

श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस मुख्य सचिव, गोवा सरकार

फैक्स – 0832 2415201 ईमेल – cs-goa@nic.in

मुख्य सचिव गोवा सरकार सचिवालय, पोरवोरिम-गोवा

साक्षी की उपस्थिति में: साक्षी के हस्ताक्षर:

[नाम: निला मोहनन, आईएएस] [पदनाम: सचिव, नागर विमानन, गोवा सरकार]

जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से तथा उसकी ओर से हस्ताक्षरित:

जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की सामान्य मुद्रा को रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित उसकी बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में लगाया गया है, और यहां श्री श्रीनिवास बोम्मिडाला, निदेशक, की उपस्थिति में इसे साक्ष्य स्वरूप उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न किया गया है:

श्री आर.वी. शेषन मुख्य कार्यपालक अधिकारी

फैक्स – 011-4719 8998 ईमेल – sheshan.rv@gmrgroup.in

साक्षी की उपस्थिति में: साक्षी के हस्ताक्षर:

[नाम: श्रीनिवास बोम्मिडाला] [पदनाम: निदेशक] जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

अनुसूचियां

अनुसूची – क

(खंड 10.1 देखें)

हवाईअड्डा की साइट

1. स्थल

1.1 हवाईअड्डा की साइट का वर्णन इस अनुसूची-क के अनुलग्नक-I में किया गया है।

1.2 भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, वृक्षों तथा साइट पर या उससे संलग्न किसी अन्य अचल संपत्ति सहित साइट की एक सूची, प्राधिकरण प्रतिनिधि तथा रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची करार के खंड 10.3.1 में निर्दिष्ट ज्ञापन का भाग गठित करेगी।

1.3 सेवा क्षेत्रों, सहायक भवनों हेतु अथवा कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्माण हेतु अपेक्षित अतिरिक्त भूमि, इस करार के उपबंधों के अनुसार अर्जित की जाएगी। अर्जन पर, ऐसी भूमि साइट का भाग गठित करेगी तथा प्राधिकरण में निहित होगी।

2. साइट हेतु मास्टर प्लान

2.1 साइट हेतु विकसित की जाने वाली मास्टर प्लान का वर्णन इस अनुसूची-ए के अनुलग्नक-II में किया गया है।

2.2 मास्टर प्लान, मानचित्र 1 में प्रदत्त भूमि उपयोग योजना के अनुरूप होगी तथा इसमें विमानपत्तन हेतु चिह्नित सभी भूमि शामिल होगी, और यह इस करार के उपबंधों के अनुसार वैमानिकी आस्तियों, टर्मिनल भवन, गैर-वैमानिकी आस्तियों तथा नगरीय पक्ष विकास के संबंध में स्थान तथा भूमि उपयोग को विनिर्दिष्ट करेगी।

3. नगरीय पक्ष विकास

नगरीय पक्ष विकास हेतु चिह्नित भूमि का वर्णन इस अनुसूची-ए के अनुलग्नक-III तथा मानचित्र 1 में किया गया है, और ऐसी भूमि साइट का भाग गठित करेगी।

अनुलग्नक – I

(अनुसूची-ए)

हवाईअड्डा हेतु साइट

1. हवाईअड्डा हेतु साइट

नवीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा के विकास हेतु भूमि मुख्यतः एक टेबल-टॉप पठार क्षेत्र है जो तीव्र ढलानों से घिरा है जो प्राकृतिक जल निकासी के रूप में कार्य करते हैं। पठार क्षेत्रों का अनुमानित भू-तल स्तर समुद्र तल (एमएसएल) से 140 से 170 मीटर (मी.) के बीच है।

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन हेतु कुल परियोजना क्षेत्र 84,68,261 वर्ग मीटर (लगभग 2093 एकड़) है, जिसमें से लगभग 381 एकड़ भूमि नगरीय पक्ष विकास हेतु चिह्नित की गई है। साइट के स्थान को दर्शाने वाला मानचित्र, मानचित्र 1A में तथा क्षेत्र की सीमांकन एवं संबद्ध भूमि उपयोग, मानचित्र 1B में दर्शाया गया है।

साइट, उत्तरी-सर्वाधिक गोवा में महाराष्ट्र सीमा के साथ मोपा गांव के निकट स्थित है। साइट में छह गांवों – वारकोंडा, कांसरवोर्नेम, अंबेरेम, उगुएम, मोपा तथा चंदेल – से अर्जित संपत्ति सम्मिलित है।

चूंकि साइट, समुद्र तट से काफी दूर स्थित है (उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर से अधिक), तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियम लागू नहीं होते हैं।

परियोजना हेतु भूमि के कब्जे की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1: भूमि अर्जन स्थिति

कुल परियोजना क्षेत्र	84,68,261 वर्ग मीटर (2092.55 एकड़)
अर्जित की जाने वाली भूमि	2,38,065 वर्ग मीटर (58.83 एकड़)

उपर्युक्त तथा करार में अन्यत्र उल्लिखित भूमि पार्सलों का क्षेत्रफल सत्यापन के अधीन है। विकास हेतु उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल का उल्लेख रियायतग्राही तथा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जाने वाले ज्ञापन में किया जाएगा, तथा मार्ग अधिकार रियायतग्राही को करार के खंड 10.3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. पहुंच

साइट, राष्ट्रीय राजमार्ग 17 से पहुंच योग्य है जो गोवा से होकर उत्तर-दक्षिण दिशा में चलता है तथा तटरेखा के साथ उत्तर में महाराष्ट्र के पनवेल से तथा दक्षिण में कर्नाटक होते हुए केरल के एडप्पल्ली से जुड़ता है। गोवा राज्य में सभी स्थानों को जोड़ने वाला एक सुव्यवस्थित सड़क नेटवर्क है।

साइट तक, मानचित्र 2 में दर्शाई गई विद्यमान सड़क के माध्यम से, एनएच-17 को साइट से जोड़ते हुए, उस समय तक पहुंचा जा सकता है जब तक इस करार में निर्धारित रीति से एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता। एक्सप्रेसवे की पूर्णता पर, एक्सप्रेसवे ही परियोजना हेतु पहुंच मार्ग गठित करेगा।

मानचित्र 1क: साइट स्थान

(भौगोलिक मानचित्र – गोवा राज्य में साइट का स्थान दर्शाते हुए)

मानचित्र 1ख: भूमि उपयोग योजना

(मोपा विमानपत्तन भूमि उपयोग मानचित्र)

[पृष्ठ 166 पर हस्ताक्षर पृष्ठ के अनुरूप, तथा पृष्ठ 167 पर अतिरिक्त हस्ताक्षर तथा मुद्रा, तथा पृष्ठ 168 पर "अनुसूचियां" शीर्षक पृष्ठ दस्तावेज़ में पुनः प्रकट होते हैं।]

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□, □□□□ — □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□ 1 □: □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

[□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ — □□ □□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□]

□□□□□□□□□ 2: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

[□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ (Ch. 0000 □□ Ch. 9+097 □□) □□□□□□ □□□□□]

अनुलग्नक-II

(□□□□□□□□□-□)

(□□□□ 12.2.1 □□□□□)

□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□

1. □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ हवाईअड्डा □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

2. हवाईअड्डा □□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□□ □□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ 1: □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□ (□□□□)	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□)	□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
चरण I	4.4	—
चरण II	5.8	चरण I □□□□□□ □□ 80%
चरण III	9.4	चरण II □□□□□□ □□ 80%
चरण IV	13.1	चरण III □□□□□□ □□ 80%

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 12 (□□□□□) □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ 30 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 12 (□□□□□) □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□) □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 1-□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□□□), □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ - □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ "□" (□□□□□□□ □□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ 25-40 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ क, □□□□□□□□□ ए, ब □□ ब □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

(□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□;
(□) □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□;
(□) □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□;
(□) □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□-□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□);

(□.) □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□; □□

(□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

5. □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ 60 □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 30 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ 30 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□) □□ □□□□ □□ □□□□□□□

6. □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ 90 (□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□ I □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ II □□ □□□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□ 1 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ 90 (□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 30 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 30 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

7. □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ("□□□□□□ □□□□□□") □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□:

(□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□:

(i) □□□□□□□ □□□□□□;

(ii) □□□□□□□□□ □, □□□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□; □□

(iii) □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

(□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□:

(i) [illegible] [illegible] [illegible]

अनुलग्नक-III

(□□□□□□□□□-□)

(□□□□□□□□□ 28 □□□□□□)

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 381 □□□□□ □□□□ □□ 381 □□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ 149 □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 381 □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ 232 □□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ क □□ अनुलग्नक IV □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ 1□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□, 149 □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□

अनुलग्नक-IV

(□□□□□□□□□-□)

(□□□□□□□□□ 28 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□:

□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)

- 5-□□□□□ □□□□
- □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□
- 3-□□□□□ □□□□
- □□□ □□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- □□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□
- □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□)
- □□□□□□□□□ □□□□□□
- □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□

- □□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□

- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□/□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□)
- □□□□□ (□□□□□□□□)
- □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□
- □□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□
- □□□□ □□□□□□□□

- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

□□□□□□□□□-□

(□□□□□ 2.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

1 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□) □□□□, □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

2 □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□, □□ (□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□) □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

- □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□: □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□; □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□? □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□; □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 25% □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□,
- □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□) □□ □□ □□ □□ 30% □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□,
- □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□,
- □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□
- □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

3 □□□□□□□□□□

3.1 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

(i) □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□;

- □. □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□: □□□□□□□□□ □□ □□□□□ 1 □□ 2 □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 4□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ 3 □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 4□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ 1 □□/□□□□□ 2 □□□□□ □□□□ 4□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□
- □. □□□□□ □□ □□□□□□:

□□□□□ □□□□□□□□□□□□	**09 □□**	**27 □□**
□□□□□	095°	275°
□□□□□□□□	376154.703	379890.325
□□□□□□□□□	1741181.090	1740854.265

(ii) □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□:

□. □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ - □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ "□□" (□□□□□□□ □□□□□) □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ 25-40 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□;

□. □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□737/□320 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ 80% (□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□;

□. □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□; □□

□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

3.2 □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□-□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

4 □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

5 □□□□□ □□□□□ □□□□□□

5.1 □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 381 □□□□□ □□ 2.5 □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□ अनुलग्नक IV □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.2 □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

6 □□□□□□ □□□□□□□□□

6.1 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□ □□□□□□□□□") □□ □□□□□□ □□□□□ 5 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

6.2 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ 1□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□

6.3 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□

6.4 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□

7. □□□□□□□ □□□□□□□□□□

7.1 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

7.2 □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

8. □□□□□□ □□□□□□□□□□

8.1 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ 26 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

8.2 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

8.3 [illegible] 12.9 [illegible] 145 [illegible]

[illegible]-1

(Раздел 2.1 Договора)

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]

2 [illegible]

[illegible] अनुलग्नक-I [illegible]

अनुलग्नक - I

([illegible])

[illegible]

1 [illegible]

[illegible] अनुलग्नक I [illegible]:

(क) [illegible] 4क [illegible] 4ख [illegible];
(ख) [illegible] "ख" [illegible];
(ग) [illegible];

(□) □□□□□-□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□) □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□;

(□.) □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□;

(□) □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□);

(□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□) □□□□□ □□□□□□□□□;

(□) □□□□□□□□ □□□□□□□;

(□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□;

(□) □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□);

(□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□);

(□) □□□□□□;

(□) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□);

(□) □□□□□ □□□□□□□□□□;

(□) □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□□□);

(□) □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□;
□□

(□) □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□-□

(□□□□□ 2.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□

1 □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□-□ □□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□

2 □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□) □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

अनुलग्नक - I

(□□□□□□□□□-□)

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□

1 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□:

(□) □□□□ 4, □□□□□□□□ □□ (□□□ I), □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□), □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ 2009);

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ 4 - □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ 3.4 □□ 3.5; □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ '□□' □□□ I;

(□) □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□) - □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ 14, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□: □□□ 1 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ - □□□ □□□□□□□, 2013;

(□) □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□ 9157);

(□.) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□ 9137);

(□) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□) □□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, 10□□□□ □□□□□□□□□,
□□□□□□ 2014;
(□) □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□); □□
(□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□;
(□) □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
(□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□),
2009;
(□) □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□
□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□;
(□) □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□; □□
(□) □□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ – □.

(□□□□□ 4.1.3 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□

□□□□ -I

1 □□□□□ □□□□□ **(**□□□□□□□□□□ □□□□**)** □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□□ 4.1.3 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□:

(i) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ '□□□□□□□□□□□□' (□□-□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□

□□□□ -II

2 □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□:

(i) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□;
(ii) □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□;
(iii) □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□;
(iv) □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□;
(v) □□□□/□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□;
(vi) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□;
(vii) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□;
(viii) □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□;

(ix) [illegible];

(x) [illegible]; and

(xi) [illegible]

[illegible]-[illegible]

(Exhibit 9.1 [illegible])

[illegible] [illegible] ([illegible] [illegible])

[illegible] .....

[illegible]:

(a) ..... ("[illegible]") [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ("[illegible]") [illegible], [illegible] ..... [illegible] [illegible] ("[illegible]") [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ("[illegible]") [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(b) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ("[illegible] [illegible]") [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]. ..... [illegible] ([illegible] ..... [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(c) [illegible], ..., [illegible] ..... [illegible] ("[illegible]"), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□

2. ..... □□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□

3. □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□) □□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□,

□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

4. □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ (waive) □□□□

5. □□□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□-□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

[illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

10. □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□ □□□□□□

11. □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□, □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□ ..... □□□□, ..., 20..... □□ ..... □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□:

(□□□□□□□□□□□)

(□□□□)

(□□□□□□)

(□□□□ □□□□□)

(□□□□)

□□□□□□□□□□□:

(i) □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

(ii) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□-□

(□□□□ 12.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□") □□□□□ □□ □□□□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ 15 (□□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

2 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□-I

2.1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-I □□□□□ □□□□□ □□ 180□□□□ (□□ □□ □□□□□□□□□□) □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-I")□

2.2 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-I □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ 5% (□□□□□ □□□□□□□□□) □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

3 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□-II

3.1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-II □□□□□ □□□□□ □□ 365□□□□ (□□□□ □□ □□□□□□□□□□) □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-II")□

3.2 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□-II □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ 15% (□□□□□□□ □□□□□□□□) □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□) □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□

[illegible] [illegible] [illegible] [

7 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□)

7.1 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 1095□□□ (□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□) □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

7.2 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

8 □□□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

(□□□□□ 12.3 □□□□□□)

□□□□□□ (□□□□□□□□□□)

1 □□□□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□□ 12.3 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□-□ □□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

2 □□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□, □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□-□□ □□ अनुलग्नक-I □□ □□□□ □□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□), □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□), □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (□□□□□□□□□□), □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□) □□□□□ □ □□□□

अनुलग्नक - I

(□□□□□□□□□□-□)

□□□□□□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□:

- □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□)
- □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□)
- □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
- □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□-□

(□□□□□ 14.1.2 □□□□□□)

□□□□□□□□

1 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ 90 (□□□□□□) □□□□ □□□□□□ □□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ 15 (□□□□□□□) □□□□

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

(ख) [illegible]

2.4 [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

3 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

4 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

5 □□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□)

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ 14 □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

6 □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ 13.3.1 □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□-□

(□□□□□ 14.2 □□□□ 14.3 □□□□□□)

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

1. □□□□/□□, ... (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□), □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ .....("□□□□□") □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ ("□□□□□□□□□□□") □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, ...(□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□) □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□ □□□□/□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 14 □□□□ □□□□□□□□-I □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□/□□ □□□□□□□□□ □□□□/□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□

2. □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□ .....□□□□ 20..... □□ □□ ..... □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□:

(□□□□□□□□□□□□)

(□□□□)

(□□□□□□)

(□□□□)

[illegible]

1. [illegible], ... ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ..... ("[illegible]") [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ("[illegible]") [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ... ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] 14 [illegible]-I [illegible] [illegible] [illegible]

(□□□□□□□□□□□) (□□□□ □□□□ □□□□□□) (□□□□)	(□□□□□□□□□□□) (□□□□ □□□□ □□□□□□) (□□□□)

[5] □□□□ □□□□□ □ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□, □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□-□

(□□□□□ 17.2 □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□, □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

2. □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□/□□□□□□□□

2.1 [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□□□-□

(□□□□ 26.7 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

1. □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□-□□ □□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

2. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ 7 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

3. □□□□□□□□-□ □□ निष्पादन

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 48 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□-□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

अनुलग्नक-I

(□□□□□□□□-□)

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□-□□ □□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ ("□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□") □□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	80% □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□: 60 □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□: 45 □□□□□ □□□□□□/□□□□□□: 45 □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	2 □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ 100% □□□□□□□□□ □□ □□□□□□
	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	60 □□□□□□ □□ □□□□□ 90% □□□□ □□ □□□□□□
	□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□	98% □□□□□□□□□
	□□□□□□□□□ □□□□□□□	98% □□□□□□□□□
	□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□	98% □□□□□□□□□
	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	95% □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 4 □□□□□ □□ □□□□□, 95% □□□□□ 24 □□□□□ □□ □□□□□
	□□□□□□ □□□□□□□□□□	100% □□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
	□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□	100% □□□ 5 □□□□ □□ □□□□
□□□-□□	□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 □□□□ □□□□□□ □□□□ 20 □□□□
□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□	□□□ □□ 95% □□□□□□ 5 □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ 45 □□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□	□□□ □□ 95% □□□□□□ 10 □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ 120 □□□□□
□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□	□□□□□ - □□□□ □□□ 10 □□□□, □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ 30 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□ □□□ 15 □□□□, □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ 40 □□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□	□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□	□□□□□□□□□□□□□□□ - 95% □□□□□□ 45 □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ - 95% □□□□□□ 35 □□□□ □□ □□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□ □□ %	99%
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ %	□□□□□□□□□□□□□□□ - 90% □□□□□ - □□737/□320 □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ 90% (□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□	95% □□□□□ 5 □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□
	□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□	95% □□□□□ 5 □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□
□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□	95% □□□□□□□ 5 □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□ □□ 80% □□□□□ □□□□□□
□□-□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□)	□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	95% □□□□□□□ □□ □□□□□□ 5 □□□□□ □□ □□ □□

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ "□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ "□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□" □□□□□□□ □□□□□

[redacted] 20 [redacted] (a) [redacted], [redacted]:

[redacted]:

A. [redacted] (Applicable):

(i) [redacted]

(ii) [redacted]

(iii) [redacted]

B. (Applicable):

(i) [redacted]

(ii) [redacted]

C. [redacted]:

(i) [redacted]

(ii) [redacted]

(iii) [redacted]

(iv) [redacted]

(v) [redacted]

(vi) [redacted]

D. [redacted] (Applicable):

(i) [redacted]

(ii) [redacted]

(iii) [redacted]

□□□□□□□□-□

(□□□□ 23.1 □□□□□□)

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

1. **□□□□□□□□□□ □□□□□□□□**

1.1 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□

1.2 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

1.3 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□

1.4 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□-□□ □□ अनुलग्नक-I □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□

2. **□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□**

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□:

(□) □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□;

(□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□;

(□) □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□;

(□) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ अनुलग्नक, □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□□□□□□; □□□□

(□.) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

3. **□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□**

3.1 □□ □□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□

[illegible]

3.2 [illegible]

4. [illegible]

4.1 [illegible]

4.2 [illegible]

4.3 [illegible]

[illegible]

4.4 [illegible] 31[illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

अनुलग्नक-I

(□□□□□□□□-□)

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

2. □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ (□□□□□□□□□□), □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

3. □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□

4. □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

4.1 □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□:

क. □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□;

ख. □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□;

ग. □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□;

घ. □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□;

ङ. □□□□□ □□□□□□ □□ □□;

च. [illegible];

छ. [illegible];

ज. [illegible]; [illegible]

झ. [illegible]

4.2 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 5 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

7. [illegible] [illegible]

7.1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□□-□

□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□
(□□□□ 25.3 □□□□□)

□□□□ □□□□□: _____
□□□:_____

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□ □□□□/□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□□ □□ □□□
□. □□□□□□	□1 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□		
	□2 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□		
	□3 □□□□□□ □□□□□		
	□4 □□□□□□ □□□□□□□□□		
□□. □□□□□□□	□□1 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□		
	□□2 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□		
	□□3 □□□□□□ □□□□□		
	□□4 □□□□□□ □□□□□□□□□		
□□. □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□	□□1 2/3 □□□□□□ □□□□□		
	□□2 □□□□□□		

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□/□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□ □□ □□□□
	□□3 □□□□□□□□/□□□□□ □□□□□		
	□□4 □□/□□□□□		
□□. □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□1 2/3 □□□□□□ □□□□□		
	□□2 □□□□□□		
	□□3 □□□□□□□□/□□□□□ □□□□□		
	□□4 □□/□□□□□		

(□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□: □□□□□□□□□□□, □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□) □□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□:

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
(□□□□□ 25.3 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□: _____ □□□:

_____

□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□)	□□□□□□ (□□□□□□□)
□. □□□□□ (□□□□□□□□□)			
□1 □□□□ □□□□□□□ (100 □□□□□□□ □□ □□□□□)			

□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□ □□□ (□□□□□□□ □□□)	□□□□□□ (□□□□□□□)
□2 □□□ □□□□□□□			
□3 □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□)			
□□□ (□)			
□□. □□□□□□□□ (□□□□□□□□□)			
□□1 □□□ □□□□□□□ (100 □□□□□□□ □□ □□□□)			
□□2 □□□ □□□□□□□			
□□3 □□□□□ □□□□□□□			
□□□ (□)			
□. □□□□□□□ (□+□)			

□□□: □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□-□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□, □□□ □□□ □□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

(□□□□□ 32.3 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□: _____ □□□:

_____

□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□ □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□)	□□□□□□□□ □□ - □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□
क. □□□□□□□□					
ख. □□□□□□□□□					
ग. □□□□□□□□					
घ. □□□□□□□ □□□□					
ङ. □□□-□□ □□□□□□□					
च. □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□					
छ. □□□□ □□□□□□					
ज. □□□□□□□ □□□□□□□□□					
झ. □□- □□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□□□)					
□□□□					

(□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□)

□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□:

□□□□□□□□-□

(□□□□ 26.11 □□□□□□)

□□□□□□ □□□□□□

..... □□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

2. □□□□-□□□□

1. □□□□□□
2. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
3. □□□□□□ □□ □□□□□□□□□
4. □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
5. □□□□□ □□□□□ □□□□□
6. □□□□ □□□□ □□□□□□□□
7. □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
8. □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□

2.1 □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□! □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□:

क. □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

ख. □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

ग. □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

घ. □□□□□□, □□□□□□□-□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

ङ. □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□

च. [illegible]

2.2 [illegible]

[illegible]

2.2.1 [illegible]

[illegible]

2.2.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2.3 [illegible]

[illegible]

2.2.4 [illegible]

[illegible]

2.2.5 □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□-□□ □□□□□□□□□□, □□□□□-□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□

2.2.6 □□□□□□□□□

□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□:□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 5 □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□ □□□□□ 20 □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□

2.2.7 □□□□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 30% □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ 40°C □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ 25°C □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ 15°C □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ 15°C □□ □□ □□□□□ □□□□□□

2.2.8 □□□□□□□

□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ 95% (□□□□□□□□ □□□□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 5 □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

2.2.9 □□□□□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□□□

2.3 □□□□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

2.4 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□:

2.4.1 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

2.4.2 □□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

2.4.3 □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

2.4.4 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

2.6 □□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□? □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□□□ .....□

2.7 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

2.8 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□

□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

क. □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□, □□ □□ □□□□□ 7 (□□□□) □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 25 (□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

ख. □□□□ 25 □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□, □□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

ग. □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□-□

(□□□□ 27.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□

1. □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□

1.1 □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ 24(23)/□□□□□-II/2008 □□□□□□□ 21 □□, 2009 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□) □□ □□□□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□, □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

1.2 □□□□□ 1.1 □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□□ 5 □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□

1.3 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□

2. □□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

3. □□□□□□ □□□□ □□□□□

3.1 □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ 1% (□□ □□□□□□□□□) □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ 1% (□□ □□□□□□□□□) □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

3.2 □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible]

□□□□□□□□-□

(□□□□ 27.2.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ ("□□□□□□□") □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ ..... ("□□□□□□") □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ ..... ("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□") □□ □□□□, ... □□□□ □□□□ □□□□□□ ..... □□□□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ ("□□□□□□□□□□□□□□") □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ अनुलग्नक-□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

1.2 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

2. □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

2.1 □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □ □□□□

2.2 □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

2.3 □□□□□ □□ □□□□□ 1.2, 1.3 □□□□ 1.4 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□), □□□□□ □□□□□□□

3. □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□

3.1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

(i) □□□□□ 4 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□;

(ii) [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible];

(iii)[illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible]

[illegible];

(iv) [illegible] 6 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (□&□□)
[illegible], [illegible] [illegible];

(v) [illegible] 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible];

(vi) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible]

[illegible];

(vii) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible];

(viii) [illegible] 9 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible];

(ix) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

4. [illegible]

4.1 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

5.4 [illegible]

5.5 [illegible]

5.6 [illegible]

5.7 [illegible]

[illegible]

5.8 [illegible]

5.9 [illegible]

5.10 [illegible]

5.11 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 3 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 7 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6.4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

7.2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 90 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 15 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□-□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□

11.2 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□, □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

11.3 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ 2 (□□) □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ 1 (□□) □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

11.4 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□, □□□□□□ '□□□-□□□□□□□' (□□□-□□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□, □□ □□ □□ □□-□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

11.5 □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□

11.6 □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□-□

(□□□□□□□□□ 33 □□□□□□)

□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□ 20….. □□ …… □□□□ □□ ……. □□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

1 …….. □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□);

2 …… (□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□), □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□, □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□);

3 …… (□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□), □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□ □□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□); □□

4 □□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ ……. □□ □□ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□)□

□□□□□:

(□) □□□□□□□□□□ □□ ……. □□□□□□ □□□□ ……. □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□□□□□") □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ ……. □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□ □□□□□") □□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□-□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□-□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□

□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□:

1 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□:

“□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□;

“□□□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□ (□) □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□-□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□;

“□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□, □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□;

“□□□□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□ □□-□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□;

“□□□□□□□□ □□□□□□□□□□” □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 6.1 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□;

“□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□;

“□□□□□□□□” (□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ “□□□□□□□□” (□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□;

“□□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□, □□□□ 4.1 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□); □□

“□□-□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□-□□□□□, □□□□□□□ □□□□ 4.1 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□

1.2 □□□□□□□□

1.2.1 □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

1.2.2 □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

1.2.3 □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

1.2.4 □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 1.2, 1.3 □□ 1.4 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

2 [illegible]

2.1 [illegible]

2.1.1 [illegible]

2.1.2 [illegible]

2.2 [illegible]

[illegible]

2.3 [illegible]

2.3.1 [illegible]

2.3.2 [illegible]

2.3.3 [illegible]

2.4 [illegible]

2.5 [illegible]

2.6 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

3.3 [illegible]

[illegible]

3.4 [illegible]

[illegible]

4 [illegible]

4.1 [illegible]

4.1.1 [illegible]

(a) [illegible]

(b) [illegible]

(a) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(□) □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ 90% (□□□□□□ □□□□□□□□□);

(□) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□;

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 41 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□;

(□) □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□;

(□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□;

(□) □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□; □□

(□) □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□:

□□□□□□ □□ □□□□ 4.2 □□ □□-□□□□ (□) □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

4.3 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□ 4.1 □□ 4.2 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.

4.4 □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□/□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□

4.5 [illegible]

[illegible] 38 [illegible]

5 [illegible]

5.1 [illegible]

5.2 [illegible]

5.3 [illegible]

(a) [illegible];

(a) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

7.3 [illegible]

[illegible] 4.2 [illegible]

8 [illegible]

8.1 [illegible]

[illegible] 4.1.1 [illegible]

9 [illegible]

9.1 [illegible]

9.1.1 [illegible]

[illegible]

9.1.2 [illegible]

9.1.3 [illegible]

9.2 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

11.2 [illegible]

[illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible]; and

(c) [illegible]; or

(d) [illegible].

11.3 [illegible]

[illegible].

11.4 [illegible]

[illegible].

11.5 [illegible]

11.5.1 [illegible]
[illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible]; и

(c) [illegible].

11.5.2 [illegible], [illegible].

11.6 [illegible]

[illegible]

11.7 [illegible]

11.7.1 [illegible]:

(a) [illegible], [illegible];

(b) [illegible], [illegible].

11.7.2 [illegible]

11.8 [illegible]

[illegible]

11.9 [illegible]

[illegible]

11.10 [illegible]

[illegible]

[redacted]

11.11 [redacted]

[redacted]

11.12 [redacted]

[redacted]

11.13 [redacted]

[redacted]

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 20……
□□ …… □□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□□□□□ □□□□, ……,
□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□, □□ ……, □□□□□□
□□□□□/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□,
□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□ □□ □□:

(□□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□-□□□□ □□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□
□□□□□□□□:

(□□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□-□□□□ □□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□
□□□□□□□□:

(□□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□-□□□□ □□□□)

गग गगगगगगगग गगग :

1.

2.

□□□□□□□□-□

(□□□ 35.2.1 □□□□□□)

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

1 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□ 35.2.1 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ 5 (□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ (“□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□”) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□-□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□

2 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

2.1 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□:

(□) □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□, 2013, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□, □□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□;

(□) □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ 5 (□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 10 (□□) □□□□□ □□ □□□□□□ □□;

(□) □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□; □□

(□) □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ 2 (□□) □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

2.2 □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□. 25,00,00,000 (□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 5 (□□□□□) □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□

3 □□□□□□□□□□ □□ □□□□

3.1 □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ 2.2 □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ 1 (□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ 5 (□□□□□) □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□, 5 (□□□□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□)

3.2 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 5 (□□□□□) □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

4 □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□, □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ 15 (□□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

5 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.1 □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, 5 (□□□□□) □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.2 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 5 (□□□□□) □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□ □□□□□□□□-□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□-□

(□□□ 40.4 □□□□□□)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

1 ……. □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ……. □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ (“□□□□□□□□□□□□”), □□□□□□□□□□□ □□ …… (“□□□□□□□□□□□□□□□”) □□ □□□□ …… □□□□□□ □□□□ …… □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ (“□□□□□□□□□□”) □□□□□ □□ □□□□ □□ …… □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ (“□□□□□”) □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

2 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 40.1 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

3 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□/□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

20 ……. □□ …… □□□□ □□ ……. □□□□ □□ …… □□ □□□□□□□□□□□□□□

सहमति लें

□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□
□□□□□□□:

(□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□)

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□
□□□□□□□:

(□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□)

(गगग)　　(गगग)

गग गगगगगगगग गगग :

1.　　2.

□□□□□□□□-□

(□□□ 42.3.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ 20.... □□ …… □□□□ □□ …… □□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

1 □□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□);

2 …… □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□);

3 …… (□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□), □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□, □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□);

□□□□□:

(□) □□□□□□□□□□ □□ …… □□□□□□ □□□□ …… □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□□□□□") □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ …… □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□ □□□□□") □□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□-□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

(□) □□□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□, □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

□□□□, □□, □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□:

1 □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□:

“□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□;

“□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 3 (□□□□) □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□;

“□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□;

“□□□□□□ □□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, 2013, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□;

“[illegible]” [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3.2.1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible]

“[illegible]” ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “[illegible]” ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

3.1.2 [illegible]

3.2 [illegible]

3.2.1 [illegible] ("[illegible]") [illegible], [illegible] 3 [illegible]

3.2.2 [illegible]

3.2.3 [illegible] 38 [illegible] 180 ([illegible]);

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 180 ([illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] 90 ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.4 [illegible]

3.4.1 [illegible] 3.3.2 [illegible]

3.4.2 [illegible]

3.4.3 [illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible];

(c) [illegible]

3.4.4 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

4 [illegible]

4.1 [illegible]

[illegible]

5 [illegible]

5.1 [illegible]

[illegible]

5.2 [illegible]

[illegible]

5.3 [illegible]

[illegible]

6 [illegible]

6.1 [illegible]

[illegible]:

(a) [illegible]; [illegible]

(b) [illegible]

7 [illegible]

7.1 [illegible]

7.1.1 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

8.1.2 [illegible]

9 [illegible]

9.1 [illegible]

[illegible]

9.2 [illegible]

[illegible]:

(a) [illegible]

(b) [illegible]

(c) [illegible]; [illegible]

(d) [illegible]

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□)□

9.3 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□

9.4 □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□

9.5 □□□□□□□□□

9.5.1 □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□:

(□) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□;

(□) □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□; □□

(□) □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

9.5.2 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

9.6 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

9.7 [illegible]

9.7.1 [illegible]:

(a) [illegible]; and

(b) [illegible], [illegible].

9.7.2 [illegible], [illegible] 3 ([illegible]) [illegible].

9.8 [illegible]

[illegible].

9.9 [illegible]

[illegible].

9.10 [illegible]

[illegible].

[illegible]

9.11 [illegible]

[illegible]

9.12 [illegible]

[illegible]

9.13 [illegible]

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 20……
□□ …… □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□
□□ □□□□□□□ □□□□, ……, □□□□□□□:
□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□, □□ ……, □□□□□□
□□□□□/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, (□□□□□□□□□□□)
□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ (□□□□)
□□□□□ □□ □□: (□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□□) (□□□□□□□□□□ □□□□□□□)
(□□□□) (□-□□□ □□□□)
(□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□ □□□□□□□)
(□-□□□ □□□□)

□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□ □□:

(□□□□□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□ □□□□□□□)
(□-□□□ □□□□)

□□ □□□□□□□□□ □□□□:

1.

2.

□□□□□□□□-□

(□□□ 5.4.1 □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□□□

□□ □□□□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□") 20…, □□ …… □□□□ □□ …… □□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

1. □□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□), □□□□□ □□□□□; □□

2. □□□□□ □□□□□□□-I □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□ □□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□ □□□□□□□□" (□□□□□□□□) □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□), □□□□□□□ □□□□□; □□

3. …… □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□), □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□□□□□" (□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□□□□□" (□□□□□□) □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□:

□. □□□□□□□□□□ □□ …… □□□□□□ □□□□ …… □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□" □□ "□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□) □□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□ □□□□□□□□" □□□ □□□ □□) □□□□□□□□ □□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□ ("□□□□□□□□□□") □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□

□. □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ …… □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ …… ("□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□" □□ "□□□□□□□ □□□□□□□") □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ ("□□□□□□□□□□□□□□□□") □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ …… □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ …… □□□□□ □□□□□□

□. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□

□. □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□) □□□□□□ □□□□□□□

□. □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□, □□, □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□:

1 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□-□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□), □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□:

“□□□□□□□□□ □□□□□□□□” □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 11.3 □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

“□□□□□□□□□ □□□□□□□” □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 5.7.1 □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

“□□□□□□□ □□□□□” □□ “□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□;

“□□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□;

“□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

“□□□□□□ □□□□□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□□□□□ □□□□□□□□, 1956 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, 1956, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□;

“□□□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□;

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 11.14 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 8.2.1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. …… . [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. …… [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□, □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□, □□□, □□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□; (iii) □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□□□ □□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□) □□ □□□ □□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

1.2 □□□□□□□

1.2.1 □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□, □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□ □□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□

1.2.2. □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□, □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□

1.2.3 □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ 1.2, 1.3 □□ 1.4 □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□

2 □□□□□□□ □□□□

□□□ 2, 3, 7, 9 □□ 10 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ “□□□□□□□ □□□□” □□□□):

(i) □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□;

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

3 [illegible]

3.1 [illegible]

3.1.1 [illegible]

3.1.2 [illegible]

3.1.3 [illegible]

3.1.4 [illegible]

3.2 [illegible]

3.2.1 [illegible] (i) [illegible]; [illegible] (ii) [illegible] (i) [illegible] (ii) [illegible] (“[illegible]”) [illegible]

3.2.2 [illegible] (i) [illegible] (ii) [illegible] (“[illegible]”) [illegible]

3.2.3 [illegible]

4 [illegible]

4.1 [illegible]

4.2 [illegible]

4.2.1 [illegible]

4.2.2 [illegible]

(a) [illegible]; and

(b) [illegible] (i) [illegible] (ii) [illegible]

[illegible]

4.2.3 [illegible]

4.2.4 [illegible]

4.2.5 [illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

5 □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□

5.1 □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

5.2 □□□□□ □□ □□□□□□□

5.2.1 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□:

(□) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□; □□

(□) □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

5.2.2 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

5.3 □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

5.4 □□□□□□□ □□□□□□□

5.4.1 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

5.4.2 [illegible]

5.5 [illegible]

[illegible]

5.6 [illegible]

[illegible]

5.7 [illegible]

5.7.1 [illegible]

5.7.2 [illegible]

(□□□□ 5.7.1 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□), □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□) □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.8 □□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□, 1 (□□) □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□

5.9 □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ …… □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□/□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□/□□-□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.10 □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

5.10.1 □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ 14 (□□□□□) □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□) □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

[illegible]

5.10.2 [illegible]

5.11 [illegible]

5.11.1 [illegible]

5.11.2 [illegible]

5.12 [illegible]

[illegible]:

[illegible]

5.13 [illegible]

5.13.1 [illegible]

5.13.2 [illegible]

5.14 [illegible]

5.15 [illegible]

5.16 [illegible]

5.17 [illegible]

5.17.1 [illegible]

5.17.2 [illegible] 5.17.1 [illegible]:

(a) [illegible]; [illegible]

(b) [illegible].

6 [illegible]

6.1 [illegible]

6.1.1 [illegible]

6.1.2 [illegible] 3.1.3 [illegible]

[illegible]

6.1.3 [illegible]

6.1.4 [illegible]

7 [illegible]

7.1 [illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible];

(c) [illegible].

[illegible]

(a) [illegible]

(b) [illegible]

(c) [illegible]

7.2 [illegible]

(a) [illegible]

[illegible]

(b) [illegible]

7.3 [illegible]

8 [illegible]

8.1 [illegible]

[illegible]

8.2 [illegible]

8.2.1 [illegible]

8.2.2 [illegible]

8.2.3 [illegible]

9 [illegible]

9.1 [illegible]

9.2 [illegible]

9.3 [illegible]

(a) [illegible]

(□) □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□;

(□) □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□;

(□) □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□;

(□) □□ □□ □□□□□□□/□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□, □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□;

(□) □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□;

(□) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□) □□ □□□□□□ □□ □□ □□, □□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

9.4 □□□□□□□□□ □□-□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□

10 **□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□; □□□□□□□□□□□**

10.1 □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ 10.3 □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

10.2 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□ □□) □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ (“□□□□□□”), □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□: □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 60 (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□ 10.3 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

10.3 □□□□□□□□□□□

10.3.1 □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

10.3.2 □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

10.3.3 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

11 □□□□□□□□□

11.1 □□□□□□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □-□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □-□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ 5.30 (□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□)

□□ □□□□□□□□, □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □-□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□

11.2 □□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

11.3 □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ (“□□□□□□□□□ □□□□□□□□”) □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ अनुलग्नक □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ (i) □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□; (ii) □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

11.4 □□□□□□□□ □□□□□

11.4.1 □□□□ 11.4.2 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□□-□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

11.4.2 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□:

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□;

(□) □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□

□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

11.5 □□□□□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□

11.6 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□, □□□□□ □□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□

[illegible]

11.7 [illegible]

[illegible]

11.8 [illegible]

[illegible]

11.9 [illegible]

[illegible]

11.10 [illegible]

[illegible]

11.11 □□-□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□, □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

11.12 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

11.13 □□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□/□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

11.14 □□□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ (□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□कार्यात्मकता, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□, □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□, “□□□□□□□□□□ □□□□□” □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□), □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ (□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□)

□□□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 20…… □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□ …… □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□
□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□:
□□ □□□□□□□ □□□□, ……,
□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□, □□ ……, □□□□□□
□□□□□/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ (□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, (□□□□)
□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ (□□□□□□□)
□□□□□ □□ □□: (□□□□)
(□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□□□□□□□□□□□) (□-□□□□ □□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□)
(□□□□)
(□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□-□□□□ □□□□)

□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□
□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□:
□□□□□□□□:
(□□□□□□□□□□□□)
(□□□□□□□□□□□□) (□□□□)
(□□□□) (□□□□□□□)
(□□□□□□□) (□□□□)
(□□□□) (□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□)
(□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□) (□-□□□□ □□□□)
(□-□□□□ □□□□)

□□ □□□□□□□□□□ □□□□:

1.

2.

अनुलग्नक -I

(□□□□□□□□-□)

□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□

अनुलग्नक-II

(□□□□□□□□-□)

□□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□;

(□) □□□□-□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□;

(□) □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□;

(□) □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□-□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□-□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ 10 □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□; □□

(□) □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□, 2013, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

अनुलग्नक-III

(□□□□□□□□-□)

□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□") ..... □□ ..... □□□, □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□/□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ ..... □□ □□ ("□□□□□□□"), □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□

□□□□:

□. 20... □□ ..... □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ ("□□□□□□□ □□□□") □□□□□□, □□ □□□□□□□□□, ... □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□

□. □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ 3.2.1 (ii) □□□, □□□□ □□□□□ □□ □□□-□□□, □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ ("□□□ □□□□□□□□") □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□-□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□-□□□□ □□ □□□ □□□, □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□:

1. □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□:

□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□, □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□

2. □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□, □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□, □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

3. □□□□ □□□□

□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□ □□ □□□□□□:

□□ □□□□□□□□□ □□□□:

□□□□□□□ 1. 2.

□□□□□□□□-□

(□□□ 22.2.1 □□□□□□)

□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□") …… □□ …… □□□□ □□ …… □□□□ □□

□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

1. □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, 1994 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□ - 110003 □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□), □□□□□□ □□□□□;

2. …… □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, 2013 □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ …… □□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□), □□□□□□□□ □□□□□; □□

3. [•], □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□" □□□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□), □□□□□□ □□□□□;

□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□□□□□" (□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ "□□□□□□□□□" (□□□□□□□) □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□

(□) …… □□ □□□□□□ □□ …… □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□" □□□□ □□□□ □□) □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ ("□□□□□□□□□□□") □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ …… □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ ("□□□□□□□ □□□□□") □□□□□ □□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□-□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□-□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□

□□□□, □□, □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□:

1. □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□:

"□□□□□□□□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□-□□□□ (□) □□□□ □□□□□□□□□ □□;

"□□□□□□□ □□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□-□□□□ (□) □□□□ □□□□□□□□□ □□;

"□□□□□□□□ □□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 4 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□, □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□;

"□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

1.2 □□□□□□□□

1.2.1 □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

1.2.2 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1.2.3 [illegible] [illegible] [illegible] 1.2, 1.3 [illegible] 1.4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

2. [illegible]

2.1 [illegible]

2.1.1 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (i) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□; □□

(□) □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

2.1.2 □□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□, □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□, □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

2.1.3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□, □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□

2.1.4 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ 90 (□□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ 2.1.4 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□

2.1.5 □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ 5 (□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□

2.2 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

(a) [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(b) [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(c) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(d) [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

(i) [illegible];

(ii) [illegible];

(iii) [illegible];

(iv) [illegible];

(v) [illegible];

(vi) [illegible];

(vii) [illegible];

(viii) [illegible]; [illegible]

(ix) [illegible]

(□) [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

3.2 [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

(a) [illegible]; [illegible]

(b) [illegible]; [illegible]

(c) [illegible]; [illegible]

(d) [illegible]

5. [illegible]

[illegible]

6 [illegible]

6.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

6.2 [illegible]

[illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible];

(c) [illegible]; and

(d) [illegible].

6.3 [illegible]

[illegible]

6.4 [illegible]

[illegible]

6.5 [illegible]

6.5.1 [illegible]:

(a) [illegible];

(b) [illegible]; и

(c) [illegible]

6.5.2 [illegible], [illegible].

6.6 [illegible]

[illegible]

6.7 [illegible]

6.7.1 [illegible]:

(a) [illegible]; и

(b) [illegible],

[illegible]

6.7.2 [illegible]

6.8 [illegible]

[illegible]

6.9 [illegible]

6.9.1 [illegible]

6.9.2 [illegible]

(a) [illegible]

(b) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

□□/□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

6.13 □□□□ □□□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 20…… □□ …… □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□, ……, □□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□ ……, □□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□£:
(□□□□□□□□□□)	(□□□□□□□□□□)
(□□□□)	(□□□□)
(□□□□□□)	(□□□□□□)
(□□□□)	(□□□□)
(□□□□□□□□□□ □□□□□□□)	(□□□□□□□□□□ □□□□□□□)
(□-□□□□ □□□□)	(□-□□□□ □□□□)

□□ □□□□□□□□□ □□□□:

2.

1.

£ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□-□

□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ **हवाईअड्डा**

□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□

□□

[□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□]

[•], 2016

[illegible]

[illegible] [illegible] 2016 [illegible] _____ [illegible] [illegible] _____ [illegible] [illegible] _____ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

1. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

(□) □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

(□) □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□:

□□□ 1

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□

1.1 □□□□□□□□□

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□:

"□□□ □□□□□□ □□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ 1 □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□);

"□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□-□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□;

"□□□□ □□□□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□/□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□;

"□□□□□□□□□□ □□□□□□" □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ 8.3.2 □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□;

"□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□;

"□□□□□□□□ □□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□-□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□;

"□□□□□□□/□□□□□ □□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ 2 □□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□);

"□□□□□□□/□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□/□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□/□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□ □□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□-□□□□ (□) □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□□□□□□□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□/□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 3 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□;

"□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□;

"□□□□□□□□ □□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□;

"□□□□ □□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□ □□□□□□ □□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ 3 □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 4 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□);

"□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 5 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□);

"□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 4.1.1 □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□;

"□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 6 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□);

"□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□ □□□□□□□" □□ "□□ □□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□;

"□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 7 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□);

"□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□;

"□□□□□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□;

"□□□□□□□□ □□□□□□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 3.3.1 □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□;

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 8 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

3.3.2 [illegible]

3.3.3 [illegible]

3.4 [illegible]

3.5 [illegible]

[illegible]

3.6 [illegible]

3.6.1 [illegible]

3.6.2 [illegible]

3.6.3 [illegible]

3.6.4 [illegible]

3.6.5 [illegible] I [illegible] [illegible] [illegible]

4.1.2 [illegible] (30) [illegible]

[illegible] 5

[illegible]

5.1 [illegible]

5.2 [illegible]

5.3 [illegible] 2 ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]

5.4 हवाईअड्डा □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ 5 □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□

5.5 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ 5000 □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ 5 □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□-□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ 2.5 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

5.6 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□

5.7 □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□, □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

5.8 □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 5 (□□□□□) □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ 02 □□□□□□□□□ (□□□□□□ 737-800 □□□□□□□□) □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□

[illegible]

5.9 [illegible]

[illegible] 6

[illegible]

6.1 [illegible] (“[illegible]”) [illegible]

[illegible] 7

[illegible]

7.1 [illegible]

7.2 [illegible] (7) [illegible]

7.3 [illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

7.4 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□/□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

7.5 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ (90) □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□ 8

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□

8.1 □□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ 8 □□ □□) □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

8.2 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ (60) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□ 8.3 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

8.3 □□□□□□□□□□□

8.3.1 □□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ (□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 8.2 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□) □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, 1996 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□

8.3.2 □□□□□□□□ □□ □□□□ (3) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□ **"□□□□□□□□□□□ □□□□□□□"** □□□□□ □□□□□□□)□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

8.3.3 □□□□ □□□□□□□□□□□□, □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□, □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

8.3.4 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□

8.3.5 □□ □□□□ 8 □□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ 9

□□□□□□□□□

9.1 □□□□□□

9.1.1 □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ (□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□) □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□:

□□□□□ □□□□□□:

□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□: 011 ……

□□□□□□□□□□□□□:

[•]

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□:……

□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□

9.1.2 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□, □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ (3) □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□

9.2 □□□□□□□□□□□□□

9.2.1 □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

9.3 □□□□□□□□ □□□□□

9.3.1 □□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□-□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

9.4 □□□□□□□

9.4.1 □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□

9.5 [illegible]

9.5.1 [illegible]

9.5.2 [illegible]

9.6 [illegible]

9.6.1 [illegible]

9.7 [illegible]

9.7.1 [illegible]

9.8 [illegible]

9.8.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]:
[illegible]	[illegible]:

□□□□□□□□ **कार्यात्मकता:**

□□□□ □□ □□□□□:

- □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□, □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□
- □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□
- □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□
- □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□:

- □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□, □□□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
- □□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□
- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
- □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□ □□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□
- □□□□□□ □□ 30 □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□ 2

□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□:

(□) □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□;

(□) □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□;

(□) □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□-□□□□ □□ (i) □□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□; □□ (ii) □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□/□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□;

(□) □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□;

(□) □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□; □□

(□) □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

कार्यात्मकता:

- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□/□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□/□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ **4**

□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ **(□□□□□□□□□)** □□ □□□□□□□□□□

1 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ **"□□□□□□□□□□ □□□□□□□"** □□□□ □□□□ □□):

(□) □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□;

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□;

(□) □□□□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□/□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□; □□

(□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ कार्यात्मकता □□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

2. □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 1 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□/□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ 1 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□

हवाईअड्डा □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□□ 3 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ कार्यात्मकता

(□) □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□

(□) □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

(□) □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

(□) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□

(□) □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

(□) □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□

□□ कार्यात्मकता □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□, 1914 □□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□) □□□□□, 2003 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

कार्यात्मकता

- □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ 17 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
- □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□/□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□